दशम माला, खंड 3, अंक 27

सोमवार, 19 अगस्त, 1991
28 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 3, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)
अंक 27, सोमवार, 19 अगस्त, 1991/28 श्रावण, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:	
*तारांकित प्रश्न संख्या: 447 और 449 से 451	4—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर:	
तारांकित प्रश्न संख्या: 448 और 452 से 466	17—26
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3218 से 3248, 3250 से 3384, 3386 से 3414 और 3416 से 3420	26—143
सभा पटल पर रखे गए पत्र	164—166
वित्तीय समितियां—एक समीक्षा	166
समितियों के लिए निर्वाचन	167—169
(एक) प्राक्कलन समिति	167
(दो) लोक लेखा समिति	167
तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	168
(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	168
नियम 377 के अधीन मामले	169—171
(एक) जबलपुर में रेडियो और दूरदर्शन ट्रांसमिशन सेवाओं का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता श्री श्रवण कुमार पटेल	169
(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि में नाम-निर्देशन के लिए प्रांतीय सेवाओं, विशेषकर राजस्थान की प्रांतीय सिविल सेवा का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता श्री गिरधारी लाभ भार्गव	170
(तीन) राजस्थान के बूंदी जिले में गरड़दा सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता श्री दाऊ दयाल जोशी	170
(चार) पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए "विकास आयोग" की स्थापना किए जाने की आवश्यकता श्री चन्द्रजीत यादव	170
(पांच) कोडाइकनाल दूरदर्शन रिले केन्द्र से दूसरा चैनल आरम्भ किए जाने की आवश्यकता श्री राजगोपाल नायडू रामास्वामी	171
(छः) राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता कुमारी क्रिडा तोपनो	171

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा है।

विषय	पृष्ठ
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक	**171—189**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सीताराम केसरी	171
डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	172
श्री वी०एस० विजयराघवन	173
श्री सैयद शाहाबुद्दीन	175
श्री रूप चंद मुरमु	176
श्री मनोरंजन भक्त	177
श्री राम नाईक	178
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	181
श्री पी०सी० थामस	183
श्री राम विलास पासवान	184
श्री फ्रैंक एन्थनी	186
श्री एच०डी० देवगौड़ा	187
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सीताराम केसरी	189
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव	**190—197** **199—239**
श्री श्री श्याम लाल कमल	190
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	191
श्री शिबू सोरेन	199
श्री मनोरंजन भक्त	202
श्री रतिलाल वर्मा	204
श्री जी० वेंकटस्वामी	207
श्री ए० अशोकराज	209
प्रो० सावित्री लक्ष्मणन	210
श्री चित्त बसु	213
श्री पीयूष तीरकी	214
श्री पीटर जी० मरबनिआंग	215
श्री रोशन लाल	216
श्री के०पी० रेड्डय्या	218
डा० आर० मल्लू	220
श्री रूप चन्द मुरमु	222
श्री जे० चोक्का राव	224
श्री राम निहोर राय	225
श्री एस०बी० चव्हाण	226
श्री राम विलास पासवान	229

विषय	पृष्ठ
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	197—199 239—243
(एक) मणिपुर में इम्फाल के निकट हुई इंडियन एयरलाइंस के विमान की दुर्घटना श्री माधवराव सिंधिया	197
(दो) श्री राम विलास पासवान के नई दिल्ली स्थित आवास पर 22 मई, 1991 को हुई हिंसा/आगजनी की घटना श्री एस०बी० चव्हाण	239
(तीन) 13.8.1991 को नई दिल्ली में बोट क्लब लान के निकट हुई हिंसा की घटना श्री एम०एम० जैकब	242

लोक सभा

सोमवार, 19 अगस्त, 1991/28 श्रावण, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ

श्री बी० अकबर पाशा (वेल्लौर)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 447

(व्यवधान)

इस समय श्री सी०के० कुप्पुस्वामी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

(व्यवधान)

श्री एन० सुन्दरराज (पुडुक्कोट्टाई): माननीय मंत्री श्री पी० चिदम्बरम पर तमिलनाडु में हमला किया गया। जब तक प्रधान मंत्री अपने मंत्रियों तथा संसद सदस्यों की सुरक्षा के सम्बन्ध में वक्तव्य नहीं देते, हम सभा की कार्यवाही का संचालन नहीं होने देंगे। **(व्यवधान)**

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी (कोयम्बतूर): आज मंत्री महोदय पर हमला हुआ है कल को प्रधान मंत्री पर हमला हो सकता है। **(व्यवधान)**

श्री एन० सुन्दरराज: 'ज़ैड' वर्ग के मंत्रियों की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध है? यद्यपि श्री चिदम्बरम ज़ैड वर्ग में हैं, तो भी उन पर हमला हुआ। **(व्यवधान)**

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी: प्रधान मंत्री महोदय को यहां आना ही होगा। **(व्यवधान)**

श्री एन० सुन्दरराज: विधान सभा सदस्यों ने श्री चिदम्बरम पर हमला किया है, **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

(व्यवधान)

श्री एन० सुन्दरराज: महोदय, तमिलनाडु में क्या हो रहा है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अगर आप मुझ से कुछ कार्यवाही की आशा करते हैं तो कृपया अपने-अपने स्थान पर चले जाईए।

(व्यवधान)

श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम (टिंडिक्नाम): जब तक प्रधान मंत्री आश्वासन नहीं देते, हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे। तमिलनाडु में हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। प्रधान मंत्री को यहां आ कर कुछ आश्वासन देना चाहिए। **(व्यवधान)** हम ऐसी बातों को और नहीं चलने देंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठें और मेरी बात सुनिए।

श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम: जो श्री चिदम्बरम के साथ हुआ है, वह हमारे साथ भी होगा। जब तक हमे आश्वासन नहीं दिया जाता, हम सभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, क्या आप अपनी बात ही दोहराते रहेंगे अथवा मेरी बात भी सुनेंगे?

(व्यवधान)

श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम: तमिलनाडु में क्या हो रहा है? तमिलनाडु में लोकतंत्र कहां है? जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जाता, हम सभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे। अगर आज हम इस सभा में कुछ कहते हैं तो कल तमिलनाडु में हमारी जान को खतरा हो सकता है। जो श्री चिदम्बरम के साथ हुआ है, वह दूसरे सदस्यों के साथ भी होगा। श्री सुन्दरराज के साथ भी ऐसा हुआ। **(व्यवधान)**

अधयक्ष महोदय: क्या आप मेरी बात सुनेंगे? अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं तो अपने स्थान पर जाईए। मैं जो कहने वाला हूं उससे आपका हित ही होगा। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं।

श्री एन० सुन्दरराज: केन्द्रीय मंत्री भी तमिलनाडु में सुरक्षित नहीं हैं। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर रही है? **(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

श्री राजागोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम): महोदय, कल 1.45 म०प० जब मैं तमिलनाडु हाउस में बैठा था तो मैंने कुछ नारे अपने मुख्यमंत्री महोदया के विरुद्ध सुने। यह नारे कुछ असामाजिक तत्व लगा रहे थे। उसके पश्चात् मैंने दरवाजा खोल कर देखा कि लगभग 300 असामाजिक तत्व पत्थर और अन्य घातक हथियार ले कर तमिलनाडु हाऊस के बाहर खड़े थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के विरुद्ध नारे लगा रहे थे। मैंने उसी समय चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन से सम्पर्क स्थापित किया। पुलिस उपनिरीक्षक श्री धनपाल सिंह ने मुझे बताया कि किसी ने भी प्रदर्शन के लिए अनुमति प्राप्त नहीं की है। तब मैंने पुलिस उपनिरीक्षक से पूछा कि तब वे बिना अनुमति के इन लोगों को प्रदर्शन कैसे करने दे रहे हैं। तब मुझे पुलिस उपनिरीक्षक ने लिखित रूप में सूचना देने के लिए कहा। तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए मैंने प्रधान मंत्री महोदय के निजी सहायक से सम्पर्क स्थापित किया जिन्होंने मुझे गृहमंत्री के निजी सहायक से सम्पर्क करने की सलाह दी। उसके पश्चात् मैंने गृह मंत्री के निजी सहायक श्री विजय मकवाना से सम्पर्क किया। उन्होंने मुझे गृह मंत्री के निजी सहायक (बन्दोवस्त) श्री साथारिया से सम्पर्क करने की सलाह दी। उसके पश्चात् श्री साथारिया ने पुलिस के सहायक आयुक्त श्री चौधरी से सम्पर्क किया जोकि पुलिस के साथ वहां पहुंच गए। उसके पश्चात् भी 4.00 म०प० तक प्रदर्शन जारी रहा। मैं नहीं जानता कि पुलिस ने इन असामाजिक तत्वों को मुख्य मंत्री के विरुद्ध तथा श्री अरुणाचलम और श्री चिदम्बरम के पक्ष में नारे लगाने की अनुमति क्यों दी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया मामले को और मत उलझाइए। कृपया शान्त हो जाईए। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

श्री एन० सुन्दरराज: हम सरकार से संसद सदस्यों और मंत्रियों के लिए किए गए सुरक्षा प्रबन्धों की जानकारी चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: सदन के नेता यहां पर उपस्थित हैं। मैं सरकार से वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री कुप्पुस्वामी, कृपया अपने स्थान पर जाईए।

(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ तमिलनाडु में हुआ है, वह खेदजनक है। संसद सर्वोच्च है तथा जो भी इस संसद का सदस्य है, उसे सारे देश में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने, अपने विचार प्रकट करने तथा अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का, चाहे वह किसी को पसंद या नापसंद हो, मौलिक अधिकार है। ये कुछ मौलिक बातें हैं जो संसदीय लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों की नाराजगी और आक्रोश को अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैं इस बात की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान भी दिलाऊंगा और मुझे विश्वास है कि वे उनसे बातचीत करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): मैं एक अलग मुद्दे की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं इस घटना के बारे में नहीं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु क्या अब आप एक नए विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? अब प्रश्न काल आरम्भ करते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव: आप ऐसे ही इस में अलाऊ करेंगे तो फिर प्रश्न काल नहीं होगा। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सब उन उलझनों के कारण हो रहा है जो पैदा हो गई हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव: अन्यथा, यह परम्परा बनती जा रही है। प्रतिदिन प्रश्नकाल के दौरान सदस्य कुछ दूसरे मुद्दे उठाते हैं जिसके कारण प्रश्नों पर चर्चा नहीं हो पाती है।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): गत कार्य दिवस को भी चार घंटे तक हाऊस नहीं चला था। आज तो इतनी चिन्ता है और समझाकर ले गये तो उस दिन क्यों नहीं ऐसा किया। जब भी ऐसा होता है हाऊस स्थगित कर देते हैं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसका उत्तर चाहते हैं? अगर आप इसका उत्तर नहीं चाहते हैं तो यह एक अलग स्थिति है। यह गैर-सरकारी सदस्यों का समय है। आपके प्रश्न भी इसमें शामिल हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): प्रश्न काल में यह मामला उठाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। यह प्रक्रिया का मामला है, एकाध अपवाद हो सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह इस सदन में भ्रम को दूर करने के लिए है। मैं आपसे अपने कक्ष में बात करूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: कन्फ्यूजन को दूर करने की बात करें। किन्तु लगता है दूर करने में नया कन्फ्यूजन पैदा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे बाद में बात करूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: पूरे सदन से बात करें।

अध्यक्ष महोदय: लीडर से बात करूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: ऐसा बार-बार होता है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): सदन के नेता को आपने अलाऊ किया, यह मामला यहीं खत्म नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा कि आप इसे जीरो आवर में उठाने की इजाजत दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बासनिक जी, आप उलझन मत बढ़ाईये। अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब आप सब कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। अब प्रश्न संख्या 447 पर चर्चा की जाएगी। श्री ए० के० पटेल।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

11.18 म० पू०

रूड़की विश्वविद्यालय में वैदिक गणित पर किये गये अध्ययन कार्य का मूल्यांकन

[अनुवाद]

†*447. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल:**
श्री शंकरसिंह वघेला:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** दिनांक 6 मार्च, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1813 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रूड़की विश्वविद्यालय में वैदिक गणित पर किये गये अध्ययन कार्य का इस बीच मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत आने वाले किसी संस्थान अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान, के माध्यम से इस विषय पर और आगे अध्ययन कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समय वैदिक गणित का किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग आमतौर पर विश्वविद्यालयों के अनुसंधान कार्यक्रमों का मूल्यांकन नहीं करता सिवाय ऐसे कार्यक्रमों के जिनके लिए आयोग द्वारा अनुदान उपलब्ध कराए गए हैं। आयोग ने अब तक किसी विश्वविद्यालय को वैदिक गणित की प्रौन्नति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की है। तथापि, वैदिक गणित में पाठ्यक्रम शुरू करने अथवा इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य शुरू करने से संबंधित यदि कोई प्रस्ताव हो, तो उस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

इस समय वैदिक गणित अधिकांशतः कुछ ही संस्थाओं के शैक्षिक शोध का एक विषय है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिक और विकास अध्ययन संस्थान ने यह पता लगाया है कि कुछ मामलों में वैदिक गणित की पद्धतियों द्वारा कम्प्यूटर पर गुणन/भाग करना ज्यादा द्रुतगामी है। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशाला द्वारा वैदिक गणित से विकसित तकनीकों के कारण जटिल गणितीय समीकरणों को हल करने की ओर सरल पद्धतियां विकसित हुई हैं। राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ने इंजीनियरों द्वारा उपयोग में लाई जा सकने वाली वैदिक गणित से संबंधित एक पुस्तक लिखने का कार्य शुरू किया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण ने माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षक गईड में गणित पाठ्यचर्या से सम्बद्ध समझे गये विषयों में वैदिक गणित की सामग्री को भी शामिल किया है।

डा० अमृतलाल कालिदास पटेल: यह बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक विषय है। आठवीं और नौवीं लोक सभा में भी इस पर चर्चा की गयी थी। यू०के० और अमरीका जैसे देशों में भी इस विषय को महत्व दिया

जाता है और वहां इस विषय पर शोध किये जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में यह एक उपेक्षित विषय है।

आठवीं लोक सभा के दौरान तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री नरसिंह राव ने इस विषय पर चर्चा के लिए तीन सम्मेलनों का आयोजन किया था। नौवीं लोक सभा के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद की बैठक की अध्यक्षता श्री राज मंगल पाण्डेय जी कर रहे थे और उन्होंने उनसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में इस विषय को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कहा था। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस बात का आश्वासन देंगे कि नौवीं लोक सभा के दौरान श्री राज मंगल पाण्डेय जी द्वारा दिये गये आश्वासन को पूरा किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए एक आश्वासन समिति है और इस प्रकार के मामले इनके समक्ष रखे जायेगें।

श्री अर्जुन सिंह: इस सभा में दिये गये आश्वासन के लिए जो प्रक्रिया अपनायी गयी है उसे पूरा किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार उत्तर सकारात्मक है।

डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल: मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसा जवाब दिया है कि वे इस विषय पर कोई शोध नहीं करते। वास्तव में शोध तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विषय रहा है न कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षा विभाग का। क्या शोध के लिए सरकार विश्वविद्यालयों को धनराशि देगी?

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसंधान परियोजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करता है लेकिन इन परियोजनाओं के लिए दिये जाने वाली धनराशि की वित्तीय सीमा 5 लाख रुपये है। इसके लिए तैयार की गयी परियोजना प्रतिवेदन में करीब 16 लाख रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है। इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को भेज दिया है और अब यह विभाग इस विषय पर विचार कर रहा है। यदि वे इसे स्वीकृत कर देते हैं तो वे इसके लिए धनराशि दे देगें।

[हिन्दी]

श्री शंकरसिंह वघेला: अध्यक्ष जी, क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जितनी हमारी अच्छी चीजें होती हैं, जैसे संस्कृत क्रिए में वैदिक मैथिमैटिक्स है, उसे आज भी दुनिया भर के लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या आप वैदिक मैथिमैटिक्स को भी कम्प्यूटराइज़ करने जा रहे हैं या कम्प्यूटर में उसको स्पौंसर करेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे कम्प्यूटर क्या स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में प्रयोग करने की अनुमति देंगे।

श्री अर्जुन सिंह: अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि हमारी कई पुरानी विद्याएं ऐसी हैं जिनका बहुत ठोस आधार है। उनका आधुनिक संदर्भ में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बहुत से उपयोगी तरीके हो सकते हैं और हैं। इस बारे में रिसर्च के माध्यम से जब स्पष्ट निष्कर्ष निकल आयेंगे तो जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसके अनुसार उनका उपयोग किया जायेगा।

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि रूड़की विश्वविद्यालय ने वैदिक गणित के ऊपर एक पुस्तक लिखे जाने का निश्चय किया है और उस पुस्तक को लिखे जाने का कार्य कुछ अंश तक पूरा भी हो गया है। मैं जानना चाहूंगा कि इस पुस्तक का कितना अंश पूरा हो चुका है, इस सम्बन्ध में क्या प्रगति है और क्या आप आवश्यक समझते हैं कि इस प्रकार की पुस्तकें इंजीनियरिंग स्टूडैंटस के लिये बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

श्री अर्जुन सिंह: वहां पर एक डा॰ नरेन्द्र पुरी, रीडर हैं, वे ही इस विषय पर जरूर रुचि ले रहे हैं और उन्होंने ही पुस्तक भी लिखी है। अब वह किस हद तक पूरी हो चुकी है, वह तो मैं जानकारी लेकर ही बता सकूंगा।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी: महोदय, विश्वविद्यालयों में वैदिक गणित के अध्ययन की व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग ने अभी तक नहीं की है। साथ ही साथ अपने उत्तर में आप इस बात से सहमत हैं कि 'भाग' अथवा 'गुणा' करने में वैदिक गणित के कुछ अंश सहायक साबित हुये है। इंजीनियरिंग के कुछ क्षेत्रों में भी यह बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि वैदिक गणित के गहन अध्यन के लिए कुछ क्षेत्रों को कुछ विश्वविद्यालयों में शुरू किये जाने का निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सरकार क्यों नहीं देती है। मैं यह कह रहा हूं कि सस्कार से अनुदान माँगने की बजाए सरकार ही आगे क्यों नहीं आती है और इसकी कुछ व्यवस्था करती है तथा इसका अध्यन किये जाने का निर्देश विश्वविद्यालयों को देती है।

श्री अर्जुन सिंह: माननीय सदस्य का सुझाव विचार करने योग्य है। लेकिन बात यह है कि उत्तर दिया जा चुका है और वह भी अनुसंधान कार्यक्रम में सहायता प्रदान किये जाने के मुताबिक लेकिन इससे अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य महोदय यह सुझाव दे रहे हैं कि इसे प्रोत्साहन देने की कोशिश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को करनी चाहिए। मैं इस मुद्दे पर निश्चित रूप से ध्यान दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, वैदिक मैथमैटिक्स के सबनध में क्या यह सच है कि इंग्लैंड, अमरीका, स्विटजरलैंड तथा अन्य देशों के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जब कि हमारे देश के बच्चे उस वैदिक मैथमैटिक्स को पढ़ने की जब मांग करते हैं तो उनको डिनाई किया जाता है, तो क्या मंत्री महोदय, कम से कम केन्द्रीय विद्यालयों के अंदर जो बच्चे वैदिक मैथमैटिक्स पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या आप यह सुविधा प्रदान करेंगे?

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस पर विचार कर के ही मैं कुछ कह सकता हूं।

श्री दाऊ दयाल जोशी: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह स्वयं भी स्वीकार किया है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हम इसको एक किताब लिखे जाने के बाद स्वीकार करेंगे, मेरा निवेदन करना इतना है कि वर्तमान में जो इसी के समकक्ष संस्कृत विद्यालयों में उपाध्याय और शास्त्रीकक्षाओं में जो गणित पढ़ाया जाता है, लीलावती बीज गणित और रेखा गणित की जो पुस्तकें वर्तमान में उपलब्ध हैं और अध्ययन करवायी जा रही हैं, तो क्या मंत्री महोदय, जब यह स्पष्ट हो चुका है कि वैदिक गणित सर्वोत्कृष्ट गणित है, सुलभ गणित है और कम्प्यूटर ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि इससे बढ़िया कोई गणित नहीं हो सकता, तो जो संस्कृत विद्यालयों में गणित पढ़ाया जा रहा है वह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए स्वीकार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: इसका जवाब दे दिया है। यह तो उन्होंने पहले ही कहा है।

श्री अर्जुन सिंह: हां।

प्रो॰ रासासिंह रावत: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस स्वराज्य के प्रथम मंत्रद्रष्टता, राष्ट्रीयता के उन्नायक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने कहा था कि "वेद" सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, योगीराज अर्विन्द के भी यही विचार थे, तो वेदों के बारे में सामान्य अनुसंधान और वेदों के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या प्रयत्न कर रही है? गणित का तो मामला है ही, लेकिन गणित के साथ-साथ उसमें अन्य विद्याएं भी बीज रूप में विद्यमान हैं, उन बीजरूप में विद्यमान विद्याओं के अनुसंधान के बारे में और वेदों के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के बारे में, हमारा शिक्षा मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है?

श्री अर्जुन सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य को ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है, उसका यही कार्य क्षेत्र है और इस दिशा में काफी अच्छा काम उन्होंने किया है। यदि कोई विशेष सुझाव आपके हों, तो आप प्रतिष्ठान को भेजने की कृपा करें।

स्वयंसेवी संगठनों को दिए जाने वाले अनुदान में वृद्धि

[अनुवाद]

449. **श्री पी॰ सी॰ थामस:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ऐसे स्वयं सेवी संगठनों को जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा

शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की महती सेवा में लगे हैं, दी जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे संगठनों का चयन करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केरल के कोट्टायम तथा एर्णाकुलम जिलों में कार्यरत ऐसे कौन-कौन से संगठन केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं?

कयाण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (ङ) सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) अनुदान विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) सामान्यतः पंजीकरण की तारीख से दो या अधिक वर्षों से विद्यमान ऐसे स्वैच्छिक संगठन विकलांगों के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु सहायता के पात्र हैं, जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय के लाभार्थ नहीं चलाऐ जाते।

(ङ) 1990-91 के दौरान कोट्टायम जिले के जिन दो संगठनों ने वित्तीय सहायता प्राप्त की है, वे हैं:—

1. कोट्टायम सोशल सर्विस सोसायटी, एस०एच० माउण्ट, कोट्टायम
2. आशानिलयम, नौकुन्नम, कोट्टायम

2. इस योजना के अंतर्गत एर्नाकुलम जिले का कोई संगठन सहायतानुदान प्राप्त नहीं कर रहा है।

श्री पी० सी० थामस: महोदय, मानसिक रूप से अस्वस्थ और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे शायद हमारे समाज के सबसे अधिक अभागे बच्चे हैं जो भविष्य में हमारे देश के नागरिक बनेंगे। हमारी सामाजिक संरचना में यह आवश्यक है कि उन्हें अधिकतम सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाये। सरकार उन्हें शिक्षा सुविधाएं देने के लिए भी बाध्य है। लेकिन दुर्भाग्यवश इससे सम्बन्धित सरकारी ऐजेंसियाँ बहुत ही कम हैं। स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान राशि तथा अन्य सहायता प्रदान कर सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। इस सम्बन्ध में स्वैच्छिक संगठन बड़ी संख्या में हैं। मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार उन स्वैच्छिक संगठनों को दिये जाने वाली अनुदान राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखती है जो बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। इसलिए और स्पष्ट करने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे शैक्षिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों को दी जाने वाली वर्तमान अनुदान राशि जो 60 रुपये प्रति छात्र है, में वृद्धि की जायेगी अथवा नहीं।

दूसरे, इन छात्रों को अनुदान राशि प्रदान किये जाने में विलम्ब किया जाता है और साथ ही शिक्षकों को भी आवर्ती अनुदान दिये जाने में विलम्ब होती है। मैं यह जानना चाहूँगा कि इस विलम्ब को टाला जा सकता है अथवा नहीं।

इस सम्बन्ध में मुझे एक सुझाव देना है। अक्सर विलम्ब इस कारण होता है क्योंकि व्यवस्था ऐसी है कि जब भी अनुदान राशि दी जानी होती है, राज्य सरकार को इसकी सिफारिश करनी पड़ती है। इसलिए कभी-कभी राज्य स्तर पर भी विलम्ब हो जाता है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठायेगी कि जब कभी भी विलम्ब हो, ये संगठने सीधे केन्द्र सरकार से अनुदान राशि प्राप्त कर लें। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन छात्रों को यात्रा भत्ता दिया जायेगा अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी: मान्यवर, जहां तक वौलंट्री औरगनाईजेशन का सम्बन्ध है उसको हम अपनी स्ट्रैन्थ के अनुसार अनुदान देते हैं, जहां तक विलम्ब का प्रश्न है, उन्होंने खुद ही कहा कि स्टेट गर्वनमैंट के यहां से रिकमैंडेशन होकर आने में विलम्ब होता है। मैं इतना जरूर आश्वासन देता हूं कि जहां तक विलम्ब होने का प्रश्न है उस दिशा में मैं देखूंगा कि अनुदान जाने में विलम्ब नहीं होना चाहिए, जहां तक बच्चों के अनुदान को बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रश्न है, उसका सुझाव है उसपर भी हम विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस: महोदय, अपने प्रश्न के भाग 'ग' में मैंने विशेष रूप से केरल के दो जिलों में स्वैच्छिक संगठनों के बारे में पूछा था लेकिन दुर्भाग्यवश इस सम्बन्ध में दिया गया उत्तर पूरा नहीं है। मुझे विश्वास है कि अनुदान प्राप्त करने वाली सिर्फ उतनी ही संस्थायें नहीं है जिनकी संख्या यहां बतायी गयी है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस मुद्दे पर पुनः ध्यान देगें और ऐसी संगठनों की पूरी सूची देगें जिन्हें केरल के एरणाकुलम और कोट्टायम जिले में अनुदान राशि दी जा रही है?

दूसरे क्या उन संगठनों की जो सबसे अच्छी तरह से कार्य कर रही हैं, पहचान कर उन्हें उनकी सर्वोत्तम सेवा के लिए किसी प्रकार का प्रोत्साहन दिया जायेगा?

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी: जहां तक उस संगठन का प्रश्न है जो विशेष रूप से अच्छी तरह से काम करता है उसे हम निश्चित रूप से उसकी स्ट्रैन्थ के अनुसार अनुदान देते हैं और देने की कोशिश करेंगे। जहां तक आपने केरल के दो औरगनाईजेशन्स कोट्टायम और आशानिलयम के सम्बन्ध में पूछा है, उन दोनों संगठनों को हम अनुदान देते हैं। 1989-90 में हमने कोट्टायम को 66,687 और 1990-91 में 34,848 दिया है, दूसरे संगठन को 1989-90 में 9,855 और 1990-91 में 66,213 रुपये का अनुदान दिया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: कोट्टायम कोई संगठन नहीं है, कोट्टायम जिला है, उस जिले के अन्तर्गत जो संगठन है उसके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है।

श्री सीताराम केसरी: मैंने संगठन का नाम ही लिया है। कोटियाम सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन है वौलंट्री आर्गेनाइजेशन है।

अध्यक्ष महोदय: जिले के नाम पर है।

श्री सीताराम केसरी: जिला भी हो सकता है, मगर आर्गेनाइजेशन भी है।

श्री वसुदेव आचार्य: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अनुदान मिलने का क्या क्राइटीरिया है? क्या स्टेट गवर्नमेंट का रिकमंडेशन मिलने के बाद ही अनुदान के ऊपर विचार होता है। एक वौलंट्री आर्गेनाइजेशन पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर की है। राज्य सरकार ने उसके बारे में आपसे सिफारिश भी की है और वह 6 महीने से आपके यहां पड़ी हुई है।

[अनुवाद]

कल्याण मंत्रालय द्वारा इस संस्था को धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। वे बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन स्वैच्छिक संगठनों के लिए जो विकलांग और मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं, अनुदान राशि स्वीकृत करने के मान दंड क्या हैं?

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी: मान्यवर, जहां तक आपने कहा कि दुर्गापुर की वौलंट्री

आर्गेनाइजेशन का आवेदन-पत्र 6 महीने से यहां पड़ा हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उसकी छानबीन करूंगा और जहां तक अनुदान देने का प्रश्न है, यह आपका सुझाव ठीक है कि जो संगठन अच्छा काम करते हैं उनकी ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिये। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करता हूं कि ऐसे संगठनों की ओर जो विशेष तरह से जन समुदाय का या जो मेंटली रिटार्डिड हैं, या फिजिकली हैं, या विकलांग हैं या अंधे हैं इन सब लोगों की ओर जितनी दूर तक सेवा रहेगी, उतनी दूर तक मैं अनुदान देने का प्रयत्न करूंगा।

श्री वसुदेव आचार्य: क्राइटीरिया क्या है?

श्री सीताराम केसरी: क्राइटीरिया यह है कि उस संगठन के मामले में प्रदेश की सरकार छानबीन कर उसकी सिफारिश हमारे पास भेजती है, फिर उसके आधार पर हम अनुदान देते हैं। उसके अलावा भी अगर उस संस्था के बारे में मेरे पास और कोई जानकारी आयेगी तो उसका भी अन्वेषण कर तदानुसार सहायता करूंगा।

श्री राम विलास पासवान: जो गड़बड़ करते हैं।

श्री सीताराम केसरी: उसके लिये प्रॉपर मानिटरिंग का भी प्रबन्ध करेंगे।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि स्वैच्छिक संस्थाओं को विकलांग बच्चों के शिक्षण के लिये जिस तरह से सरकार अनुदान देती है उसी तरह से इनके लिये आवास गृह बनाने के लिये भी आप अनुदान देंगे या दे रहे हैं?

श्री सीताराम केसरी: जहां तक आपका प्रश्न है, आपका मतलब पुनर्वास से है ... **(व्यवधान)** ...

अध्यक्ष महोदय: आवास से है।

श्री सीताराम केसरी: आवास का प्रश्न हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है। मान लीजिये कोई बीमार चाहे वह विकलांग है, उसका जो इलाज अस्पताल में होगा, उसका सम्बन्ध स्वास्थय डिपार्टमेंट से होगा। उससे बाहर निकलने पर पुनर्वास का प्रबन्ध उसके लिये आवश्यक है या उसके लिये फिर आवास का प्रबन्ध करना जो कि हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1990-91 में कितनी राशि वालयंटरी आर्गेनाइजेशन्स को देने के लिये बजट में उपलब्ध करायी गई थी और उसका कब कितना उपयोग किया गया?

श्री सीताराम केसरी: मान्यवर, अभी इसके फीगर्स मेरे पास नहीं है। इसके पूर्ण रूप से जो फीगर्स हैं कि कितना दिया है, वह मैं आपको बाद में बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: बाद में लिख कर दीजिये।

श्री सीताराम केसरी: मैं आपको सप्लाई कर दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के अन्तर्गत अधिकांश राशि लैप्स हो रही है। ऐसी मेरी जानकारी है कि वालयंटरी आर्गेनाइजेशन्स की या तो कमी है, या प्रस्ताव कम आ रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मामले को मंत्री महोदय विशेष तौर पर देखें कि इसका पूरा लाभ जिस के लिये मिला है, वह उन्हें मिलें। आप इस पर पूरा ध्यान देकर प्रावधान करवायें।

श्री सीताराम केसरी: इनका सुझाव विचारणीय है। मैं निश्चित रूप से इस दिशा में छानबीन कराऊंगा।

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा: महोदय, केरल के जिन दो स्वयंसेवी संगठनों की चर्चा अभी हुई है, क्या उसी तरह के स्वयंसेवी संगठन बिहार में हैं? यदि हैं, तो उनको कितनी राशि अनुदान के रूप में मिली है?

अध्यक्ष महोदय: यह केरल का प्रश्न था, अगर आपके पास इन्फार्मेशन नहीं है तो बाद में भेज देना।

श्री सीताराम केसरी: बिहार में भी एक है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

[अनुवाद]

*450. **श्री मुकुल वासनिक:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने 31 मार्च, 1991 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के कितने मामलों पर विचार किया है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार करने की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई कोई सिफारिशें सरकार को प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने 1 मई, 1990 से 31 मार्च, 1991 तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के 416 मामले लिए।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आंयोग ने "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार : कारण और उपाय" शीर्षक की अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव दिए हैं।

(1) जहां न्यायालयों द्वारा धारा 156 (3) अपराध प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, पर्यवेक्षीय पुलिस प्राधिकारियों को मामला दर्ज करने में असफलता के कारणों की जांच करनी चाहिए। इस प्रकार के संदर्भित मामलों की जांच उच्च पुलिस प्राधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।

(2) साक्ष्य को समाप्त करने को रोकने के लिए अत्याचार स्थल का सशीघ्र दौरा किया जाना चाहिए। निरीक्षण पुलिस अधिकारियों को पुलिस थानों के निरीक्षण के दौरान इस बिंदु की अवश्य जांच करनी चाहिए।

(3) नियमानुसार अत्याचार के मामलों में आरोप पत्र 30 दिनों के अंदर अवश्य दायर हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की देरी संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा अपने अगले उच्च पुलिस अधिकारी को विस्तारपूर्वक स्पष्ट की जानी चाहिए।

(4) अत्याचार के मामलों में रिहाई की उच्च प्रतिशतता अभियोजना की घटिया कोटि को दर्शाती है। अभियोजन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से साक्ष्य का विन्यास और प्रस्तुति के संबंध में विशेष सैलों की अधिकारियों को अभियोजक कर्मचारियों से समय-समय पर चर्चा करने चाहिए।

(5) अत्याचारों की जांच और अन्वेषण/मॉनीटरिंग की कार्रवाई हेतु राज्य स्तर के सैलों को सक्रिय किया जाना चाहिए।

(6) राज्य सरकारों को अत्याचारों के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों को मॉनीटर करना चाहिए और समय पर अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए।

(7) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दुर्वह क्षेत्राधिकार के साथ विशेष थाने स्थापित करने के बजाए, यह वांछनीय है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्यक बाहुल्य वाले स्थानों में अतिरिक्त उप निरीक्षकों अथवा हैड कांस्टेबिलों की तैनाती करते हुए अत्याचारों के मामलों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाए।

(8) मॉनीटरिंग तथा प्रत्याशापूर्ण कार्रवाई करने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों का अद्यतन कार्रवाई बस्तीवार सांख्यिकी का रिकार्ड रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा अपनी वार्षिक अपराध समीक्षा में अनुसूचित जातियों तथा आदिवासियों के विरुद्ध किए गए अत्याचार के लिए अलग से आंकड़े शामिल किए जाने चाहिए।

(9) नए भर्ती किए गए तथा अनुस्थापन पाठ्यक्रमों के लिए आए सेवाकालीन अधिकारियों को प्रशिक्षण के दौरान उनके प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में अत्याचार निवारण अधिनियम तथा बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम जैसे अधिनियमों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

(10) अत्याचार के मामले के लिए विशेष आनन्य न्यायालय होने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो विशेष सचल न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए।

(11) जहां कहीं विशेष अधिनियमों में कार्यकारी दण्डाधिकारी का प्रावधान है इस सुविधा का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। ऐसे कार्यकारी दण्डाधिकारी के न्यायालय सचल होने चाहिए। कार्रवाई सरल होनी चाहिए और समाधान शीघ्र होना चाहिए।

(12) अत्याचार के मामलों में कानूनी सहायता, वकील की फीस, गवाह बट्टा, कापी करने की फीस तथा पुलिस थानों तथा न्यायालयों में जाने हेतु होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति शिकायतकर्ता तथा मुल्जिम कानूनी सहायता के पात्र होने चाहिए।

(13) संवेदनील क्षेत्रों में अत्याचारों को रोकने के लिए शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों को न्यायपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए।

(14) पुलिस थानों में बलात्कार के मामलों में महिला पुलिस अधिकारियों से सहयोग लिया जाना चाहिए ताकि पीड़ित तथा महिला गवाह बिना किसी भय के उनके साथ बातचीत कर सकें।

(15) जहां पुलिस द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अपराध किए जाते हैं, लोकहित की मुकदमेबाजी का विशेष महत्व है। सामाजिक रूप से समर्पित संगठनों अथवा व्यक्तियों द्वारा ऐसी मुकदमेबाजी को कानूनी सहायता कोष से सहायता दी जानी चाहिए। तथा

(16) बलात्कार के मामलों में पीड़ित गुमनाम रहें यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किंतु शरारती तत्वों तथा उन पर लगे परिणामी सामाजिक कंलक का अधिकतम प्रचार किया जाना चाहिए।

(घ) राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है।

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक: अध्यक्ष महोदय, कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 1990 के दौरान 607 हत्याएं, 1,722 बुरी तरह से जख्मी करने के मामले, 949 बलात्कार, 639 आगजनी की घटनाएं और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत 14,710 अन्य अपराध अर्थात् कुल मिलाकर देश के भिन्न-भिन्न भागों में गैर-अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों के लोगों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर किए गए अत्याचारों के 18,601 मामले दर्ज किए गए। माननीय मंत्री जी के उत्तर के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने मार्च, 1991 तक अत्याचार के 416 मामले निपटाए। देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर किए जा रहे अत्याचारों को देखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार राष्ट्रीय आयोग को अधिक धन देगी तथा बेहतर मूलभूत सुविधाएं और तंत्र प्रदान करेगी ताकि वे और प्रभावी तरीके से कार्य कर सकें।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी: मान्यवर, जहां तक 18,601 फीगर का प्रश्न है, उनकी फीगर करीब-करीब ठीक है। हमारी फीगर में 16 हजार कुछ है, मगर तीन स्टेटों से अभी वह फीगर नहीं आई है तो उनकी फीगर ठीक हो सकती है। जहां तक विभिन्न...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

दोनों वक्तव्यों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन मैं यह बता रहा हूं कि मेरे लिखित वक्तव्य में क्या लिखा है।

[हिन्दी]

जहां तक इन्होंने कहा कि इन अत्याचारों को रोकने में क्या अनुदान की बढ़ोतरी होगी तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जहां तक अनुदान का, प्राप्ट का प्रश्न है, वह एक सीमित दायरे में है। जहां तक आयोग का प्रश्न है, जिसमें उन्होंने कहा कि इतने लोगों के रेप हुए, इतना यह है तो उसमें मैं यह नहीं कहता हूं कि पहले से घटा है, मगर कुछ स्टेटों में घटा है और कुछ स्टेटों में बढ़ा है। जहां तक अनुदान में बढ़ोतरी करने का प्रश्न है, मैं वित्त विभाग से जरूर निवेदन करूंगा कि इस विभाग को ज्यादा अनुदान दिया जाए। मगर धन से इस तरह के अत्याचार और अमानुषिकता को रोकने की सम्भावना कम होती है, बजाए सद्भावना, सरकार और पुलिस के द्वारा। आपका यह सुझाव विचारणीय है, इस पर हम विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के लिखित वक्तव्य के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी राष्ट्रीय आयोग ने मामलों से निपटने के लिए सरकार को 16 सुझाव दिए थे और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के संबंध में कुछ उपचारात्मक उपाय भी बताए थे। हम सभा में भी अत्याचार संबंधी विषय पर चर्चा कर रहे है। अनेक सदस्यों ने भी इस बुराई, जो देश के विभिन्न भागों में तेज़ी से फैल रही है, को रोकने के लिए अनेक सुझाव दिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अत्याचार के इस मामले पर चर्चा करने तथा उपचारात्मक उपाय अपनाने के लिए सभी मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाने पर विचार करेगी ताकि ऐसी घटनाएं बार-बार न हों जैसे अब हो रही हैं।

श्री सीताराम केसरी: महोदय, मैं इसका स्वागत करता हूं। यह अत्यन्त रचनात्मक सुझाव है। मैं बैठक बुलाने और अलग-अलग मुख्य मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा कि हरिजनों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों को कैसे रोका जाए और कम किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में आखिरी में कहा है कि राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति सभी राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है। आपको मालूम है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन है पहले उसको उतना पावर नहीं था, हम लोगों ने बाद

में इसी सदन में, पिछली सरकार ने कांस्टीट्यूशन अमेंड करके उसको न सिर्फ स्टेचुटरी पावर दिया बल्कि जो कांस्टीट्यूशनल स्टेटस देने की बात थी वह भी हमने देने का काम किया। यह बढ़ोत्तरी ही नहीं है बल्कि बाइनडिंग भी है, आयोग को सम्मन करने का अधिकार है। सारे के सारे आयोग को अधिकार से सुसज्जित कर दिया गया है, लेकिन आपने जो प्रश्न का जवाब दिया है उससे ऐसा लगता है कि आयोग अभी भी पहले के रूप में ही काम कर रहा है। उसका [redacted] से बड़ा कारण यह है कि जो नये आयोग सर्वशक्ति सम्पन्न बने, उसके मुताबिक अभी तक गठन नहीं हो पाया है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो नया आयोग बनाया गया है, उसको ताकत दिया गया है सरकार कब तक उसका गठन करने जा रही है और कब तक उस आयोग का अधिकार का प्रयोग करना शुरू हो जाएगा।

श्री सीताराम केसरी: मान्यवर, नए आयोग, जिसके कि बारे में आपने कहा, ठीक ही कहा है कि उसको पावर अधिक दिया गया है और अभी तक क्यों नहीं उसकी नियुक्ति हुई है। मैं उस प्रोसेस में लगा हुआ हूं। यह एक बहुत जबरदस्त और उत्तरदायित्वपूर्ण आयोग बनने जा रहा है, लेकिन इसके चयन में अभी थोड़ा समय लगेगा और सितम्बर के आखिरी सप्ताह के पूर्व में ही हम इसका निर्माण कर देंगे और यह अपना फंक्शन कार्य शुरू कर देगा।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय आयोग के कार्यकरण के दो भिन्न-भिन्न चरणों पर इसकी क्षेत्राधिकार के बारे में अलग-अलग व्याख्या की गई।

अप्रैल, 1990 तक इसे ऐसे प्राधिकरण के रूप में माना गया जो अपराध के लिए उत्तरदायी सामाजिक, आर्थिक और अन्य संबद्ध परिस्थितियों का अध्ययन करेगा जबकि अप्रैल, 1990 के बाद व्यक्तिगत मामलों पर विचार करना इस आयोग का प्राधिकार माना गया। इसीलिए अप्रैल, 1990 के बाद जिन 416 मामलों का आपने उल्लेख किया है, उन पर विचार किया गया।

अब महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि वर्तमान सरकार की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार के बारे में क्या राय है? क्या इसकी केवल घटनाएं घटने के बाद अध्ययन करने की शक्तियां ही प्राप्त हैं अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में नीति बनाने के बारे में कुछ हस्तक्षेप करने की भी शक्तियां हैं?

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी: मान्यवर, वर्तमान आयोग जो बनने जा रहा है उसका अधिकार बहुत विशाल है, उसमें किसी डाकुमेंट और किसी भी व्यक्ति, जो भी इससे संबंधित होगा, एट्रोसिटी से या अत्याचार के साथ, उन सभी को यह आयोग बुला करके एग्ज़ामिन कर सकता है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: लेकिन वह अप्रैल, 1990 तक नहीं किया गया था।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी: हां, उस समय तक इस आयोग को यह ताकत नहीं मिल हुई थी, अब इस आयोग को यह शक्ति मिल गई है, जिसका निर्माण होना अभी बाकी है। जब निर्मित हो जाएगा तो यह अपना काम करना शुरू कर देगा और उस काम का आधार इतना विशाल होगा कि हर तरह के लोगों को बुला करके एग्ज़ामिन कर सकता है।

जहां तक आपने 1990 की बात कही, जो पूर्व आयोग थे और जो वर्तमान में भी कार्य कर रहे हैं, उन्होंने 416 अट्रोसिटीज़ के केस भेजे हैं जिन्हें मैंने विभिन्न प्रदेशों को उस पर कार्यवाही करने और अपनी राय देने के लिए भेज दिया है।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य: नीति-निर्माण के संबंध में परामर्शदात्री शक्तियों के बारे में क्या है?

अध्यक्ष महोदय: वास्तव में प्रश्न काल के दौरान बड़ी नीति संबंधी मामलों पर चर्चा नहीं की जाती है, छोटी नीति संबंधी मामलों पर चर्चा की जा सकती है।

श्री अन्ना जोशी: आयोग ने जो सुझाव दिए वे सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को परिचालित कर दिए गए हैं। एक सुझाव यह है कि अत्याचार संबंधी मामलों के लिए अलग से विशेष न्यायालय होने चाहिए। भिन्न-भिन्न राज्यों में अथवा केन्द्र शासित प्रदेशों में कितने विशेष न्यायालय गठित किए गए हैं?

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी: मान्यवर, जहां तक विशेष कोर्ट का प्रश्न है, अभी एक आंध्र में उन्होंने निर्माण किया है और इसके पूर्व राजस्थान में भी एक कोर्ट का निर्माण हुआ है। उसके अलावा अभी किन-किन स्टेटों में स्पेशल कोर्ट का निर्माण करना है, उसका अधिकार प्रादेशिक सरकार को है। हम अपनी राय और अपना सुझाव दे सकते हैं, मगर निर्माण करने का अधिकार चूंकि लिस्टेड जज वैगरह के आधार पर यह हाई कोर्ट के आधार पर स्थानीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर होता है यूनियन टैरिटरी को भी उसी तरह अधिकार है जिस तरह से प्रादेशिक सरकार को है।

श्री राम विलास पासवान: लेकिन स्पेसिफाइ कर दिया गया था चार सौ जिलों में।

श्री सीताराम केसरी: जहां तक स्पेसेफिकेशन का प्रश्न है, उसमें जहां तक निर्माण का प्रश्न है, वह प्रादेशिक सरकार के अंतर्गत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी के इस आश्वासन का स्वागत करता हूं कि आयोग निजी मामलों को भी देख सकेगा। अभी तक वहां इस बात पर विवाद हो रहा था कि क्या आयोग व्यक्तियों के मामले देखेगा या नहीं देखेगा। अब आपने स्पष्ट किया है कि यदि व्यक्तियों पर ज्यादतियों की शिकायतें आयोग को मिलेंगी तो आयोग उनकी भी जांच कर सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ज्यादतियों की जांच करके आयोग ने अप्रैल 1990 में जो रिपोर्ट दी थी और जिसका चर्चा में उल्लेख हुआ है, उसमें बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हैं। क्या केन्द्रीय स्तर पर उन सुझावों के बारे में विचार हुआ है और उनके बारे में सरकार का रूप क्या है?

श्री सीताराम केसरी: मान्यवर, जहां तक 1990 में आयोग ने अत्याचारों के संबंध में, एट्रोसिटीज़ के संबंध में जो रिपोर्ट दी है, मैंने पूर्व में निवेदन किया कि चूंकि उस पर एक्तन लेने का अधिकार प्रादेशिक सरकार को है, अतः उनके पास वह भेज दी गई है। मेरा ख्याल है कि प्रादेशिक सरकार उस दिशा में आगे बढ़ी होगी। यदि मेरे पास कुछ इस तरह की रिपोर्ट आएगी कि प्रादेशिक सरकार ने उस मामले में कुछ नहीं किया, तो निश्चित रूप से हम अपने यहां गृह मंत्रालय या कोई और आयोग ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। मगर यह लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो प्रादेशिक सरकार से संबंधित होते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि पिछले दिनों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर इस प्रकार के अत्याचार घटने के बजाए बढ़ रहे हैं। उसमें एक कारण तो यह भी है कि जहां अनुसूचित जाति के लोग खास तौर से चुनावों में किसी भी पार्टी को वोट नहीं देते और वहीं पार्टी अगर सत्ता में आती है तो प्रतिक्रिया स्वरूप उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होते हैं।

दूसरे, जो कायदे-कानून इस समय बने हुए हैं, उनमें अनुसूचित जाति के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक या हथियार नहीं मिलते हैं। जो कायदे-कानून हैं—इतनी ज़मीन होनी चाहिए, इतनी हैसियत होनी चाहिए, तो जब आप मुख्य मंत्रियों से विचार-विमर्श करेंगे तो क्या इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जहां जिस क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा होती रही है, वहां उनके लोगों को आत्मसुरक्षा के लिए कुछ बंदूक वगैरह देने की व्यवस्था, लाइसेंस में सहूलियत देने की व्यवस्था पर भी आप ध्यान देंगे?

श्री सीताराम केसरी: मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य का प्रथम प्रश्न है, कोई भी सरकार चुनाव के बाद सत्ता में आने के बाद अगर बदले की भावना रखती है तो यह निकृष्ट कार्य है, चाहे हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो, इस काम को अच्छा नहीं कहा जा सकता। **(व्यवधान)**

पहले मेरा उत्तर सुनिए, मैं जो समझता हूं, वह बता रहा हूं। कोई भी सरकार निम्न वर्ग के प्रति हिंसा की भावना या दुर्भावना रखती है तो यह उस सरकार के सम्मान और मर्यादा के खिलाफ है, इसको न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

जहां तक दूसरा प्रश्न है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में समाज का यह अंग सदियों से विकलांग है, मगर खुशी की बात है, खुशी इसलिए कहता हूं कि आज उनके अंदर जागृति पैदा हो गई है और वे

अपने अंदर स्वाभिमान और शक्ति की भावना पाते हैं। जहां तक पिस्टल या बंदूक का लाइसेंस देने का प्रश्न है, जहां तक मेरा प्रश्न है कि इसके लिए मैं प्रादेशिक स्तर पर मुख्यमंत्रियों को यह सुझाव दूंगा या नहीं, मंत्री होने के नाते इस बारे में मैं अपनी व्यक्तिगत राय नहीं दे सकता, व्यक्तिगत राय कुछ और भी हो सकती है, मगर नियम के आधार पर उनको भी पिस्टल और बंदूक के लाइसेंस देने चाहिएं।

विद्यायतन योगाश्रम में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

*451. **श्री साईमन मरान्डी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यायतन योगाश्रम में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस वर्ष के प्रारंभिक महीनों में स्थगित कर दिए गए थे और कुछ महीनों के बाद पुनः शुरू कर दिए गए;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को स्थगित करने के क्या कारण थे;

(ग) क्या कटरा (जम्मू तथा कश्मीर) स्थित अपर्णा आश्रम के छात्रों ने 30 अप्रैल, 1990 को यह मांग करते हुए आन्दोलन छेड़ा था कि केन्द्रीय सरकार उस वर्ष के डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता दे;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ङ) 1990 में अब तक कितने छात्रों को एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र दिए गए हैं और इस संबंध में कितने मामले अभी तक लंबित हैं;

(च) क्या सरकार का विद्यायतन योगाश्रम के प्रबंध को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) योग के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सहित विद्यायतन योगाश्रम के सभी कार्यकलापों को 30 अप्रैल, 1990 से निलम्बित कर दिया गया। विद्यायतन योगाश्रम के कुछ छात्र, जिन्होंने पाठ्यक्रम का कुछ भाग ही पूरा किया था, ने सरकार से अपना प्रशिक्षण पूरा करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। यद्यपि सरकार की किसी निजी संस्थान के छात्रों के लिए सीधे कोई जिम्मेवारी नहीं थी, लेकिन फिर भी मानवतावादी सद्भावना के रूप में केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् को ऐसे छात्रों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने का कार्य सौंपा गया। अब यह पाठ्यक्रम 31.7.1991 को पूरा कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं, यह विद्यायतन योगाश्रम के ही छात्र हैं जो यह मांग कर रहे हैं।

(घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि विद्यायतन योगाश्रम को डिग्रियां अथवा डिप्लोमा प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से शक्ति नहीं दी गई है। अतः उनके डिप्लोमा को मान्यता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, विद्यायतन योगाश्रम ने 14 छात्रों को अस्थायी डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र प्रदान किए हैं जिन्होंने फरवरी, 1990 में एक वर्ष का योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया था। केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् जिसने 31.7.1991 को विद्यायतन योगाश्रम के योग छात्रों का प्रशिक्षण पूरा किया, ऐसे छात्रों को उपयुक्त डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र जारी कर रही है।

(च) और (छ) सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री साईमन मरान्डी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि योगाश्रम के सभी कार्यकलापों को 30 अप्रैल, 1990 से निलंबित कर दिया गया है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि योगाश्रम के प्रबंधन द्वारा हुई प्रशासनिक और आर्थिक अनियमितताओं की जांच संसदीय दल से कराना चाहेंगे या नहीं, ताकि योगाश्रम का प्रशासनिक और आर्थिक कार्य ठीक से चल सके ।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार): महोदय, मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।

माननीय सदस्य द्वारा जो विकल्प सुझाया गया है कि क्या कोई संसदीय जाँच की जानी चाहिए, एक नया विकल्प है।

मैंने यह नहीं बताया है कि हम कौन से कदम उठाने जा रहे हैं। यह गैर-सरकारी संस्थान, एक गैर-सरकारी न्यास है। वर्ष 1977 में भी इसका प्रबंधन किसी विशेष अवधि के लिए सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इसलिए मैं यदि कार्य करना चाहता हूं तब उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इसलिए मैंने यह नहीं बताया कि कौन से विकल्प विचाराधीन हैं जो हम अपनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से ऐसे मामले में किसी संसदीय जाँच की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल यही कह सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री साईमन मरान्डी : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि योग-प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व को देखते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे पिछड़े हुए प्रांतों में और खासतौर से झारखण्ड, जिसके प्रति केन्द्र सरकार और बिहार सरकार का सौतेली-मां की तरह व्यवहार रहता है, इन क्षेत्रों में योग-प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का सरकार का विचार है या नहीं ।

श्री एम०एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि झारखण्ड क्षेत्र के प्रति हम सौतेली-मां का व्यवहार नहीं करते हैं। वह हमारे दिल के नजदीक है, क्योंकि उस एरिया में आदिवासी लोग रहते हैं। हमारी सरकार ने पहले भी और आज भी जो कुछ भी डवेलपमेंट उस एरिया के लिए हो, क्योंकि वहां पर पिछड़ा वर्ग रहता है, आदिवासी लोग रहते हैं, जो कुछ भी उचित किया जाना हो, वह हम कर सकते हैं। जहां तक इस बात का संबंध है, क्या कोई योग के बारे में योगाश्रम खोला जाए, तो मैं माननीय सदस्य जी से कहना चाहता हूं कि बिहार में कोई पांच योगाश्रम—धनबाद, मुंगेर, पटना, बेगुसराय और मल्लातुल्ली-रांची हैं। रांची भी उसी क्षेत्र का है, जिस क्षेत्र का जिक्र माननीय सदस्य जी ने किया है। मैं समझता हूं, चूंकि रांची में पहले से ही है, इसलिए वहां कोई दूसरा योगाश्रम खोलने की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं देती है।

[अनुवाद]

श्री अन्ना जोशी : माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि अनेक विकल्प सरकार के विचाराधीन हैं। वे विकल्प कौन से हैं और सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। इन संस्थानों के लगभग 40 कर्मचारियों को पिछले दो वर्षों से वेतन नहीं मिला है। क्या माननीय मंत्री महोदय उनको वेतन देने के लिए कुछ अंतरिम व्यवस्था करेंगे।

श्री एम०एल० फोतेदार : मैं सभा के माननीय सदस्यों से स्पष्ट बात कहना चाहता हूं। मैं कोई जानकारी छिपाता नहीं हूं। स्वास्थ्य विभाग प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का अनुदान देता था लेकिन यह कर्मचारियों को, अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए भुगतान हेतु नहीं था। इसे मार्च, 1990 में बंद कर दिया गया था क्योंकि सरकार यह आवश्यक समझती थी कि शिक्षा विभाग यह अनुदान दे। अप्रैल में एक आदेश जारी किया गया था कि इस प्रकार के सहायता प्राप्त संस्थान को शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिए। इसीलिए, यह अनुदान बंद कर दिया गया। अतः संस्थान बंद कर दिया गया और कर्मचारियों का कहना है कि इसमें ताला-बन्दी कर दी गई है। संस्थान के निदेशक ने कहा कि वह ताला-बन्दी नहीं है। सम्बद्ध पक्ष श्रम आयुक्त के पास चला गया और श्रम आयुक्त ने निर्णय दिया कि यह ताला-बन्दी है। मुझे यह बताया गया कि स्वामी जी अथवा निदेशक को वेतन देना चाहिए। लेकिन यह मामला श्रम न्यायालय में लंबित पड़ा है। मैं भी श्रम न्यायालय से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले पर शीघ्रातिशीघ्र निर्णय दे। अतः यह मामला श्रम न्यायालय से संबंधित है न कि स्वास्थ्य मंत्रालय से जबकि मुझे कर्मचारियों के साथ पूर्ण सहानुभूति है कि उन्हें इस कारण काफी कष्ट उठाना पड़ा ।

श्री अन्ना जोशी: विकल्प के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि दो अथवा तीन विकल्प हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि यदि हम कार्यवाही करना चाहते हैं तब हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। एक विकल्प यह है कि उपयुक्त विधान द्वारा प्रबंधन को अपने हाथ में ले लिया जाए जैसा कि 1977 में किया गया था। लेकिन यह स्थायी विकल्प नहीं होगा। दूसरा विकल्प संस्थान का राष्ट्रीयकरण करना है। उसके लिए हमें क्षतिपूर्ति देनी होगी। तीसरा विकल्प यह है कि इस बारे में कुछ भी न किया जाए।

श्री अन्ना जोशी : वह कोई विकल्प नहीं है।

श्री एम० एल० फोतेदार : कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व मुझे मामले का गहराई से अध्ययन करना होगा और ऐसी कार्यवाही करनी होगी जो इस मामले में की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा कि वह एक प्राइवेट ट्रस्ट है। अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं है। दिल्ली ऐडमिनिस्ट्रेशन ने योगा का सबजैक्ट कम्पलसरी कर के टीचर्स रखे। ऐडवरटाइजमेंट में दिखाया गया कि इस विश्वविद्यालय से जो स्टूडैंट्स पास होंगे, उन्हीं को रखा जाएगा। उस समय के डायरैक्टर ने उसको अपोज किया। उसको निकाल दिया गया। ये सज्जन इन्टरव्यू में भी बैठते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि उन हजारों बच्चों का, जिन्होंने ट्रेनिंग ले कर वहां से पास किया है, भविष्य क्या होगा ?

दूसरा, जो इम्पलाई वहां के हैं उनका क्या भविष्य होने वाला है, इसके बारे में मंत्री जी बताएं ?

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : केवल एक मिनट रह गया है। मैं न तो तथ्य छिपाना चाहता हूँ और न ही मैं किसी को, जिसने कोई अपराध किया हो, उसे बचाना चाहता हूं। मैं श्री खुराना जी को यह बताना चाहता हूँ— वह दिल्ली से एक माननीय सदस्य हैं और वह किसी अन्य व्यक्ति की उपेक्षा ज्यादा जानते हैं— मुझे यह बताया गया है कि दिल्ली के आपराधिक न्यायालय में धोखा-धड़ी का एक मामला लंबित पड़ा है—**(व्यवधान)** कृपया मेरी बात सुन लीजिए। मैं मामले पर कोई निर्णय नहीं लेना चाहता क्योंकि मामला न्याय-निर्णयाधीन है। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता जिससे किसी भी प्रकार से किसी भी पक्ष के हितों को नुकसान पहुंचे। **(व्यवधान)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लोअर के० जी० से +2 स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम

*448. **श्री विजय नवल पाटिल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लोअर के०जी० से लेकर +2 स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए मौजूदा पाठ्यक्रम की उपयुक्तता का आकलन किया है;

(ख) क्या मौजूदा पाठ्यक्रम से स्कूली बच्चों पर अधिक बोझ पड़ता है और वे विषय को ठीक से समझ नहीं पाते हैं; और

(ग) सरकार का विद्यार्थियों के लिए विषय के मूल सिद्धान्तों को मनोरंजक एवं सुग्राह्य बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (एन०पी०ई) में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है जिसका एक पहलू ऐसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे की स्थापना से संबंधित है जिसमें अन्य लचीले घटकों सहित एक सामान्य कोर सम्मिलित होगा।

2. रा०शि०नी० की अभिधारणाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (एन०सी०ई०आर०टी०) ने वर्ष 1988 में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचा तैयार किया। इस ढाँचे में दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर एन०सी०ई०आर० टी० ने सम्पूर्ण स्कूली पाठ्यक्रम में संशोधन किया और कक्षा I से XII तक के लिए संशोधित पाठ्यक्रम पुस्तकें तैयार कीं। इस ढाँचे और संशोधित पाठ्यक्रम तैयार करते समय पाठ्यचर्या सम्बन्धी विभिन्न बातों को ध्यान में रखा गया जिनमें उपयुक्तता का प्रश्न, शिक्षा के प्रति बाल केन्द्रित दृष्टिकोण, प्रासंगिकता तथा पाठ्यचर्याभार जैसे मुद्दे शामिल थे। इस बात का पूरा

ध्यान रखा गया है कि पाठ्यक्रम हमारे देश की जरूरतों के अनुरूप हो तथा बच्चों के शिक्षण और विकास के लिए उपयुक्त हो।

3. राष्ट्रीय शैक्षिक तथा अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचे तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के आधार पर राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों ने भी स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यक्रम के नवीनीकरण तथा नई पाठ्य-पुस्तकों के विकास के लिए उपाय किए ताकि उन्हें चरणबद्ध रूप में स्कूली पद्धति में शुरू किया जा सके।

4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् द्वारा संशोधित पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन का अन्तिम चरण दिसम्बर, 1990 में पूरा किया गया और कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। एन०सी०ई०आर०टी० के अनुसार नये पाठ्यक्रम का औपचारिक मूल्यांकन करने का समय अभी नहीं आया है।

5. वर्ष 1988 के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढाँचे और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् पाठ्यक्रम/पाठ्य-पुस्तकों में जिन शैक्षिक हिन्दुओं पर बल दिया गया है वे छात्रों की मनोवृत्ति की व्यापक समझ, सीखने की प्रक्रिया तथा सीखने की स्थितियों और उसके तौर तरीके पर आधारित हैं। शिक्षा के प्रति बाल केन्द्रित दृष्टिकोण पर, अध्यापक की शिक्षण को सुकर बनाने वाली भूमिका पर, रटकर सीखने की पद्धति को बदलने पर ढाँचे में बल दिया गया है। अध्यापन की पारस्परिक पद्धतियों द्वारा जो कि सीखने पर केन्द्रित होती है और जिज्ञासा जागृत करती है, व्याख्यान तथा सूचना इस प्रकार तैयार किए जाते हैं जिससे कि विषयों का अध्ययन रुचिपूर्ण और सुग्राह्य बनाया जा सके।

6. कुछ स्कूलों, खासकर शहरी क्षेत्र के स्कूलों द्वारा बड़ी संख्या में पुस्तकें निर्धारित करने की प्रवृत्ति के कारण विद्यार्थियों को बोझ बढ़ाने में सहायता मिली है। अक्टूबर, 1989 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों को जारी किए नए अनुदेशों के माध्यम से इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था तथा उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे स्कूलों को इस आशय के निर्देश दें कि सही मायने में अपेक्षित पुस्तकों से अधिक पुस्तकें निर्धारित न की जाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्र सप्ताह के दिन विशेष के लिए वास्तव में अपेक्षित पाठ्यपुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं से अधिक का भार न ढोएं।

उत्तर प्रदेश की शहरी विकास परियोजनाएं

[हिन्दी]

*452. **श्री भगवान शंकर रावत:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश की कुछ शहरी विकास परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली की झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में नागरिक सुविधायें

*453. **श्री राम चन्दन:**

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में विभिन्न झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों में कुल कितने आवास हैं और वहां कुल कितने लोग रहते हैं;

(ख) ऐसी बस्तियों की संख्या कितनी है जहां बिजली, पानी और सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(ग) ऐसी बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) झुग्गी-झोपड़ी (जे०जे०) समूहों और उनमें रहने वाली जनसंख्या के संबंध में स्थिति इस प्रकार है:—

(i) दिल्ली में कुल अनुमानित झुग्गी समूह — 929

(ii) दिल्ली में झुग्गी परिवारों की कुल संख्या — 2.60 लाख

(iii) इन झुग्गियों में अनुमानित जनसंख्या — 13 लाख

(ख) और (ग) झुग्गी-झोंपड़ी समूहों के पर्यावरणीय सुधार की योजना सातवीं योजना से चल रही है। योजना का उद्देश्य पेयजल, भुगतान पर उपयोग वाले सार्वजनिक शौचालय, खड़ंजे वाले पैदल पथ, बरसाती पानी की नालियां, पथ प्रकाश, कुड़ेदान और "डलाव" की न्यूनतम बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है। उपलब्ध की गई नागरिक सुविधाएं इस प्रकार है:—

जल आपूर्ति

उन झुग्गी-झोंपड़ी समूहों की संख्या जिनमें हैंड पम्पों या नगरपालिका के नलों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की गई है।	653 (शेष झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की जाती है)

भुगतान करों और उपयोग करों जनसुविधा परिसर

उन स्थलों की संख्या जहां पर जन-सुविधा परिसरों को पूरा कर लिया गया है तथा सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया है।	135 (6646 डब्ल्यू सी सीटें और 2498 स्नानागार)
37 प्रचालित मोबाइल शौचालय गाड़ियों के अतिरिक्त उन स्थानों की संख्या जहां निर्माण कार्य प्रगति पर है।	813 डब्ल्यू सी सीट और 324 स्नानागार वाले 27 परिसर

ईंट के खड़ंजो वाले पैदल-पथ और नालियाँ

उन झुग्गी-झोंपड़ी समूहों की संख्या जहां खंड़जों वाले पैदल-पथ और नालियों की व्यवस्था की गई है।	399 समूह

पथ प्रकाश प्वाइंट

झुग्गी-झोंपड़ी समूहों की संख्या जहां पर पथ प्रकाश प्वाइंटों की व्यवस्था की गई है।	326 समूह

कूड़ेदान/डलाव

उन झुग्गी-झोंपड़ी समूहों की संख्या जहां कूड़ेदान /डलावों की व्यवस्था की गई है।	205 झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में कुड़ेदान और 56 झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में डलाव

स्थानीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए शेष पात्र झुग्गी-झोंपड़ी समूहों में इन सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

आरक्षण नीति पर पुनर्विचार

*454. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आरक्षण नीति पर नए सिरे से विचार करने और इसे आर्थिक आधार पर लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ कोई सर्वेक्षण कराने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी): (क) से (घ) सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के पक्ष में भारत सरकार के अधीन सिविल पदों/सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाले 13.8.90 के कार्यालय ज्ञापन को उच्च न्यायालयों तथा साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई उन अनेक रिट याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गई है, जिनकी मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है।

3. उच्चतम न्यायालय ने 21.9.90 और 1.10.90 के अपने अन्तरिम आदेशों के तहत निदेश दिया है कि जब तक मामले की सुनवाई नहीं हो जाती सरकार द्वारा लाभान्वित होने वाली जातियों की पहचान के अलावा 13.8.1990 के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए कोई कदम न उठाए जाएं इसने यह भी निदेश दिया है कि विवादित आदेश के क्षेत्र का न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना विस्तार नहीं किया जाएगा।

3. सरकार सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपाय शुरू करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन में सरकार का इरादा सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में अधिक गरीब वर्गों की तरजीह देने का है तथा इसके साथ-साथ यह सुनिश्चित करने का भी इरादा है कि यदि अधिक गरीब वर्गों के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो ये लाभ पिछड़े वर्ग के अन्य सदस्यों को मिलें। आरक्षण के लाभ अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को भी दिए जाएंगें जो आरक्षण की किसी विद्यमान योजना में नहीं आते हैं।

4. सरकार प्रमुख राजनैतिक दलों के बीच आम सहमति विकसित कर सके, इसलिए उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका की सुनवाई के लिए 24 सितम्बर, 1991 तक स्थगन दे दिया गया है।

"एड्स" रोग की रोकथाम

[अनुवाद]

*455. **श्रीमती वासव राजेश्वरी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक देश में "एड्स" रोग की रोकथाम के लिए सहायता देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस रोग की रोकथाम/उन्मूलन के लिए संघ सरकार ने कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम०एल० फोतेदार): (क) और (ख) जी हां, विश्व बैंक देश में एड्स के नियंत्रण के लिए सहायता देने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गया है। एड्स परियोजना का कुल परिव्यय लगभग 6.5 करोड़ अमेरिकी डालर होने का अनुमान लगाया गया है। आधार लागत 5.5 करोड़ अमेरिकी डालर आंकी गई है तथा शेष राशि लागत वृद्धि तथा अन्य अप्रत्याशित आकस्मिकताओं के लिए निर्धारित है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1987 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को विश्व स्वास्थ्य संगठन और यू एस एड जैसे धन देने वाले बाह्य अभिकरणों द्वारा सहायता दी गई है। अब तक किए गए कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

— अधिक खतरे के आचरण वाले समूहों में प्रचलन तथा संक्रमकता प्रवृत्तियों को निर्धारित करने के लिए निगरानी पद्धति का आयोजन करना।

— ज़ोनल आधार पर रक्त बैंकों में रक्त की जांच करने के लिए सुविधाओं की स्थापना करके रक्त और रक्त उत्पादों की निरापदता को प्रोत्साहित करना।

— स्वास्थ्य शिक्षा।

— अस्पताल संक्रमण के नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देशों का प्रतिपादन।

— 13 क्षेत्रीय अस्पतालों को सुदृढ़ करना तथा एच आई वी संक्रमित रोगियों के रोग निदान तथा प्रबंध में चिकित्सकों तथा परिचिकित्सा स्टाफ का प्रशिक्षण।

— उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में रोग केन्द्रित कार्यकलाप योजनाओं को कार्यान्वित करना जहां एच आई वी संक्रमित व्यक्तियों की अपेक्षाकृत बड़ी संख्या का निगरानी के आधार पर पता लगाया गया है।

परस्तावित विश्व बैंक परियोजना तीन वर्ष की निश्चित समयावधि में पूरे देश में आस्था के सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार करने के लिए बनाई गई है।

पूयानकुट्टी पन-बिजली परियोजना

*456. **प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने संघ सरकार से अनुरोध किया है कि वह पूयानकुट्टी पन-बिजली परियोजना के लिए 300 हैक्टेयर वन भूमि दे दें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) केरल राज्य सरकार से 1987 में पूयानकुट्टी जल विद्युत परियोजना के लिए 3001.8 हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार को वन भूमि को उपयोग में लाने की मंजूरी देने की असमर्थता के बारे में सूचित कर दिया गया था।

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर

*457. **श्री वी॰ विजय कुमार राजू:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं से छूट देने और उन्हें सीधे ही नौकरी देने का है;

(ग) क्या रोजगार कार्यालय उनकी शैक्षिक योग्यताओं के अनुसार उन्हें नौकरी दिला सकते हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार उनके लिए 3 प्रतिशत के विद्यमान आरक्षण को बढ़ाने का है ताकि उन्हें रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) (1). भारत सरकार द्वारा समूह "ग" और समूह "घ" में अभिज्ञात पदों के मुकाबले रिक्तियों का 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया गया है। इस योजना से लाभान्वित विकलांग व्यक्तियों की श्रेणियों में दृष्टिहीन, बधिर तथा अस्थि विकलांग आते हैं और केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में प्रत्येक श्रेणी को 1 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त होता है।

(2) लाभदायक रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने के लिए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 23 विशेष रोजगार कार्यालय, सामान्य रोगजार कार्यालयों में 55 विशेष सैल तथा 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(3) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दृष्टिहीनों तथा बधिरों के लिए समूह "ग" तथा समूह "घ" पदों से संबंधित पीछे से चले आ रहे आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है।

(4) विकलांगों की शिक्षा, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास के लिए अनुदानों के माध्यम से स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) रोजगार, कार्यालयों द्वारा मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों आदि जैसे नियोक्ताओं द्वारा उन्हें अधिसूचित पदों से संबंधित योग्यताओं और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने वाले पंजीकृत उम्मीदवारों को प्रायोजित किया जाता है।

(घ) जी, नहीं।

उद्योगों को कोयले की सप्लाई न होना

*458. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उद्योगों को कोयले की सप्लाई न होने के कारण लाखों श्रमिकों को जबरी छुट्टी अथवा छंटनी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत, यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान का नियोजक कामगारों की छंटनी करना चाहता है तो उसे समुचित सरकार को नोटिस देना होगा। इसके अलावा, 100 से अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले कारखाने, खान या बागान से संबंधित नियोजक को कामगार की छंटनी करने या जबरी छुट्टी करने के लिए समुचित सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जहां तक औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र का संबंध है कोयले की कमी के कारण कामगारों की छंटनी करने या जबरी छुट्टी करने के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु अभी तक ऐसा कोई नोटिस या आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकारों ने भी हमें छंटनी या जबरी छुट्टी के ऐसे किसी मामले की कोई जानकारी नहीं दी है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ कोयले की कमी के कारण तमिलनाडु में एक कारखाने में तालाबन्दी के मामले की सूचना दी है। कोयला विभाग ने कोल इंडिया लि० को अनुदेश जारी किये हैं कि वह उन उद्योगों को कोयले की और अधिक आपूर्ति करें जिन्हें इस संबंध में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली में "मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम"

*459. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में "मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम" की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष विचार किया था;

(ख) इस मामले पर विचार करने वाली और इस प्रणाली की व्यवहार्यता की सिफारिशें देने वाली संस्थाओं/विशेषज्ञ समितियों/विभागों के नाम क्या हैं;

(ग) ऐसी सिफारिशें किस-किस तारीख को की गई थीं और उनमें क्या-क्या प्रस्ताव किये गये थे और उनकी अनुमानित लागत क्या-क्या थी;

(घ) क्या "रेल इंडिया टैक्नीकल एण्ड इकनामिक सर्विस" ने भी इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दी है;

(ङ) यदि हां, तो उनकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(च) पहली बार प्रस्तुत किये गये प्राक्कलनों के बाद से इस "मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम" की लागत में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (च) दिल्ली में प्रक्षिप्त यातायात तथा जन परिवहन की आवश्यकताओं को मूल्यांकित करने हेतु 1971 से अब तक अनेक अध्ययन किये गये हैं। इस संबंध में प्रथम तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन मैसर्स रेल इण्डिया टैक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसिज लि० को अप्रैल, 1989 में सौंपा गया था। राइट्स द्वारा जुलाई, 1990 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

2. रिपोर्ट में 184.5 कि०मी० के एक बहु आयामी जन द्रुतगामी परिवहन नैटवर्क की सिफारिश की गई है जिसमें निम्नलिखित शामिल है:—

(I) पूर्व-पश्चिम दिशा तथा उत्तर-दक्षिण दिशा में कुल 27 कि०मी० के दो भूमिगत मेट्रो कारीडोर।

(II) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में विद्यमान ज्यादातर रेलवे नैटवर्क के समीप ही 40 कि०मी० के भूतल रेल कारीडोर।

(III) नजफगढ़ रोड के समीप 17.5 कि०मी० का एक विशेष बसमार्ग।

3. यह परामर्श दिया गया है कि वर्ष 2001 तक 67.5 कि०मी० का प्रथम चरण तथा 2011 तक संपूर्ण प्रणाली परिचालित कर दी जाये।

4. 1989-90 के मूल्य स्तर पर कुल अनुमानित लागत 5378 करोड़ रुपये (सीमा शुल्क छोड़कर) है।

5. पूर्ववर्ती अध्ययनों में तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता तथा लागत निकालने के संबंध में विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रथम प्राक्कलन 1990 में मैसर्स राइट्स द्वारा दिये गये हैं।

प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में बच्चों का दाखिला

[हिन्दी]

*460. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 1990 तक और 1995 तक क्रमशः प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में सभी बच्चों को दाखिला देने का लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) इस संबंध में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है; और

(घ) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मध्य प्रदेश राज्य को क्या सहायता देने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह कहा गया है कि यह सुनिश्चित करना होगा कि "वर्ष 1990 तक लगभग 11 वर्ष की उम्र पूरी कर लेने वाले सभी बच्चों को या तो पांच वर्ष की स्कूली शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से समकक्ष शिक्षा प्रदान की जा चुकी है। इसी प्रकार, वर्ष 1995 तक 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क रूप से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी"। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की जा रही है।

2. वर्ष 1989-90 के लिए उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों से कक्षा I—V (6—11 वर्ष की आयु वर्ग) के संबंध में निम्नलिखित उपलब्धियों का पता चलता है:—

	छात्रों की कुल संख्या	संपूर्ण नामांकन अनुपात
कुल	973.18 लाख	99.96
मध्य प्रदेश	77.44 लाख	103.23

3. किसी राज्य को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि, केन्द्रीय क्षेत्र या केन्द्र प्रायोजित क्षेत्रीय योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं या प्रस्तावों पर तथा इन परियोजनाओं या प्रस्तावों के कार्यान्वयन में उनकी प्रगति पर निर्भर करती है।

मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र

*461. **श्री केशरी लाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेजों/संस्थाओं में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सभी स्थान केवल इन श्रेणियों के उम्मीदवारों से ही भरे जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो आरक्षित सीटें केवल इन श्रेणियों के उम्मीदवारों से ही भरी जायें, यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम०एल० फोतेदार): (क) से (घ) सरकार देश में मान्यता प्राप्त कालेजों/संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के दाखिले के

संबंध में स्थिति का अनुवीक्षण करती आ रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित आरक्षणों अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए $7^1/_2$ प्रतिशत के आरक्षण की अपेक्षा को पूरा किया जा रहा है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के अधीन कार्यरत चिकित्सा संस्थाओं का संबंध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षण कोटे को इन श्रेणियों के छात्रों से पर्याप्त रूप से भरा जाता है। लेकिन, राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत संस्थाओं की स्थिति भिन्न-भिन्न है। जहां हरियाणा राज्य और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए उपर्युक्त आरक्षण निर्धारित सीमा से काफी आधिक है, वहां असम, बिहार, गुजरात, केरल, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों में स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसी प्रकार, जहां असम राज्य और पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण, आरक्षण कोटे की निर्धारित सीमा से अधिक है, वहां आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में स्थिति सही नहीं है।

राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को समय-समय पर सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित आरक्षणों का अनुपालन करें। इस प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है। इस समिति की सिफारिशों पर सभी प्रकार की समुचित अनुवर्ति कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

महानगरों की दशा में सुधार

*462. **श्री दाऊ दयाल जोशी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगरों की दशा में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) केन्द्र द्वारा स्पान्सर्ड शहरी निर्धनता उन्मूलन के दो कार्यक्रम नामत नेहरू रोजगार योजना और शहरी मूलभूत सेवा कार्यान्वयनाधीन है, पिछले तीन वर्षों में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुल नियतन इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपयों में)

	1988-89	1989-90	1990-91
नेहरू रोजगार योजना	—	145.65	112.14
शहरी मूलभूत सेवा	0.84	1.20	24.85

अलग-अलग शहरों के लिए निधियों का नियतन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार द्वारा कतिपय विशेष परियोजनाओं की भी वित्त-व्यवस्था की गई है जो इस प्रकार है:—

बम्बई शहर में मलिनबस्ती और आवास की समस्याओं के समाधान के लिए महाराष्ट्र सरकार को 1986 में 100 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। इस योजना के मुख्य घटक (I) मलिनबस्ती उन्नयन कार्यक्रम (II) धारवी पुनर्विकास और (III) शहरी नवीकरण और पुनर्निर्माण हैं।

नवें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशों में बम्बई और कलकत्ता शहरों की मलिनबस्ती समस्याओं से निपटने के लिए क्रमशः महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकारों को 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत किए जाने का सुझाव दिया है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में दी गई राशियां इस प्रकार हैं:—

(करोड़ रुपयों में)

	1988-89	1989-90	1990-91
प्रधानमंत्री का अनुदान कार्यक्रम*	20.00	25.00	10.00
9वां वित्त आयोग			
बम्बई	—	26.81	7.71
कलकत्ता	—	32.75	टखौखाभ

*(1988-89 से पूर्व इस योजना के लिए 30.00 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई थी।)

दिल्ली में प्रदूषण

*463. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में पांच सितारा होटल प्रदूषण फैला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) दिल्ली में स्थित कुछ पांच तारा होटल वायु और जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निर्धारित सभी मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं।

(ख) और (ग) होटलों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्सर्जन के मानकों को पूरा करने के लिए कहा गया था। इनमें से कुछ होटलों ने अपेक्षित मानकों को पूरा कर लिया है, जबकि अन्य होटलों ने मानकों को पूरा करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। जिन तीन होटलों को निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नहीं पाया गया उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूषित जल से फैलने वाले रोगों के बारे में जनचेतना

[अनुवाद]

*464. **श्री रमेश चन्द तोमर:**
श्री बी॰एल॰ शर्मा प्रेम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार दूषित जल से होने वाले रोगों के संबंध में दिल्ली में दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये गये कार्यक्रम के वांछित परिणाम नहीं निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली प्रशासन का पानी से होने वाले रोगों के बारे में जनचेतना पैदा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम॰एल॰ फोतेदार): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जलवाहित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु दिल्ली प्रशासन द्वारा एक बहु-प्रचार माध्यम नीति अपनाई गई है जिसका उद्देश्य लोगों को स्वच्छता संबंधी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

असम चाय बागानों में श्रमिक

*465. **डा॰ जयंत रंगपी:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने असम सरकार को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए हैं कि चाय बागानों के श्रमिकों से चाय बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 के अंतर्गत निर्धारित काम के घंटों से अधिक काम न लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिसमें यह भी बताया जाये कि गत दो दशकों में असम में चाय की खेती के क्षेत्र में हुई वृद्धि के होते हुए भी बागान मजदूरों की कितनी छंटनी की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ए॰ संगमा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रवासी बाल श्रमिक

[हिन्दी]

*466. **श्री सूर्य नारायण यादव:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार से बड़ी संख्या में बच्चों को श्रमिकों के रूप में अन्य राज्यों को भेजा जाता है जहां उनका शोषण किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं और इस संबंध में भावी नीति क्या होगी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा): (क) से (ग) इस बात की सूचना मिली है कि बिहार के 14 वर्ष से कम के बच्चे उत्तर प्रदेश के आसपास के जिलों में कालीन बुनाई उद्योग में काम करते पाये गये हैं। इस तथ्य के बावजूद कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कालीन बुनाई में काम करना कानून निषिद्ध है, यह भी देखा गया है कि कुछ मामलों में ऐसे बच्चों का नियोजकों द्वारा शोषण किया जाता है। इस समय इस विषय पर एक रिट याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ लंबित है और न्यायालय ने दिनांक 1 अगस्त, 1991 के अपने आदेश द्वारा मिर्जापुर और पलामू के संबंधित क्षेत्रों में कालीन निर्माण में बंधुआ बच्चों के बारे में जानकारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तीन अधिवक्ताओं की एक तथ्यों का पता लगाने वाली समिति नियुक्त की है और उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों तथा मिर्जापुर (उ० प्र०) और पलामू (बिहार) के समाहर्ताओं को समिति के कार्य में आवश्यक सहयोग देने का निर्देश दिया है।

बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उप-योजना के लिए स्वीकृत धनराशि

3218. **श्री ललित उरांव:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान योजनागत और गैर-योजना स्कीमों के अंतर्गत बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उप-योजना के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) आवंटित धनराशि में से कितनी राशि खर्च की गई है/वापस दे दी गई है; और

(ग) योजनागत शीर्ष से गैर-योजना शीर्ष में तथा गैर-योजना शीर्ष से योजनागत शीर्ष में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत (टी०एस०पी०) बिहार सरकार द्वारा सूचित परिव्यय तथा व्यय निम्न प्रकार है:—

(रुपये करोड़ में)

	वर्ष	परिव्यय	व्यय
1.	1988-89	326.14	320.43
2.	1989-90	366.72	353.35
3.	1990-91	493.30	393.30* (*प्रत्याशित)

(ख) और (ग) निधियों की वापसी या विचलन के बारे में बिहार राज्य सरकार से कोई सूचना नहीं है।

वृद्धों के लिए घर

[अनुवाद]

3219. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों को वृद्धों के लिए घरों की व्यवस्था करने हेतु सहायता दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाठ्य-पुस्तकों में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी अध्याय

3220. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का प्राइमरी स्तर से आगे प्रत्येक भाषा की पाठ्य-पुस्तकों में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी कम से कम दो अध्याय शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को मार्गनिर्देश जारी करने का परताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं। परंतु परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित अवधारणायें स्कूली शिक्षा की सभी स्तर की विभिन्न पाठ्य पुस्तकों में संगत विषयों के साथ उचित रूप से समाविष्ट कर दी गई हैं।

आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए धनराशि का आवंटन

3221. **श्री भाग्ये गोवर्धन:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए अभी तक कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है;

(ख) देश की कुल कितनी आदिवासी भाषाएं हैं; और

(ग) क्या इन सभी आदिवासी भाषाओं को आदिवासी लोगों की सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में विकसित करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) चालू वित्त वर्ष के लिए जनजातीय भाषाओं सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए 1839.80 लाख रुपये की राशि का अस्थायी तौर पर आवंटन किया गया है।

(ख) और (ग) इस विभाग के एक अधीनस्थ कार्यालय अर्थात् केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान ने कुछ जनजातीय भाषाओं का विकास करने के लिए उनका अध्ययन आरम्भ किया है।

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 5000 से अधिक की जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली तीन प्रमुख मातृ-भाषाओं की एक सूची भारत की जनगणना, 1981 (श्रृंखला-1 भारत) भाग-IX(ii) के विवरण (क) और (ख) में दी गयी है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

उड़ीसा स्थित हरिशंकर में औषधियुक्त पौधे लगाना

3222. **श्री शरत चन्द्र पटनायक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा के बालनगीर जिले के हरिशंकर क्षेत्र में औषधियुक्त पौधे तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या

3223. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यायलय के छात्रों की संख्या के बारे में 15 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 116 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 के शिक्षा-सत्र के दौरान प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या क्या थी;

(ख) वर्ष 1990-91 के शिक्षा-सत्र के लिये विभिन्न ग्रेडों के शिक्षकों के, विश्वविद्यालय-वार, कुल कितने पद मंजूर किये गये थे;

(ग) वर्ष 1990-91 के शिक्षा-सत्र की समाप्ति पर प्रत्येक विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डाक्ट्रेट डिग्री लेकर निकले छात्रों की संख्या क्या है;

(घ) 1990-91 के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय के बजट अनुमान अथवा वास्तविक व्यय क्या है; और

(ङ) देश के विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में नये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालने के क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग मुख्यतः शैक्षिक तथा सामाजार्थिक आवश्यकताओं के कारण हैं।

उड़ीसा में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

3224. **श्री गोपीनाथ गजपति:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में स्थापित किए गए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की संख्या अन्य राज्यों में स्थापित ऐसे केन्द्रों की तुलना में कम है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा में और अधिक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनसंख्या के मानदंडों के आधार पर खोले जाते हैं। उड़ीसा और अन्य राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लक्ष्यों की तुलना में उनकी राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरकारों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत खोले जाते हैं और योजना आयोग ने उड़ीसा के लिए 1991-92 हेतु 40 का लक्ष्य निर्धारित किया है।

विवरण

क्रम सं॰	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	7वीं योजना तक अपेक्षित	31.12. कार्यरत
1.	आन्ध्र प्रदेश	1735	1283
2.	अरुणाचल प्रदेश	30	28
3.	असम	438	442
4.	बिहार	2391	2001
5.	गोवा	20	20
6.	गुजरात	1000	706
7.	हरियाणा	394	366
8.	हिमाचल प्रदेश	239	201
9.	जम्मू व कश्मीर	348	267
10.	कर्नाटक	1164	1133
11.	केरल	1011	886
12.	मध्य प्रदेश	1471	1181
13.	महाराष्ट्र	1850	1647
14.	मणिपुर	72	68
15.	मेघालय	40	71
16.	मिजोरम	7	35
17.	नागालैण्ड	36	33
18.	उड़ीसा	1034	924
19.	पंजाब	2061	2036
20.	राजस्थान	1275	1048

1	2	3	4
21.	सिक्किम	20	22
22.	तमिलनाडु	1546	1386
23.	त्रिपुरा	54	49
24.	उत्तर प्रदेश	3753	3625
25.	पश्चिम बंगाल	1685	1544
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	17	16
27.	चण्डीगढ़	—	—
28.	दादरा और नागर हवेली	6	5
29.	दिल्ली	7	6
30.	लक्षद्वीप	20	7
31.	पांडिचेरी	23	22
32.	दमण और दीव	8	4
	योग:	23780	20542

दक्षिण दिल्ली में अवैध कब्जे की भूमि

3225. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:** क्या **शहरी विकास** मंत्री 15 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अवैध कब्जे को हटाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या आई० एन० ए० मार्किट, आर० के० पुरम में इन्दिरा मार्किट और सरोजनी नगर, नई दिल्ली तहबाजारी धारकों ने सरकार द्वारा प्राधिकृत की गई भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो अतिरिक्त भूमि पर से अवैध कब्जे को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"हुडको" द्वारा केरल को आवंटित धनराशि

3226. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ने केरल राज्य को 1991-92 के दौरान मकानों के निर्माण के लिए कोई धनराशि आवंटित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख). क्षेत्रफल तथा जनसंख्या मानदण्ड पर आधारित 1991-92 के दौरान हुडको ने केरल को 18.18 करोड़ रुपये की राशि के न्यूनतम ऋण आबंटित किए हैं।

आबंटन का श्रेणी-वार ब्यौरा इस प्रकार है:—

ग्रामीण	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (अरबन)	निम्न आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	उच्च आय वर्ग	योग (करोड़ रुपयों में)
2.26	2.81	4.68	4.68	3.75	18.18

छात्रों को अंकों का प्रतिशत सुधारने की अनुमति

3227. **डा० कृपासिन्धु भोई:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जिन छात्रों ने वर्ष 1990-91 के दौरान बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें अपने कुल अंकों के प्रतिशत में सुधार करने के लिए दूसरे वर्ष अर्थात् 1991-92 में पुनः परीक्षा देने की अनुमति दी गयी है;

(ख) क्या यह सुविधा कुछ गैर-सरकारी संस्थाओं / स्कूलों के माध्यम के केवल किसी बाह्य / व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में अथवा नियमित सरकारी स्कूलों के नियमित छात्र के रूप में अथवा दोनों ही को उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). ऐसा छात्र जो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) वारा आयोजित XIIवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, परवर्ती वर्ष में एक या अधिक विषयों में सुधार के लिए नियमित या प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में उसी कक्षा की मुख्य परीक्षा में पुनः सम्मिलित हो सकता है, बशर्ते कि वह साथ ही साथ अन्य कोई उच्च अध्ययन में न कर रहा हो।

आदिवासियों को प्राथमिकता

[हिन्दी]

3228. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के रोजगार कार्यालय द्वारा आदिवासियों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जा रही है जैसा कि अन्य राज्यों में किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) और (ख). रोजगार कार्यालयों की भूमिका केवल अधिसूचित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों को प्रायोजित करने तक ही सीमित है। नीति के अनुसार, उनके पास पंजीकृत रोजगार चाहने वालों को उनके पंजीकरण की वरिष्ठता तथा योग्यताओं के अनुसार प्रायोजित किया जाता है। किन्तु, अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा, दिल्ली के रोजगार कार्यालयों सहित, केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ही प्रायोजित किया जाता है।

[अनुवाद]

ईटानगर में भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण द्वारा "एक्सपेरिमेंटल गार्डन" का विकास

3229. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण ने ईटानगर में एक "एक्सपेरिमेंटल गार्डन" का विकास करने के लिए वहा 124 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख). भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश सरकार से 124 एकड़ जमीन खरीद ली है। इस जमीन का उपयोग प्रायोगिक उद्यान और साथ ही कार्यालय भवन आदि के निर्माण के लिए किया जा रहा है।

दिल्ली में कारखाने तथा शिशुसदन सुविधाएं

[हिन्दी]

3230. **श्री गया प्रसाद कोरी:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कारखाना अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कारखानों की संख्या क्या है तथा उनमें कितने श्रमिक कार्यरत हैं;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान अनुचित श्रम कार्य के अंतर्गत कितने कारखानों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं तथा किन आधारों पर;

(ग) दिल्ली में कितने कारखानों में बीस या तीस से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं किन्तु उनमें शिशुओं के लिये कोई शिशुसदन सुविधाएं नहीं हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिल्ली में 5774 कार्यरत कारखाने चले रहे हैं, जो दिनांक 8.8.91 तक कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त हैं। इन कारखानों में कार्यरत मजदूरों की अनुमानित संख्या 2, 38, 993 है।

(ख) 1990-91 में एक कारखानों के विरुद्ध अनुचित श्रम पद्धति अपनाये जाने के कारण एक मामला शुरु किया गया था पर इसको दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक दिया।

(ग) 41 कारखाने।

(घ) 1989 से 1991 के दौरान, प्रबंधनों के विरुद्ध न्यायालय में 23 चालान दायर किये गये हैं, जो कारखाना निरीक्षणालय की सलाह और लिखित निर्देशों के बावजूद एक शिशु सदन की व्यवस्था करने में असफल रहे हैं।

झांसी/ललितपुर में केन्द्रीय विद्यालय

3231. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झांसी और ललितपुर में कितने केन्द्रीय विद्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां कोई नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) झांसी में तीन केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं और ललितपुर में एक भी नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को किराया-खरीद पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट

[अनुवाद]

3232. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मासिक किराया-खरीद आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी०डी०ए०) के फ्लैट आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख). सेवानिवृत्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को किराया-खरीद आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट आबंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रतीक्षा सूची के पंजीकृत व्यक्तियों जिनमें कुछ सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी भी हैं, को किराया-खरीद आधार पर इस समय मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और जनता श्रेणियों के फ्लैट क्रमशः 60%, 75% और 100% आबंटित किए जाते हैं।

वाहन प्रदूषण नियंत्रण संबंधी पैनल

3233. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायमूर्ति एस० एन० सैकिया की चेयरमैनशिप में कोई वाहन प्रदूषण नियंत्रण संबंधी पैनल बनाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पैनल के विचारार्थ विषय क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) पैनल के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं:

(1) वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विश्व में उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करना;

(2) वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए भारत में उपलब्ध प्रौद्योगिकी के मौजूदा स्तर का मूल्यांकन करना;

(3) भारत में महानगरों में कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहन चलाने के लिए सस्ते विकल्पों की खोज करना;

(4) मोटर वाहनों से प्रदूषण को कम/समाप्त करने में अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों प्रकार के उपायों की व्यावहारिकता की जांच करना और इस संबंध में उपयुक्त सिफारिशें करना

(5) उक्त मद सं० (3) के अनुसार की जाने वाली सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित प्रशासनिक/विधिक विनियमों के संबंध में विशिष्ट सिफारिशें करना।

राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वालों को विशेष अवकाश

3234. **श्री हरिन पाठक:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उनके सरकारी उपक्रमों/बैंकों द्वारा विशेष अवकाश प्रदान किया जाता है;

(ख) क्या राष्ट्रीय बैंक राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिये विशेष अवकाश प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने विशेष अवकाश प्रदान करने के लिये बैंकों/सरकारी उपक्रमों आदि के लिये कुछ मानदंड निर्धारित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवाकार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) से (घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए चुने गए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के प्रतियोगिताओं में पहुंचने और वापिस आने की यात्रा में लगे समय सहित उनमें भाग लेने में लगे समय के वास्तविक दिनों को ड्यूटी के रूप में माना जाएगा। एक कलैण्डर वर्ष में 30 दिनों तक की विशेष आकस्मिक छुट्टी खेल प्रशिक्षण शिविरों आदि में भाग लेने के लिए भी उन्हें देय होगी।

2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों आदि भी प्रायः उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करते हैं जो उनके ध्यान में लाए गए हैं।

पण्डित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर जन्म शताब्दी का मनाया जाना

3235. **श्री सत्यगोपाल मिश्र:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पण्डित ईश्वर चन्द्र विद्यासागर के जन्म शताब्दी वर्ष को मनाने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है और कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): पं० ईश्वर चन्द्र विद्यासागर की जन्म शताब्दी वर्ष 1920 में थी और इसलिए इसे इस वर्ष मनाने का प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बिहार में कालेजों को अनुदान

[हिन्दी]

3236. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बिहार के मधुबनी जिले के नितान्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कालीदास-विद्यापीठ कालेज, उच्छेत मंदन-भारती कालेज, राहिका, हरिजन संस्कृत कालेज बरहा और दरभंगा जिले में स्थित कालीदास मेमोरियल कालेज, मन्दोना, जिन्हें ऐतिहासिक महान विभूतियों के नाम पर खोला गया है, के विकास के लिए कितनी राशि का अनुदान दिया जा रहा है; और

(ख) कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा और एल० एन० विश्वविद्यालय, दरभंगा के विकास के लिए कितनी धनराशि दी जा रही है और इन विश्वविद्यालयों के लिए बिहार में स्थित अन्य सभी विश्वविद्यालयों से कम राशि का अनुदान मंजूर करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 7वीं योजना अवधि के दौरान कालीदास विद्यापति विज्ञान कालेज, उच्छेठ, भारती मंडन कालेज राहिका, और महाकवि कालीदास स्मारक कालेज, त्रिमूहन को आयोग द्वारा संस्पीकृत अनुदान संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं। हरिजन संस्कृत महाविद्यालय बाशा नि०अ०आ० अधिनियम के खण्ड 2 (च) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है और इसलिए यह आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 7वीं योजना के दौरान के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय को आवंटित अनुदान के संबंध में स्थिति निम्नलिखित है:—

(रु० लाखों में)

विश्वविद्यालय	आवंटित अनुदान	जारी अनुदान
1. के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	72.62	18.61
2. एल० एन० मिथिला विश्वविद्यालय	72.67	53.50

विश्वविद्यालय को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा कुछ मानदण्डों के आधार पर निर्धारित की जाती है, जैसे इसके विकास का स्तर, छात्र नामांकन, शिक्षक और शिक्षण विभाग की संख्या, अनुसंधान कार्य की दृष्टि से विश्वविद्यालय की शैक्षिक उपलब्धि, उभरते हुए क्षेत्रों में पाठ्य-क्रम शुरू करना इत्यादि। संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले बराबर के हिस्से के प्रावधान पर ही वास्तविक अनुदान निर्भर करता है।

विवरण

(रु० लाखों में)

लक्ष्य	अनुमोदित अनुदान	संस्वीकृत अनुदान
1	2	3
कालीदास विद्यापति विज्ञान कालेज, उच्छेठ (बेनी पश्ची)		
पुस्तकें और पत्रिकाएं	53,060	52,060
उपस्कर	90,450	90,450
संकाय सुधार कार्यक्रम	50,000	शून्य (कोई प्रस्ताव नहीं)
सम्मेलनों में सहभागिता	2,200	शून्य (कोई प्रस्ताव नहीं)
भवन	1,60,000	40,000
	3,54,710	1,82,510
भारती मंडम कालेज, राहिका (मधुबनी)		
पुस्तकें और पत्रिकाएं	52,600	52,600
उपस्कर	1,04,600	1,04,600
संकाय सुधार कार्यक्रम	1,60,000	7,548
सम्मेलनों में सहभागिता	5,000	शून्य
भवन	1,60,000	40,000
	4,82,200	2,04,748

महाकवि कालीदास स्मारक कालेज, त्रिमोहन, चन्दोना		
पुस्तकें और पत्रिकाएं	1,22,140	1,22,140
उपसकर	1,13,250	1,13,250
संकाय सुधार कार्यक्रम	1,10,000	9,067
सम्मेलनों में सहभागिता	2,200	1,568
भवन	1,60,000	40,000
	5,07,590	2,86,025

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों का विस्तार

3237. **श्री धर्मण्णा मोनडय्या सादुल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सेवाओं की सुविधाएं देश के सभी शहरों और कस्बों में उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 जुलाई, 1991 को सी॰जी॰एच॰एस॰ औषधालयों की संख्या क्या थी और वे किस-किस स्थान पर हैं; और

(ग) अगले दो वर्षों के दौरान अन्य शहरों और कस्बों में सी॰जी॰एच॰एस॰ सुविधाओं का विस्तार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) अनुमोदित आठवीं योजना परिव्यय के आधार पर उन शहरों में भी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या सघन है।

विवरण

क्र॰ सं॰	शहर का नाम	एलो-पैथी	आयु-र्वेद	होमियो	यूनानी	सिद्ध	योग	पालि-क्लिनिक	कुल
1	दिल्ली	83	13	13	4	1	3	3	120
2	बम्बई	30£	2	3				2	37
3	इलाहबाद	7	1	1				1	10
4	मेरठ	6	1	1					8
5	कानपुर	9	1	2					12
6	कलकत्ता	17	1	2	1			1	22
7	नागपुर	10**	2	1				1	14
8	मद्रास	14	1	1		1		1	18
9	बैंगलूर	10	2	1				1	14
10	हैदराबाद	14**	2	2	2			2	22
11	पटना	5	1	1					7
12.	पुणे	7	1	2				1	11

क्र० सं०	शहर का नाम	एलो-पैथी	आयु-र्वेद	होमियो	यूनानी	सिद्ध	योग	पालि-क्लिनिक	कुल
13.	जयपुर	5	1	1				1	8
14.	अहमदाबाद	3	1	1					5
15.	लखनाऊ	6	1	1	1				9
16.	भुवनेश्वर	1*			1				1
	योग	227	31	33	8	2	3	14	318

* केवल महालेखाकार के कर्मचारियों के लिए।
** एक उप-औषधालय सहित।
£ दो उप-औषधालयों सहित।

हिमाचल प्रदेश में हैज़ा तथा आन्त्रशोथ महामारियों का फैलना

3238. **श्री गुरुदास कामतः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश हैजा तथा आन्त्रशोथ जैसी महामारियों की लपेट में है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में हैजा तथा जठर-आन्त्रशोथ के कारण कितनी मौतें हुई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हैजा तथा जठर-आन्त्रशोथ महामारियों का मुकाबला करने के लिए पूरी-पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश को अब तक दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ): (क) जून 1991 से हिमाचल प्रदेश के बहुत से जिलों में हैजा तथा जठर आन्त्रशोथ के फैलने की सूचना प्राप्त हो रही है।

(ख) हिमाचल प्रदेश में अब तक सूचित की गई जठर आन्त्रशोथ/अतिसार के कारण हुई मौतों की संख्या 182 है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रकोप की जांच-पड़ताल करने व उस पर काबू पाने संबंधी उपाय सुझाने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए जून-अगस्त, 91 के दौरान राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली से चार दलों ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया।

राज्य सरकार को 20 लाख रु० के मूल्य की क्लोरीन टेबलेट, एन्टीबायटिक्स, अन्तः शिरा द्रव्य (इन्ट्राविनस फ्ल्युड) जैसी आपत कालीन औषधियां प्रदान की गई हैं। यूनिसेफ द्वारा अभिदत लगभग 10 लाख रु० के मूल्य की जीवनरक्षक औषधियाँ भी राज्य सरकार को भेजी गई।

[हिन्दी]

मुजफ्फरनगर में कारखाने

3239. **श्री एन० के० बलियानः** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खतौली, मुजफ्फरनगर में पशुओं की हड्डियों से उर्वरक बनाने वाले कारखानों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह कारखाने रिहायशी क्षेत्रों के मध्य में स्थित हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह कारखाने सम्पूर्ण शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों से यह कारखाने कहीं और ले जाने के निर्देश जारी किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) खतौली, मुजफ्फरनगर में चार इकाइयां हड्डियों से उर्वरकों का उत्पादन कर रही हैं। ये इकाइयां शहर की अधिक आबादी वाले क्षेत्र के पास स्थित हैं। फैक्ट्रियों के आसपास के क्षेत्र मुख्यतः दुर्गंध से प्रभावित हैं।

(घ) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के तहत मैसर्स कोहिनूर बोन मिल, मैसर्स कमल मैन्यूर मिल और मसर्स कैपिटल बोन मिल को बंद करने के नोटिस जारी कर दिए हैं। मैसर्स खतौली मैन्यूर मिल को बंद करने का नोटिस पहले ही दिया जा चुका था,

लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस पर स्थगन आदेश दे दिया था। पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत भी कार्रवाई शुरु की गई है।

(ङ) और (च) मैसर्स खतौली मैन्यूर मिल, जो इनमें से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली इकाई है, ने खतौली से विद्यमान इकाई को स्थानान्तरित करने के लिए प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए पहले ही आवेदन पत्र दिया हुआ है। आवेदन पत्र पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इकाई से सक्षम प्राधिकारी का भूमि प्रयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया है।

दिल्ली की आवास समस्या हेतु विश्व बैंक से सहायता

3240. **श्री शिव शरण वर्मा:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली की आवास समस्या का समाधान करने के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

नेत्रहीन व्यक्ति

3241. **श्री हरि केवल प्रसाद:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति जन्म से ही अन्धे हैं;

(ग) सरकार ने अंधेपन को दूर करने के लिए आज तक क्या प्रयास किये हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में और अधिक नेत्र चिकित्सालयों की स्थापना करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय सर्वेक्षण (1986-89) के अनुसार, दोनों नेत्रों से दृष्टिहीन व्यक्तियों की विद्यमानता दर 1.49 प्रतिशत है। 1989 के आधार पर 800 मिलियन की अनुमानित जनसंख्या में दोनों नेत्रों से दृष्टिहीन व्यक्तियों की संख्या 11.92 मिलियन है।

(ख) देश में जन्मजात दृष्टिहीनों की संख्या का मूल्यांकन करना अभी तक सम्भव नहीं हुआ है। तथापि, विटामिन 'ए' की कमी से 0-6 आयु वर्ग के दृष्टिहीनों की संख्या कुल दृष्टिहीनों का 0.04 प्रतिशत है।

(ग) भारत सरकार ने वर्ष 1976 में दृष्टिहीनता नियन्त्रण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरु किया जो निरन्तर चलने वाला कार्यक्रम है और इसमें नेत्र परिचर्या सेवाएं परिधीय क्षेत्र में (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र), माध्यामिक क्षेत्र (जिला अस्पताल और जिला मोबाइल यूनिट और केन्द्रीय क्षेत्र) मेडिकल कालेज क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान आदि द्वारा प्रदान की जा रही है। मोबाइल यूनिटों के जरिए 'आई कैम्प अप्रोच' अपनाई गई है। ये मोबाइल यूनिटें मोतियाबिन्द आपरेशन करने के लिए परिधीय क्षेत्रों में बार-बार नेत्र शिविर आयोजित करते हैं।

माध्यामिक स्तर पर, जिला अस्पतालों का दर्जा बढ़ाया गया है। मोतियाबिन्द का आपरेशन करने के लिए नेत्र उपकरणों के साथ-साथ नेत्र सर्जनों और नेत्र विज्ञान सहायकों की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय क्षेत्र के स्तर पर, भारत सरकार ने अभी तक देश में 60 मेडिकल कालेजों के नेत्र विभाग और 10 क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थानों का दर्जा बढ़ाया है। ये अन्य कार्यकलापों के अलावा मोतियाबिन्द आपरेशन भी कर रहे हैं।

स्वैच्छिक संगठन भी मोतिया बिन्द के आपरेशन कर रहे हैं। भारत सरकार 60/- रु० प्रति मोतिया बिन्द आपरेशन की दर से वित्तीय सहायता दे रही है जब स्वैच्छिक संगठन सरकारी मोबाइल यूनिटें प्रयोग नहीं कर रही हों, और उन स्वैच्छिक संगठनों को, जो सरकारी मोबाइल यूनिटें प्रयोग करते हैं, प्रति मोतिया बिन्द आपरेशन पर 40/- रु० दिए जाते हैं।

(घ) और (ङ) मुफस्सिल क्षेत्र और उप संभागिय क्षेत्रों (तालुक क्षेत्रों) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और छोटे नेत्र अस्पतालों का आगे विकास करने और इसे सुदृढ़ करने के लिए चरणबद्ध रूप में योजना बनाई गई है।

[अनुवाद]

त्रिनगर के निवासियों को जारी किये गये नोटिस

3242. **श्री लाल बहादुर रावल:** क्या **शहरी विकास** मंत्री 5 अगस्त, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1689 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन मामलों का ब्यौरा क्या है, जिनमें दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन उपक्रम ने त्रिनगर के निवासियों को वास्तविक क्षेत्र से अधिक के मनमाने बिल जारी किये थे;

(ख) क्या दिल्ली जल प्रदाय और मल व्ययन उपक्रम की ओर से की गयी गलतियों के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है;

(ग) यदि हां, तो सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) उन निवासियों को नये बिल जारी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि भूखण्ड के वास्तविक क्षेत्रफल से अधिक के मनमाने बिल जारी नहीं किये गये हैं। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जिनमे बाद में दिल्ली नगर निगम की अनुमति के बिना भूखण्डों को उप-भागों में विभाजित करने के कारण क्षेत्रफल कम हो गया है। तथापि, बिल अनुमोदित क्षेत्रफल के आधार पर भेजे जाते हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न नहीं उठता।

सागर कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के विरुद्ध अभ्यावेदन

3243. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को सागर कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, पटपड़गंज, दिल्ली के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय को सम्बोधित अभ्यावेदन की एक प्रतिलिपि 17.9.84 को प्राप्त हुई थी। यह शिकायत दिल्ली में सागर कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों द्वारा सम्पत्तियों के स्वामित्व के सम्बन्ध में थी।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे गये प्रमुख परियोजनाओं के प्रस्ताव

3244. **श्री आनन्द रत्न मौर्य:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अनेक प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में भेजे गये प्रस्तावों पर गत तीन वर्षों से निर्णय नहीं लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन प्रमुख परियोजनाओं के नाम, विषय और भेजने की तिथि क्या है जो गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजी गयी हैं तथा अभी भी अनिर्णीत पड़ी हैं;

(ग) इन पर निर्णय न लिये जाने के क्या कारण हैं; और इन परियोजनाओं पर कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस संबंध में त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया को समाप्त करने तथा भविष्य में विलम्ब न होने देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, नहीं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रमुख अनुसंधान परियोजना के ऐसे कोई प्रस्ताव नहीं हैं, जो पिछले तीन वर्षों से अनिर्णित पड़े हुए हों।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में पाया गया शिवलिंग

3245. **श्री कमला मिश्र मधुकर:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में केसेड़िया में स्थित एक बड़े प्राचीन टीले में बहुमूल्य पत्थर का बना हुआ "शिवलिंग" पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी अवधि निर्धारण न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या पुरातत्व विभाग द्वारा इस प्राचीन वस्तु की अवधि का निर्धारण करके इस क्षेत्र के इतिहास पर कुछ प्रकाश नहीं पड़ेगा;

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में कब तक कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटकों के लिए सुविधाएं

3246. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय प्राणी उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है;

(ख) इन उद्यानों और अभ्यारण्यों में पर्यटकों के लिए आवासीय और अन्य सुविधायें देने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई लक्ष्य निश्चित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उन उद्यानों और अभ्यारण्यों के नाम क्या हैं जहां आवास उपलब्ध कराये गये हैं; और

(घ) इन उद्यानों और अभ्यारण्यों में दी जाने वाली अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) देश में 70 राष्ट्रीय उद्यान और 411 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। देश में केवल एक राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है जो दिल्ली में स्थित है।

(ख) ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

पाठ्य-पुस्तकों के मूल्य में वृद्धि

3247. **श्री जे० चोक्का राव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि आंध्र प्रदेश में छात्र पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) क्या पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यों में वृद्धि केन्द्रीय सरकार द्वारा पाठय्-पुस्तकें छापने के लिये कागज का पूरा आवश्यक कोटा न देने के कारण हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो 1990-91 और 1991-92 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कितने कागज की मांग की और उसे कितना कागज दिया गया; और यदि कोई कमी रह गयी है, तो उसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) आंधर प्रदेश में पाठ्य पुस्तकों के मूल्यों में हुई वृद्धि से सम्बन्धित समाचार पत्र की रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आयी है।

(ख) और (ग) स्कूली पाठ्य-पुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं को तैयार करने के लिए सफेद मुद्रण कागज की सहायता प्राप्त आपूर्ति की एक योजना 31 मार्च, 1990 तक चल रही थी। तत्पश्चात् इस योजना को बंद कर दिया गया था। यहां तक कि जब यह योजना चल रही थी, सफेद मुद्रण कागज की अपेक्षाओं को मात्र आंशिक रूप से ही पूरा किया जाता था।

[हिन्दी]

सीतामढ़ी बिहार में आई० आई० टी० और पालिटेक्निक खोलना

3248. **श्री नवल किशोर राय:**
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बिहार में रांची तथा सीतामढ़ी में शैक्षिक तथा वैज्ञानिक पिछड़ापन दूर करने हेतु एक आई० आई० टी० और एक पालिटेक्निक खोलने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितना व्यय किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) बिहार में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिहार राज्य सरकार ने रांची अथवा सीतामढ़ी में किसी नये पालिटेक्निक को आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। जनशक्ति अपेक्षा, उभरते हुए क्षेत्रों का विकास, मांग आदि जैसे विभिन्न घटकों पर विचार करते हुए पालिटेक्निक अपनी-अपनी राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों द्वारा स्थापित किये जाते हैं।

[अनुवाद]

''नेशनल इन्टीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन'' मुंबई की मांगें

3250. **प्रो० राम कापसे:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''नेशनल इन्टीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन'' मुंबई ने केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो एसोसिएशन की मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने एसोसिएशन की मांगों पर क्या कार्यवाही की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय एकीकृत चिकित्सा संघ की मांगें और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम संख्या	मांग	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में संशोधन।	भारतीय चिकित्सा की शिक्षा और प्रैक्टिस के विनियमन के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 बनाया गया था और ये अधिनियम आधुनिक चिकित्सा से संबंधित नहीं है। उन्हें आधुनिक चिकित्सा की प्रेक्टिस करने का अधिकार देने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में संशोधन करने की संघ की मांग पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्णतया विचार किया गया था। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के क्षेत्र के भीतर आधुनिक चिकित्सा की प्रक्टिस करने का कोई कानूनी अधिकार देने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता है।
2.	चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम, 1971 में संशोधन।	भारत सरकार ने इस मामले को राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के साथ चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम, नियमों, विनियमों में संशोधन करने के औचित्य का समर्थन देने सहित उनके सुझाव लेने के लिए उठाया है ताकि उन पर समेकित ढंग से कार्रवाई की जा सके।
3.	भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 में संशोधन।	भारतीय चिकित्सा परिषद्, जो आधुनिक चिकित्सा की शिक्षा और प्रेक्टिस को विनियमित करती है, इन पद्धतियों को मिलाने समेत आधुनिक चिकित्सा की पाठ्यचर्या में भारतीय चिकित्सा को शुरू करने के पक्ष में नहीं है। चिकित्सा परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के प्रयोजन के लिए एक्रीकृत चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान नहीं करती है।
4.	एक्रीकृत चिकित्सा की राष्ट्रीय चिकित्सा के रूप में आवश्यकता।	भारत सरकार की मौजूदा नीति संगठित उपाय शुरू करना है ताकि इन विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में से प्रत्येक को और स्वास्थ्य परिचर्या को इनकी विशिष्टता के अनुसार विकसित होने में समर्थ बनाया जा सके।
5.	राष्ट्रीय एक्रीकृत चिकित्सा संघ से परामर्श लेते हुए केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद इत्यादि में राष्ट्रीय एक्रीकृत चिकित्सा संघ को अभ्यावेदन।	केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद में सदस्यों का नामांकन करने के लिए किसी विशेष संघ से परामर्श लेने की कोई पद्धति नहीं है जैसे, विद्वान / विशेषज्ञ केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद से सम्बद्ध हैं चाहे वे विभिन्न सोसाइटियों / संघों से सम्बद्ध क्यों न हों।
6.	ड्राइवरों और कन्डक्टरों को आरोग्य प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत एक्रीकृत को मान्यता।	सरकार ने आरोग्य प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए राष्ट्रीय एक्रीकृत चिकित्सा संघ के चिकित्सा व्यवसायियों समेत चिकित्सा व्यवसायियों को प्राधिकृत करने के लिए राज्य परिवहन सत्थियों को आवश्यक पत्र जारी किए हैं।

बाल उद्यान, इंडिया गेट

3251. **श्री दत्तात्रेय बंडारू:**
श्री रमेश चन्द तोमर:
श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम":
श्री वीरेन्दर सिंह:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बाल उद्यान, इंडिया गेट के उचित रख-रखाव न किये जाने के संबंध में 20 जुलाई, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "ए रिस्की पार्क फार चिल्ड्रन टु प्ले" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पार्क में 1990-91 के दौरान अब तक घायल हुए बच्चों की संख्या क्या है; और

(घ) उद्यान के रख-रखाव में सुधार लाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि पार्क में सेवाओं में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय किये गये है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि फूलों के नजदीक पर्याप्त मात्रा में बालू से भरे गहरे गर्त हैं। पानी के दोनों नल ठीक अवस्था में हैं। पार्क में पैच ग्रासिंग का कार्य पूरा हो गया है। पुस्तकालय में उन मेज और कुर्सियों की मरम्मत की गई है जो आन्दोलन के दौरान जला दी गई थी और चोरी चली गई तिपहिया साइकिलों के स्थान पर नई साइकिलें लगाने के लिये उपाय किये जा रहे हैं। झूलों की लकड़ी की पट्टियों को प्लास्टिक की फिसलने वाली तथा कमजोर पटरियों द्वारा बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कर्मचारियों को नियमित रूप से सिंचाई, कटाई, घास-पात की छंटाई करने तथा लॉन का रख-रखाव करने के सख्त अनुदेश दिये गये हैं। गुफा में मछलीघर प्रदर्शन का कार्य एक निजी फर्म द्वारा किया जाता है जो न्यायालय में विवादाधीन है। बच्चों के घायल होने की कोई सूचना नई दिल्ली नगर पालिका को नहीं दी गई है।

उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में आदिवासी लोगों की संख्या

3252. **कुमारी फ्रिडा तोमनों:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में आदिवासी लोगों की संख्या की वृद्धि दर गैर जनजातीय लोगों की संख्या की वृद्धि दर से काफी कम है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) भारत के महापंजीयक द्वारा 1971 और 1981 में की गई जनगणना के अनुसार उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर (24.59 प्रतिशत) 1971-81 दशक के दौरान गैर-आदिवासी जनसंख्या की वृद्धि दर (35.75 प्रतिशत) से अधिक नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आकार में परिवर्तन करना

3253. **श्री लोकनाथ चौधरी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी॰डी॰ए॰ फ्लैट्स वैल्फेयर एसोसिएशन, साकेत, दिल्ली से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के पहली मंजिल के आवंटियों द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है तथा फ्लैटों के आकार में वृद्धि की जा रही है/परिवर्तन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसको क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरुणाचलम): (क) जी हां,

(ख) वैल्फेयर एसोसिएशन साकेत, दिल्ली द्वारा उल्लिखित स्थल का निरीक्षण दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी॰डी॰ए॰) के स्टाफ द्वारा किया गया था तथा आबंटियों द्वारा किए गए अनधिकृत परिवर्धन / परिवर्तन के मामलों में आबंटन रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। चूंकि एरिया पहले से ही दिल्ली नगर निगम को स्थानांतरित कर दिया गया है। अवैध रूप से कब्जों को हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम को भी सूचना भेज दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण

3254. **श्री अमल दत्त:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 लागू होने की तिथि से बाद में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा खाली पड़ी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी खाली पड़ी भूमि के उपयोग का ब्यौरा क्या है और उस भूमि पर आवासीय योजनाओं के अंतर्गत कितने मकानों का निर्माण किया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अर्जित खाली भूमि के संबंध में भारत सरकार, को उपलब्ध कराए गए राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के पास है। रिहायशी एककों के निर्माण तथा भूमि के उपयोग के ब्यौरे भारत सरकार द्वारा एकत्र और संकलित नहीं किये जाते हैं।

विवरण

(हैक्टेयर में)

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों में निहित और अर्जित खाली भूमि की सीमा
	राज्य	
1.	आंध्र प्रदेश	2,621-67
2.	असम	18-99
3.	बिहार	29-92
4.	गुजरात	2,085-00
5.	कर्नाटक	2,347-64
6.	मध्य प्रदेश	4,245-18
7.	महाराष्ट्र	4,494-70
8.	उड़ीसा	68-42
9.	पंजाब	71-17
10.	राजस्थान	1,738-47
11.	उत्तर प्रदेश	11,478-14
12.	पश्चिम बंगाल	169-24
13.	कैंटोनमेंट एरिया	362-67
	संघ राज्य क्षेत्र	
14.	दिल्ली	25-80
15.	पांडिचेरी	23-22
16.	चंडीगढ़	—

तुगलकाबाद एक्सटेन्शन, नई दिल्ली में सीवरलाइन

3255. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तुगलकाबाद एक्सटेन्शन, नई दिल्ली में सीवरलाइन बिछाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि तुगलकाबाद विस्तार एक नियमित की गई अनधिकृत कालोनी है और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना मुहाने और परिधीय जल-मल निर्यास व्यवस्था के आन्तरिक सीवर लाईन बिछाई गई थी। नगर निगम ने तुगलकाबाद, तुगलकाबाद

विस्तार व इसके साथ लगने वाले क्षेत्रों के लिये पम्पिंग स्टेशन और जल-मल शोधन संयंत्र तक राइजिंग मेन सहित जल-मल निर्यास मुहाने की व्यवस्था करने के लिये 562 लाख रुपये लागत की योजना तैयार की है। ठेका देने के बाद इसे पूरा करने का समय 3 वर्ष होगा।

वैज्ञानिकों के संवर्ग की पुनरीक्षा

3256. **प्रो॰ प्रेम धूमल:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के वैज्ञानिकों की पदोन्नति के लिए कोई फ्लेक्सीबल कम्पलीमेंटिंग स्कीम है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके संवर्ग का ढांचा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और महासागर विकास विभाग के ढांचे से भिन्न है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस मंत्रालय के वैज्ञानिकों को विकास और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिकों के बराबर लाने के लिए उनके संवर्ग ढांचे की पुनरीक्षा करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय में संवर्ग संरचना वैसी नहीं है जैसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में है क्योंकि जिस समय यह स्कीम शुरु की गई थी उस समय एक समान ग्रेड निर्धारित नहीं किए गए थे तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय में शुरु किए गए ग्रेड उसकी आवश्यकता के अनुसार रखे गए थे।

(घ) से (च) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वैज्ञानिक विभागों/संगठनों में लचीली सम्पूरक स्कीम के अन्तर्गत वेतनमानों की जांच करने और उनमें एकरूपता लाने के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई का सुझाव देने के लिए एक अन्तर विभागीय दल का गठन किया है।

कार्य-दिवसों की हानि

3257. **श्री वी॰ शोभनाद्रीश्वर राव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1990-91 के दौरान औद्योगिक संबंध तंत्र के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप कितनी हड़तालों को रोका गया अथवा उनका समाधान किया गया;

(ख) गत वर्ष के दौरान कितने कार्य दिवसों की हानि हुई और इन कार्य दिवसों की हानि के कारण अनुमानत: कितना वित्तीय घाटा सहना पड़ा; और

(ग) कार्य दिवसों की हानि को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) हड़तालों के आकड़े केलेंडर वर्ष वार रखे जाते हैं। प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा की गई मध्यस्थता द्वारा टाली गई हड़तालों की संख्या 1990 में 588 थी तथा जनवरी से मार्च, 1991 की अवधि के दौरान 105 थी। राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में राज्य सरकारों द्वारा टाली गई हड़तालों की संख्या केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा की गई मध्यस्थता और समझौता वार्ता के माध्यम से सुलझाई गई हड़तालों की संख्या 1990 में 282 थी तथा जनवरी से अप्रैल, 1991 की अवधि में 47 थी।

(ख) प्राप्त अद्यतन सूचना के आधार पर 1990 के दौरान औद्योगिक विवादों के कारण कार्य दिवसों की हानि, मजदूरी की हानि तथा उत्पादन की हानि से संबंधित विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार देश में औद्योगिक संबंध स्थिति पर सूक्ष्म और सतत् निगरानी रख रही है। केन्द्र तथा

राज्यों का औद्योगिक संबंध तंत्र निवारक मध्यस्थता, समझौता वार्ता तथा पंचाट के माध्यम से विवादों के निपटान और कामबंदी को कम करने के लिए कदम उठा रहा है।

विवरण

1990 के दौरान कार्य दिवसों की हानि, मजदूरी हानि तथा उत्पादन हानि (अनंतिम)

		हड़तालें	औद्योगिक विवादों के कारण होने वाली तालाबंदी	कुल
1	2	3	4	5
1.	कार्य दिवसों की हानि (लाखों में)	10.22	13.40	23.62
2.	मजदूरी की हानि (रु॰ करोड़ों में)	28.27 (64.20%)	4.63 (28.82%)	32.89 (57.19%)
3.	उत्पादन की हानि (रु॰ करोड़ों में)	242.66 (58.58%)	80.81 (28.24%)	323.47 (52.57%)

विशेष ध्यान दें: (1) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कम बंदियों की संख्या की प्रतिशतता दर्शाते हैं जिनके लिए कम बंदियों की कुल संख्या में मजदूरी हानि / उत्पादन हानि की सूचना मिली थी।

(2) आंकड़ों के पूर्णांक पर आधारित होने के कारण योग अनिवार्य रूप से समान नहीं है।

स्रोत: श्रम ब्यूरो, शिमला

[हिन्दी]

पत्थरों की खुदाई

3258. **श्री विश्वनाथ शर्मा:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्तर प्रदेश के ललितपुर में वन विभाग की भूमि से पत्थरों की खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके फलस्वरूप हजारों व्यक्तियों के बेरोजगार होने के अतिरिक्त राजस्व का भी घाटा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और उसको सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय शिक्षा सेवा को पुनर्जीवित करना

[अनुवाद]

3259. **डा॰ सुधीर राय:**
श्रीमती गीता मुखर्जी:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है, जिसमें भारतीय शिक्षा सेवा को पुनर्जीवित करने की वकालत की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में इस बीच कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में अन्य बातों के साथ-साथ अखिल भारतीय स्तर पर

भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना की परिकल्पना भी समाहित है। इसके लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा शिक्षा प्रबंधन के लिए गठित समिति के अंतर्गत एक उपदल का गठन किया गया है जो इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगा। तथापि इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित पक्षों के साथ और अधिक विचार विमर्श एवं परामर्श अपेक्षित होगा।

तमिलनाडु में नीलगिरि में आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र

3260. **श्री सी॰ श्रीनिवासनः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में नीलगिरि/ऊटी में एक आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का विचार है ताकि इस क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाले विभिन्न प्रकार के फलों, पत्तियों, जड़ों, छालों आदि का उपयोग किया जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने नीलगिरि तमिलनाडु के आदिवासी क्षेत्रों में चलाए गए चिकित्सीय वनस्पति खोज के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस राज्य में निम्नलिखित आयुर्वेदिक अनुसंधान परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं:—

(1) डा॰ ए॰ लक्ष्मीपति आयुर्वेद अनुसंधान केन्द्र, मद्रास

(2) साहित्यिक अनुसंधान यूनिट (आयुर्वेद) वी॰एच॰एस॰, मद्रास

(3) कैप्टन श्री निवास मूर्ति आयुर्वेद औषध अनुसंधान संस्थान, मद्रास

इस बात को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के नीलगिरि/ऊटी में एक दूसरा आयुर्वेदिक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भीख मांगने वाले बच्चे

3261. **श्री सी॰ पी॰ मुदाल गिरियप्पा:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बच्चों की भिक्षावृत्ति के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से निबटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने ऐसे बच्चों के पुनर्वास हेतु कोई योजना तैयार की है जो भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भिखारी बच्चों के कल्याण हेतु अनन्य रूप से कोई योजना नहीं है। किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर, 2 अक्तूबर, 1987 से देश में लागू किया गया है। अपराधी किशोरों के अतिरिक्त, इस अधिनियम में भीख मांगते पाए गए किशोरों सहित उपेक्षित किशोरों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार विकास और पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।

करोल बाग, नई दिल्ली की नियमित की गई कालोनियों के लिए स्वीकृत धनराशि [हिन्दी]

3262. **श्री कालका दास:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग क्षेत्र की नियमित की गई कालोनियों में विकास कार्य आरंभ करने के लिए हाल में कालोनीवार कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की है; और

(ख) चालू वर्ष में आरम्भ किए जाने वाले संभावित विकास कार्यों और इस पर खर्च की जाने वाली धनराशि का कलोनीवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा सरकारी अस्पतालों में जाने वाले रोगियों को दवाएं

[अनुवाद]

3263. **श्री काशीराम राणा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा सरकारी अस्पतालों में जाने वाले रोगियों को दी जाने वाली दवाओं की सप्लाई संतोषजनक नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ):

(क) जी नहीं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा दिल्ली के अन्य सरकारी अस्पतालों में विशेष रूप से वार्डों की कैजुअल्टी में रोगियों को जीवन रक्षक और अनिवार्य औषधें प्रदान करने का पूरा-पूरा प्रयास किया जाता है।

(ख) अस्पतालों में जीवन रक्षक अनिवार्य औषधों की उपलब्धता की स्थिति की संबंधित प्राधिकारियों द्वारा लगातार मानीटरिंग की जा रही है।

मुम्बई में गंदी बस्तियों में रहने वालों के लिए रेलवे की भूमि पर मकान

3264. **श्री तेजसिंह राव भोसले:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वृहत्तर मुम्बई में रेलवे की कुछ भूमि गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सहकारी आवास समितियों को पट्टे पर दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त क्षेत्र में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्ध कराने में कितनी प्रगति हुई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) रेल मंत्रालय द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार उन्होंने स्लम निवासियों के लिए आवास की व्यवस्था हेतु सहकारी समितियों को कोई भी भूमि पट्टे पर नहीं दी है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार को भंडूप में 1800 वर्ग मीटर का एक रेलवे प्लाट जमीन के बाजार मूल्य का 6% वार्षिक दर पर पट्टे पर दिया गया है और राज्य सरकार ने भंडूप में रेलवे की इस भूमि से मोहन नगर पिघा विहार में, 83 हटमेंट्स स्थानांतरित कर दिए है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति आयोग का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

3265. **श्री राम नारायण बैरवा:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास और आर्थिक उत्थान के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त द्वारा अपनी 28वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि हां तो, उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की 28 वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों का सारांश जो सभा पटल पर पहले ही रखा जा चुका है, देखने की कृपा की जाए।

(ख) आयुक्त की इन सिफारिशों के संबंध में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से लिखा-पढ़ी की जा रही है।

देश में कल्याणकारी योजनाएं

[अनुवाद]

3266. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ख) इन योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनका तसंबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) कल्याण मंत्रालय द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए 3306.94 करोड़ रुपए की राशि सनस्वीकृत की गई थी।

(ख) और (ग) निम्नलिखित के माध्यम से इन कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जा रही है:—

(1) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों अ.र सवैच्छिक संगठनों से प्राप्त अंकक्षित लेखों, उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र।

(2) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वैच्छिक संगठनों से आवधिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट प्राप्त करके।

(3) राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण।

(4) मंत्रालय द्वारा आयोजित राज्यों के कल्याण मंत्रियों/समाज कल्याण सचिवों की वार्षिक बैठकें/सम्मेलन।

(5) मंत्रालय द्वारा आयोजित आवधिक सम्मेलनों/सेमिनारों में कायरक्रम की समीक्षा।

कोंडली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को डी० डी० ए० फ्लैटों का आवंटन

3267. **श्री अनादि चरण दास:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंडली और हस्तबल में डी०डी०ए० के उन फ्लैटों में, जिन्हें आवंटियों ने लेने से इंकार कर दिया था, अधिकांश को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आवंटित किया जा रहा है;

(ख) क्या फ्लैटों की कीमत अब बढ़ायी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा हुडको योजनाओं के अंतर्गत हाल ही में आवंटित किये गये फ्लैटो के मूल्य क्या है;

(घ) मध्य आय वर्ग/निम्न आय वर्ग/जनता फ्लैटों की लागत लगभग क्या है; और

(ड़) क्या इन फ्लैटों के आबंटन के मामले में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को तथा बीमारी के आधार पर विशेष विचार किया जा रहा है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) कोंडली, घरोली और अस्तबल में फ्लैटों की बिक्री लागत लाभ-हानि रहित आधार पर निकाली गई है। तथापि, भूमि की लागत में वृद्धि के कारण फरवरी 91 में आबंटित फ्लैटों की बिक्री लागत मार्च 1990 के बिक्री लागत की तुलना में बढ़ी है। फरवरी, 9? में इन क्षेत्रों में आबंटित फ्लैटों की लागत इस प्रकार बढ़ी है:—

श्रेणी	लागत सीमा
निम्न आय वर्ग	1,47,600 रुपये से 2,09,900 रुपये
जनता	83,800 रुपये से 94,000 रुपये

(घ) विभिन्न श्रेणी के फ्लैटों की अनुमानित वर्तमान लागत इस प्रकार है:—

श्रेणी	लागत सीमा
मध्यम आय वर्ग	3,17,600 रुपये से 4,55,800 रुपये
निम्न आय वर्ग	1,37,300 रुपये से 3,17,100 रुपये
जनता	76,600 रुपये से 1,46,700 रुपये

(ड़) नवीन पद्धति योजना, 1979 के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए फ्लैटों का 1% आरक्षित है।

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम का उल्लंघन

[हिन्दी]

3268. **श्री राम लखन सिंह यादव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के उल्लंघन किये जाने के कितने मामले सरकार के पास दर्ज हुए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): कॉपीराईट अधिनियम के उलंघन के मामले भारत सरकार में पंजीकृत नहीं किए जाते। इस संबंध में राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों के अधीन स्थानीय पुलिस से अपराधिक शिकायतें की जाती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास 13 राज्यों व संघशासित प्रशासनों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राज्य/संघशासित प्रशासन	वर्ष 1988	1989	1990
1. पश्चिम बंगाल (कलकता)	26	57	31
2. केरल	21	37	61
3. मिजोरम	—	—	—
4. नागालैण्ड	—	—	—
5. पंजाब	—	—	1
6. गोवा	35	15	10
7. मणिपुर	—	—	—
8. अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
9. जम्मू व कश्मीर	—	—33 (इसमें वर्ष 1988, 1989, 1990 के आंकड़े भी शामिल हैं।)	
10. दमन व द्वीप	—	—	—
11. पांडिचेरी	8	2	2
12. लक्षद्वीप	—	—	—
13. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	—	—	—

आरक्षित वन

3269. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक राज्य में कितना वन-भूमि क्षेत्र आरक्षित और अनारक्षित है;

(ख) वनों की कटाई रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) उन व्यक्तियों के विरुद्ध जो आरक्षित वन भू क्षेत्र में बस गये हैं, क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) कानूनी तौर पर वर्गीकृत राज्यवार वन भूमि संलग्न विवरण में दशाई गई है।

(ख) वनों की कटाई को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:—

1. जलाने की लकड़ी और चारे की आपूर्ति को सामाजिक/कृषि वानिकों के जरिए बढ़ाया जा रहा है।
2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1990 को 1988 में संशोधन करके इसे और कठोर बनाया गया है।
3. अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार और सुरक्षा के लिए ग्राम समुदायों, स्वैच्छिक ऐजेंसियों और अन्य गैर सरकारी संगठनों को सहयोजित करने के बारे में राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

4. राज्य सरकारों पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कम से कम कुछ वर्षों के लिए पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
5. वनों में जैवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए वन संरक्षण उपाए तेज किए जा रहे हैं जिसमें आधारकृत सुविधाओं को मजबूत बनाना शामिल है।

(ग) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को पात्र श्रेणी के उन अवैध कब्जों को क्षतिपूरक वनरोपण की व्यवस्था की शर्त पर नियमित करने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनके संबंध में राज्य सरकारों ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बनने से पूर्व नियमित करने का निर्णय ले लिया था और पात्रता मापदंड निर्धारित कर लिए थे। वन भूमि 24.10.1980 के बाद किए गए सभी अवैध कब्जों और इस तारीख से पहले के अपात्र अवैध कब्जों को तत्काल बेदखल करने की आवश्यकता है।

विवरण

वन क्षेत्र की कानूनी स्थिति (1985-86)

(वर्ग किलोमीटर में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	आरक्षित	संरक्षित	अवर्गीकृत	कुल वन क्षेत्र
आन्ध्र प्रदेश	49921	12343	1507	63771
अरूणाचल प्रदेश	13653	8	37879	51540
असम	17277	3373	10058	30708
बिहार	5051	24169	10058	29227
गोवा, दमन व दीव	42	—	1208	1250
गुजरात	13490	1020	4810	19320
हरियाणा	229	1109	361	1699
हिमाचल प्रदेश	1825	17196	2304	21325
जम्मू और कश्मीर	20182	—	—	20182
कर्नाटक	28611	3931	6103	38645
केरल	11036	—	182	11218
मध्य प्रदेश	80996	69082	5336	155414
महाराष्ट्र	42823	15366	5969	64158
मणिपुर	1377	4171	9606	15154
मेघालय	978	12	7524	8514
मिजोरम	9048	1647	5240	15935
नागालैण्ड	86	507	8032	8625
उड़ीसा	26108	33427	20	59555
पंजाब	43	1104	1676	2823
राजस्थान	13970	14170	3150	31290
सिक्किम	2650	—	—	2650
तमिलनाडु	18375	3390	614	22379
त्रिपुरा	3571	291	2436	6298
उत्तर प्रदेश	34461	884	5412*	51337
पश्चिम बंगाल	7054	3772	11053	11879
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	3059	4112	—	7171
दादर एवं नागर हवेली	203	3	—	206
संपूर्ण भारत	406119	215087	131067*	752273

*10580 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत वन क्षेत्र वन विभाग के बाहर है।

ईंधन हेतु वनरोपण

3270. **श्री रामपूजन पटेल:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगाने से ग्रामवासियों को ईंधन की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या गांव वालों को कुछ खास किस्म के पेड़ उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिन्हें वे अपनी आवश्यकतानुसार काट सकेंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) देश के कई, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की आम कमी है। वृक्षों की कटाई पर कोई आम प्रतिबंध नहीं है, वृक्षों की कटाई को राज्य स्तर पर इस प्रयोजन हेतु बनाए गए कानून और नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है।

(ग) और (घ) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीणों को, ईंधन लकड़ी, चारा, फल इमारती लकड़ी आदि की घरेलू जरूरतों के साथ साथ बाजार की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए उनकी अपनी भूमि पर वृक्षरोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पौद, सरकारी पौधशालाओं से मुक्त अथवा रियायती दर पर प्रदान की जाती है अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित विकेन्द्रित पौधशालाओं द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में वन विभागों के फील्ड स्टाफ द्वारा तकनीकी सलाह तथा सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार उगाए गए वृक्षों की कटाई, राज्य स्तर पर लागू कानून तथा नियमों के अनुसार की जा सकती है।

प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करने का लक्ष्य

3271. **श्री राजवीर सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है और कितने प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षित किया गया है;

(ख) इस समय देश में कितनी प्रौढ़ शिक्षा संस्थायें चल रही हैं, और ये कहां-कहां हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु प्रौढ़ व्यक्तियों को शिक्षा देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) वर्ष 1990-91 के लिए प्रौढ़ शिक्षा में 177.33 लाख व्यक्तियों को नामांकित करने का लक्ष्य रखा गया था किन्तु अभी तक 118.77 लाख व्यक्तियों के ही नामांकन की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 31.3.1991 तक कार्यरत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। इसके अलावा लगभग 25 लाख से 30 लाख स्वयं सेवक (छात्र और गैर छात्र दोनों प्रकार के युवक) संपूर्ण साक्षरता अभियानों के जरिए करीब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ शिशुओं को साक्षरता प्रदान कर रहे हैं। ये अभियान देश के 45 जिलों में शुरु किए गए हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में ही अधिकांश जन संख्या निरक्षरों की है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसका लक्ष्य वर्ष 1995 तक 15—35 आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, ने अपना सारा ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से महिलाओं और अनुसूचित जातियों, जनजाति के व्यक्तियों पर ही केन्द्रित कर रखा है। कुल मिलाकर उद्देश्य यह है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक रूप से साक्षर बना दिया जाए ताकि साक्षरता में आत्म निर्भर बना सकें और अंक ज्ञान में दक्ष हो सकें और अपने वंचित होने के कारणों के प्रति जागरूक हो सकें तथा विकास प्रक्रिया में भाग लेकर अपनी स्थिति सुधारने की ओर बढ़ सकें और अन्य सामान्य जीवन में सुधार लाने के योग्य बन सकें। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा की एक योजना जिसका नाम जन शिक्षण निलयम है (लोगों के लिए अध्ययन के केन्द्र) क्रियान्वित की जा रही है। अभी तक 32318 जन शिक्षण निलयमों को संस्वीकृत किया जा चुका है और 22691 जन शिक्षण निलयमों को शुरू किया जा चुका है। प्रत्येक जन शिक्षण निलयमों में पुस्तकालय सह वाचनालय की सुविधा उपलब्ध की जाती है और इसके साथ ही ग्रामीण जनता को सरल और अल्पाधिक प्रशिक्षण, चर्चा मंडल एवं मंडल एवं सायकालीन कक्षाओं की सुविधा भीप्रदान है ताकि वे अपनी योग्यता और मनोरंजन संबंधी तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बढ़ा सके।

विवरण

क्रम सं॰	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	केन्द्र
1.	आंध्र रदेश	13018
2.	अरुणाचल रदेश**	1438
3.	असम	11220
4.	बिहार**	32422
5.	गोवा	364
6.	गुजरात	14412
7.	हरियाणा	कार्यक्रम बन्द कर दिया गया है।
8.	हिमाचल परदेश*	2138
9.	जम्मू और कश्मीर*	3557
10.	कर्नाटक	9000
11.	केरल	शत-प्रतिशत साक्षर घोषित
12.	मध्य प्रदेश*	24292
13.	महाराष्ट्र	28349
14.	मणिपुर**	2156
15.	मेघालय*	230
16.	मिजोरम	550
17.	नागालैंड	750
18.	उड़ीसा*	13880
19.	पंजाब*	4988
20.	राजस्थान	16417
21.	सिक्किम	522
22.	तमिलनाडु	24795
23.	त्रिपुरा**	2456
24.	उत्तर प्रदेश	66944
25.	पश्चिम बंगाल	6630
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	279
27.	चंडीगढ़	259
28.	दादरा और नगर हवेली	150
29.	दमन और दीव	60
30.	दिल्ली	2245
31.	लक्ष द्वीप**	53
32.	पांडिचेरी*	648
	योग	284222

*आंकड़े दिसंबर, 1990 से संबंधित हैं।

**आंकड़े सितंबर और उससे पहले से संबंधित हैं।

मध्य प्रदेश में वनों का कटाव

3272. **श्री अरविंद नेताम:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में पिछले दो वर्षों के दौरान वन भूमि के कितने क्षेत्र का अवैध रूप से कटाव किया गया है;

(ख) राज्य में इससे पहले वन भूमि का औसत क्या था और अब तक वन क्षेत्र किस सीमा तक कम हो गया है; और

(ग) गत वर्ष के दौरान पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने के कितने मामले सामने आये और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली का विकास

3273. **प्रो० रासा सिंह रावत:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने विभिन्न भारतीय-चिकित्सा प्रणालियों का विकास करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार कितनी राशि खर्च की;

(ख) आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के संवर्द्धन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली की तुलना में आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की उपेक्षा करने के क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) भारत सरकार द्वारा विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विकास के लिए खर्च की गई राशि इस प्रकार है:—

(करोड़ रुपए)

1990-91	1989-90	1988-89
17.54	14.43	11.34

(ख) और (ग) सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की उन्नति और विकास के लिए सभी सम्भव उपाय कर रही है। इस दिशा में शुरू किए गए महत्वपूर्ण विशिष्ट कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(1) आयुर्वेद, सिद्ध तथा यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा के समान मानक तैयार और निर्धारित करने तथा इन पद्धतियों में व्यवसाय करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना की गई है।

(2) केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् आयुर्वेद और सिद्ध पद्धतियों के विभिन्न पहलुओं मौलिक और व्यवहारिक क्षेत्र में कार्य शुरू करने, सहायता करने, दिशा देने, विकास करने तथा वैज्ञानिक अनुसंधान का समन्वय करने के लिए केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद् की शीर्षस्थ निकाय के रूप में स्थापना की गई है।

(3) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य आयुर्वेद के चिकित्सकों को अध्येतावृत्ति तथा सदस्यता प्रदान करना और मान्यता देना है, विशेष रूप से उन चिकित्सकों को जो परम्परागत रूप से प्रशिक्षित हैं तथा गहरा ज्ञान रखते हैं और बड़ा व्यवसाय कर रहे हैं।

(4) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा भेषज संहिता प्रयोगशाला की अधीनस्थ कार्यालय के रूप में स्थापना की गई है जो राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद यूनानी और सिद्ध की औषधों सहित भारतीय औषधों के लिए मानकों का निर्धारण और औषध परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में कार्य करती है।

(5) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में की गई है जिसका उद्देश्य केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य

योजना तथा मंत्रालय के विभिन्न अनुसंधान परिषदों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्य मानकों तथा गुणवत्ता के अनुसार शुद्ध और प्रामाणिक आयुर्वेद और यूनानी दवाओं का उत्पादन करना है।

(6) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के सभी पहलुओं में शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान के उच्च मानकों का विकास करके देश में आयुर्वेद के शीर्षस्थ संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया है।

(7) सरकार स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय को उसके रख-रखाव और विकास के लिए पूर्ण रूप से धन दे रही है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा और सहायक विषयों के विभिन्न शाखाओं में सनातकोत्तर शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्य में लगा हुआ है।

(8) सरकार ने भारतीय चिकित्सा के स्नातकोत्तर कालेजों के विभागों का दर्जा बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है।

(9) सरकार स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहीत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के स्नातकपूर्व कालेजों के प्रयोगशाला उपकरणों को खरीदने के लिए और भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के स्नातकपूर्व शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए पुस्तक बैंक की स्थापना करने हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(10) सरकार ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् और केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद द्वारा निर्धारित शिक्षण संस्थानों में अपेक्षित न्यूनतम मानक प्राप्त करने हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के कालेजों को सुदृढ़ करने के लिए एक नई योजना शुरू की है।

(11) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी के लाभ के लिए शिक्षण चिकित्सकों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं के लिए एक विषय परिचायक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(12) आयुर्वेदिक औषधों के बारे में एक सरकारी फार्मूलरी तैयार करने के लिए एक आयुर्वेदिक भेषजसंहिता समिति का गठन किया गया है।

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति

[अनुवाद]

3274. **श्री यशवन्तराव पाटिल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) भारत सरकार आयुर्वेदिक तथा अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को पूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय कार्यक्रम के एक अंग के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में शुरू किए गए उपाय इस प्रकार हैं: शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार; अनुसंधान का विकास; चिकित्सीय पादपों का विकास; औषध-कोश संबंधी मानकों का निर्धारण करना; औषध परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था आदि।

हिमाचल प्रदेश में परिवार कल्याण सुविधाओं संबंधी मूल आवश्यकताएं

3275. **श्री डी० डी० खनोरिया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों सहित कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या ये आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 31.3.1990 को 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, 35 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1502 उपकेन्द्र कार्य कर रहे थे। राज्य में 31.12.90 की स्थिति के अनुसार 3667 ग्रामीण हैल्थ गाइड कार्य कर रहे थे।

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं। तथापि, उपकेन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लक्ष्य प्राप्ति के नजदीक है। लक्ष्यों और उपलब्धियों का एक तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(ग) I. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अनतर्गत 1991-92 में योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	- 5
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	- 3

II. केन्द्रीय वितपोषण के अन्तर्गत देश में कहीं पर भी किसी नए उपकेन्द्र ग्रामीण हैल्थ गाइड का प्रस्ताव नहीं है। ऐसा वित्तीय तंगी के कारण है।

विवरण

क्रम संख्या	संस्था	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	35	35
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	227	201
3.	उपकेन्द्र	1512	1502
4.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	1	1
5.	ग्रामीण हैल्थ गाइड		
	प्रशिक्षित		5591
	कार्यरत		3667

आनन्द विहार में दुकानों का आवंटन

3276. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार (सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलाइज कन्ज्यूमर कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण मार्किट, आनन्द विहार (यमुना पार) में सरकार द्वारा संस्तुत नाम मात्र के किराये पर दुकान के आवंटन के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाई की है?

शहरी विकास राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कार्य क्षेत्र में लाने की मांग

3277. **श्री फूलचन्द वर्मा:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कार्य क्षेत्र में लाने के लिए दबाव डालता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, हां। संघ यह मांग कर रहा है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (के०प्र०न्या०) के क्षेत्राधिकार में लाया जाए। केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन एक सोसायटी होने के नाते स्वतः ही केन्द्रीय

प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं आती। के०प्रशा०न्याया० अधिनियम, 1985 की धारा 14(2) केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार देती है कि वह भारत सरकार के स्वामित्व अथवा उसके द्वारा नियंत्रित निगमों/सोसायटियों को ऐसे निकायों के कर्मचारियों की नौकरी के मामलों के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार के अधीन लाने के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लिए ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

वनों की देखभाल के लिए स्थायी योजना

[हिन्दी]

3278. **श्री भेरु लाल मीणा:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वनों की देखभाल के लिए कोई स्थायी योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना कब तक कार्यान्वित हो जायेगी;

(ग) क्या वन्यजीव के लिए आवश्यक वन भूमि उपलब्ध है; और

(घ) सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) वनों और वन्यजीवों को निम्नलिखित योजनाओं के जरिए सुरक्षा प्रदान की जाती है:—

1. राज्य सरकारों ने "भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत "सुरक्षित वन" और "आरक्षित वन" के रूप में वनों को अधिसूचित करने के लिए कार्रवाई की है। इससे राज्य सरकारों को अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले वन क्षेत्रों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने में सुविधा होती है। अवैध कटाई से वनों की सुरक्षा के लिए नियमित रूप से गश्त लगाई जाती है।
2. अलग-अलग वन प्रभागों के लिए बनाई गई कार्य योजनाओं के आधार पर वनों का प्रबंध वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। पहाड़ों में एक हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी जाती है।
3. वनेत्तर प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग को "वन संरक्षण" अधिनियम, 1980 के तहत कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है।
4. भारत सरकार वनों के भीतर बसे गांवों को हटाकर उनकों राजस्व भूमि क्षेत्रों का अवक्रमित वनों के पृथक भागों में फिर से बसाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
5. जैवीय हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलाई जा रही है।
6. भारत सरकार आग के कारण वनों को होने वाली क्षति के बचाव के लिए "आधुनिक दावानल नियंत्रण" नामक एक स्कीम चला रही है।

(ग) और (घ) विभिन्न जैव-भौगोलिक क्षेत्रों के प्राणिजात और वनस्पतिजात के संरक्षण के लिए 1.38 लाख वर्ग कि०मी० में फैले 70 राष्ट्रीय उद्यानों और 411 वन्यजीव अभ्यारण्यों का एक नेटवर्क सृजित किया गया है। इसमें से लगभग 1.20 लाख वर्ग कि०मी० क्षेत्र में वन हैं। इन क्षेत्रों का प्रबंध वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में वनों के दोहन की कोई अनुमति नहीं दी जाती है। वन्यजीव अभ्यारण्यों में वानिकी कार्यों को कड़ाई से विनियमित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम चलाई जा रही है।

बाघों और गैंड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष स्कीमें चलाई जा रही हैं। इस स्कीम के तहत इन दो प्रजातियों के वास स्थल वाले चुने हुए क्षेत्रों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना को दौरान राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आस-पास के क्षेत्रों के पारि-विकास की एक स्कीम शुरू की जा रही है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य बफर क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि करना और पर्यावरण के अनुकूल पद्धतियों को प्रोत्साहित करना है।

मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों को और अधिक अनुदानों का आवंटन
[अनुवाद]

3279. **श्री वीरेन्द्र सिंह:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्रीमती महेन्द्र कुमारी:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों को पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, दिये गये अनुदानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इन अनुदानों की राशि बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) विश्व विद्यालय अनुदान आयोग भवन, पुस्तकें और पत्रिकाएं, उपस्कर और शिक्षण और अनुसंधान के स्तर तथा कोटि को बढ़ाने से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं जैसी अवस्थापना को सुदृढ़ करने के लिए राज्य विश्व विद्यालयों को विकास अनुदान प्रदान करता है। आयोग विशेष सहायता की विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान भी प्रदान करता है। इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों को दिए गए अनुदान के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। सरकार द्वारा 8वीं योजना को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही 8वीं योजना के दौरान विश्व विद्यालयों के लिए योजनागत आवंटन की मात्रा का पता चलेगा। तथापि, सम्भवतः 8वीं योजना के आवंटन, 7वीं योजना के आवंटन से कम नहीं होंगे।

विवरण

(रुपये लाखों में)

विश्वविद्यालय का नाम	1988-89	1989-90	1990-91 अस्थायी व्यय
मध्य प्रदेश राज्य			
1. ए॰ पी॰ सिंह	12.36	23.90	26.80
2. भोपाल विश्वविद्यालय	29.95	31.48	26.10
3. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	—	28.40	39.19
4. इंदिरा कला संगीत	7.35	4.14	18.85
5. देवी अहिल्या	64.42	91.06	212.36
6. रानी दुर्गावती	59.68	58.71	54.09
7. जवाहर लाल नेहरू कृषि	0.07	55.60	54.01
8. जीवाजी विश्वविद्यालय	57.16	34.62	24.00
9. रवि शंकर	52.96	43.08	19.66
10. डा॰ एच॰ एस॰ गौड़	84.60	56.88	44.36
11. विक्रम विश्वविद्यालय	69.10	68.25	30.98
कुल	437.65	440.52	496.39
राजस्थान राज्य			
1. जोधपुर विश्वविद्यालय	27.89	84.70	59.11
2. कोटा मुक्त	0.05	0.60	0.10

3. एम॰ एल॰ सुखाडिया	54.87	88.20	25.21
4. राजस्थान कृषि	—	0.11	—
5. राजस्थान विश्वविद्यालय	117.65	204.53	100.93
कुल	200.46	378.14	185.35
उत्तर प्रदेश राज्य			
1. आगरा विश्वविद्यालय	58.04	15.34	25.56
2. इलाहाबाद	64.01	184.25	180.10
3. अवध विश्वविद्याय	7.41	9.72	13.60
4. बुन्देलखण्ड	0.67	2.09	0.49
5. गोविन्द वल्लेभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	4.97	0.02	3.06
6. हेमवन्ती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालयं	13.16	41.30	45.34
7. गोरखपुर विश्वविद्यालय	81.80	47.76	74.44
8. कानपुर विश्वविद्यालय	4.17	431.66	16.46
9. क ी विद्यापीठ	10.33	24.86	9.54
10. कुमायूं विश्वविद्यालय	29.50	93.13	47.42
11. लखनऊ	99,48	139.95	20.69
12. मेरठ विश्वविद्यालय	6.39	15.95	8.16
13. नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.11	—	—
14. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय	0.28	13.28	8.52
15. रुड़की विश्वविद्यालय	168.60	239.59	450.40
16. सम्पूर्णनन्द संस्कृत	9.20	11.88	14.07
17. ओ॰ एस॰ आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	—	—	0.20
कुल	558.12	882.78	918.05

समेकित बाल विकास योजना

3280. **महेश कुमार कमोडिया:**
श्री दत्तात्रेय बंडारू:
श्री बलराज पासी:
श्री वीरेन्द्र सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में समेकित बाल विकास योजना के क्रियान्वयन के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय [युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग] में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी); (क) और (ख) इन चार राज्यों में उपलब्धियों और लक्ष्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) समेकित बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन का दायित्व राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों का है। भारत सरकार एक कम्प्यूटराइज्ड रबन्ध सूचना प्रणाली के जरिए लक्ष्यों के संदर्भ में कार्य निष्पादन

का तिमाही आधार पर प्रबोधन करती है। इस प्रणाली के जरिए राज्य सरकारों से निकट सम्पर्क रखा जाता है। जहां तक उत्तर प्रदेश में पूरक पोषाहार कवरेज का संबंध है, विशेष अनुदेश जारी कर दिए गए हैं और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकें की गई हैं।

विवरण

आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चार राज्यों में समेकित बाल विकास सेवा योजना के अनतर्गत प्राप्त उपलब्धियों तथा लक्ष्य दर्शाने वाला विवरण। (31.3.91 की स्थिति अनुसार)

राज्य का नाम	आपरेशनल परियोनायें		आपरेशनल आंगनवाड़ियां		लाभ प्राप्तकर्ता			
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	पूरक पोषाहार		स्कूल पूर्व शिक्षा	
					लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
आंध्र प्रदेश	112	119	12936	13539	712465	934709	320045	443215
मध्य प्रदेश	161	189	19083	18716	850788	1171836	397950	590098
राजस्थान	100	104	11035	12340	676386	749140	302081	315687
उत्तर प्रदेश	230	233	24592	20537	1549476	1217460	726027	728030

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना में यूनानी चिकित्सक

3281 **श्री रोशन लाल:** क्या**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना में यूनानी चिकित्सकों की संख्या क्या है और उनमें से कितने चिकित्सकों के पास यूनानी चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि है;

(ख) क्या यूनानी इलाज करा रहे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के लाभार्थियों को यूनानी चिकित्सा प्रणाली में विशेषज्ञ—सेवा उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और मरीजों को विशेषज्ञ—सेवा कब उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारा देवी सिद्धार्थ) (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन नियुक्त यूनानी चिकित्सकों की कुल संख्या 17 है। 17 चिकित्सकों में से 2 चिकित्सक स्नातकोत्तर अर्हता रखते हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन यूनानी चिकित्सा पद्धति में विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि विशेषज्ञ सेवाओं के लिए आधारभूत ढांचा मौजूद नहीं है।

महिलाओं के विकास में असंगतता

3282. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी:**
श्री दत्तात्रेय बंडारू:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री वीरेन्द्र सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में महिलाओं के विकास स्तर में गम्भीर असंगतताओं को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस असंगतता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का है।

मानव संसाधन विकास मंत्री [युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग] में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) :(क) जी, हां।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में महिला विकास के स्तरों में विसंगतियां, सामाजिक—आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों से हैं।

(ग) महिला विकास के स्तरों में विसंगतियां कम करने और रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। इन कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए रोजगार-सह-आय उत्पादक यूनिटें स्थापित करना, रोजगार कार्यक्रम को सहयता देना, सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, जागृति विकास परियोजनाएं तथा अनौपचारिक शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रमों को चलाने के साथ-साथ कामकाजी महिलाओं को होस्टल तथा शिशुगृह जैसी सहायक सेवाएं प्रदान करना भी शामिल है।

यमुना-पार के क्षेत्र तथा पश्चिमी दिल्ली में कालिजों का खोला जाना

3283. **श्री चेतन पी०एस० चौहान** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यमुनापार के क्षेत्र तथा पश्चिमी दिल्ली में कालिजों के खोले जाने के बारे में 9 अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4050 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यमुना-पार के क्षेत्र में दो कालेज और पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में एक कालिज खोलने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन कालिजों के लिये स्थानों का चुनाव कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली प्रशासन द्वारा 1990-91 के लिए अपने योजनागत आवंटनों में पूर्वी दिल्ली में दो कालेज और पश्चिम दिल्ली में एक कालेज खोलने का प्रावधान किया गया था। दिल्ली प्रशासन ने इसके बाद पूर्वी दिल्ली, पश्चिम दिल्ली और दक्षिण दिल्ली में एक-एक कालेज खोलने का निर्णय किया। पूर्वी और पश्चिम दिल्ली में दो कालेज स्थापित करने से सम्बन्धित स्थिति निम्नलिखित है:

(i) पश्चिम दिल्ली, करमपुरा में दीन दयाल उपाध्याय कालेज ने 300 सीटों की क्षमता के साथ 1990-91 से अपना कार्य शुरू किया है।

(ii) पूर्वी दिल्ली, झील-गीता कालोनी में डा० भीमराव अम्बेडकर कालेज ने 180 सीटों की क्षमता के साथ 1991-92 से अपना कार्य शुरू किया है।

कामकाजी महिला होस्टल

3284. **श्री ई० अहमद** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल और तमिलनाडु दक्षिणी राज्यों से आकर निम्न क्षेणी लिपिक तथा इसी तरह के अधीनस्थ पदों पर नियुक्त लड़कियों को कामकाजी महिला होस्टलों में आवास प्राप्त करने में हो रही कठिनाईयों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली में कम वेतन भोगी महिलाओं के लिए मध्य बस्तियों में तीन अथवा चार और कामकाजी महिला होस्टल बनाने का विचार है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय [युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग] में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ-साथ, कामकाजी महिला होस्टलों की मांग भी निरन्तर बढ़ रही है। दिल्ली में 1593 कामकाजी महिलाओं को आवास प्रदान करने हेतु 129 बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित 14 कामकाजी महिला होस्टल पहले से ही स्वीकृत किए जा चुके हैं।

(ख) बच्चों के लिए दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिला होस्टलों के निर्माण के लिए सहायता योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं का राज्य-वार अथवा केन्द्र शासित प्रदेशवार आवंटन नहीं किया जाता। संबंधित राज्य सरकारों अथवा केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों के माध्यम से, पात्र संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। इस समय दिल्ली से प्राप्त कोई भी प्रस्ताव इस विभाग में लम्बित नहीं पड़ा है।

केरल की परियोजनाओं को स्वीकृति

3285. **श्री एम० रमन्ना राय** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1988 के बाद से केरल से कितनी परियोजनाओं के प्रस्ताव उनके मंत्रालय को स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए हैं;

(2) उनमें से कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है और कितनी अस्वीकृति की गयी है; और

(ग) स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी केरल की परियोजनाओं की संख्या और नाम क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरी के लिए केरल से 1988 से प्राप्त कुल 37 परियोजनाओं में से 24 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है और 10 को नामंजूर कर दिया गया है । निम्नलिखित तीन परियोजनाएं इस समय लम्बित हैं:—

—कोचीन रिफायनरीज लिमिटेड का विस्तार।

—कयामकुलम सुपर ताप विद्युत परियोजना।

—केरल राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए साबरीमाला क्षेत्र में पट्टे का नवीकरण।

नेहरू विज्ञान केन्द्र, कोझीकोडे

3286. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के कोझीकोडे में नेहरू विज्ञान केन्द्र का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ख) इस केन्द्र का कार्यालय कब तक खुल जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) संस्कृति विभाग द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त संगठन, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रालय परिषद्, ने सूचित किया है कि परिषद ने कोझीकोडे में नेहरू

विज्ञान केन्द्र के लिए चुने गए स्थान पर केन्द्र की स्थापना की है और निर्माण-कार्य दिसम्बर, 1992 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

स्व वित्त पोषी योजना के अंतर्गत संसद सदस्यों को फ्लैटों का कब्जा देना

3287. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1981 और 1982 में स्व वित्त पोषी योजना के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन में आरक्षण के लिए संसद सदस्यों के नाम दर्ज किये गए थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पूरे भुगतान के बावजूद अनुसूचित जनजाति के कुछ संसद सदस्यों को दस वर्ष बाद भी फ्लैटों का कब्जा नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उन्हें दिये जाने वाले संचित ब्याज के बारे में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) :(क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नीदरलैंड में प्रशिक्षण हेतु हुडको उम्मीदवारों का चयन

3288. **डा० असीम बाला** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुडको के कुछ कर्मचारियों को भारत-डच (आई०एच०एस० रौटरडम) योजना के अंतग्रत प्रशिक्षण हेतु नीदरलैंड भेजा जा रहा है;

(ख) क्या उम्मीदवारों के चयन हेतु मंत्रालय ने हुडको को कोई मार्गनिदेश दिए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हुडको द्वारा प्रशिक्षण के लिए कितने उम्मीदवार चुने गए हैं; और

(घ) हुडको द्वारा इस बारे में क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) आवास तथा नगर विकास निगम (हडको) के मानव बसाव प्रबंध संस्थान (एच०एस०एम०आई०) तथा इन्स्टीचयूट फॉर हाउसिंग अरबन डेवलेपमेंट स्टडीज (आई०एच०एस०), रोटरडम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा भारतीय मानव बसाव कार्यक्रम भारत सरकार तथा नीदरलैंड सरकार के मध्य एक समझौते के अंतर्गत इन्स्टीचयूट ऑफ हाउसिंग स्टडीज, रोटरडम में प्रशिक्षण शिक्षावृत्तियों के लिए व्यवस्था करता है। एच०एस०एम०आई० मुख्यालय, नई दिल्ली में कार्यरत पूर्ण कालिक प्रशिक्षण समन्वयकों तथा इसके विभिन्न स्थानों जैसे कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद तथा बैंगलोर पर क्षेत्रीय नेटवर्क से व्यावसायियों और साथ ही हडको व्यावसायियों को ये शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(ख) आई०एच०एस०पी० के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के चयन के मामले में शहरी विकास मंत्रालय ने हूडको को कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं।

(ग) आई०एच०एस०पी० के अंतर्गत आई० एच० एस०, रोटरडम में प्रशिक्षण के लिए एच०एस०एम०आई० तथा हडको से 15 कार्यकारी अधिकारियों को अभी तक भेजा गया है।

(घ) आई०एच०एस०पी० में प्रशिक्षण के लिए चयन परियोजना लीडर, आई०एच०एस०पी० जिनकी

नई दिल्ली में एक पूर्ण कालिक स्टाफ मेम्बर के रूप में तैनाती हैं, से परामर्श करके किया जाता है। आई०एच०एस०पी० / एच०एस०एम०आई०, नई दिल्ली में तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण नेटवर्क में जो पूर्ण कालिक आधार पर कार्य कर रहे हैं, स्टाफ मेम्बरों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा, बोर्ड के निदेशकों सहित हडको कार्यकारी अधिकारियों, जो आई०एच०एस०पी० / एच०एस०एम०आई० कार्य-कलापों में वास्तव में कार्यरत तथा वे जो परियोजना लीडर, आई०एच०एस०पी० / एच०एस०एम०आई० द्वारा आई०एच०एस०पी० कार्य-कलापों में सक्षम प्रशिक्षकों के रूप में समझे गए हैं, का इन शिक्षावृत्तियों के लिए विचार किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सेवाओं के औषधालयों में सामान्य कार्य घंटों के पश्चात् सीमित सेवाएं

3289. **डा० सी० सिलवेरा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सेवाओं के औषधालयों में सामान्य कार्य घंटों के बाद लाभार्थियों को सीमित सेवा प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमित सेवा काल में केवल आपातकालीन मरीजों को ही देखा जाता है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सभी औषधालयों में गर्मी में दोपहर 1.00 बजे से 7.30 बजे तक और सर्दी में दोपहर 1.30 बजे से 7.30 बजे तक की "सीमित सेवा" है। सभी रोगियों को देखने के लिए एक डाक्टर और उसके साथ एक समूह "घ" कर्मचारी उपलब्ध होता है। इस समय मुख्य भंडार और दवा देने वाला काउंटर बंद रहता है। फिर भी, डाक्टर द्वारा उन सभी लाभार्थियों को, जो औषधालयों में आते हैं, 2—3 दिन की अवधि के लिए, जैसी भी स्थिति हो, आवश्यक दवाइयां दी जाती हैं।

आंत्रशोथ और ज्वर से मृत्यु होना

3290. **श्रीमती वसुंधरा राजे:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंत्रशोथ और रहस्यमय ज्वर से हर वर्ष कुछ राज्यों में काफी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन राज्यों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केंद्रीय सरकार ने उन राज्य सरकारों को इस रोग से प्रभावित व्यक्तियों के इलाज की व्यवस्था करने के लिए क्या सहायता दी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (घ): विभिन्न राज्यों द्वारा समय-समय पर काफी बड़ी संख्या में आंत्रशोथ के रोगियों की सूचना दी जाती है। ज्वर के रोगी, जो निदान से पूर्व रहस्यमय ज्वर के रोगियों के रूप में सूचित किए जाते हैं आमतौर पर जांच करने पर मलेरिया, टायफॉइड अथवा विभिन्न विषाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग जैसे डेंगू, जापानी एन्सेफ्लाइटिस आदि रोग पाए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार ऐसे रोगों के फैलने की

जांच करने में मदद करने और नियंत्रक उपाय सुझाने के लिए प्रभावित राज्यों को राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान से टीमें भेजती है। अतिसार रोग नियंत्रण कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित और समन्वित किया जा रहा है और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इन रोगियों को उपचार प्रदान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

मद्रास में राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान की स्थापना

3291. **श्री आर० कंमा० गोविंदराजुलू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मद्रास में एक राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) आठवीं योजना के दौरान तमिलनाडु में राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान के लिए कुछ परिव्यय रखने के लिए एक प्रस्ताव है। योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

3292 **श्री संतोष कुमार गंगवार:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के 15 क्षेत्रीय कार्यालयों ने किस-किस वर्ष से कार्य करना शुरू कर दिया था;

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने किन-किन स्थानों पर अपने क्षेत्रीय कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टर पहले ही बना लिये हैं;

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने किन-किन स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय भवनों / स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण हेतु जमीन खरीद ली है तथा जमीन पर अधिकार किस वर्ष से किया गया है; और

(घ) इन स्थानों पर क्षेत्रीय कार्यालय भवनों और क्वार्टरों का निर्माण कब से शुरू हो जायेगा तथा शेष स्थानों पर कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क)

क्रम सं०	क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या	खोलने का वर्ष	क्षेत्रों की संख्या
1.	5	1969—70	5
2.	1	1972—73	6
3.	1	1974—75	7
4.	2	1976—77	9
5.	1	1978—79	10

क्रम सं॰	क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या	खोलने का वर्ष	क्षेत्रों की संख्या
6.	1	1979—80	11
7.	1	1981—82	12
8.	3	1983—84	15

(ख) संगठन ने बम्बई और भोपाल में क्षेत्रीय कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवासों और अहमदाबाद स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के लिए कर्मचारी आवासों का निर्माण किया है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों से दवाएं

3293. **श्री॰ वी॰ श्रीनिवास प्रसाद: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों में रोगियों को साधारण रोगों के लिये केवल परामर्श न कि दवाएं दिये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य व ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केवल पुराने रोगों से पीड़ित रोगियों को ही दवाएं दी जायेंगी;

(घ) यदि हां, तो क्या साधारण रोगों से पीड़ित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को औषध-विक्रेताओं से दवाएं खरीदने के लिये कहा जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उन्हें इसकी प्रति पूर्ति की जाएगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के पुनर्गठन पर सरकार अभी विचार कर रही है। पुनर्गठन कार्यक्रम का एक घटक औषधें देने की पद्धति में परिवर्तन करने से संबंधित है।

प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम

3294. **श्री अन्ना जोशी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में पुणे में शनिवारवाडा, पार्वती, लाल महल, शिन्दे छत्री, विश्रामबाडवाड़ा की ऐतिहासिक घटनाओं की यादगार में "प्रकाश और ध्वनि" कार्यक्रम आरंभ करने और मराठा साम्राज्य के पुराने स्मारकों के बेहतर अनुरक्षण एवं संरक्षण के लिए कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संघ सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को शनिवारवाडा के केन्द्रीय संरक्षित स्मारक में "प्रकाश और ध्वनि" कार्यक्रम के लिए नगरपालिका, पुणे से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अन्य स्थानों से संबंधित इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है और न ही मराठा साम्राज्य के प्राचीन स्मारकों की बेहतर अनुरक्षण और परिरक्षण के लिए कोई निवेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) शनिवारवाडा में "ध्वनि और प्रकाश" कार्यक्रम के प्रस्ताव के लिए उत्कीर्ण लेख और अन्य ब्यौरे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विचार के लिए अभी प्राप्त किए जाने हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार युवक

[हिन्दी]

3295. **श्री ललित उरांव:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बेरोजगार युवकों की समस्या का समाधान करने के लिए एक कार्यक्रम बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में कितनी धनराशि मंजूर की गई है तथा प्रत्येक वर्ष राज्यवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने युवकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) अ० जा तथा अ० ज० जा० के युवाओं को सरकार में या बाहर व्यवहार्य रोजगार प्राप्त करने में कई प्रकार से सहायता दी जा रही है। 1989 और 1990 के दौरान सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और विश्वविद्यालयों में उनकी भर्ती के लिए विशेष प्रयास किये गये। निजी क्षेत्र में उनकी रोजगार योग्यता बेहत्तर बनाने अथवा स्वरोजगार शुरू करने हेतु उनको योग्य बनाने के लिए भी विभिन्न विभाग उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

कल्याण मंत्रालय की एक संबद्ध एवं प्रशिक्षण योजना है। इस योजना के अंतर्गत 1990-91 के दौरान 74.15 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी निर्मुक्त की गई राशियों का विवरण संलग्न है। 1990-91 के दौरान प्रशिक्षत किये गये अ० जा तथा अ० ज० जा० के उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग 8000 थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास लाभकारी रोजगार पैदा करने और बेरोजगार युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए जवाहर रोजगार योजनाऐं और ट्रायसेम की योजनाएं हैं।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशि (रू०)
1.	पंजाब	3,01,103
2.	बिहार	3,19,837
3.	पश्चिम बंगाल	68,643
4.	असम	2,00,000
5.	मेघालय	96,350
6.	त्रिपुरा	2,16,500
7.	गुजरात	7,02,784
8.	महाराष्ट्र	3,79,659
9.	आन्ध्र प्रदेश	10,00,000
10.	केरल	19,168
11.	कर्नाटक	3,28,877
	रूपये	36,32,921
	विश्वविद्यालय	31,09,333
	कर्मचारी चयन आयोग	5,00,000
	दिल्ली प्रशासन	1,73,363
	कुल योग	74,15,617

ताज महल के निकट राष्ट्रीय उद्यान का विकास

3296. **श्री भगवान शंकर रावत:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आगरा की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए ताजमहल के निकट राष्ट्रीय उद्यान का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ करने और कब तक पूरा करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का आगरा की सुन्दरता को बढ़ाने के लिए ताजमहल के निकट राष्ट्रीय उद्यान का विकास करने का प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम की योजना

[अनुवाद]

3297. **डा० जयंत रंगपी:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम ने अब तक राज्यवार कितनी योजनाओं के लिए सहायता दी है;

(ख) क्या सरकार का विचार असम के दो पर्वतीय जिलों में इस प्रकार की योजना को बढ़ावा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के सहायोग से असम के कार्बी अंगलोंग तथा उत्तरी कछार पवर्तीय स्वायत जिलों में जावा सिट्रोनैला घास बागान तथा आसवन एककों की स्थापना की जा रही है।

विवरण

12.8.91 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा स्वीकृत राज्यवार योजना

क्र० सं०	राज्य	योजनाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	असम	11
3.	बिहार	13
4.	दिल्ली	12
5.	हरियाणा	3
6.	हिमाचल प्रदेश	2
7.	जम्मू और कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	6
9.	केरल	2
10.	मध्य प्रदेश	9
11.	महाराष्ट्र	14
12.	मिजोरम	3
13.	उड़ीसा	4
14.	पंजाब	3
15.	राजस्थान	2
16.	तमिलनाडु	5
17.	त्रिपुरा	4
18.	उत्तर प्रदेश	2
19.	पश्चिम बंगाल	2
	योग	101

हाथियों की गणना

3298. **डा० जयन्त रंगपी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में असम में हाथियों की गणना की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाथियों की संख्या अनुपात से ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण पारिस्थितिकी असंतुलन पैदा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र में और अधिक स्कूल खोलना

3299. **श्री पी॰ सी॰ थामस:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-सरकारी क्षेत्र में और अधिक स्कूल खोलने की अनुमति देने का है;

(ख) क्या बारहवीं स्तर की सुविधाओं के साथ ऐसे स्कूल केरल के विभिन्न भागों में गैर-सरकारी क्षेत्र में भी खोलने की अनुमति दी जायेगी; और

(ग) क्या इस संबंध में केरल सरकार के कुछ आग्रह केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ख) सी॰ बी॰ एस॰ ई॰ को कोई आपत्ति नहीं होगी, यदि बोर्ड द्वारा विहित सम्बन्धन उपनियमों की संतुष्टि करते हुए केरल सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक प्राईवेट स्कूल खोले जाते हैं।

(ग) वर्तमान में सी॰ बी॰ एस॰ ई॰ से स्कूलों के सम्बन्धन के संबंध में केरल सरकार का कोई प्रत्यावेदन केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

सहकारी क्षेत्र के अस्पतालों को सहायता

3300. **श्री पी॰ सी॰ थामस:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ सरकार सहकारी क्षेत्र के अस्पतालों को सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का केरल राज्य के कूथात्तुकुलम् और एर्णाकुलम जिलों के सहकारी अस्पतालों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा किसी अन्य विधान के अंतर्गत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को मौजूदा सुविधाओं में सुधार करने हेतु उपकरणों आदि की खरीद करने के लिए अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में नए अस्पताल खोलने के लिए सहायता-अनुदान योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) इस अस्पताल से सहायता हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

"सिमलीपहल" को जीवमण्डल आरक्षित क्षेत्र घोषित करना

3301. **श्री भाग्ये गोवर्धन:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सिमलीपहल" में देश की स्पष्ट रूप से अद्वितीय पारिस्थितिकी-प्रणाली है;

(ख) क्या सरकार को उड़ीसा स्थित "सिमलीपहल" को जीवमण्डल आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इन अभ्यावेदनों की तुलना में किसी क्षेत्र को जीवमण्डल आरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए पूर्व अर्हताएं क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) किसी क्षेत्र को जीवमण्डल रिज़र्व घोषित करने के लिए एक संरक्षण यूनिट के रूप में उसमें प्रतिनिधित्वता, प्राकृतिकता, विविधता और प्रभावकारिता का होना एक पूर्वापेक्षा है। अभ्यावेदनों के गुण-दोषों और अन्य विचारधाराओं के आधार पर, प्रस्ताव की जांच की गई और इस क्षेत्र को इस समय जीवमण्डल रिज़र्व घोषित न करने का निर्णय लिया गया। इस क्षेत्र को एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में पहले से ही कानूनी संरक्षण प्राप्त है और यह बाघ परियोजना के तहत बाघ रिज़र्व के रूप में निर्धारित है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की मौजूदा सूची में संशोधन

3302. **श्री भाग्ये गोवर्धन:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मौजूदा सूचियों में संशोधन करने के लिए राज्य वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों को लागू करने संबंधी विधेयक लाने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या प्रस्तावित संशोधनों को वर्ष 1991-92 के दौरान लागू किया जाएगा?

कल्याण मन्त्री (श्री सीताराम केसरी): (क), से (ग) प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे लोकहित में प्रकट नहीं किए जा सकते। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की विद्यमान सूचियों में कोई भी संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) के अनुसार केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से ही किया जा सकता है। इस संबंध में किसी समय अनुसूचि का संकेत नहीं दिया जा सकता।

देश में मस्जिद तथा अन्य मुस्लिम मकबरे

3303. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन मस्जिदों और अन्य मुस्लिम मकबरों के नामों का स्थान सहित ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है तथा जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकार के लिए गए हैं;

(ख) यदि देश में कोई अन्य मस्जिद या मकबरे हों तो उनके नाम और स्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया है अपितु जिनका रख-रखाव अथवा संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा अथवा इसके निरीक्षण में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

(ग) उक्त भाग (क) और (ख) में शामिल ऐसी मस्जिदों और मकबरों के नाम क्या हैं जिनका पूरे वर्ष अथवा एक वर्ष में निश्चित अवधि के लिए धार्मिक सेवा अथवा प्रवचन हेतु प्रयोग किया जाता है; और

(घ) उक्त भाग (क) और (ख) में शामिल उन मस्जिदों के नाम क्या हैं जिनमें स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने रमजान, 1990 और रमजान, 1991 के दौरान तरवीह नमाज पढ़ी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं

3304. **श्री भाग्ये गोवर्धन:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित आदिवासी विकास परियोजनाएं/एजेंसियां (आई॰टी॰डी॰पी॰/आई॰टी॰डी॰ए॰) आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार करने में सफल हुई हैं;

(ख) कितने आदिवासी परिवार अभी तक उपरोक्त परियोजनाओं/एजेंसियों के माध्यम से गरीबी की रेखा से ऊपर आ पाए हैं;

(ग) जीवन स्तर में सुधार का आकलन किन तरीकों से किया जाता है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक आई॰टी॰डी॰पी॰/आई॰टी॰डी॰ए॰ द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है और इन्हें कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से संकेत मिलता है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों की प्रतिशतता ग्रामीण क्षेत्रों में 1977-78 में 72.43 से घटकर 1983-84 में 58.40 तथा शहरी क्षेत्रों में 1977-78 में 52.55 से घटकर 1983-84 में 39.90 हो गई है।

(ग) जीवन स्तर में सुधार, आदिवासी अनुसंधान संस्थानों, योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठनों तथा अन्य अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए मूल्यों का अध्ययनों के माध्यम से मूल्यांकित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य सरकार के क्षेत्र दौरों पर गए विभागों के अधिकारियों द्वारा आदिवासी लाभग्राहियों का मौके पर जांच के माध्यम से समवर्ती मूल्यांकन करवाने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रमों / आई०टी०डी०ए० के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक मंजूर विमुक्त की गई विशेष केन्द्रीय सहायता 1296.73 करोड़ रुपये हैं।

विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं

[हिन्दी]

3305. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग और रीढ़ की हड्डी पर घाव वाले व्यक्तियों को मुफ्त/रियायती यात्रा, चिकित्सा सुविधाएं, रोजगार एवं स्वरोजगार इत्यादि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को चार समूहों में विभाजित किया गया है अर्थात् मामूली, मध्यम, गम्भीर और अति गम्भीर / सम्पूर्ण। यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में विभिन्न रियायतें / लाभ केवल मध्यम, गम्भीर तथा अति गम्भीर / सम्पूर्ण समूहों के लिए उपलब्ध होंगे न कि मामूली समूहों को (किसी रियायत) लाभ पात्र होने के लिए विकलांगता की न्यूनतम अवस्था 40% होनी चाहिए।

राज्यों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति / जनजाति के लोग

3306. **श्री मृत्युंजन नायक:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत क्या है;

(ख) उनमें से गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की राज्यवार संख्या क्या है; और

(ग) उनकी सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) विवरण-1 संलग्न है।

(ख) सातवीं योजना और 1990-91 के दौरान आर्थिक सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवारों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या का विवरण-2 संलग्न है।

(ग) अनुसूचित जातियों की सामाजिक व आर्थिक दशा में तेजी से सुधार के लिए विशेष संघटक योजना की एक विस्तृत कार्यनीति अपनाई गई है। विशेष संघटक योजनाओं को भारत सरकार की विशेष केन्द्रीय सहायता से सम्पुष्ट किया जाता है।

विवरण-1

विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति लोगों की प्रतिशतता

क्रम सं॰	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में अनु॰ जाति की जनसंख्या की प्रतिशतता (1981 की जनगणना के अनुसार)
1.	आंध्र प्रदेश	14.87
2.	असम	6.24*
3.	बिहार	14.51
4.	गोवा, (दमन एवं दीव)	2.16
5.	गुजरात	7.15
6.	हरियाणा	19.07
7.	हिमाचल प्रदेश	24.62
8.	जम्मू एवं कश्मीर	8.31
9.	कर्नाटक	15.07
10.	केरल	10.02
11.	मध्य प्रदेश	14.10
12.	महाराष्ट्र	7.14
13.	मणिपुर	1.25
14.	उड़ीसा	14.66
15.	पंजाब	26.87
16.	राजस्थान	17.04
17.	सिक्किम	5.78
18.	तमिलनाडु	18.35
19.	त्रिपुरा	15.12
20.	उत्तर प्रदेश	21.16
21.	पश्चिम बंगाल	21.99
22.	चण्डीगढ़ प्रशासन	14.09
23.	दिल्ली	18.03
24.	पाण्डिचेरी	15.99

*1971 की जनगणना के अनुसार। (असम में उस समय स्थिति अशांत होने के कारण वहां 1981 में कोई जनगणना नहीं हो सकी।)

विवरण-2

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985—90) और 1990-91 के दौरान आर्थिक सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम	सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सातवीं योजना	1990-91
1.	आन्ध्र प्रदेश	1672627	315970	
2.	असम	70226	20241	
3.	बिहार	1361525	237322	
4.	गोवा	6590	1167	
5.	गुजरात	252585	55989	
6.	हरियाणा	217632	33736	
7.	हिमाचल प्रदेश	135472	17998	
8.	जम्मू एवं कश्मीर	12901	2225	
9.	कर्नाटक	529337	73511	
10.	केरल	353373	151610	
11.	मध्य प्रदेश	991299	153402	
12.	महाराष्ट्र	556054	100252	
13.	मणिपुर	1949	166	
14.	उड़ीसा	535679	65574	

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सातवीं योजना	1990-91
15.	पंजाब	303104	48876
16.	राजस्थान	650296	118222
17.	सिक्किम	8079	1079
18.	तमिलनाडु	1055491	226920
19.	त्रिपुरा	25111	5494
20.	उत्तर प्रदेश	1953264	348777
21.	पश्चिम बंगाल	1241489	160755
22.	चण्डीगढ़	2327	401
23.	दिल्ली	46167	2354
24.	पाण्डिचेरी	12597	2337
25.	दमन एवं दीव	88	उपलब्ध नहीं
	कुल	11995262	2139368

बिहार में आदिवासियों की गरीबी उन्मूलन की योजना

[अनुवाद]

3307. **श्री ललित उरांव:**

श्री साइमन मरान्डी:

श्री राम टहल चौधरी:

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में आदिवासियों की गरीबी दूर करने के लिए कोई योजना बनायी है अथवा बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के कब तक लागू होने की संभावना है;

(घ) इन योजनाओं से कितने लोगों को लाभ मिलेगा; और

(ङ) इन योजनाओं पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, हां। आदिवासी उप-योजना कार्यनीति के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों और आय सर्जक परिवार कल्याण मुखी कार्यक्रमों हेतु सहायता दी जाती है।

(ख) बिहार में आदिवासी उप-योजना के लिए आबंटन 587.90 करोड़ रुपए था।

(ग) ये प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के आधार पर संस्वीकृत सतत कार्यक्रम हैं।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1,15,000 परिवारों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सम्भावना है। 7वीं योजना अवधि के दौरान आर्थिक सहायता दिए जाने वाले 4155726 परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले वास्तविक रूप से लाभान्वित परिवारों की संख्या 5288825 थी।

(ङ) बिहार राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1991-92 के दौरान सम्भावित कुल व्यय 587.90 करोड़ रुपए है।

प्रवासी आदिवासियों का पुनर्वास

[हिन्दी]

3308. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का आदिवासियों के अत्यधिक प्रव्रजन को रोकने तथा उनका पुनर्वास करने के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में उन आदिवासी क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जिन्हें इस नीति से लाभ मिलेगा?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) परियोजना विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय नीति तैयार की जा रही है।

ईश्वर प्रसाद समिति

[अनुवाद]

3309. **श्री दाऊ दयाल जोशी:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रमजीवी पत्रकारों संबंधी इश्वरी प्रसाद समिति की रिपोर्ट की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे मे क्या कार्रवाई की गई है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोव):

(क) और (ख) इश्वरी प्रसाद समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के लिये भारत सरकार ने एक अंतर्विभागीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है।

[अनुवाद]

जामा मस्जिद, दिल्ली का नवीकरण और संरक्षण

3310. **डा० ए० के० पटेल:**
श्री शंकर सिंह वघेला:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार ने जामा मस्जिद, दिल्ली के नवीकरण और संरक्षण के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की थीं;

(ख) इस वर्ष वास्तव में कितना खर्च किया गया था और अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया;

(ग) वर्ष 1991-92 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(घ) सरकार की उस एजेंसी का नाम क्या है जो संरक्षण का कार्य करती है;

(ङ) क्या इस कार्य को करने में गैर-सरकारी/निजी संगठन भी लगे हैं; और

(च) इस काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) वर्ष 1990-91 के दौरान जामा मस्जिद, दिल्ली के संरक्षण के लिए 8.50 लाख रूपए की धनराशि आवंटित की थी।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान 4,57,605/-रुपए की धनराशि खर्च की गई थी और जुलाई, 1991 तक इस कार्य के अन्तर्गत किया गया कुल खर्च 7,83,333/-रुपए है।

(ग) वर्ष 1991-92 के लिए आवंटित की गई धनराशि 4.00 लाख रुपए है।

(घ) और (ङ) जामा मस्जिद, दिल्ली के संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों द्वारा विभागीय रूप से दिया जा रहा है।

(च) क्षतिग्रस्त और घिसे हुए बलुआ शिलाखण्डों के स्थान पर उनके मूल ढांचे के अनुसार नए बलुआ शिलाखण्डों को लगाने का कार्य प्रगति पर है।

केन्द्रीय विद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों जनजातियों की भर्ती और प्रोन्नति

3311. **श्री मुकुल वासनिक:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय विद्यालयों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सीधी भर्ती और प्रोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों की पिछले तीन वर्षों के दौरान भरी गयीं, आरक्षण-मुक्त की गयीं, आगामी वर्ष में अंतरित की गयीं, गतावधि हुयी रिक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक संगठन में विभिन्न श्रेणियों की पिछली रिक्तियों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार ने आरक्षण-मुक्ति को रोकने तथा पिछली आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल

पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचति जनजाति वित्त और विकास निगम

3312. **श्री मुकुल वासनिक:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति/मंजूरी दी है और लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार ने 13 दिसम्बर, 1990 तक इस निगम को कितनी धनराशि मंजूर की है तथा राज्य-वार कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस निगम को और प्रभावी बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी):

(क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) (i) सरकार द्वारा 13.12.1990 तक मंजूर की गई राशि 50 करोड़ रुपये है।

(ii) 1990-91 के अन्त तक इस निगम द्वारा किया गया राज्य-वार संवितरण इस प्रकार है:—

राज्य	संवितरित राशि
	(लाख रुपये)
आन्ध्र प्रदेश	77.05
असम	27.00
बिहार	15.43
केरल	18.25
मध्य प्रदेश	477.20
तमिलनाडु	42.00
योग	656.93

(ग) जी, हां।

(घ) एक पूर्ण-कालिक अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक नियुक्त किया गया है निगम के कार्यकरण को सुव्यवस्थित किया जा रहा है

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृति मंजूर की गई परियोजनाओं की राज्यवार संख्या और लाभान्वित लोगों की संख्या

राज्य	परियोजना/योजना की संख्या	लाभग्राहियों की सं॰ (योजना के क्रियान्वयन के बाद)	परियोजना/योजना की संख्या	लाभग्राहि की संख्या (योजना क्रियान्वय के बाद)
	1989-90		1990-91	
1. आन्ध्र प्रदेश	1	2903	2	75457
2. असम	—	—	2	312
3. बिहार	5	300	8	2830
4. दिल्ली	—	—	12	159
5. हरियाणा	—	—	3	630
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	2	113
7. जम्मू और कश्मीर	—	—	1	170
8. कर्नाटक	—	—	5	10400
9. केरल	1	500	—	—

10. मध्य प्रदेश	2	930	7	4260
11. महाराष्ट्र	9	406	5	380
12. मिजोरम	—	—	3	217
13. उड़ीसा	1	15	3	53
14. पंजाब	—	—	3	2015
15. तमिलनाडु	1	982	3	1892
16. त्रिपुरा	—	—	4	236
17. उत्तर प्रदेश	—	—	1	15000
18. पश्चिम बंगाल	—	—	2	19
योग	20	6036	66	114143

डा० बी० आर० अम्बेडकर का जन्म शताब्दी वर्ष

3313. **श्री मुकुल वासनिक:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने डा० बी० आर० अम्बेडकर के जन्म-शताब्दी वर्ष को "सामाजिक न्याय वर्ष" घोषित किया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए बनाई गई मुख्य योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है तथा इनके लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(ग) पूरी हुई/लंबित पड़ी परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का डा० बी० आर० अम्बेडकर जन्म शताब्दी का समय वर्ष 1992 तक भी बढ़ाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी):

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) विशेष संघटक योजना से, अनेक विकास कार्यक्रम और योजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं। विशेष केन्द्रीय सहायता भी संस्वीकृत की जा चुकी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) डा० अम्बेडकर शताब्दी समारोह कार्यक्रमों के लिए 1991-92 के बजट अनुमानों में योजना शीर्ष के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपए और गैर-योजना शीर्ष के अन्तर्गत 61 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 1991-92 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों/विशेष योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है:—

(1) संग्रहालय और पुस्तकालय सहित बाबा साहेब डा० अम्बेडकर सामाजिक विकास संस्थान की स्थापना।

(2) डा० अम्बेडकर पुरस्कार आरम्भ करना।

(3) बाबा साहेब डा० अम्बेडकर की सम्पूर्ण कृतियों और भाषणों का हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन।

(4) बाबा साहेब डा० अम्बेडकर जीव-चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र के लिए 50 लाख रुपए का अनुदान।

(5) विश्वविद्यालयों में डा० अम्बेडकर पीठों की स्थापना।

(6) बाबा साहेब के जीवन और मिशन से सम्बंधित स्थानों पर उनके स्मारकों तथा मूर्तियों की स्थापना।

(7) डा० अम्बेडकर पर पूरी लम्बाई की फीचर फिल्म का निर्माण।

(8) बुद्ध बिहार प्रबंध समिति, आगरा को डा० अम्बेडकर स्मारक केन्द्र के निर्माण हेतु 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता।

(9) अक्तूबर-91 के महीने में डा० अम्बेडकर सांस्कृतिक समारोह का आयोजन।

(10) दिसम्बर-91 के महीने में डा० अम्बेडकर स्मारक व्याख्यानों का आयोजन।

(11) नवम्बर-91 के महीने में बाल- चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन।

(12) नवम्बर-91 के महीने में डा० अम्बेडकर पर कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन।

(13) सितम्बर-91 से फरवरी 1992 तक वाद-विवाद प्रतियोगिता।

(14) नवम्बर, 1991 के महीने में निबंध प्रतियोगिता।

(15) गणतंत्र दिवस परेड, 1992 में डा० अम्बेडकर समबन्धी एक झांकी निकालना।

(16) जनवरी, 1992 के महीने के दौरान डा० अम्बेडकर पर प्रदर्शनी-सह-मेला।

(17) 6 दिसम्बर, 1991 को 36वें "महापरिनिर्वाण दिवस" पर समारोह।

बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर का शताब्दी समारोह

[हिन्दी]

3314. **श्री भगवान शंकर रावत:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाबा साहिब डा० भीमराव अम्बेडकर के शताब्दी समारोहों के अन्तर्गत सरकार ने उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के सघन जनसंख्या वाले गांवों को विकसित करके उनका "अम्बेडकर ग्राम" के नये नाम से नामकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में अब तक अनुसूचित जातियों के कितने गांव विकसित किये गये तथा कितने और विकसित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) विकास पर कितनी धनराशि व्यय की गई और कितनी व्यय होने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी):

(क) डा० बी० आर० अम्बेडकर शताब्दी समारोह सम्बन्धी कार्य योजना के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य आबादी वाले 10,000 गांवों का सम्पूर्ण विकास करने हेतु चयन करने और उन्हें अम्बेडकर ग्राम" का नाम देने का प्रस्ताव किया था।

(ख) और (ग) ब्यौरें उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

"हिमाचल प्रदेश में सीमेंन्ट कारखाना

3315. **श्री भगवान शंकर रावत:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री रमेश चन्द तोमर:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश के पक्षी अभयारण्य के क्षेत्र में एक सीमेन्ट कारखाना लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पक्षी अभयारण्य को सुरक्षित रखने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमलनाथ): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आगरा विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता

[हिन्दी]

3316. **श्री भगवान शंकर रावत:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगरा विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कालिजों को वित्तीय सहायता देने संबंधी कुछ प्रस्ताव गत तीन वर्षों से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या "डोरी लाल अग्रवाल पत्रकार संस्थान" को आरम्भ करने का प्रस्ताव भी आयोग के अनुमोदन के लिये लम्बित है;

(ग) लम्बित प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) इनको अनुमोदन न देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) अनुमोदन कब तक किये जाने की संभावना है

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने 1988-89 से 1990-91 तक की अवधि के लिए आगरा विश्वविद्यालय को 98.94 लाख रुपये की राशि के अनुदान और 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए इसके सम्बद्ध कालेजों को 230.38 लाख रुपये के अनुदान प्रदान किए। आयोग के पास इस समय आगरा विश्वविद्यालय अथवा इसके किसी सम्बद्ध पात्र कालेज का विकास अनुदानों के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार आयोग को आगरा विश्वविद्यालय से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

स्लम-आबादी

3317. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:**
श्री तेज नारायण सिंह:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में स्लम आबादी में वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो वर्तमान समय में उपर्युक्त शहरों में स्लम आबादी का शहर-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्लम-आबादी में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) स्लम के विस्तार पर अंकुर लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) से (घ)

स्लम आबादी में गत हाल ही में वृद्धि हुई है। मुम्बई, दिल्ली कलकत्ता तथा मद्रास में स्लम आबादी में वर्ष-वार वृद्धि उपलब्ध नहीं है। तथापि, वृद्धि की मात्रा के बारे में अनुमान, संलग्न विवरण में दर्शाये अनुसार 1981 की पता लगाई गई स्लम आबादी की 1990 में आंकलित स्लम आबादी से तुलना करके लगाया जा सकता है। स्लम आबादी में वृद्धि शहरी आबादी में कुल वृद्धि का भाग है।

विवरण

क्र० सं०	महानगर शहर का नाम	महानगर शहर की पता लागई गई स्लम आबादी (1981) (संख्या लाखों में)	महानगर शहर में 1990 में आंकलित स्लम आबादी
1.	वृहत बम्बई	28.31	41.26
2.	दिल्ली	18.00	32.08
3.	कलकत्ता	30.28	43.86
4.	मद्रास	13.63	21.08

हैजा महामारी

[अनुवाद]

3318. **श्रीमती बासवराजेश्वरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में हैजे की महामारी बड़े पैमाने पर फैल गई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इस महामारी पर नियंत्रय पाने के लिए कितनी सहायता प्रदान की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारा देवी सिद्धार्थ): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

दुकानों और कार्यालय परिसरों का निर्माण

[हिन्दी]

3319. **श्री राजेदर कुमार शर्मा:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में कितनी दुकानों और कार्यालय परिसरों का निर्माण किया गया;

(ख) अगले वर्ष ऐसी कितनी दुकानों तथा कार्यालयों परिसरों का निर्माण किए जाने की संभावना है; और

(ग) इन निर्माण कार्यों पर कितनी धनराशि ख़र्च होने का अनुमान है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न सुविधाजनक विपणन केन्द्रों, स्थानीय विपणन केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों और व्यवसायिक केन्द्रों में 3030 दुकानों और 1963 कार्यालय परिसरों/स्थानों का निर्माण किया गया था।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी मिलों में भविष्य निधि के लिए नियोक्ता का अंशदान

3320. **श्री केशरी लाल:** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में कानपुर और फतेहपुर में चीनी की कितनी मिलें हैं, और उनमें कितने कर्मचारी काम करते हैं;

(ख) क्या इन मिलों में श्रमिकों के भविष्य निधि के लिए नियोक्ता के अंशदान को जमा न करने के संबंध में कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाये हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री

(श्री पवन सिंह घाटोवार): (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, कानपुर शहर और कानपुर देहात में एक-एक चीनी मिल है और फतेहपुर में कोई चीनी मिल नहीं है। कानपुर शहर में स्थित चीनी मिल मार्च, 1990 से बंद है। कानपुर देहात में स्थित मिल में 587 व्यक्ति कार्यरत हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नये आयुर्वेदिक और एलोपैथिक कालेजों का खोला जाना

3321. **श्री दाऊ दयाल जोशी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर आयुर्वेदिक और एलोपैथिक कालेज खोले हैं;

(ख) क्या खोले गए आयुर्वेदिक कालेजों की संख्या एलोपैथिक कालेजों की तुलना में काफी कम है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(घ) इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए वर्तमान नीति क्या है और भविष्य में अपनायी जाने वाली प्रस्तावित नीति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰के॰ तारा देवी सिद्धार्थ):

(क) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई आयुर्वेदिक अथवा एलोपैथिक कालेज नहीं खोला गया। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी राज्य सरकार ने कोई आयुर्वेदिक कालेज नहीं खोला। बहरहाल, इस परिषद को कुछ अनुरोध प्राप्त हुए थे।

उपलब्ध सूचना के अनुसार महाराष्ट्र सरकार द्वारा नादेड़ में एक एलोपैथिक कालेज (1988) खोला गया और एक एलोपैथिक कालेज खोलने की अनुमति संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ द्वारा (1991) दी जानी थी। कुछ प्राइवेट एलोपैथिक कालेज भी खोले गए।

सरकार की वर्तमान नीति कोई नया एलोपैथिक कालेज खोलने की नहीं है।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद ने कुछ मानदण्ड निर्धारित किए हैं जिनका नए आयुर्वेदिक कालेज आरम्भ करने से पहले पालन करना होता है।

प्रतिबन्धित औषधियों का उत्पादन

3322. **श्री दाऊ दयाल जोशी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत-सी बहुराष्ट्रीय औषधीय कम्पनियां ऐसी दवाओं तथा कीटनाशकों का उत्पादन तथा विपणन कर रही हैं जिन पर संयुक्त राज्य अमरीका में और अन्य यूरोपीय देशों में प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनियों के नाम तथा उनके द्वारा जिन प्रतिबन्धित दवाओं का उत्पादन व विपणन किया जाता है, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) देश में इन दवाओं पर प्रतिबन्ध न लगाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारा देवी सिद्धार्थ): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 'फेनफार्मिन' (मधुमेह-रोधी औषध) और एनलजिन (वेदनाहर-ज्वरहर) नामक जिन औषधों पर संयुक्त राज्य में बिक्री पर रोक लगने की सूचना है, बहुत से यूरोपीय देशों तथा भारत सहित विकासशील देशों में अभी भी बेची जा रही हैं। इन औषधों के लोकप्रिय ब्रांड क्रमशः मेसर्स यू०एस० विटामिन और मेसर्स केडिल्ला; मेसर्स हेक्सट और मेसर्स इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बेचे जाते हैं।

सरकार ने चिकित्सा विशेषज्ञों और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जैसे विशेषज्ञ निकायों के परामर्श से तथा समग्र अनुकूल लाभ-जोखिम अनुपात के आधार पर उक्त औषधों को बेचे जाने की अनुमति जारी रखी है।

कुछ पेस्ट नाशकों, जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में प्रतिबन्ध होने की सूचना है, अभी भी भारत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनके निम्नलिखित कारण हैं:—

(I) सुरक्षित/सस्ते विकल्प की अनुपलब्धता जैसे जन स्वास्थ्य में डी० डी० टी०।

(II) विशिष्ट नाशी जीव और रोग स्थिति।

(III) शीतोष्ण कटिबन्ध की तुलना में भारतीय पर्यावरणिक स्थितियों में पेस्टनाशकों का अधिक तेजी से अवक्रमण और निम्न अवस्थिति।

(IV) अनुसंधान एवं प्रसार एजेंसियों द्वारा सुझाए गए पैटर्न पर सावधानी पूर्वक विचार करके इस्तेमाल।

(V) अधिक सुरक्षित मिश्रणों में इस्तेमाल के लिए पेस्ट नाशकों का पंजीयन।

संस्कृत भाषा का शिक्षण

3323. **श्री दाऊ दयाल जोशी:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने, इसका प्रसार करने तथा इसके शिक्षण पर वर्षवार कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) संस्कृत में स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि-प्राप्त लोगों को रोज़गार मुहैया कराने के लिये प्रचलित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने लोगों को रोज़गार दिया गया;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के संदर्भ में वर्षवार और राज्यवार क्या प्रगति हुई;

(घ) क्या दूरदर्शन के माध्यम से संस्कृत शिक्षण की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान कुल व्यय इस प्रकार दर्शाया गया है:—

1988-89	552.68 लाख रुपए
1989-90	624.40 लाख रुपए
1990-91	829.73 लाख रुपए

(ख) मंत्रालय के पास रोजगार उपलब्ध कराने के लिए न तो कोई योजना ही है और न ही उन संस्कृत स्नातकों और स्नातकोत्तर छात्रों, जिन्हें रोजगार दिया गया है, का कोई रिकार्ड ही उपलब्ध है।

(ग) दो ब्यौरे विवरण-1 और विवरण-2 के रूप में संलग्न हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। दूरदर्शन के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने का सरकार के पास कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण—1

मंत्रालय में विभिन्न योजनाओं के तहत संस्कृत के विकास व प्रचार-प्रसार के लिये क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के पिछले तीन वर्षों के व्यय को दशाने वाला पहला विवरण

(लाख रुपये)

क्रम सं॰	योजना का नाम	1988-89 व्यय	1989-90 व्यय	1990-91 व्यय
1	2	3	4	5
1.	संस्कृत के विकास व प्रचार-प्रसार के लिये कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता	55.34	59.99	95.00
2.	आदर्श संस्कृत पाठशालाओं/शोध संस्थान को अनुदान	58.41	75.00	87.00
3.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान को अनुदान	283.00	300.00	301.50
4.	संस्कृत शब्द कोश परियोजना, दक्कन कालेज, पुणे को अनुदान	13.45	14.25	20.00
5.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति को अनुदान	—	6.00	79.00
6.	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली को अनुदान	—	6.95	107.00
7.	संस्कृत साहित्य की रचना के अलावा दुर्लभ पाडुंलिपियों की खरीद और प्रकाशन	31.12	26.32	33.23
8.	व्यावसायिक शिक्षण जैसे पालियो ग्राफी, पुरातत्व शास्त्र आदि विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये विशेष अनुस्थापन पाठ्यक्रम	2.56	4.37	2.36
9.	वैदिक पाठ की मौखिक परम्परा का संक्षरण	3.94	2.15	2.11
10.	वक्तृत्व कला प्रतियोगिता और वैदिक सम्मेलन का आयोजन	2.14	3.95	2.47
11.	वैदिक धर्म दाय	45.00	62.20	40.00
12.	आदर्श संस्कृत पाठशालयों और अन्य स्वैच्छि संगठनों के प्रख्यात वयोवृद्ध विद्वानों के लिये वित्तीय सहायता	7.96	7.80	6.88
क	योग	500.92	568.98	776.55
ख	संस्कृत संवर्धन योजना (राज्यों द्वारा क्रियान्वित)	51.76	55.42	53.18
	कुल योग	552.68	624.40	829.73

विवरण—2

संस्कृत भाषा के संवर्धन और प्रचार-प्रसार के लिये पिछले तीन वर्षों से राज्य वार व्यय को दर्शाने वाला दूसरा उल्लिखित विवरण (अर्थात् राज्यों द्वारा क्रियान्वित संस्कृत के विकास की योजना के अंतर्गत)

लाख रुपये

क्रम सं॰	राज्यों के नाम	वास्तविक व्यय के दौरान किया गया व्यय		
		1988-89	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.10	1.95	2.26
2.	असम	2.71	2.78	2.78
3.	बिहार	5.13	5.20	5.15
4.	गुजरात	0.26	0.26	0.44
5.	हरियाणा	0.11	0.11	0.11
6.	हिमाचल प्रदेश	0.42	0.24	1.78
7.	जम्मू और कश्मीर	0.34	0.38	0.40
8.	कर्नाटक	11.90	14.78	8.59
9.	केरल	2.85	2.54	2.51
10.	मध्य प्रदेश	0.76	0.76	0.76
11.	महाराष्ट्र	0.98	0.38	0 39
12.	मणिपुर	0.36	0.31	0.32
13.	मेघालय	0.08	0.08	0.08
14.	उड़ीसा	1.69	2.72	1.80
15.	पंजाब	0.08	0.86	0.55
16.	राजस्थान	2.26	2.22	2.76
17.	तमिलनाडु	7.45	7.68	8.94
18.	उत्तर प्रदेश	3.55	3.76	3.88
19.	पश्चिम बंगाल	6.16	6.22	6.13
20.	त्रिपुरा	1.76	1.29	2.85
21.	नागालैंड	0.12	0.11	0.23
22.	गोवा	0.12	0.11	0.23
	जोड़	51.27	54.83	52.70
संघ शासित प्रदेशों के नाम				
1.	दिल्ली	0.36	0.50	0.41
2.	दादरा और नागर हवेली	0.06	0.02	—
3.	पांडिचेरी	0.07	0.07	0.07
4.	चंडीगढ़	—	—	—
	जोड़:	0.49	0.59	0.48
	कुल जोड़:	51.76	55.42	53.18

रहस्यमय घातक बीमारी

[अनुवाद]

3324. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी में रहस्यमय घातक बीमारी के किसी कारण का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस बीमारी के कारण का पता लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या नई दिल्ली का बत्रा अपताल, तथा इसकी चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र के डाक्टर इस बीमारी के कारणों और इसके निदान का पता लगाने का दावा करते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इस दावे की प्रति जांच की गई है; और

(ङ) बीमारी की रोकथाम करने के लिये राजधानी के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में खून आदि की जांच पद्धति का आधुनिकीकरण करने के लिये क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) इस रोग के बारे में कोई रहस्य नहीं है। इसका निदान हीट-हाइपर-पाइरेक्सिया के रूप में किया गया है।

(ग) और (घ) बत्रा अस्पताल, नई दिल्ली में विषाणुज मस्तिष्कशोध के रोगियों का इलाज किया गया है जिसे हर्पीज सिंप्लेक्स एन्सेफ्लाइटिस कहा जाता है जो कि बिल्कुल अलग किस्म का रोग है।

(ङ) सरकारी अस्पतालों में रक्त परीक्षण की अच्छी व्यवस्था है।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में संशोधन

3325. श्री सत्यगोपाल मिश्र: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्वकवि रवीन्द्र नाथ टैगोर के लेखों की प्रमाणिकता को बनाये रखने के लिये प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) कापी राइट अधिनियम, 1957 के प्रावधानों का व्यापक रूप से पुनरीक्षण किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में श्रमिक विद्यापीठ

3326. श्री वी शोभनाद्रीश्वर राव: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय कितने श्रमिक विद्यापीठ, किन-किन स्थानों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान काकीनाड़ा और ऐल्यूरु में श्रमिक विद्यापीठ खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) आन्ध्र प्रदेश में पांच श्रमिक विद्यापीठ कार्यरत हैं। ये श्रमिक विद्यापीठ विशाखापट्नम, विजयवाड़ा, गुंटूर, हैदराबाद और रंगारेड्डी में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकार अथवा किसी स्वैच्छिक संगठन से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बंजर भूमि और चरागाहें

3327. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव:**

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीन तथा प्राक्कलन के अनुसार प्रत्येक राज्य में कितनी खेती योग्य, बंजर भूमि, परती भूमि और चरागाह हैं,

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस भूमि में खेती करने हेतु क्या कदम उठाये गये,

(ग) इस संबंध में राज्य-वार, निर्धारित लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य-वार, व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ):

(क) एक अनुमान के अनुसार देश में परती भूमि, जिसमें कृषि योग्य भूमि, परती भूमि, बंजर भूमि तथा चरागाह शामिल है, का विस्तार संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ख) से (घ) परती भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परती भूमि पर वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों, विशेषतौर पर ईंधन लकड़ी और चारे के वृक्ष उगाने पर बल दिया जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनीकरण और वृक्षारोपण के राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण-2 में दी गई हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन कार्यकलापों पर राज्यवार खर्च की गई धनराशि संलग्न विवरण-3 में दी गई है।

विवरण-1

भारत में परती भूमि का अनुमान (लाख हैक्टेयर में)

राज्य/सं० शा० प्रदेश	योग
आन्ध्र प्रदेश	114.16
असम	17.30
बिहार	54.58
गुजरात	78.36
हरियाणा	24.78
हिमाचल प्रदेश	19.58
जम्मू और कश्मीर	15.65
कर्नाटक	91.65
केरल	12.79
मध्य प्रदेश	201.42
महाराष्ट्र	144.01
मणिपुर	14.38
मेघालय	19.18
नागालैंड	13.86
उड़ीसा	63.84
पंजाब	12.30
राजस्थान	199.34
सिक्किम	2.81
तमिलनाडु	80.61
त्रिपुरा	9.73
उत्तर प्रदेश	80.61
पश्चिम बंगाल	25.36
स०शा० प्रदेश	36.04
योग	1295.74

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमान देश में समस्त परती भूमि के देशव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है।

विवरण—2

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के राज्यवार वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धियां

(हैक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/सं.शा. प्रदेश	लक्ष्य	उपलब्धि	सातवीं योजना हेतु संचित लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	130000.00	157800.00	150000.00	143707.50
2.	अरुणाचल प्रदेश	5000.00	5150.00	6250.00	6254.00
3.	असम	20000.00	10000.00	20000.00	31250.00
4.	बिहार	75000.00	76150.00	130000.00	135550.00
5.	गोवा	1600.00	2350.00	3750.00	3306.50
6.	गुजरात	127500.00	124850.00	81550.00	113550.00
7.	हरियाणा	47500.00	46850.00	36850.00	77079.00
8.	हिमाचल प्रदेश	27500.00	33600.00	31250.00	33564.00
9.	जम्मू व कश्मीर	17500.00	23350.00	26100.00	28526.00
10.	कर्नाटक	125000.00	127300.00	125000.00	115837.00
11.	केरल	30000.00	58300.00	60000.00	75962.00
12.	मध्य प्रदेश	175000.00	175050.00	185000.00	196000.00
13.	महाराष्ट्र	100000.00	108250.00	120000.00	119085.00
14.	मणिपुर	6000.00	6250.00	8000.00	7400.00
15.	मेघालय	6500.00	6550.00	7500.00	7900.00
16.	मिजोरम	35000.00	35000.00	564000.00	23902.00
17.	नागालैंड	9000.00	13450.00	17500.00	27175.00
18.	उड़ीसा	157100.00	96300.00	120000.00	116336.00
19.	पंजाब	26350.00	29500.00	27500.00	28379.50
20.	राजस्थान	41000.00	47900.00	55000.00	67051.50
21.	सिक्किम	4100.00	4100.00	5500.00	5751.50
22.	तमिलनाडु	55000.00	60750.00	120000.00	98064.00
23.	त्रिपुरा	7500.00	10000.00	16000.00	13150.00
24.	उत्तर प्रदेश	162500.00	177400.00	225000.00	243250.00
25.	पश्चिम बंगाल	55000.00	55750.00	70000.00	70800.00
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4750.00	4750.00	6000.00	6116.00
27.	चंडीगढ़	145.00	76.00	170.00	191.50
28.	दादर व नगर हवेली	1300.00	1550.00	2500.00	1760.00
29.	दमन व द्वीव	—	—	—	—
30.	दिल्ली	1250.00	1250.00	1500.00	3151.50
31.	लक्ष्यद्वीप	2.00	12.50	6.00	14.50
32.	पांडिचेरी	500.00	550.00	500.00	646.50
		1454797.00	1510038.00	1714226.00	1761801.00

1986-87		1987-88		1988-89		1989-90	
लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
17	8	9	10	11	12	13	14
150000.00	152567.00	160000.00	141747.50	160000.00	131757.50	750000.00	727579.50
6250.00	6352.00	7000.00	7050.00	7000.00	6470.50	31600.00	31276.50
25000.00	24893.50	30000.00	22193.50	15000.00	16970.00	11000.00	115107.00
175000.00	157600.00	180000.00	180177.00	140000.00	117493.50	700000.00	666970.50
3750.00	3735.00	3750.00	3686.50	3750.00	3811.00	16600.00	16879.00
112500.00	107075.00	130000.00	200680.50	110000.00	194450.00	561550.00	740605.50
30000.00	18000.00	37500.00	31637.50	27500.00	24780.00	178750.00	158346.50
30000.00	30754.50	35000.00	34186.50	35000.00	32655.50	158750.00	164760.50
25250.00	20000.50	25000.00	25237.00	17500.00	16190.00	111350.00	113306.00
125000.00	157610.50	165000.00	154595.50	115000.00	111641.50	655000.00	666984.50
85000.00	77772.00	87500.00	76050.00	25000.00	22743.50	287500.00	310827.50
200000.00	204523.00	220000.00	220800.00	195000.00	195742.00	975000.00	902115.00
130000.00	153998.00	165000.00	285000.00	207500.00	191860.00	722500.00	858123.00
8500.00	9017.50	10000.00	9348.00	10000.00	11552.00	42500.00	44162.50
7600.00	11878.50	13500.00	16488.50	13750.00	14250.00	48750.00	57067.00
36250.00	13875.00	15000.00	15000.50	15000.00	15000.00	157650.00	102777.00
10000.00	10000.00	11500.00	11500.50	17509.00	20550.00	68500.00	82675.00
130000.00	117002.50	150000.00	138108.50	80000.00	84287.50	637100.00	552234.50
22500.00	24776.00	25000.00	28730.00	20000.00	20915.50	121350.00	132391.00
80000.00	58693.50	65000.00	65500.00	45000.00	45800.00	266000.00	284945.00
6000.00	6693.50	7500.00	6307.00	7000.00	7193.00	30100.00	30045.50
120000.00	85587.00	90000.00	86278.50	70000.00	83564.00	455000.00	429743.50
13000.00	13356.50	13000.00	13350.00	13000.00	13500.00	62500.00	63356.50
210000.00	221035.50	257000.00	272991.00	275000.00	275012.50	1127500.00	1189689.00
70000.00	69554.00	90000.00	55600.00	50000.00	51700.00	335000.00	303404.00
5000.00	5021.50	5000.00	5370.50	5000.00	5318.50	25750.00	26585.50
170.00	179.50	200.00	176.50	125.00	104.00	810.00	727.50
2000.00	1561.00	1750.00	1916.00	1500.00	1562.50	9250.00	8349.50
1250.00	26.50	100.00	63.00	100.00	112.50	1450.00	202.00
1500.00	903.00	2500.00	3295.00	2500.00	2150.00	9250.00	10749.50
10.00	12.00	25.00	112.00	125.00	145.50	168.00	296.50
530.00	516.00	520.00	523.00	400.00	541.50	2450.00	2777.00
1801860.00	1775567.50	7001345.00	7118300.00	1684250.00	1719824.00	8656578.00	8885639.00

विवरण-3

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र सं. 16 के अन्तर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण हेतु धनराशि का राज्यवार वर्षवार उपयोग

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ० प्रदेश	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	सातवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	2004.59	3436.01	3172.03	3538.00	2174.00	14324.63
2.	अरुणाचल प्रदेश	329.48	386.56	396.77	451.75	314.85	1879.41
3.	असम	1303.07	1616.51	1628.54	2128.00	1354.96	8031.08
4.	बिहार	7633.56	2363.12	3841.96	5298.00	2085.37	21222.01
5.	गोवा	100.68	110.35	112.20	118.00	139.15	580.38
6.	गुजरात	2445.56	2997.31	2989.86	3168.00	4530.62	16131.35
7.	हरियाणा	1337.58	1395.27	1343.43	1921.50	2347.41	8345.19
8.	हिमाचल प्रदेश	1561.97	1675.47	1952.48	2257.50	1619.05	9066.47
9.	जम्मू और कश्मीर	706.33	851.68	960.76	1124.63	1140.77	4784.17
10.	कर्नाटक	2536.31	2259.54	1713.95	2710.50	3938.32	13158.62
11.	केरल	928.82	1789.26	1703.55	2374.00	924.74	7738.37
12.	मध्य प्रदेश	2714.65	4650.82	4059.17	4672.00	2833.84	18930.48
13.	महाराष्ट्र	2539.31	2158.63	3401.37	4194.25	5008.24	17301.80
14.	मणिपुर	199.38	226.07	307.41	403.50	393.32	1529.68
15.	मेघालय	518.32	413.88	623.59	756.00	532.32	2844.11
16.	मिजोरम	363.74	531.49	535.48	658.00	526.50	2615.21
17.	नागालैंड	337.64	387.13	492.86	518.00	228.36	1963.99
18.	उड़ीसा	1340.46	2051.12	2538.51	2667.25	2718.62	11315.96
19.	पंजाब	813.87	863.85	859.20	1035.25	1064.22	4656.49
20.	राजस्थान	1536.80	3376.13	2847.84	3202.00	3770.90	14733.67
21.	सिक्किम	182.26	171.06	199.20	235.00	267.52	1055.04
22.	तमिलनाडु	2557.92	2703.21	3167.20	3479.50	2329.61	14237.44
23.	त्रिपुरा	355.36	369.73	424.34	462.75	550.71	2162.89
24.	उत्तर प्रदेश	3817.86	5582.39	6023.12	7589.75	7004.37	30817.49
25.	पश्चिम बंगाल	1464.12	2796.26	2025.56	3289.88	1468.44	11047.26
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	104.20	127.54	153.36	259.50	112.95	757.55
27.	चंडीगढ़	26.85	21.25	23.55	23.50	14.00	109.15
28.	दादरा व नगर हवेली	54.06	52.09	97.97	111.25	96.76	412.13
29.	दिल्ली	43.78	100.35	88.10	45.00	275.99	553.22
30.	दमन व द्वीव	0.00	0.00	12.48	85.50	14.53	112.51
31.	लक्षद्वीप	3.28	7.98	6.56	7.25	10.50	35.57
32.	पांडिचेरी	22.18	36.82	43.63	48.00	58.60	209.23
	कुल	39884.09	45508.88	47746.03	58836.01	50687.54	242662.55

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में मैदानिक परीक्षण

3328. **श्री मदनलाल खुराना :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रयोगशालाओं और औषधालयों में फरवरी, 1991 से आगे के लिए मैदानिक परीक्षण होने बन्द कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को असुविधा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में नैदानिक परीक्षण की सुविधा जारी रखने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राय मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत विकृति विज्ञान-प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं और उनमें सभी प्रकार की जांचें, जिनके लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, की जा रही हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना पॉलिक्लिनिक, कस्तूरबा नगर-1 में 4 फरवरी, 1991 से 18 फरवरी, 1991 तक और 26 फरवरी, 1991 से 3 अप्रैल, 1991 तक ब्लड शूगर और सीरप कोलेस्ट्रॉल जांचे नहीं की गई थीं। प्रसूति और स्त्री रोग अस्पताल रामकृष्णपुरम, डा० जाकिर हुसैन रोड, चित्रगुप्त रोड प्रयोगशालाओं में अप्रैल, 1991 में कैमिकल्स / रिएजेंटों की अनुपलब्धता के कारण ब्लड शूगर जांच लगभग एक सप्ताह के लिए नहीं की गई थी। लेकिन अब ये जांचें सभी औषधालयों में की जा रही हैं।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है उपर्युक्त विकृतिविज्ञानी जांचें पुनः शुरू कर दी गई हैं।

अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

3329. **श्री मदनलाल खुराना** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना औषधालयों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं में सुधार के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ : (क) और (ख) उपलब्ध संसाधनों के आबंटनों के अन्दर अस्पतालों की सेवाओं में सुधार लाने के लिए सतत प्रक्रिया के रूप में हर संभव प्रयास किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में अस्पतालों में रोगियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में काफी सुधार हुआ है। नवीनतम जीवन रक्षक उपकरण खरीदे गए हैं और आपातकालीन सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं। सभी सेवाएं निःशुल्क हैं। जीवन रक्षक और अनिवार्य औषधें भी वार्डों में भर्ती और केजुएल्टी विभाग में आने वाले रोगियों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों का संबंध है, दिल्ली में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्राधिकारियों ने सुपर बाजार के स्थान पर विभिन्न स्थानों में स्थानीय केमिस्ट नियुक्त किए हैं। इन केमिस्टों की नियुक्ति से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को औषधों की आपूर्ति में सहायता मिली है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए केन्द्रीय सचिवालय स्वास्थ्य जांच केन्द्र में एक्सरे सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण

3330. **श्री मदनलाल खुराना** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी भूमि पर अनधिकृत निर्माण और अवैध कब्जे को रोकने के लिए नगर निकाय का क्षेत्र अधिकारी उत्तरदायी होता है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर अनधिकृत निर्माण और अवैध कब्जे किए जाने के क्या कारण हैं और इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): जी, हां।

(ख) अनधिकृत निर्माण / अवैध कब्जे की समस्या लगातार बनी हुई है। जब कभी नगर निकायों को इन मामलों का पता चलता है, अवैध कब्जों / अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने और ऐसी सम्पत्तियों आदि को सील करने सहित विधिक प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। अदालतों के स्थगन आदेशों, सार्वजनिक विरोध और पुलिस की अनुपलब्धता जैसे विभिन्न दबावों के कारण प्रत्येक मामले में अनधिकृत निर्माण को गिराना अथवा उस पर कानूनी कार्रवाई करना संभव नहीं हो पाता। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उन्होंने निम्नलिखित कार्रवाई की:—

1. ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अनधिकृत निर्माण को गिराने की कार्रवाई की गई	12862
2. 1.4.1986 से 31.7.1991 के दौरान दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट	1919
3. 1.6.1986 से 31.7.1991 के दौरान सील की गई सम्पत्तियाँ	990

लापरवाही अथवा कर्तव्य की अवहेलना की यदि कोई घटना पाई जाती है तो दोषी कर्मचारियों / अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाती है।

दिल्ली में नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स और गैर-सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं

3331. **श्री मदनलाल खुराना :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्या देश में विभिन्न गैर-सरकारी अस्पतालों और क्लिनिकों ने शुल्क मुक्त खर्चीले चिकित्सा उपकणों का आयात इस आश्वासन के साथ किया था कि वे गरीब रोगियों का निःशुल्क उपचार करेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया;

(ख) यदि हां, तो संघ सरकार को ऐसे अस्पतालों और क्लिनिकों से निर्धन रोगियों को निःशुल्क अपेक्षित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने हेतु क्या कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी गैर-सरकारी अस्पतालों और क्लिनिकों को सरकारी अस्पतालों से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ताकि सरकारी अस्पताल, रोगियों को जांच और उपचार के लिए इन अस्पतालों में भेज सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिकों को संबंधित राज्य सरकार की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय की 1-3-1988 की अधिसूचना संख्या 64 / 88 कस्ट० के अनुसार चिकित्सा उपकरणों के आयात के लिए सीमा शुल्क छूट प्रमाणपत्र करता है। राज्य सरकार अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रमाणित करती है कि अस्पतालों / क्लिनिकों द्वारा बाह्य रोगी विभाग में आने वाले 40 प्रतिशत रोगियों को निःशुल्क इलाज प्रदान किया जाएगा तथा 10 प्रतिशत पलंग ऐसे रोगियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे जिनकी मासिक आय 500 रुपए से कम है। यह समझते हुए कि शुल्क मुक्त आयात की शर्तों को पूरा करने में निगरानी व्यवस्था अपर्याप्त है, इसलिए ऐसे प्राइवेट अस्पतालों / क्लिनिकों को नजदीकी सरकारी अस्पतालों से सम्बद्ध करने के लिए कदम उठाए गए हैं जिन्होंने सीमाशुल्क छूट प्राप्त की है ताकि वे गरीब रोगियों को ऐसे अस्पतालों / क्लिनिकों में निःशुल्क नैदानिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए भेज सकें।

मुकदमेबाजी के अधीन निष्कासन के मामले

3332. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी आवासों से निष्कासन के कुछ मामले मुकदमेबाजी के अधीन हैं;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये मामले कब से मुकदमेबाजी के अधीन है;

(घ) अनधिकृत कब्जे वाले व्यक्तियों के निष्कासन के लिए न्यायालय के निर्णय मिलने में देरी के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे मामलों में न्यायालय का निर्णय कितने समय के अन्दर प्राप्त हो जाता है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) :(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) और (ङ) अदालती मामलों को निपटाने के संबंध में जहां तक हुई देरी और लगे समय का संबंध है, यह माना जाए कि अदालतों द्वारा मामलों को निपटाने में जो देरी होती है उसका प्रमुख कारण अदालतों के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लम्बित पड़े रहते हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत द्वारा प्रत्येक मामले को प्राथमिकता दी जाती है। विभिन्न अदालतों के निर्णय के लिए किसी निश्चित समयावधि की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि हम अदालत के सामने एक पक्षकार हैं और इस संबंध में पीठासीन न्यायधीश महोदय को प्राभावित करना सम्भव नहीं होता।

पुरानी दिल्ली में पेय जल

3333. **श्री ताराचंद खंडेलवाल** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पुरानी दिल्ली क्षेत्र के निवासियों को गत कुछ महीने से पीने के लिए दूषित जल प्राप्त हो रहा है;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी तथ्य और **ब्यौरा क्या है;**

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें सुरक्षित पेय **जल उपलब्ध** कराने के **लिए कोई कदम** उठाने का है; और

(घ) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) :(क) और (ख) पुरानी दिल्ली एक भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है जिसमें संकीर्ण लेने है जहां पानी को मुख्य लाइनें, सीवेज और बरसाती पानी की नालियाँ एक-दूसरे के साथ-साथ जाती हैं। वितरण प्रणाली बहुत पुरानी है तथा कुछ मामलों में सर्विस लाइनों में जंग लग गया है तथा नियमित अनुरक्षण के बावजूद भी उनमें छीजन है। चूंकि आपूर्ति रुक-रुक कर होती है कभी-कभी दूषित जल आपूर्ति की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ग) और (घ) दिल्ली जल प्रदाय तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि कच्चे पानी से सर्विस जलाशयों में भंडारण तक और वितरण के स्तर तक सभी स्तरों पर पानी की कोटि की जाँच की जाती है। उपभोक्ताओं तक पानी की कोटि को बनाये रखने के लिए जोनों में कार्यरत कनिष्ठ इंजीनियरों को जाँच-किटें (टेस्टिंग किटें) दी गई हैं। पुरानी दिल्ली में दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायतों को तत्काल दूर किया जाता है।

प्रदूषण निवारण (ट्रीटमेंट) सम्बंधी सुविधाओं का संवर्द्धन

3334. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिषद के संघ ने सरकार से प्रदूषण निवारण (ट्रीटमेंट) सुविधा की पूंजीगत लागत कम करने और प्रदूषित पदार्थों को उपयुक्त ढंग से ठिकाने लगाना सुनिश्चित करने के लिए, उसका एक उद्योग के रूप में संवर्द्धन करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अपशिष्टों की विषाक्तता को कम करने के लिए सरकार का प्रस्ताव जोखिम भरे उद्योगों के चारों ओर एक हरे-भरे अन्तःस्थ क्षेत्र की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल ने सरकार को सुझाव दिया है कि उद्योगों के प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने की जरूरत है। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रणालियां स्थापित करने के लिए उद्योगों को धनराशि प्रदान करने के विशेष प्रयास किए गए हैं।

(ग) और (घ) परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए यह शर्त रखी जाती है कि संबंधित संयंत्रों के चारों ओर एक हरित पट्टी बनाई जाए। परियोजना प्राधिकारियों से कहा गया है कि हरित पट्टी का डिजाइन तैयार करते समय प्रदूषण में अपेक्षित कमी को ध्यान में रखते हुए उस का डिजाइन वैज्ञानिक आधार पर तैयार करें।

काम करने वाले बच्चों के प्रति चिंता

3335. **श्री सी॰ पी॰ मुदालगिरियप्पा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बंगलौर में काम करने वाले बच्चों के प्रति चिन्ता (कन्सर्न फोर वर्किंग चिल्ड्रन) नामक संगठन की जानकारी है;

(ख) क्या इस संगठन ने बच्चों की स्थिति में सुधार करने संबंधी कुछ परियोजनाएं आरम्भ की हैं;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का संगठनों की वित्तीय सहायता करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह संगठन बंगलौर के विभिन्न भागों तथा दक्षिण कर्नाटक के वसरूर में आवारा बच्चों और कामकाजी बच्चों के लिए केन्द्रों का संचालन कर रहा है। जो बच्चे इन केन्द्रों में आते हैं उन्हें शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध होता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। यदि उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त होता है तो उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

शाहदरा, दिल्ली में आंत्रशोथ के कारण मृत्यु

[हिन्दी]

3336. **श्री कालका दास** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंत्रशोथ के कारण शाहदरा (दिल्ली) में गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दिल्ली नगर निगम की ओर से कोई कमी रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों में साक्षरता

3337. **श्री कालका दास** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में पुरुष और महिलाओं की पृथक-पृथक साक्षरता और निरक्षरता की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) उनकी साक्षरता की प्रतिशतता में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा कौन से विशेष कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार उनमें शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विशेष प्रोत्साहन दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अभी तक जारी किए गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में साक्षर और निरक्षर पुरुषों और महिलाओं की प्रतिशतता उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन, 1981 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार साक्षरता दरें (सभी आयु वर्गों के लिए) निम्न प्रकार से हैं:—

अ०जा०/अ०ज०जा०	व्यक्तियों	पुरुष	महिला
अनुसूचित जाति	21.38	31.12	10.98
अनुसूचित जनजाति	16.35	24.52	8.04

(ख) प्रारंभिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण और 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को स्कूलों में रोके रखना, शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में बीच में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों और कामकाजी बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा 1995 तक (15—35) आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखने वाला राष्ट्रीय साक्षरता मिशन देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं।

(ग) और (घ) सभी साक्षरता कार्यक्रमों में, उच्च प्राथमिकता अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को और अधिक संख्या में इन कार्यक्रमों के कार्य क्षेत्र में लाने को दी जा रही हैं।

कई प्रोत्साहन योजनाएं जैसे कि गंदे व्यवसाय में कार्यरत बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, बुक बैंक्स, छात्रावासों, आश्रम स्कूलों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को सहायता अनुदान, विदेशी छात्रवृत्तियां आदि कार्यान्वित हैं।

प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन में वृद्धि करने और स्कूल बीच में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी लाने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं—सरकारी स्कूलों में कम से कम अपर प्राथमिक स्तर तक ट्यूशन शुल्क की समाप्ति, एकीकृत बाल विकास सेवाओं जैसी योजनाओं के माध्यम से बालपन की देखरेख के लिए सहयोग सेवाओं का प्रावधान, शिशु केंद्रों की व्यवस्था ताकि लड़कियां स्कूल जा सकें; निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान; वर्दियां; उपस्थिति छात्रवृत्ति तथा मध्याह्न भोजन और कार्य अनुभव के लिए नक्शों/चार्टों जैसी सहायक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना शामिल है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत, ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे अ०जा०/अ०ज०जा० के लोग संख्या में लाभान्वित हों। ये कदम हैं—अ०जा० बस्तियों/अ०ज०जा० पुरवों में अधिक संख्या में केंद्र खोलना, अनुदेशकों/प्रेरकों की अधिक संख्या में नियुक्ति और अनुदेशकों/प्रेरकों की नियुक्ति के मामले में अ०जा०/अ०ज०जा० अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता में छूट।

पालिका बाजार, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दुकानें

3338. **श्री कालका दास** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पालिका बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आरक्षण कोटे के अंतर्गत दुकानें आवंटित की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो आवंटित दुकानों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने आवंटिती ये दुकानें चला रहे हैं और कितनों ने दुकानें बेच दी हैं;

(घ) क्या वे किसी अन्य व्यक्ति को अपनी दुकानें पगड़ी लेकर किराए पर दे सकते है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के आवंटन की शर्तें क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) जी, हां।

(ख) दुकान नम्बर 9, 18, 59, 67, 76, 94, 95, 102, 139, 155, 160, 167, 174, 175, 181, 183, 192, 198, 202, 208, 226, 240, 247, 259, 260, 283, एम-6 और एम-12 (कुल 28 दुकानें)।

(ग) मूल आबंटितियों द्वारा चलाई जा रही दुकानों की संख्या-11 अन्य लोगों को किराए पर दी गई दुकानों की संख्या-17.

(घ) और (ङ) लाइसेंस डीड की शर्तों के अनुसार किसी भी लाइसेंसधारक को बिना अनुमति के अन्य व्यक्ति के पक्ष में "पगड़ी" अथवा अन्य किसी लेन-देन पर दुकान के कब्जे की हिस्सेदारी बांटने की अनुमति नहीं है। तथापि, नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उसने वास्तविक साझेदारी विलेखों/किराए पर देने के मामलों को भंग कर वास्तविक कब्जाधारियों के पक्ष में नियमित करने की नीति अपनाई है।

समेकित परती भूमि विकास परियोजना संबंधी योजना

[अनुवाद]

3339. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित परती भूमि विकास परियोजना संबंधी योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में कितने जिले निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या निर्धारित क्षेत्रों में उड़ीसा का बोलनगीर जिला भी शामिल किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1991-92 के दौरान समेकित परती भूमि विकास परियोजना संबंधी योजना शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) समेकित परती भूमि विकास परियोजनाओं की स्कीम के अन्तर्गत उड़ीसा के दो जिलों, नामत, सुन्दरगढ़ तथा कालाहाण्डी में परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) चूंकि उड़ीसा से कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है अतः राज्य के बोलनगीर जिले को शामिल नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) समेकित परती भूमि विकास परियोजनाओं की स्कीम का कार्यान्वयन वर्ष 1989-90 से शुरू किया गया था और यह अभी जारी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को विदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति [हिन्दी]

3340. **श्री राम नारायण बैरवा:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों में ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है;

(ख) क्या छात्रवृत्ति की राशि इतनी कम है कि इससे शिक्षा के सभी खर्चों को पूरा करना कठिन होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति आदि के 25 छात्रों को चुना जाता है।

(ख) इस योजना के अंतर्गत, छात्रों को प्रदत्त छात्रवृत्ति की दरें निम्नप्रकार हैं:-

(1) स्नाकोत्तर और पी.एच.डी. के लिए प्रतिवर्ष 6000 अमरीकी डालर और पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान के लिए प्रतिवर्ष 7000 अमरीकी डालर की दर से अनुरक्षण भत्ता।

(2) इनके अतिरिक्त, पुस्तकों, आवश्यक उपकरणों और अध्ययन दौरों पर हुए वास्तविक खर्च को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 350 अमरीकी डालर तक भत्ता दिया जाता है।

(ग) छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जिला क्षय रोग उपचार केन्द्र

3341. **श्री राम नारायण बैरवा:**
श्री हरि केवल प्रसाद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कितने जिलों में क्षय रोग उपचार केन्द्र कार्य कर रहे हैं। और उनमें क्षय रोगियों के उपचार के लिए कितने बिस्तरे उपलब्ध हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में अब तक किये गये सर्वेक्षण के अनुसार कितने व्यक्ति क्षय रोग से पीड़ित हैं;

(ग) क्या उपयुक्त उपचार के अभाव के कारण क्षय रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(घ) क्या इस रोग के उपचार के लिए आवश्यक दवाओं के मूल्यों में असाधारण रूप से वृद्धि होने के कारण निर्धनों के लिए इस रोग का उपचार कराना कठिन हो गया है;

(ड़) क्या संघ सरकार का विचार फैलने वाले और संक्रामक रोग को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के तारा देवी सिद्धार्थ): (क) देश में अब तक 378 जिला क्षयरोग केन्द्र खोले गए हैं और लगभग 47000 क्षय रोग पलंग उपलब्ध हैं।

(ख) क्षय रोग एक अधिसूचनीय रोग नहीं है। इसलिए इस रोग से ग्रस्त रोगियों की वास्तविक संख्या के बारे में राज्यवार स्पष्ट और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 1955-58 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और बाद में देश के विभिन्न भागों में किए गए सीमित सर्वेक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर यह अनुमान है कि कुल जनसंख्या का लगभग 1.5 प्रतिशत भाग विकिरण विज्ञानी रूप से फैफड़े के सक्रिय क्षयरोग से पीड़ित है, जिसमें से लगभग 1/4 भाग अर्थात 0.4% रोगी पॉजिटिव थूक वाले अथवा संक्रामक रोगी हैं।

(ग) यह सुझाने के लिए कोई प्रमाण नहीं है कि क्षयरोग के रोगियों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

(घ) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन मुख्य बल यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में क्षय रोगियों का पता लगाने और उनका प्रभावकारी ढंग से उपचार करने पर दिया जाता है। सभी जिला क्षयरोग केन्द्रों/परिधीय स्वास्थ्य संस्थाओं और क्षयरोग क्लिनिकों को सभी निदान किए गए क्षयरोगियों के मुफ्त इलाज के लिए उनकी जरूरत के अनुसार क्षयरोग रोधी औषधें सप्लाई की जाती है, भले ही इन औषधों की कीमत कुछ भी हो।

(ड़) और (च) : कार्यक्रम के मौजूदा सहायता पैटर्न के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनिवार्य क्षयरोग रोधी औषधें सामग्री/उपकरण सप्लाई किए जाते हैं। राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन नकद सहायता देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

मल ढोने की पद्धति

3342. **श्री राम नारायण बैरवा:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिर पर मल ढोने की प्रथा अभी भी प्रचलित है;

(ख) क्या सरकार का इस प्रथा को चरणबद्ध कार्यक्रम के माध्यम से समाप्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, हां।

(ख) जी हां। 5 वर्षों की अवधि के अन्दर हाथों से मानव मल उठाने को समाप्त करने और मुक्त किये गये सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास करने का प्रस्ताव है।

(ग) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति संबंधि केन्द्र प्रायोजित योजना को (क) चुने हुए मध्यम तथा छोटे कस्बों के घरों/समुदाय के वर्तमान शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने और (ख) सफाई कर्मचारियों का वैकल्पिक सम्मानजनक रोजगार/व्यवसायों में पुनर्वास करने के दोहरें उद्देश्य के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

साक्षरता को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय आवंटन में वृद्धि

3343. **श्री राम नारायण बैरवा:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार साक्षरता कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने हेतु शिक्षा पर खर्च की जाने वाली धनराशि के प्रतिशत में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख): अनौपचारिक शिक्षा सहित प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभीकरण तथा (15-35) आयु वर्ग के आठ करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य रखने वाला राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, देश में निरक्षरता उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे व्यापक कार्यक्रम के अभिन्न अंग हैं। कुल संसाधनों की मात्रा में प्रौढ़ शिक्षा व प्रारंभिक शिक्षा के लिए आवंटित धनराशि में विशेषकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को अपनाए जाने और मई, 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत के बाद से, लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1990-91 के दौरान, केन्द्रीय व राज्य क्षेत्रों को एक साथ लेने पर, प्रौढ़ शिक्षा के लिए 151.12 करोड़ रु० तथा प्रारंभिक शिक्षा के लिए 843.15 करोड़ रु० के वार्षिक आयोजना आवंटन की तुलना में वर्ष 1991-92 के लिए प्रस्तावित परिव्यय प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा के लिए क्रमशः 178.75 करोड़ रु० तथा 1036.43 करोड़ रु० हैं।

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा

[अनुवाद]

3344. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री विजय नवल पाटिल:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना लागू करने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संघ सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या देश में प्राथमिक स्कूल स्तर पर पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की दर बहुत अधिक है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पढाई बीच में छोड जाने वाले बच्चों की दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले बच्चों की इस दर को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" की योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्य/संघ शासित प्रशासनों को 372.90 करोड़ रू० की राशि मुक्त की गई थी तथा राज्यों द्वारा 581 करोड़ रू० की राशि लगाई गई थी।

(ख) और (ग) वर्ष 1987-88 से संबंधित उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ जाने वालों की दर 46.97% थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। बच्चों के स्कूल छोड़ जाने के कुछ कारण निम्नलिखित हैं।

1. बच्चों को अपने परिवार की आय के लिए अथवा अन्यथा रूप से अपने परिवार की सहायता करने के लिए कार्य करना पड़ता है:

2. लड़कियों को पानी भरने तथा अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के साथ-साथ घरेलू कार्यों को भी करना पड़ता है,

3. स्कूलों में अपर्याप्त सुविधाएं तथा अपर्याप्त शैक्षणिक सामग्री है;

4. लड़कियों को स्कूल भेजने में अविभावकों की अनिच्छा

(घ) कुछ मुख्य कदम जो उठाए जा रहे हैं निम्नलिखित हैं:-

I. आपरेशन ब्लैकबोर्ड की योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में सुधार;

II. स्कूल छोड़ जाने वाली, लड़कियों, उन कार्यरत बच्चों जो दिन के स्कूलों में नहीं जा सकते तथा बिना स्कूल वाली बस्तियों के बच्चों के लिए अंश कालिक गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रावधान;

III. शिक्षकों की प्रभावीनीयता में सुधार के लिए जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना;

IV. 300 की जनसंख्या वाली सभी बस्तियों में एक किलोमीटर की दूरी में, प्राथमिक स्कूलों का प्रावधान। अ०ज०/अ०ज०जा० की बस्तियों के मामले में, 200 तक की जनसंख्या वाली बस्तियों को शामिल करके नियमों में छूट दी जा सकती है; और

V. निशुल्क वर्दियों, निशुल्क पाठ्यपुस्तकों, लड़कियों के लिए हाजिरी छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन आदि के लिए सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान करना।

विवरण

प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ जाने वालों की दर

क्रम सं०	राज्य के नाम/संघ शासित क्षेत्र	1985-86	1986-87	1987-88
1.	आन्ध्र प्रदेश	55.18	59.60	55.03
2.	असम	61.71	64.16	55.01
3.	बिहार	64.50	65.42	65.63
4.	गुजरात	41.73	44.49	41.92
5.	हरियाणा	28.28	29.26	27.32
6.	हिमाचल प्रदेश	31.56	31.56	28.63
7.	जम्मू और कश्मीर	40.93	39.16	33.44
8.	कर्नाटक	57.66	55.98	50.16
9.	केरल	3.86	0.41	4.39
10.	मध्य प्रदेश	39.55	42.40	41.04
11.	महाराष्ट्र	44.61	42.12	39.82
12.	मणिपुर	72.24	72.86	71.67
13.	मेघालय	32.65	66.99	32.35
14.	नागालैण्ड	21.65	24.31	35.45
15.	उड़ीसा	49.77	51.34	38.97
16.	पंजाब	50.56	39.38	37.27
17.	राजस्थान	49.02	51.08	52.25

1	2	3	4	5
18.	सिक्किम	60.53	62.61	59.86
19.	तमिलनाडु	22.48	22.28	21.78
20.	त्रिपुरा	62.38	62.46	58.65
21.	उत्तर प्रदेश	43.68	45.82	47.65
22.	पश्चिम बंगाल	60.25	62.72	63.81
23.	अंडमान और निकोबार समूह	23.84	25.65	20.54
24.	अरुणाचल प्रदेश	65.43	64.46	58.63
25.	चंडीगढ़	12.69	5.32	4.78
26.	दादर एवं नगर हवेली	45.08	42.81	36.14
27.	दिल्ली	20.02	14.26	19.76
28.	गोवा, दमन और द्वीव	8.67	11.13	5.33
29.	मिजोरम	11.14	40.54	37.98
30.	लक्षद्वीप	1.82	20.46	4.02
31.	पांडिचेरी	14.31	9.90	5.59
	कुल	47.61	48.60	46.59

पीताम्बर-पंत राष्ट्रीय पर्यावरण छात्रवृत्ति

[हिन्दी]

3345. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण विज्ञान की किसी भी शाखा में अनुसंधान को बढ़ावा देने और विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 1978 में पीताम्बर-पंत राष्ट्रीय पर्यावरण छात्रवृत्ति शुरू की थी; और

(ख) यदि हां, तो उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें यह छात्रवृत्ति दी गई है और उनके द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास कार्य क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) सरकार ने पर्यावरणीय विज्ञानों में अनुसंधान में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित और सम्मानित करने के लिए 1978 में पीताम्बर- पंत राष्ट्रीय पर्यावरण अध्येतावृत्ति पुरस्कार संस्थापित किया।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

पुरस्कार प्राप्तकर्ता का नाम	अनुसंधान का विषय क्षेत्र
डा०ए०के० गांगुली	पृथ्वी की सतह के जलीय और भूपृष्ठीय सामग्री के संचयन संबंधी न्यूक्लीयर तकनीक और प्रिडिक्टिव माडलिंग अनुसंधान तथा पर्यावरण विज्ञानों के मौलिक आंकड़ों का संकलन और मूलभूत पहलू।
प्रो० माधव गाडगिल	पश्चिमी घाटों के ग्रेटहिल रेंज में प्रकृति और मानव के पारस्परिक कार्य
डा० एस०के० जैन	भारत में फेफिली पोतिया की शिनाख्त और पादप भूगोल का मैनुअल
डा० के० कृष्णामूर्ति	तटीय पर्यावरणीय परिरक्षण और सुरक्षा में कच्छ वनस्पति की भूमिका
प्रो० के०एस० वाल्दिया	पर्यावरणीय भू-विज्ञान : फोकस अॅन इण्डिया
डा० सी०आर० कृष्णामूर्ति	भारतीय संदर्भ में पारि-विष विज्ञान संबंधी समस्यायें
डा० जे०एस० सिंह	हिमालयी वनों की संरचना और कार्य की जांच
प्रो० पी०एस० रामकृष्णन	झूम खेती की समस्याएं
प्रो० जी० पद्मनाभन	पर्यावरणीय रसायनों का उनकी विषाक्तता की संभाव्यता के संबंध में वर्गीकरण और साइटोक्रोम पी-450 की विशिष्ट प्रजाति की प्रभावकारिता
प्रो० एस०सी० पांड्या	पश्चिमी भारत के शुष्क से सीमान्त अर्ध-शुष्क क्षेत्रों तक में चारागाह भूमिका विकास और प्रबंध तथा इसके पारिस्थितिक परिप्रेक्ष्य
प्रो० वी०एम० मेहर-होमजी	भारत में संरक्षण योजना का विकास करने में पारिस्थितिक पहलू
प्रो० के०एन० मेहरोत्रा	भारत में कीटनाशक दवाओं का पर्यावरणीय प्रभाव

राजस्थान में भू-क्षरण

3346. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान की अरावली पर्वत श्रंखला में वनों के भारी कटाव के कारण मरूभूमि में बड़ी तेजी से भू-क्षरण हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप नदी-घाटियों, बांधों जलाश्यों आदि का तल ऊंचा हो गया है; और

(ग) बांधों और जलाश्यों में घटती हुई जल भंडारण क्षमता और बढ़ते हुए मिट्टी के जमाव को रोकने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई

3347. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से हिमालय, अरावली, सतपुड़ा पर्वत श्रृखंला और पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में वनों की कटाई के कारण पर्यावरणीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या वनों की कटाई के कारण अनेक पहाड़ियां वृक्ष विहीन हो गई हैं;

(ग) क्या वृक्ष विहीन पर्वतीय क्षेत्रों में भू-क्षरण तेजी से हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस भू-क्षरण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। लेकिन, निम्नलिखित अनेक स्कीमें और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा मृदा क्षरण को रोकना है:-

(1) राज्य सरकारों की वनरोपण तथा मृदा और सभी संरक्षण संबंधी स्कीमें।

(2) केन्द्रीय सरकार की स्कीमें, जैसे नदी घाटी परियोजनाएं, बाढ़ ग्रस्त नदी कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, समन्वित परती भूमि विकास कार्यक्रम, वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलसंभर विकास कार्यक्रम, पारिकृत्यक बल, आदि।

(3) वनरोपण और परती भूमि विकास संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता का प्रावधान।

(4) 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पर्वतों/पहाड़ियों पर पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों की सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इन्द्रलोक में फ्लैटों का आवंटन

[अनुवाद]

3348. **डा० लाल बहादुर रावल:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग ने नवम्बर, 1990 के दौरान 1985 स्कीम में पंजीकृत व्यक्तियों से इन्द्रलोक क्षेत्र में निर्मित फ्लैटों को नकद भुगतान के आधार पर आवंटित करने हेतु आवेदन पत्र मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो कुल प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन फ्लैटों की तल-वार लागत कितनी है;

(घ) क्या इन फ्लैटों के आवंटन हेतु लाटरी निकालने की तिथि निश्चित कर दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो लाटरी निकालने के लिए चुने गए "जूरी" के सदस्यों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन फ्लैटों का कब्जा प्राप्त करने हेतु सफल आवंटियों को क्या औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) 1537, जिनमें से 1502 को नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार ठीक पाया गया था:-

पंजीकृतों की श्रेणी		ठीक पाये गये आवेदन पत्रों की संख्या
सामान्य श्रेणी	—	1196
अनुसूचित जाति	—	277
विकलांग	—	4
विधवा	—	21
भूतपूर्व सैनिक	—	4

(ग):- दो चरणों में निर्माण किए गए फ्लैटों की तल-वार लागत इस प्रकार है:-

तल	चरण—I	चरण—II
भूतल	1,08,700 रूपये	1,10,300 रूपये
प्रथम तल/द्वितीय तल	1,47,600 रूपये	1,49,200 रूपये
तृतीय तल	1,28,200 रूपये	1,29,800 रूपये

(घ) और (ङ) ड्रा 30-1-91 को निकाला गया था। ड्रा के निर्णायक मंडल के सदस्य निम्नलिखित थे:-

1. श्रीमती नूतन गुहा विश्वास, अपर जिलाधीश
2. श्री आर०के० वर्मा, नई दिल्ली नगर पालिका के अधिकारी
3. श्री के०के० शर्मा, संयुक्त सचिव (गृह), दिल्ली प्रशासन

(च):- सफल आवंटियों द्वारा निम्नलिखित औपचारिकताएं पूरी की जानी अपेक्षित है:-

(i) आवंटन तथा मांग पत्र में मांगी गई फ्लैट की लागत जमा कराना तथा बैंक चालान प्रस्तुत करना।

(ii) निर्धारित प्रपत्र में न्यायिकेतर कागज पर शपथ पत्र जमा कराना।

(iii) इस आशय का एक हलफ्नामा जमा कराना कि आवंटी अथवा उसके आश्रित परिवार के किसी सदस्य के पास दिल्ली संघ राज्य में कोई अन्य मकान/भूखण्ड नहीं है।

(iv) राशन कार्ड की फोटो प्रति जमा कराना।

(v) यथा सत्यापित फोटो तथा नमूना हस्ताक्षर जमा कराना।

(vi) पंजीकरण पर्ची तथा डिपाजिट पर्ची जमा कराना।

नदियों में प्रदूषण

3349. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नदी जल प्रदूषण की गंभीर समस्या है;

(ख) यदि हां, तो नदी जल प्रदूषण का आंकलन करने के लिए क्या तरीके अपनाये जा रहे हैं; और

(ग) देश में नदी जल प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) नदी जल गुणवत्ता निगरानी आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नदियों के कुछ प्रदूषित भागों का पता लगाया है।

(ख) नदी जल प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर डिसाल्वड आक्सीजन कन्सेन्ट्रेशन, कौलीफार्मा और बायोलाजीकल आक्सीजन डिमाण्ड है।

(ग) नदियों में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं;

1. पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत बहिस्राव मानक निर्धारित किए गए हैं;
2. परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है;

3. उद्योगों के स्थान निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

4. बहिस्रावों और उत्सर्जनों के विसर्जन को निर्धारित सीमा के भीतर रखने के लिए उद्योगों से कहा गया है कि वे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्वीकृति संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करें;

5. नदियों में प्रदूषण फैलाने वाले कुछ उद्योगों के विरूद्ध मुकदमें दायर किए गए हैं;

6. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

7. सांझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता देने के लिए एक स्कीम शुरू की गई हैं;

8. अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 किस्म के उद्योगों में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है और एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली इन श्रेणियों की इकाइयों से 31 दिसम्बर, 1991 तक मानकों को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

नई वनरोपण नीति

3350. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक नई वनरोपण नीति तैयार की है;

(ख) क्या उक्त नीति का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पेड़ लगाना है तथा पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस नीति को कब से कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ) 1988 में अपनाई गई राष्ट्रीय वन नीति में समस्त अवक्रमित भूमि तथा वन रहित व वनेतर भूमि, जिसमें हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल हैं, पर वनीकरण तथा वृक्षारोपण के आवश्यकता पर आधारित और समय बद्ध व्यापक कार्यक्रम चलाए जाने की व्यवस्था है जिनमें ईंधन लकड़ी तथा चारा विकास पर विशेष बल दिया गया है इसमें यह भी व्यवस्था है कि देश में वनावरण में वृद्धि करते समय और राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करते समय उत्पादन वानिकी कार्यक्रमों में, पर्याप्त रूप से स्टॉक किए गए प्राकृतिक वनों की पूर्णतया कटाई को शामिल न किया जाए।

केन्द्रीय विद्यालयों के शारीरिक शिक्षा और योग अध्यापकों के स्थानान्तरण

[अनुवाद]

3351. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:**
श्री फूल चन्द वर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों के शारीरिक शिक्षा और योग के अध्यापकों के स्थानान्तरण के वार्षिक अनुरोधों को पिछले दो शिक्षा-सत्रों के दौरान कार्यरुप नहीं दिया गया जबकि अन्य श्रेणियों के अध्यापकों के स्थानान्तरण के अनुरोधों पर आदेश दे दिये गये हैं/दिये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां।

(ख) योग शिक्षा को प्रयोगात्मक आधार पर शुरू करते समय आरम्भ में योग शिक्षकों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद यह निर्णय किया गया कि केन्द्रीय विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा और योग को समेकित कर दिया जाए तथा योग शिक्षकों द्वारा शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की अर्हताएं प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें नियमित कर दिया जाए। इस दौरान अनुरोध पर नेमी स्थानान्तरणों की अनुमति नहीं दी जा रही है।

केन्द्रीय विद्यालय संस्थान में सामूहिक बीमा योजना के लिए धनराशि में वृद्धि करने की मांग

3352. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:**
श्री फूल चन्द वर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना के आधार पर बीमा राशि में वृद्धि की मांग कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, हां। अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय शिक्षक संघ सामूहिक बीमा योजना को विवेकपूर्ण बनाने की मांग कर रहा है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा स्थिति की समीक्षा की जा रही है।

समग्र सेवा संघ के विरूद्ध शिकायतें

[हिन्दी]

3353. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में साक्षरता अभियान चलाने के लिए समग्र सेवा संघ, गरोठ नामक एक संस्था को अनुदान दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि दी गयी;

(ग) क्या सरकार को इस संस्था के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यहि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां।

(ख) प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेन्सियों को वित्तीय सहायता की योजना के अन्तर्गत मन्दसौर जिला समग्र सेवा संघ, सर्वोदय साधना केन्द्र, ग्राम फूलखेड़ा, डाकघर पावरी गरोठ, जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) को वर्ष 1989-90 के दौरान कोई अनुदान नहीं दिया गया था। वर्ष 1990-91 के दौरान, मंत्रालय ने इस एजेन्सी को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत गारोठ ब्लाक को पूर्णतः साक्षर बनाने के लिए 35.62 लाख रू० का अनुदान संस्वीकृत किया था। 16.50 लाख रू० की पहली किस्त 22.4.1991 को मुक्त की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में जांच करने के लिये शिकायत की एक प्रति भेजी गई है तथा उसकी रिपोर्ट मांगी गई है जिसकी अभी प्रतीक्षा है।

केन्द्रीय विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षक

[अनुवाद]

3354. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लगभग 450 शिक्षक हाल ही में अतिरिक्त करार दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शिक्षकों का विद्यालय-वार तथा वर्ग-वार ब्यौरा क्या है; ओर

(ग) उन्हें खपाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) अनुभागों के बढ़ने घटने, केन्द्रीय विद्यालयों का दर्जा बढ़ाने, नए विद्यालय खोलने आदि की सतत प्रक्रिया के कारण किसी-किसी विद्यालय में कुछ शिक्षकों को फालतू घोषित कर दिया जाता है जबकि कुछ अन्य विद्यालयों में पद सृजित किए जाते हैं। केन्द्रीय

विद्यालय संगठन को एक संपूर्ण इकाई के रूप में विचार करने पर कुल मिलाकर शिक्षक के फालतू होने की बजाय कम ही हैं। जहां कोई शिक्षक अपने विद्यालय विशेष में फालतू होता है उसे या तो उसी विषय में या सम्बद्ध विषयों में अन्य रिक्त पदों पर समायोजित किया जाता है। नियमित शिक्षकों की सेवाऐं केवल इसी कारण से समाप्त नहीं की जाती कि उन्हें किसी विशेष विद्यालय/अनुभाग में फालतू घोषित कर दिया गया है।

केन्द्रीय विद्यालयों का कार्यकरण

[हिन्दी]

3355. **श्री राजवीर सिंह:**
श्री संतोष कुमार गंगवार:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने केन्द्रीय विद्यालय कार्य कर रहें हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में और केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है और यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ग) इन विद्यालयों को कब तक खोले जनो की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) (क) जिलावार आधार पर विद्यालय आवंटित करने की कोई पद्धति नहीं है। 740 केन्द्रीय विद्यालय विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कार्य कर रहें हैं जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) 1991-92 के दौरान नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई निर्णय नहीं किया गया है। और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलना, निधियों की उपलब्धता, उपभोगी एजेंसियों द्वारा उपयुक्त प्रस्तावों के प्रायोजन और प्रशासनिक सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

13.8.91 को केन्द्रीय विद्यालयों के राज्यवार विवरण की स्थिति

क्रम सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	39
2.	असम	43
3.	बिहार	52
4.	गुजरात	34
5.	हरियाणा	20
6.	हिमाचल प्रदेश	13
7.	जम्मू और कश्मीर	25
8.	कर्नाटक	24
9.	केरल	21
10.	मध्य प्रदेश	70
11.	महाराष्ट्र	49
12.	मणिपुर	05
13.	मेघालय	07
14.	नागालैण्ड	04
15.	उड़ीसा	22
16.	पंजाब	36
17.	राजस्थान	42
18.	सिक्किम	01
19.	तमिलनाडु	26
20.	त्रिपुरा	04

क्रम सं	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
21.	उत्तर प्रदेश	106
22.	पश्चिम बंगाल	45
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर	02
24.	अरूणाचल प्रदेश	06
25.	चंडीगढ़	06
26.	दिल्ली	30
27	गोवा दमन और दीव	05
28.	पांडिचेरी	02
29.	मिजोरम	01
		740

देश में निरक्षर व्यक्ति

3356. **श्री राजवीर सिंह** : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निरक्षर व्यक्तियों का पता लगाने संबंधी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, तत्संबंधी, ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) देश में साक्षरता संबंधी आकंड़े देश वार्षिक जनगणना के माध्यम से एकत्रित किए जाते है। वर्ष 1991 की जनगणना के संशोधित अस्थाई आंकड़ों के अनुसार देश में राज्य-वार निरक्षर व्यक्तियों की संख्या (सभी आयु वर्ग) को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। विवरण में दर्शाई गई निरक्षर व्यक्तियों की संख्या में 0-6 आयु वर्ग के व्यक्ति शामिल नहीं है जिनके साक्षर होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। 0-6 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या को छोड़कर देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 3240.3 लाख आंकी गई है। 7 अथवा उससे अधिक आयु वर्ग में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या के संबंध मे राज्यवार सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

विवरण

निरक्षर व्यक्तियों की राज्य वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	व्यक्ति (सभी आयु वर्ग)
1.	आंध्र प्रदेश	41414372
2.	अरूणाचल प्रदेश	576245
3.	असम	12663033
4.	बिहार	59484464
5.	गोवा	386620
6.	गुजरात	19897794
7.	हरियाणा	8886007
8.	हिमाचल प्रदेश	2386470
9.	जम्मू एवं कश्मीर	जनगणना नहीं की गई
10.	कर्नाटक	23725548
11.	केरल	6361007
12.	मध्य प्रदेश	42643906
13.	महाराष्ट्र	35808724
14.	मणिपुर	931491
15.	मेघालय	1071207
16.	मिजोरम	223971
17.	नागालैण्ड	594525

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	व्यक्ति (सभी आयु वर्ग)
18.	उड़ीसा	18600165
19.	पंजाब	10237830
20.	राजस्थान	30262368
21.	सिक्किम	214899
22.	तमिलनाडु	25254902
23.	त्रिपुरा	1376260
24.	उत्तर प्रदेश	91983504
25.	पश्चिम बंगाल	35263392
26.	अंडमान और निकोबार	108016
27.	चंडीगढ़	214716
28.	दादर एवं नगर हवेली	93315
29.	दमन और द्वीव	39942
30.	दिल्ली	3420947
31.	लक्षद्वीप	18119
32.	पांडिचेरी	28803
	भारत	482149862

मध्य प्रदेश में प्रदूषण

3357. **श्री अरविन्द नेताम:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में जल तथा वायु प्रदूषण पैदा करने वाले कारखानों की संख्या व नाम क्या है;

(ख) क्या ऐसे कारखानों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) बताया जाता है कि मध्य प्रदेश में 345 ऐसी इकाइयां हैं जो वायु और/अथवा जल प्रदूषण फैला रही हैं। इन इकाइयों के नाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किए गए "जल प्रदूषक उद्योग सूची, मध्य प्रदेश" नामक दस्तावेज में उल्लिखित है जिसे संसद के पुस्तकालय में रख दिया गया है।

(ख) और (ग) इन इकाइयों से एक समय-सीमा के भीतर निर्धारित मानकों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। 29 दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों को दवाओं की सप्लाई

3358. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों को पिछले कुछ महीनों से दवाओं की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक माह सप्लाई की जाने वाली दवाओं का औसत मूल्य क्या है; और

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों को दवाओं की सप्लाई में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों के अनुसार दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों तथा औषधालयों को वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में दवाईयों की आपूर्ति की जाती रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों तथा औषधालयों को उपलब्ध कराई गई दवाईयों का औसत मूल्य प्रतिमाह 32.8 लाख रु० है।

(घ) दवाईयों की आपूर्ति संबंधी पद्धति में यदि कोई गत्यावरोध हों तो उन्हें दूर करने के लिए विशेषज्ञों सहित निपुण व्यक्तियों की एक आंतरिक समिति द्वारा नियमित जांच की जाती है।

रोहिणी आवासीय योजना के अंतर्गत आवंटित प्लाटों का कब्जा

3359. **श्री अरविन्द नेताम:** या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ,की रोहिणी आवासीय योजना के लिए पंजीयन कब हुआ था;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अब तक श्रेणी-वार कितने प्लाटों का आवंटन किया गया;

(ग) क्या जिन्हें अब तक जिन प्लाटों का आवंटन किया गया है उन्हें कब्जा दे दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) शेष अभ्यार्थियों को कब तक प्लाटों का आवंटन कर दिये जाने की संभावना है; और

(च) जिन व्यक्तियों को अभी तक भूखण्ड आवंटित नहीं किए गए हैं उन्हें उनकी अग्रिम जमा राशि पर किस दर से ब्याज दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) रोहिणी आवासीय योजना के लिए पंजीकरण 9.2.1981 को खुला था और 25.4.1981 को यह बन्द हो गया था।

(ख) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/जनता	13673
निम्न आय वर्ग	17109
मध्यम आय वर्ग	10394
	41176

(ग) और (घ) जी, नहीं। 30.6.1991 तक आवंटितियों को 27985 कब्जा पत्र जारी किए गए हैं, प्लाटों के कब्जा देने में विलम्ब आवंटितियों द्वारा कब्जा लेने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने और विभिन्न सेवाओं के प्रावधानों में हुई देरी के कारण हुआ।

(ङ) जमीन उपलब्ध हो जाने पर सभी मौजूदा पंजीकृत व्यक्तियों को 1991-95 तक प्लाट आवंटित कर दिये जाने की संभावना है।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण पंजीकृत व्यक्तियों को उनकी अग्रिम जमा राशि पर ड्रा की तारीख तक 7 प्रतिशत का साधारण ब्याज दे रही है।

पुष्कर घाटी का विकास

3360. **प्रो० रासा सिंह रावत:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने पुष्कर क्षेत्र के आसपास पर्यावरणीय विकास और सुधार करने की दृष्टि से पुष्कर विकास संबंधी कोई विशेष योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या सुझाव दिये गये हैं और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या पुष्कर के पर्यावरण के बारे में कभी कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(घ) क्या पुष्कर एजेंसी के नाम पर कोई पर्यावरण योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा उक्त एजेंसी द्वारा पूरे किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमलनाथ): (क) और (ख) जी, हां। अजमेर जिले के पुष्कर क्षेत्र के समेकित विकास के लिए बाह्य-सहायता प्राप्त करने के बारे में राजस्थान राज्य सरकार ने

एक प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में झील से गाद निकालना/गाद जमाव को रोकना, अवक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए शहर में विकास कार्य और मुख्य घटक के रूप में वृक्षारोपण शामिल है। राजस्थान राज्य सरकार ने बाह्य सहायता हेतु परती भूमि के समेकित और सतत विकास के लिए भारतीय वैज्ञानिक संघ द्वारा तैयार की गई एक अन्य परियोजना भी भेजी है। प्रस्ताव में उसकी गतिविधियों के एक भाग के रूप में पुष्कर क्षेत्र में तथा उसके आसपास पारिस्थितिकी पुनरूद्धार कार्य करने की भी परिकल्पना की गयी है।

(ग) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पुष्कर क्षेत्र में पर्यावरणीय अध्ययन के लिए 2 परियोजनाओं को सहायता दी है। ये परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

(घ) इस मंत्रालय को पुष्कर एजेंसी के नाम से कार्यान्वित की जा रही किसी पर्यावरणीय कीम की जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में मरूस्थल-रोधी संस्थान

3361. प्रो॰ रासा सिंह रावतः क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान में मरूस्थल का विस्तार नियंत्रित करने में चल रही योजनाओं तथा कार्यरत संस्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) अब तक योजनाओं की उपलब्धि तथा संस्थानों का कार्यकरण क्या रहा है;

(घ) मरूस्थल विकास योजना के अन्तर्गत क्या-क्या सुविधाएं व निर्माण कार्य शामिल किये गये है; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान इस पर कितनी धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास-संबंधी वचनबद्धता

[अनुवाद]

3362. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्रीः** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान 10 अप्रैल, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "डी॰ डी॰ ए॰ कैन नाट गो बैक आन प्रामिसेज" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिये गये निर्देशों का ब्यौरा क्या है और 1979 में पंजीकृत लोगों के लिए फ्लैटों के निर्माण के मामले में इसकी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) रोहिणी आवासीय योजना के एक पंजीकृत द्वारा दायर की गई एक प्रकीर्ण याचिका पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को निदेश दिया है कि उसे अगले आदेशों तक रोहिणी आवासीय योजना के सेक्टर-8, पाकेट-1 के भूखण्ड नं॰ 36 के संबंध में नीलामी बिक्री की पुष्टि नहीं करनी चाहिये। तथापि, आयोग ने 25 अप्रैल, 1991 के लिये निर्धारित नीलामी के संबंध में स्थगनादेश प्रदान नहीं किया।

जहां तक न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के अंतर्गत आबंटन के प्रतीक्षारत पंजीकृतों के पिछले बकाया का संबंध है, इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक निपटा दिये जाने की आशा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति

3363. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एक अभियोग में दिल्ली विकास प्राधिकरण के खिलाफ निंदात्मक टिप्पणियां की हैं जिसमें उन हजारों कर्मचारियों की फर्जी नियुक्ति का मामला है तथा जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण में फर्जी स्थानान्तरण आदेशों के आधार पर नियुक्त किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन व्यक्तियों की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण में नियुक्ति हुई है, उससे किस प्रकार निपटा जायेगा;

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण में की गई सभी नियुक्तियों की पुनरीक्षा के लिए और साथ ही यह देखने के लिए कि क्या फर्जी भर्ती के ऐसे और भी मामले हैं, क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों की श्रेणीवार भर्ती की क्या प्रक्रिया है और इस समय उसमें कितनी रिक्तियां है तथा इन रिक्तियों को कैसे भरा जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) जी, हां। 17.07.1991 को निर्णीत एस सी ए संख्या-112/91 और 102/91 में श्री एस० एन० ढींगरा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली ने निम्नानुसार टीका-टिप्पणी की है:—

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये अपीलकर्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों सहित माफिया अथवा संगठित गिरोह के षड्यंत्र के शिकार हुए हैं।"

"मैं, स्वयं को यह टीका-टिप्पणी करने से नहीं रोक सकता कि यह मामला, दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्य पद्धति तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों की सत्यनिष्ठा एवं माफिया की इस हद तक गतिविधियों के रहस्य को प्रकट करने वाला विवरण है"।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी/कर्मचारी-विशेष पर न्यायालय द्वारा अभियोग नहीं लगाया गया है।

उपर्युक्त टीका-टिप्पणियां मुख्य मामले के लंबित रहने के दौरान अंतरिम राहत देने के लिए प्रार्थना-पत्र के निपटारे के समय की गई है। वाद अंतिम निपटारे हेतु अभी लंबित है। कपटपूर्ण नियुक्तियों के 81 मामलों का अब तक पता चला है तथा स्थानीय पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

(ग) पता लगाये गये 81 व्यक्ति पदच्युत किए गए हैं। सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को देने की सलाह दी है।

(घ) सभी मुख्य इंजीनियरों, महाप्रबंधक (अंतर्राज्यीय बस अड्डा) को कपटपूर्ण मामलों का पता लगाने के लिए सभी कार्यप्रभारित कर्मचारियों की नियुक्तियों की जांच-पड़ताल करने के लिए कहा गया था। उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मुख्य सतर्कता अधिकारी को जहां कहीं कपटपूर्ण नियुक्तियों का पता चलता है या दिल्ली विकास प्राधिकरण स्टाफ का शामिल होना पाया जाता है, मामले में और जांच-पड़ताल करने तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए भी कहा है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन

[हिन्दी]

3364. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य में गत तीन वर्षों से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सी० बी० एस० ई० के सेकेंड्री तथा सीनियर सेकेंड्री के परीक्षाफल

3365. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंड्री एजुकेशन के सेकेण्ड्री (10वीं कक्षा) और सीनियर सेकेण्ड्री (12वीं कक्षा) की परीक्षाओं (अखिल भारतीय और दिल्ली) के परिणामों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत में इस वर्ष कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान दोनों कक्षाओं के सफल छात्रों का प्रतिशत क्या था?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) अखिल भारतीय स्कीम में कक्षा X (सैकेण्डरी) की परीक्षा में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता में कुछ थोड़ी सी वृद्धि हुई है जबकि कक्षा XII (सीनियर सैकेण्डरी) की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता में गिरावट आई है। परंतु दिल्ली स्कीम में कक्षा X (सैकेण्डरी) और कक्षा XII (सीनियर सैकेण्डरी) की परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता में गिरावट आई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों की सैकेण्डरी और सीनियर सैकेण्डरी के उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता के सम्बन्ध में जानकारी नीचे दी गई है:—

कक्षा X(सैकेण्डरी)	1989	1990	1991
अखिल भारतीय स्कीम	85.55	78.2	80.1
कक्षा XII (सीनियर सैकेण्डरी)			
अखिल भारतीय स्कीम	84.2	78.0	74.4
दिल्ली स्कीम	81.2	71.9	58.7

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चम्बा जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

[अनुवाद]

3366. **श्री डी० डी० खनोरिया:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चम्बा जिलों में ऐसे अस्पतालों की संख्या कितनी है जिनमें अभी भी अर्हता प्राप्त चिकित्सा कर्मचारी नहीं हैं; और

(ख) इन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में अर्हता प्राप्त चिकित्सा कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और चम्बा जिले में 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं और कोई भी केन्द्र ऐसा नहीं है जहां अर्हता प्राप्त चिकित्सा स्टाफ न हो।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

राज्यवार शिक्षित व्यक्ति

3367. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में कराई गई जनगणना के आधार पर राज्य-वार साक्षरों की संख्या कितनी है और पूर्ण साक्षरता के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) बिहार में, जिले-वार, साक्षरता की स्थिति क्या है; और

(ग) देश में, विशेषकर बिहार में विभिन्न भाषायें बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) वर्ष 1991 की अस्थाई जनगणना के आधार पर राज्य-वार साक्षरों की संख्या को (7 वर्ष तथा अधिक आयु वाली जनसंख्या के लिए) दर्शाने वाला एक ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण तथा स्कूलों में 14 वर्षों तक की आयु वाले सभी बच्चों को स्कूलों में रोके रखने तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े 10 राज्यों में स्कूल छोड़े जाने वाले तथा कार्यरत बच्चों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जिसका उद्देश्य वर्ष 1995 तक 15—35 आयु वर्ग के 8 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है, ये सभी देश से निरक्षरता दूर करने के लिए बनाए गए व्यापक कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग हैं।

(ख) बिहार में, जिले-वार साक्षरों की संख्या (7 वर्ष अथवा आयु वाली जनसंख्या के लिए) को दर्शाने वाला एक ब्यौरा विवरण-2 में संलग्न है।

(ग) वर्ष 1991 की जनगणना के अस्थाई आंकड़ों के अनुसार देश में तथा बिहार में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

विवरण-1

क्र॰ सं॰	भारत/राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश	साक्षर व्यक्ति
	भारत	3,62,174,360
राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	24,940,887
2.	अरुणाचल प्रदेश	282,147
3.	असम	9,631,529
4.	बिहार	26,854,389
5.	गोवा	782,002
6.	गुजरात	21,276,549
7.	हरियाणा	7,431,708
8.	हिमाचल प्रदेश	2,724,609
9.	जम्मू और कश्मीर	उपलब्ध नहीं
10.	कर्नाटक	21,000,920
11.	केरल	22,671,821
12.	मध्य प्रदेश	23,491,956
13.	महाराष्ट्र	42,939,491
14.	मणिपुर	895,223
15.	मेघालय	689,419
16.	मिजोरम	462,246
17.	नागालैंड	621,048

क्र० सं०	भारत/राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश	साक्षर व्यक्ति
18.	उड़ीसा	12,911,905
19.	पंजाब	9,952,965
20.	राजस्थान	13,618,272
21.	सिक्किम	190,606
22.	तमिलनाडु	30,383,416
23.	त्रिपुरा	1,368,567
24.	उत्तर प्रदेश	47,047,626
25.	पश्चिम बंगाल	32,719,340
	संघ शासित प्रदेश	
1.	अन्डमान निकोबार द्वीप समूह	171,095
2.	चंडीगढ़	426,009
3.	दादरा और नागर हवेली	45,086
4.	दमन और द्वीप	61,497
5.	लक्ष्य द्वीप	33,562
6.	दिल्ली	5,949,528
7.	पांडिचेरी	518,942

साक्षरों में जम्मू व कश्मीर के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि वहां पर 1991 की जनगणना नहीं हुई थी।

विवरण-2

क्र० सं०	जिला/शहरी क्षेत्री/शहर	साक्षर व्यक्ति
	बिहार	26,854,389
1.	पटना	1,620,916
	पटना शहरी क्षेत्र	694,498
2.	नालन्दा	760,045
	बिहार शरीफ म्यूनिसिपल	111,014
3.	भोजपुर	1,003,996
	आरा म्यूनिसिपल	93,392
4.	रोहतास	1,057,870
5.	औरंगाबाद	558,837
6.	जहानाबाद	438,637
7.	गया	861,437
	गया शहरी क्षेत्र	179,086
8.	नवादा	423,584

क्रम सं॰	जिला/शहरी क्षेत्री/शहर	साक्षर व्यक्ति
9.	सारण	847,251
	छपरा म्यूनिसिपल	73,138
10.	सिवान	668,578
11.	गोपालगंज	472,339
12.	पश्चिमी चम्पारन	534,036
13.	पूर्व चम्पारन	691,680
14.	सीतामढ़ी	546,429
15.	मुजफ्फरपुर	873,716
	मुजफ्फरपुर म्यूनिसिपल	157,028
16.	वैशाली	694,376
17.	बेगुसराय	543,277
18.	समस्तीपुर	792,535
19.	दरभंगा	712,020
	दरभंगा म्यूनिसिपल	122,086
20.	मधुबनी	762,578
21.	सहर्षा	641,859
22.	मेघपुरा	266,443
23.	पूर्णिया	425,902
	पूर्णिया शहरी क्षेत्र	73,727
24.	कटिहार	412,427
	कटिहार शहरी क्षेत्र	88,322
25.	मुंगेर	1,018,452
	मुंगेर म्यूनिसिपल	88,248
26.	खगडिया	253,395
27.	भागलपुर	1,027,795
	भागलपुर शहरी क्षेत्र	164,606
28.	गोड्डा	237,188
29.	साहिबगंज	281,307
30.	दुमका	418,200
31.	देवघर	281,540
32.	धनबाद	1,270,469
	धनबाद शहरी क्षेत्र	457,627
	बोकारो स्टील शहर	281,648

क्रम सं०	जिला/शहरी क्षेत्री/शहर	साक्षर व्यक्ति
33.	गिरीह	638,142
	फुसरो शहरी क्षेत्र	75,090
34.	हजारीबाग	856,522
	पटराटू शहरी क्षेत्र	61,025
35.	पलागु	596,049
36.	लोहारा दाग	93,311
37.	गुमला	371,593
38.	रांची	919,274
	रांची श०८० क्षेत्र	421,758
39.	पूर्वी सिंहभूम	815,130
	जमशेदपुर शहरी क्षेत्र	557,139
40.	पश्चिमी सिंहभूम	573,460
41.	आरिया	333,899
42.	किशनगंज	177,082

एम = म्यूनिसिपल यू०ए० = शहरी क्षेत्र

उड़ीसा में जिम्नास्टिक स्कूल

[अनुवाद]

3368. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, और विशेषकर उड़ीसा में कितने जिमनास्टिक स्कूल हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार ऐसे और स्कूलों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय [यूथ कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग] में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) देश में कोई भी जिमनास्टिक स्कूल नहीं है। तथापि, भारतीय खेल प्राधिकरण की राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता के अन्तर्गत देश में अपनाए गए 14 स्कूलों में जिम्नास्टिक भी एक विषय है, परन्तु उनमें उड़ीसा में कोई भी स्कूल नहीं है।

(ख) और (ग) देश में जिम्नास्टिक स्कूल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूछताछ कार्यालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आर० के० पुरम द्वारा शिकायतों का निपटान

3369. **श्री सूर्य नारायण यादव:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छः महीनों के दौरान पूछताछ कार्यालय, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आर०-के० पुरम, नई दिल्ली में कितनी शिकायतें (सिविल/इलैक्ट्रिकल) दर्ज की गई, और उनमें से कितनी शिकायतें निपटाई गई;

(ख) इन क्वार्टरों में उपलब्ध कराए गए छत के पंखों पर पिछली बार ग्रीस कब लगाई गई/इनकी सफाई कब की गई/इन्हें पेन्ट कब किया गया और गत छः महीनों के दौरान जीने में लगे बिजली के बल्वों को बदलने के लिए कितनी शिकायतें दर्ज की गई और इनमें से कितनी शिकायतों को निपटाया गया तथा उनका पंखों पर ग्रीस लगाने/इन्हें साफ करने/इन पर पेन्ट करने और जीने के बल्वों को बदले जाने का कब तक विचार है;

(ग) पिछले 6 महीनों के दौरान कितने दरवाजों/खिड़कियों को बदला गया और इस संबंध में घटिया किस्म की लकड़ी का इस्तेमाल करने के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) शिकायतों को श्रेणीवार निपटाने के लिए कितना समय लगा; और

(ङ) लम्बित पड़ी शिकायतों को निपटाने में कितना समय लगने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) आर० के० पुरम, नई दिल्ली के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग पूछताछ कार्यालय में विगत 6 महीने के दौरान सिविल तथा विद्युत सम्बन्धी दर्ज की गयी तथा उनमें से दूर की गयी शिकायतों की संख्या इस प्रकार है:

	दर्ज की गयी शिकायतों की सं०	दूर की गयी शिकायतों की सं०	लम्बित शिकायतों की संख्या
सिविल	7201	7066	135
विद्युत	5279	5279	

(ख) पंखों की स्थिति पर निर्भर करते हुए पंखों की सफाई, रंगाई व ग्रीसिंग की जाती है। दिसम्बर, 1989 तक लगभग 75% मकानों के पंखों में इस तरह की सफाई/रंगाई व ग्रीसिंग का काम पूरा किया गया। टाइप IV स्पेशल को छोड़कर शेष 25% मकानों में यह काम दिसम्बर, 1990 तक पूरा किया गया।

पिछले 6 महीनों के दौरान सीढ़ियों में बिजली के बल्बों को बदलने के बारे में प्राप्त सभी 487 शिकायतों को दूर कर दिया गया है।

(ग) पिछले 6 महीनों के दौरान 51 दरवाजे और 6 खिड़की के पल्ले बदले गये। इन दरवाजों/खिड़कियों के पल्लों में प्रयोग की गई लकड़ी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(घ) और (ङ) सिविल की विभिन्न श्रेणियों की शिकायतों को दूर करने के लिए गये समय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। आत तौर पर दिन-प्रतिदिन की विद्युत शिकायतों को उसी दिन दूर कर दिया जाता है। तथापि निधियों की कमी के कारण बड़ी चीजों को बदलने में जैसे छत के पंखे को बदलने की शिकायत को दूर करने में कुछ समय लग जाता है, क्योंकि इनमें पर्याप्त मात्रा में व्यय सम्मिलित होता है और जैसे ही आवश्यक निधियां उपलब्ध हो जाती हैं इनको दूर किया जा सकता है। सिविल की लम्बित शिकायतों को आगामी 3 माह में दूर किए जाने की संभावना है।

विवरण

क्र. सं०	श्रेणी	6 माह के दौरान प्राप्त कुल शिकायत	उसी दिन दूर की गयी शिकायतें	3 दिन के अन्दर दूर की गयी शिकायतें	7 दिन के अन्दर दूर की गयी शिकायतें	7 दिन से अधिक समय में दूर की गयी शिकायतें	लम्बित
1	बढ़ई	1406	1278	30	09	1	88
2.	मैसन	1437	1400	28	02	2	5
3.	प्लम्बर	2434	2364	25	03	—	42
4	एस / मैन	1924	1888	28	07	1	—
	योग	7201	6930	111	21	4	135

आदिवासी क्षेत्रों में चल अस्पताल

3370. **श्री गोपीनाथ गजपतिः क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास आदिवासी क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत चल-अस्पतालों की स्थापना करने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) दूर-दराज के क्षेत्रों में जहां पर पहुंचने के साधन नहीं है वहां पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कौन से वैकल्पिक कदम उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क). जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं जुटाना एक राज्य विषय है और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा सभी को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तथापि, आदिवासी जनसंख्या तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों की स्थापना करने संबंधी मानकों को शिथिल कर दिया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आदिवासी क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में कवर की जाने वाली 30,000 जनसंख्या की तुलना में 20,000 जनसंख्या को कवर करने के लिए खोला जा सकता है। इसी प्रकार आदिवासी क्षेत्रों में एक उप-केन्द्र अन्य क्षेत्रों में कवर की जाने वाली, 5000 जनसंख्या की तुलना में 3000 जनसंख्या को कवर करने के लिए खोला जा सकता है।

केरल में कोन्नी-अचेनकोइल वन सड़क का निर्माण

3371. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल में कोन्नी-अचेनकोइल वन सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो यह मंजूरी कब दी गई ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, नहीं, राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण हैल्थ गाइड योजना

3372. **श्री सैयद शहाबुद्दीन:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 के लिए ग्रामीण हैल्थ गाइड योजना के लिए राज्यवार कितना-कितना धन आबंटित किया गया है;

(ख) क्या योजना के शुरू करने से लेकर अब तक इसकी शर्तों में संशोधन किया गया है, यदि हां, तो आखिरी संशोधन कब किया गया था; और

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों के विस्तार के रूप में हैल्थ गाइडों को राज्य सरकार के अधीन नियमित कर्मचारियों में बदलने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ):

(क) चालू वर्ष के दौरान ग्रामीण हैल्थ गाइड योजना के अंतर्गत अब तक विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराई गई धन राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 1991-92 के लिए धन के आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) योजना के मूल उद्देश्य अर्थात कुछ सामान्य बीमारी की स्थितियों में राहत देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या में समुदाय द्वारा चुने गए स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने और समुदाय व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करने के उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तथापि, अब ग्रामीण हैल्थ गाइडों को दवाई की किटें सप्लाई नहीं की जा रही हैं और इन कर्मिकों के प्रशिक्षण और उनके कार्यकलापों में तालमेल बिठाने के लिए ब्लाक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मूल रूप से सृजित किए गए तृतीय चिकित्सा अधिकारी के पद को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) जी, हां।

विवरण

ग्रामीण हैल्थ गाइड योजना 1991-92 के अंतर्गत दिया गया धन

		ग्रामीण हैल्थ गाइड योजना के अन्तर्गत दी राशि (लाख रुपये)
1.	आन्ध्र प्रदेश	51.50
2.	असम	16.96
3.	बिहार	15.65
4.	गुजरात	10.49
5.	हरियाणा	0.36
6.	हिमाचल प्रदेश	5.50
7.	कर्नाटक	22.69
8.	केरल	0.00
9.	मध्य प्रदेश	50.54
10.	महाराष्ट्र	63.77
11.	मणिपुर	2.55
12.	मेघालय	1.94
13.	नागालैंड	0.82
14.	उड़ीसा	31.79
15.	पंजाब	17.49
16.	राजस्थान	13.47
17.	तमिलनाडु	0.00
18.	त्रिपुरा	2.76
19.	उत्तर प्रदेश	135.17
20.	पश्चिम बंगाल	60.35
21.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
22.	गोवा	0.00
23.	मिजोरम	0.86
	योग	504.66

ऐतिहासिक अवशेषों से मूल्यवान पत्थरों का गायब होना

3373. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान आगरा फोर्ट से कुछ ऐतिहासिक अवशेष और वस्तुयें तथा वास्तुकला सज्जा हेतु प्रयोग किये गये अर्धमूल्यवान पत्थर गायब पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों में आगरा फोर्ट की मरम्मत और रखरखाव तथा इसके पुनरूद्धार पर, वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) इस संबंध में किये गये प्रमुख कार्यों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान आगरा किले के रख-रखाव, संरचनात्मक मरम्मत और कृषिवानिकी विकास पर किया गया व्यय:—

1988-89	7,44,473.77 रु०
1989-90	11,60,437.40 रु०
1990-91	9,45,145.92 रु०

किए गए प्रमुख कार्यों में किले की दीवारों, शीश महल एवं मच्छी भवन के संरक्षण के कार्य हैं।

आफ स्पाईरैलिंग कास्ट्स एंड ब्रोकन होप्स शीर्षक से समाचार

3374. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 मई, 1991 के इकानामिक टाइम्स में "आफ स्पाईरैलिंग कास्ट्स एंड ब्रोकन होस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समाचार आवास समितियों के सदस्यों की व्यथा के बारे में है; और

(ग) सरकार ने उक्त आवास समितियों की बेईमान प्रबन्ध समिति और ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) इस रिपोर्ट में दिल्ली वाच डीलर्स सहकारी समूह आवास समिति द्वारा फ्लैटों के निर्माण में तथा कथित-कुप्रबन्ध की बात सम्मिलित है।

(ग) शिकायत प्राप्त होने पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने दिल्ली सहकारी समितियां, अधिनियम, 1972 की धारा 55 के अधीन समिति की वित्तीय स्थिति की जांच पड़ताल करने के लिए जांच करने का आदेश दिया। जांच रिपोर्ट के अनुसार ठेका देने के मामले में अनियमितताएं पाई गई। सोसाइटी को हुई हानि को पूरा करने के उद्देश्य से दिल्ली सहकारी समितियां, अधिनियम की धारा 59 के अधीन वित्तीय अनियमितताओं में सम्मिलित व्यक्ति जिम्मेदारी तय करने के लिए आगे की जांच आरम्भ की जा रही है।

भारतीय वानस्पतिक उद्यान के लिए स्वीकृत वैज्ञानिक परियोजनाएं

3375. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय वानस्पतिक उद्यान के लिए कितनी वैज्ञानिक परियोजनाएं मंजूर की गई;

(ख) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण के विस्तार की भावी योजना और कार्यक्रम क्या है;

(ग) क्या दिल्ली और करनाल में राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यानों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) भारतीय वनस्पति उद्यान के लिए स्वीकृत वैज्ञानिक परियोजनाएं इस प्रकार हैं—

(1) छठी योजनावधि के दौरान

1. फ्लोरा आफ इंडिया परियोजना के लिए **एरेकेसिया, रुबियेसिया, कैरियोफिलासिया, लिलियासिया** पौध परिवारों के वंशों का संशोधन।
2. कलकत्ता महानगर में उगने वाले बागवानी वृक्षों और झाड़ियों का सर्वेक्षण और प्रलेखन।
3. जल कुमुदनी पाम, चमेली और बांस के जर्मप्लाज्म संग्रहों को प्रारम्भ करना और समृद्ध बनाना।
4. भारत के वनस्पति उद्यानों और पार्कों तथा उद्यानों के विकास के इतिहास की भी निदेशिका तैयार करना।

2. सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए

1. भारत के वनस्पति उद्यानों में संजीव संकलनों की सूची बनाना।
2. भारत के कृषित पौधों के मैनुअल के लिए भारत के कृषित पौधों की सूची बनाना।
3. फ्लोरा आफ इंडिया परियोजना के लिए ऐरेकेसिया परिवार के कुछ पौध वंशों का संशोधन।
4. पौधों की कैरिटन ब्रीडिंग।

(ख) एक व्यापक पुनरीक्षा के आधार पर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के कार्यों, संगठन और कार्यक्रमों को कारगर बनाया गया है और 2000ई० तक की समयावधि में इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए है।

(ग) और (घ) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण करनाल में एक वनस्पति उद्यान-व-फिक्स अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। दिल्ली या करनाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान स्थापित करने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

प्रापर्टी डीलरों द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का क्रय-विक्रय

3376. **श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रापर्टी डीलरों द्वारा डी० डी० ए० फ्लैटों के क्रय विक्रय के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डी० डी० ए० ने क्या कार्यवाही की है या किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) फ्लैटों के अवैध क्रय तथा विक्रय के सम्बन्ध में 5 शिकायतें प्राप्त हुई थी। 3 मामलों में आबंटन रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, एवं मामला न्यायाधीन है तथा बाकी एक में आरोप भ्रष्टाचार निरोधी शाखा, दिल्ली प्रशासन द्वारा निराधार पाए गए थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सहायता

3377. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या **कल्याण** मत्री 29 जुलाई, 1991 के तारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने विकलांग व्यक्तियों की सहायता की गई और चिकित्सा/उपकरण खरीदने पर प्रति व्यक्ति कितनी सहायता धनराशि व्यय की गई;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितने विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई और ये छात्र किन संस्थाओं में रखे गये हैं;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान सरकार ने कितने गैर सरकारी संगठनों की सहायता की है, इस वर्ष में कुल कितनी सहायता प्रदान की गई तथा बिहार में उन संगठनों के नाम क्या हैं; और

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान विशेष कक्षों व्यवसायेक पुनर्वास केन्द्रों और विशेष रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने बेरोजगार विकलांगों को रोजगार दिलाया है?

कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी: (क) सहायक यंत्रों तथा उपकरणों को खरीदने/लगाने हेतु विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अंतर्गत तथा जिला पुनर्वास केन्द्र योजनाओं के माध्यम से लगभग एक लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए तथा प्रति व्यक्ति व्यय 500 रु० हुआ।

(ख) इस वर्ष देश भर के संस्थानों के अन्तर्गत अध्ययन कर रहे 37,171 छात्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

(ग) इस वर्ष सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों की संख्या 215 है। इस वर्ष के दौरान बिहार में ऐसे संगठनों को कुल 15,79,132 रु० की सहायता दी गई।

सहायता प्राप्त संगठन इस प्रकार हैं:—

(1) गिरजा शंकर दृष्टिहीन बालिका विद्यालय।

(2) मानसिक विकलांग तथा मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़ितों के लिए गृह।

(3) अन्ध बालिका विद्यालय।

(4) प्राकृतिक अरोग्याश्रम।

(5) बिहार पुनर्वास तथा कल्याण संस्थान।

(6) सन्थाल पहाड़िया सेवा मंडल।

(7) गया नेत्रहीन विद्यालय।

(8) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस वर्ष के दौरान 7652 व्यक्तियों को स्थापन प्राप्त हुआ।

नशीले औषधों का दुरूपयोग

3378. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नशीले औषध के दुरूपयोग और उनकी अवैध तस्करी के विरूद्ध मनाए गए अंतराष्ट्रीय दिवस पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के महासचिव ने नशीले औषधों के दुरूपयोग के विश्वव्यापी खतरे को देखते हुए अंतराष्ट्रीय समुदाय की इसके विरूद्ध संगठित होने की पुनरीक्षित वचनबद्धता की प्रशंसा की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है तथा केंद्रीय तथा राज्य स्तरों पर नशीले औषधों के दुरूपयोग को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं तथा इसके लिए कितनी वित्तीय सहायता दी गई है तथा इस उद्देश्य हेतु क्या योजना बनाई गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, हां।

(ख) औषध दुरूपयोग की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(1) स्वापक औषध तथा संवेदनमन्दक पदार्थ (साइको ट्रैपिक) अधिनियम, 1985 तथा स्वापक औषध एवं संवेदनमंदक (साइको ट्रैपिक) पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 देश में लागू है और संबंधित एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे है।

(2) कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित मद्य निषेध तथा औषध दुरूपयोग निवारण हेतु स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत नशीले पदार्थों के व्यसनियों को परामर्श देने, निर्व्यसन करने तथा अनुवर्ती देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 112 परामर्श केन्द्रों, 44 निर्व्यसन केन्द्रों तथा 10 उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्रों की स्थापना की गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान, इस योजना के अंतर्गत संस्वीकृत अनुदान इस प्रकार है:—

वर्ष	संस्वीकृत राशि (रुपए लाख में)
1989-90	460.00
1990-91	460.73

शिक्षक दिवस पर अध्यापकों को पुरस्कार

[हिन्दी]

3379. **श्री शिव शरण वर्मा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन प्रति वर्ष शिक्षक दिवस पर सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिये अध्यापकों को राज्य पुरस्कार प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस दिवस पर कितने अध्यापकों को सम्मानित किया गया और उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने अध्यापक थे;

(ग) यदि उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के किसी भी अध्यापक को सम्मानित नहीं किया गया, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) आगामी शिक्षक दिवस पर उनको सम्मानित करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन ने गत

तीन वर्षों के दौरान नब्बे शिक्षकों को राज्य पुरस्कार प्रदान किए जिनमें दो अनुसूचित जाति के शिक्षक भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सामाजिक बुराईयों के खिलाफ संगठन

3380. **श्री शिव शरण वर्मा:** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन ऐच्छिक/गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जो सामाजिक बुराईयों के खिलाफ संघर्षरत है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे संगठनों को कोई वित्तीय सहायता दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (ग)

देश में बहुत से स्वयंसेवी/गैर-सरकारी संगठन सामाजिक बुराईयों के विरूद्ध संघर्षरत है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त संगठनों की संख्या संलग्न विवरण में ब्यौरेवार दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	योजना	31.3.91 की स्थिति के अनुसार स्वयंसेवी/गैर-सरकारी संगठनों की संख्या जिन्होंने वित्तीय सहायता प्राप्त की	आवंटित राशि (रुपये लाखों में) 1988-89	1989-90	1990-91
1.	महिलाओं पर अत्याचारों की रोकथाम के लिए प्रयास संवर्धन, प्रकाशन और अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहित करने की योजना	63	30.00	30.00	35.00
2.	मद्यनिषेध और औषध दुरूपयोग-निवारण योजना	105	364.81	460.00	460.73
3.	अस्पृश्यता उन्मूलन तथा भंगी कष्ट मुक्ति कार्य	2	8.41	9.98	शून्य

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का अनुसंधान कार्य बन्द करना

3381. **श्री शिव शरण वर्मा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पागल जानवरों के काटने से होने वाली "रेबीज" बीमारी के उपचार के लिए किए जा रहे अनुसंधान कार्य को बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह अनुसंधान कार्य कब से चल रहा था और इस पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई०सी०एम०आर०) ने अनुसंधान परियोजनाओं को यह पता लगाने के उद्देश्य से निधि दी है कि क्या गहन परिचर्या और औषधों के विवेकपूर्ण योगों के जरिए अलर्क रोगियों के जीवन को बढ़ाया जा सकता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के संवेदनाहरण विज्ञान के प्रोफेसर डा० गोड पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने कुछ रोगियों में कुछ दिनों तक जीवन को बढ़ाने की रिपोर्ट दी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से सेवानिवृत होने के पश्चात् डा० गोड अलर्क रोग पर अपने अनुसंधान अध्ययनों को जारी रखने के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन सेवानिवृत्त वैज्ञानिक बन गए। चूंकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अलर्क रोगियों की परिचर्या

के लिए आधारभूत सुविधाएं निरन्तर देने में असमर्थ है, अतः यह अध्ययन संक्रामक रोग अस्पताल, दिल्ली को स्थानान्तरित कर दिया गया जहां अलर्क रोगियों को भर्ती किया जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने अलर्क रोगियों की परिचर्या के लिए उपस्कर, औषधें प्राप्त करने के लिए अनुदान दिया है और डा० गोड की सहायता के लिए अनुसंधान कर्मचारियों की भी व्यवस्था की है। क्योंकि संक्रामक रोग अस्पताल के पास अलर्क रोगियों की गहन देखभाल के लिए सुविधाएं नहीं हैं।

डा० गोड का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण उनके द्वारा शुरू की गई अनुसंधान परियोजना को समाप्त कर दिया गया।

1980-90 के मध्य भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा 14.7 लाख रु० प्रदान किए गए। वर्ष 1990-91 में इस परियोजना के लिए 29.6 लाख रु० आबंटित किए गए।

*** दिल्ली में सामाजिक संगठनों/ट्रस्टों को भूमि**

3382. **श्री हरिकेवल प्रसाद:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान उन सामाजिक संगठनों, ट्रस्टों और धार्मिक संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें भूमि/भवन आवंटित किये गये और ये कहां स्थित है तथा उन्हें किस दर पर आवंटन किया गया; और

(ख) सरकार के पास ऐसे कितने मामले लम्बित है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के होमियोपैथिक औषधालयों में औषधियों की उपलब्धता

3383. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के होमियोपैथिक औषधालयों/एककों में आर्निका हेयर ऑयल, यूफ्रेसिया आई ड्राप्स और कई महत्वपूर्ण मदर टिंक्चर जैसी होमियोपैथिक औषधियां उपलब्ध नहीं होती;

(ख) दिल्ली में होमियोपैथिक औषधालयों/यूनिटों में आर्निका हेयर ऑयल और यूफ्रेसिया आई ड्राप्स कब से उपलब्ध नहीं है;

(ग) 31 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के होमियोपैथिक औषधालयों में कौन-कौन से मदर टिंक्चर उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के होमियोपैथिक औषधालयों/यूनिटों में औषधियों की सप्लाई बिगड़ रही है; और

(ङ) दिल्ली में होमियोपैथिक औषधालयों/यूनिटों में सभी प्रकार की औषधियों को उपलब्ध कराने की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी, हां।

(ख) आर्निका हेयर ऑयल और यूफरेसिया आई ड्राप्स क्रमशः 13.8.90 और 18.1.91 से आयुर्वेदिक स्टोर डिपो में उपलब्ध नहीं है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) सूचीबद्ध फार्मूलरी मदों की खरीद हेतु वर्ष 1991-92 के लिए वार्षिक दर करारों को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और सप्लाई आर्डर दिए जा चुके हैं।

विवरण

क्र॰सं॰	एन॰आई॰बी॰ नं॰	दवाई का नाम	तारीख जिससे उपलब्ध नहीं है	
1.	बी-2	अकास्फा इण्डिका	क्यू॰ 27.3.91	
2.	बी-7	अल्फाल्फा	" 16.7.91	
3.	बी-11	एपोसिनम	" 10.7.91	
4.	बी-12	अरेनिया डायडेमा	" क्वोट नहीं किया	
5.	बी-16	अवेना सेटिवा	" 30.4.91	
6.	बी-17	अजाडिराक्टा	" 30.4.91	
7.	बी-18	बेपटिसिया	" 10.7.91	
8.	बी-19	बरबेरिस एक्वा	" 23.4.91	
9.	बी-21	ब्लेटा और	" 30.4.91	
10.	बी-26	केन्थरिस	" 05.6.91	
11.	बी-27	कारडूस मार.	" 08.10.90	
12.	बी-29	कससकरा सेग	" 10.5.91	
13.	बी-30	सीनानथस	" 23.3.91	
14.	बी-32	कौलिड्रोनियम	" 18.6.91	
15.	बी-33	केल्सेन	" 16.7.91	
16.	बी-35	चाइना आफ	" 23.4.91	
17.	बी-37	साइना	" 30.4.91	
18.	बी-38	कोलिनसोनिया	" 10.5.91	
19.	बी-43	ड्रोसेरा	" 10.5.91	
20.	बी-44	डिजिटालिस	" 10.7.91	
21.	बी-47	इरिजरान	" 10.5.91	
22.	बी-50	फिकस राल	" 18.6.91	
23.	बी-53	फिकस वेस	" 23.4.91	
24.	बी-56	जोसीपियम	" 14.12.90	
25.	बी-70	कुर्ची	" 15.3.91	
26.	बी-74	मिलिफोलियम	" 10.7.91	
27.	बी-75	मिरिसटिका सैब	" 10.7.91	
28.	बी-76	नक्स वोमिका	" 10.7.91	
29.	बी-85	सोरिलिय-कार	" 20.4.91	
30.	बी-87	क्वेरिकस ग्लैंड	" 14.12.90	
31.	बी-92	सेनेसियो	" 13.12.90	क्वोट नहीं किया
32.	बी-94	स्पार्टियम	" 13.12.90	-तदैव-
33.	बी-95	स्टेविया टी॰	" 21.3.91	
34.	बी-97	स्टेरकुलिया	" क्वोट नहीं किया	
35.	बी-98	स्ट्रोफेन्थस	" 18.6.91	
36.	बी-100	टर्मिनालिया अर्ज	" 27.3.91	-तदेव-
37.	बी-102	थूजा ओसी	" 10.5.91	
38.	बी-101	थालास्पी बी॰पी॰	" 23.4.91	
39.	बी-105	टेलिफ्लोरा इण्डि॰	" 8.10.90	-तदेव-
40.	बी-108	अस्टीलेगो	" 18.6.91	
41.	बी-109	विबरनम ओप	" 10.5.91	
42.	बी-110	विसकम आल्ब	" 30.4.91	
43.	बी-111	योहीम्बिम	" 13.12.90	
44.	बी-114	कैलेन्डुला एक्सट॰	" 29.7.91	
45.	बी-115	इनिसिया एक्सट॰	" 29.7.91	
46.	बी-116	केनेसोटम एक्सट॰	" 23.4.91	
47.	बी-117	प्लेन्टेगो॰	" 23.4.91	

कुल मदर टिंचर: 117-47 उपलब्ध नहीं है, 70 उपलब्ध है। (लगभग 57% उपलब्धता है)

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक औषधालयों में अर्ध-चिकित्सीय

3384. श्री तारा चन्द खण्डेलवाल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रत्येक आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक औषधालय/चिकित्सा यूनिट में अर्ध-चिकित्सीय स्वीकृत स्टाफ कितना है;

(ख) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रत्येक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालय/चिकित्सा यूनिट में अर्ध-चिकित्सीय स्वीकृत टाफ पूरा लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और दिल्ली में प्रत्येक आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक औषधालय/यूनिट में अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों के पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(घ) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रत्येक आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक औषधालय/यूनिट में अर्ध-चिकित्सीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी॰ के॰ तारादेवी सिद्धार्थ): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ख) और (ग) प्रत्येक आयुर्वेदिक/होमियोपैथिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय एकक में आयुर्वेदिक फार्मेसिस्टों के 4 पदों को छोड़कर जिन्हें अपेक्षित अर्हताओं वाले उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सका, पराचिकित्सा स्टाफ पूरी स्वीकृत संख्या में उपलब्ध है। ये पद 1985 से रिक्त पड़े हुए हैं।

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन रिक्तियों को केन्द्रीय रोजगार कार्यालय द्वारा 9.3.1991, 16.3.1991 और 23.3.91 को अग्रणी अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापित कर दिया गया है।

विवरण

होमियोपैथिक औषधालय	स्टोरकीपर	फार्मेसिस्ट	नर्सिंग अटेंडेण्ट
गोल मार्किट	1	2	1
देव नगर	1	2	1
आर॰के॰ पुरम	1	1	1

होमियोपैथिक एकक	फार्मेसिस्ट-एवं-लिपिक	नर्सिंग अटेंडेण्ट
साऊथ एवेन्यू	1	1
कालकाजी	1	1
कस्तूरबा नगर-I	1	1
पुष्प विहार	1	1
शाहदरा	1	1
दरियागंज	1	1
तिलक नगर	1	1
राजौरी गार्डन	1	1
तिमारपुर	2	2
आर॰ के॰ पुरम (सेक्टर IV)	1	1

होमियोपैथिक औषधालय	स्टोरकीपर	फार्मेसिस्ट	नर्सिंग अटेंडेण्ट
गोल मार्किट	1	2	1
नॉर्थ एवेन्यू	1	1	1
देव नगर	1	2	1
किदवई नगर	1	2	1
आर०के० पुरम्	1	2	1

आयुर्वेदिक एकक	फार्मेसिस्ट-एवं-लिपिक	नर्सिंग अटेंडेण्ट
जंगपुरा	1	1
एम० बी० रोड	1	1
गुड़गांव	1	1
दिल्ली कैंट	1	1
नांगल राय	1	1
किंग्जवे कैंप	2	2
लक्ष्मी नगर	1	1
पश्चिम विहार	1	1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रभावी कार्यकरण

3386. **श्री कोड्डीकुन्नील सुरेश:**
श्री सोमजीभाई डामोर:

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवगठित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग उचित ढंग से कार्य कर रहा है;

(ख) इस आयोग ने अब तक कितनी बैठकें की हैं और कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं;

(ग) क्या सरकार को इस आयोग के कार्यकरण के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हाल ही में बनाये गये नियमों की दृष्टि से इस आयोग के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने का है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) संविधान के संशोधन अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग अभी गठित किया जाना है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विषय विशेषज्ञों को सौंपा गया काम

[हिन्दी]

3387. **श्री कालका दास:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1985 और 1986 के दौरान संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् और दिल्ली प्रशासन शिक्षा निदेशालय में कुछ विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें किस प्रकार का काम सौंपा गया है;

(घ) क्या विषय विशेषज्ञों को उनकी सेवा शर्तों के अनुसार सौंपा गया काम अब उनसे वापस लिया गया है और इसी काम के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् एक-स्वायत्तशासी निकाय में उच्च वेतन-मान में नई नियुक्तियां की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधान विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्, दिल्ली वर्ष 1985-86 में अपने वर्तमान रूप में मौजूद नहीं थी। लेकिन, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा जुलाई, 1985 से अप्रैल, 1986 के दौरान भूतपूर्व राज्य शिक्षा संस्था, दिल्ली के लिए संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर पांच विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई थी।

(ग) विषय-विशेषज्ञों से सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने, पाठ्यक्रमों में सुधार लाने तथा कक्षा

अध्यापकों को संबंधित विषयों में मार्ग दर्शन देने की अपेक्षा की गई थी।

(घ) और (ङ) शिक्षा निदेशालय में विषय विशेषज्ञों को सौंपा गया कार्य वापस नहीं लिया गया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (एस०सी०ई०आर०टी०) में जो कि एक स्वायत्त पंजीकृत संस्था है नियुक्तियां, संस्था की अपनी चयन प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं। राष्ट्रीय शै०अनु० व प्र०परि० का इस मामले से कोई संबंध नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को क्वार्टर

[अनुवाद]

3388. **श्री हरिन पाठक:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कालोनी, अहमदाबाद में स्टाफ क्वार्टर बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना धन खर्च किया गया;

(ग) क्या उन क्वार्टरों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को गृह निर्माण भूमि के बदले आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर) (क) जी, हां। मुख्य रूप से अहमदाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा की तीन कालोनियों में कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण किया गया है।

(ख) 1.88 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में वनों की कटाई को रोकने के लिए कदम

3389. **श्री यशवन्त राव पाटिल:**
श्री भेरू लाल मीणा:

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में वनों की बड़े पैमाने पर कटाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार पेड़ों की कटाई रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या सरकार ने वनों की कटाई रोकने के लिए एक "वन विकास योजना" बनाई है और यदि हां, तो वनों के विकास के लिए सरकार द्वारा दी गई कुल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वन विभाग द्वारा लगाए पेड़ों की देखभाल केवल पांच वर्ष तक की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या लगाए गए पेड़ सुरक्षित रहते हैं और यदि नहीं तो सरकार ने लगाए गए पेड़ों तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) बड़े पैमाने पर वननाशन के संबंध में हाल में राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी केन्द्रीय सरकार ने वृक्षों को गैर कानूनी रूप से काटने पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

1. 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पर्वतों/पहाड़ियों पर वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

2. वन सुरक्षा उपाय तेज किए जा रहे हैं जिनमें वनों में जैविक हस्तक्षेप को रोकने के लिए अवसरचनात्मक सुविधाओं को सुदृढ़ करना शामिल है।

3. वन भूमि के वनेतर प्रयोजनों के लिए प्रयोग को रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 पारित

किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार कुछ विकास योजनाओं जैसे जलाने की लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम, लघुवन उत्पाद, हवाई बीजारोपण, विकेन्द्रीकृत जन नर्सरियां, बीज-विकास तथा समन्वित परती भूमि विकास कार्यक्रमों में राज्य सरकारों की सहायता करती रही है। वर्ष 1990-91 के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) आमतौर पर पौधों को तीन से पांच वर्ष तक की अवधि के लिए रखा जाता है।

(ङ) पौधों की सुरक्षा के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। पौधों की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी के अलावा स्थान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पौधों की सुरक्षा के लिए विभिन्न किस्म की कंटेदार तारें भी लगाई जाती हैं। पौधों को अग्नि, चराई आदि से बचाने के लिए निश्चित अवधि के लिए निगरानी रखने वाले लोगों को भी लगाया जाता है।

विवरण

(लाख रुपयों में)

	राज्य का नाम	क्षेत्रोन्मुख ईंधन, लकड़ी और चारा परियोजना	लघुवन उत्पाद	हवाई बीज रोपण	विकेन्द्रीकृत जननर्सरियां	बीज विकास	समन्वित जैविक हस्तक्षेप परती भूमि विकास परियोजना	से वनों के संरक्षण के लिए अवसंरचना का विकास
1.	आन्ध्र प्रदेश	124.43	30.00	12.00	39.00	5.00	56.00	2.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.38	4.82	—	9.95	—	4.71	6.25
3.	असम	80.61	4.75	—	18.30	—	—	9.655
4.	बिहार	192.21	47.125	—	50.00	7.00	—	—
5.	गुजरात	93.08	20.00	—	177.87	5.00	55.00	7.90
6.	गोआ	1.23	—	—	—	—	5.00	1.59
7.	हरियाणा	222.63	40.00	4.50	405.00	10.00	163.50	3.48
8.	हिमाचल प्रदेश	45.00	—	—	22.50	25.90	214.24	—
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	9.00	16.55	115.78	—
10.	कर्नाटक	85.00	—	18.49	150.00	15.00	—	52.285
11.	केरल	—	—	—	17.25	6.35	—	—
12.	मध्य प्रदेश	85.00	23.00	14.38	302.30	—	244.64	11.01
13.	महाराष्ट्र	45.00	—	—	235.91	11.88	19.50	—
14.	मणिपुर	60.00	20.00	—	4.95	—	54.50	—
15.	मेघालय	9.17	51.15	—	9.00	—	114.56	—
16.	मिजोरम	69.40	12.40	14.50	33.15	10.60	661.50	5.875
17.	नागालैंड	—	5.00	—	4.50	—	—	—
18.	उड़ीसा	225.00	60.00	—	22.50	13.16	51.00	10.00
19.	पंजाब	108.54	—	—	33.75	7.07	180.00	12.50
20.	राजस्थान	190.95	37.50	19.75	93.62	14.25	234.89	—
21.	सिक्किम	37.40	16.50	—	3.94	—	121.23	—
22.	तमिलनाडु	50.71	—	104.65	70.00	6.00	187.00	40.00
23.	त्रिपुरा	30.00	9.00	—	7.51	—	40.00	3.35
24.	उत्तर प्रदेश	162.50	—	—	67.50	17.04	307.04	18.42
25.	पश्चिम बंगाल	104.70	60.75	9.19	112.50	—	146.90	—
26.	दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	2047.44	441.995	197.46	1900.00	170.80	2381.97	185.215

केरल में अस्पतालों में दवाओं की कमी

3390. **श्री कोडीकुनील सुरेश:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से, वहां के सरकारी अस्पतालों आदि में दवाओं की कमी के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या केरल सरकार ने रोगियों को वितरण के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाओं की सप्लाई करने का भी अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पुस्तकों के मुफ्त वितरण में विलम्ब

[हिन्दी]

3391. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में मुफ्त पुस्तकों के वितरण में विलम्ब हुआ है;

(ख) क्या इस तरह के विलम्ब से छात्रों के अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है; और

(ग) क्या पुस्तकों के देर से मिलने पर शिक्षकगण पाठ्यक्रम को समय पर पूरा कर पाते हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना नीचे दी गई है:—

नई दिल्ली नगर पालिका

नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों में सामान्यतया पाठ्य-पुस्तकें मई के दूसरे सप्ताह में बांटी जाती हैं किन्तु इस वर्ष पुस्तकों का वितरण जून, 1991 में किया गया था। इससे छात्रों के अध्ययन पर मामूली असर पड़ेगा तथापि, शिक्षक समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने में समर्थ हैं।

दिल्ली नगर निगम

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश के बाद पुनः स्कूल खुलने से पहले पाठ्य-पुस्तकें वितरित कर दी गई थीं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से असम्बद्ध स्कूलों के विद्यार्थियों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने पर प्रतिबंध

[अनुवाद]

3392. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड से असम्बद्ध स्कूलों के विद्यार्थियों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में बैठने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से असम्बद्ध स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) एक संबंधन बोर्ड है। इस प्रकार केवल बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के छात्र ही इसके द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आवंटन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम

3393. **श्री चेतन पी० एस० चौहान:**
श्री दत्तात्रेय बंडारू:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत शेष सभी आवेदकों को फ्लैट आवंटित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) फ्लैटों के आवंटन के लिए प्रतीक्षारत सभी व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन कब तक कर दिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शेष पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों का आवंटन भूमि की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में फ्लैटों का निर्माण और अधसंरचनात्मक सेवाओं की व्यवस्था पर निर्भर करेगा। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगामी 3 वर्षों के लिए फ्लैटों के निर्माण का एक कार्यक्रम बनाया है जो इस प्रकार है:—

क्रम सं०	वर्ष	फ्लैटों के निर्माण का लक्ष्य
1.	1992-93	26,000
2.	1993-94	26,500
3.	1994-95	36,000
	योग	88,500

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित कठिनाईयों को देखते हुये समस्त शेष पंजीकृतों को फ्लैट आवंटन की कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती। तथापि, विभिन्न योजनाओं के पिछले बकाये को 8वीं पन्चवर्षीय योजना के अंत तक पूरा कर दिये जाने की संभावना है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समतुल्य लाभ

3394. **श्री लोकनाथ चौधरी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी समय-समय पर दिये जाने वाले भत्तों व अन्य सुविधाओं के अधिकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बोर्ड अथवा चेयरमैन ने स्नातकोत्तर शिक्षकों से निम्न पद के शिक्षकों को ऐसे विशेष लाभों से वंचित किया है जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों को देय हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्वीकृत विशेष भत्ते और लाभ सामान्यतया केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों को भी दिए जा रहे हैं। तथापि, अपनी जरूरतों की सुविधाएं अंगीकार करते समय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्यरत सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा की अवधि पर आधारित 2 या 3 वर्ष के सेवाकाल के स्थान पर स्नातकोत्तर और उससे उच्च शिक्षकों के लिए एक समान न्यूनतम तीन वर्ष के सेवाकाल की व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त विशेषकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए नियुक्त शिक्षकों को विशेष (कार्य) भत्ते की सुविधा भी नहीं दी गई है। स्नातकोत्तर शिक्षक के नीचे के स्तर के शिक्षकों को क्षेत्रीय आधार पर नियुक्त किया जाता है। अतः उन्हें सेवाकालीन (टेन्यूर) तैनाती की सुविधा भी नहीं दी गई है।

पौड़ी गढ़वाल और चमौली जिलों में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलना

3395. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी:**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय पौड़ी गढ़वाल और चमौली जिलों में केन्द्रीय विद्यालय किन-किन स्थानों में स्थित हैं?

(ख) क्या सरकार का विचार गढ़वाल क्षेत्र में और अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों में और वर्ष 1991-92 के दौरान कितने केन्द्रीय विद्यालय खोलने का विचार है!

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) पौड़ी गढ़वाल और चमौली जिलों में स्थित केन्द्रीय विद्यालय इस प्रकार हैं:—

1. केन्द्रीय विद्यालय, एस॰ एस॰ बी॰ श्रीनगर जि॰ गढ़वाल

2. केन्द्रीय विद्यालय, लैंसडाउन जि॰ पौड़ी गढ़वाल

3. केन्द्रीय विद्यालय, जोशीमठ, जि॰ चमौली

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय, भूखंड आदि सहित आवश्यक अवस्थापना की उपलब्धता, सेना कार्मिकों सहित केन्द्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या संसाधनों की उपलब्धता और प्रशासकीय सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर, प्रायोजक एजेंसियों से प्रस्ताव मिलने पर खोले जाते हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के रिकार्ड के अनुसार पौड़ी गढ़वाल और चमौली जिलों में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए निर्धारित प्रपत्र में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

खाड़ी देशों में नौकरियां

3396. **श्री महेश कुमार कनोडिया:**
श्री बलराज पासी:
श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान:

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ ग्रुप/कंपनियां खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को धोखा देती हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ग्रुपों/कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और गत दो वर्षों से आज तक के दौरान उन्होंने कितने लोगों को धोखा दिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की धोखेबाजी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवर): (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 27 ग्रपों/व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई हैं जिसमें पिछले दो वर्षों के दौरान 70 व्यक्तियों धोखा देने की शिकायतें शामिल हैं, उक्त 27 मामलों में से 26 व्यक्तियों/ग्रुपों के खिलाफ उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन अभियोजन चालये जाने की स्वीकृति दी गई है।

(ग) जब कभी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो शिकायत के स्वरूप के आधार पर पुलिस और विदेश स्थित संबद्ध भारतीय मिशनों की सहायता से जांच पड़ताल की जाती है। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 और उसके अधीन बनाये गये नियम प्रवासी कर्मकारों को शोषण से बचाने के लिये बनाये गये हैं। जब कभी भी भारतीय मिशनों को शिकायतें प्राप्त होती हैं तो वे उन्हें दूर करने के लिये समुचित कार्रवाई भी करते हैं।

वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली के पीछे सरकारी आवासों का निर्माण

[हिन्दी]

3397. **श्री राम लखन सिंह यादव:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वेस्टर्न कोर्ट के पीछे खाली पड़ी जगह का उपयोग सरकारी आवासों के निर्माण के लिये करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) वेस्टर्न कोर्ट के समीपस्थ खाली पड़ी जमीन में सरकारी आवासों के निर्माण के लिये फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार के निर्माण का निर्णय अनुज्ञेय भू-उपयोग, भूमि कवरेज तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ०ए०आर०) के संदर्भ में किया जाना है।

वेस्टर्न कोर्ट को नेहरू संग्रहालय में बदलना

3398. **श्री राम लखन सिंह यादव:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वतंत्रता सेनानी, स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू, एम०ए० जिन्ना और लाला लाजपत राय वर्ष 1920 में बने वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली में रहते थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन महान नेताओं द्वारा प्रयोग की गयी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने तथा इन महान आत्माओं को श्रद्धांजली देने के लिये वेस्टर्न कोर्ट को राष्ट्रीय संग्रहालय में बदलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्री मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (संस्कृति विभाग) को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि ये स्वतंत्रता सेनानी वेस्टर्न कोर्ट में रहे थे।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में ईंटों के भट्टे

3399. **श्री गया प्रसाद कोरी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में ईंटों के भट्टे कितने हैं; और

(ख) उनमें से कितने भट्टे दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहित भूमि पर चल रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि वर्ष 1988 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में 384 ईंटों के भट्टे कार्य कर रहे हैं

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अर्जित की गई और दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित की गई भूमि पर ईंटों का कोई भट्टा प्रचालन में नहीं है।

[हिन्दी]

भारतीय प्राणीविज्ञान सर्वेक्षण की शाखाएं खोलना

3400. **श्री के० मुरलीधरन:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केरल में भारतीय प्राणीविज्ञान सर्वेक्षण की शाखाएं खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, नहीं। कोझीकोड, केरल में एक फील्ड सटेशन 1980 में पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कालीकट में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

3401. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट में एक और केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इसके कब से कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) और (ख). केन्द्रीय विद्यालय आवश्यक अवस्थापना अर्थात भूमि अस्थायी आवास और स्टाफ के लिए 50% रिहायशी आवास तथा संसाधन और प्रशासकीय सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर खोले जाते हैं।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समिति कोझीकोड, (कालीकट) ने कोझीकोड (कालीकट) में दूसरा केन्द्रीय विद्यालयं खोलने का प्रस्ताव भेजा है। दी जा रही सुविधाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

भूमि (एकड़ों में) अपे./उप.	अस्थायी उप. अपे०/उप० रिहायशी आवास	अपे./उप. स्टाफ का 50%	विभिन्न प्रकार के 8 क्वार्टर
15/5 एकड़ एकड़	12/10 कमरे कमरे		

जबलपुर के लिए जल विकास योजना को मंजूरी

3402. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन द्वारा की गई टिप्पणी के मद्देनजर जबलपुर शहर के लिए भूमिगत जल विकास योजना स्वीकृति के लिए भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मंजूरी के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से उपलब्ध कराये जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख). जबलपुर सीवरेज तथा सीवेज संयंत्र परियोजना चरण I और II को केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन ने 77.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित कर दिया है।

(ग) चूंकि इस समय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को विश्व बैंक की सहायता के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

सफाई कर्मचारीयों का नियमित करना

3403. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 2 जनवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1052 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन सफाई कर्मचारियों जिन्हें उनकी वरिष्ठता के अनुसार पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में नियमित किया गया है, के नामों का, नियुक्ति की तारीख दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे सफाई कर्मचारियों को नियमित करने का है, जिन्होंने पांच वर्ष से अधिक की नियमित सेवा कर ली है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) अंशकालिक कर्मचारियों को, नियमित सफाई कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति, मृत्यु अथवा नए स्कूल खुलने के कारण रिक्त स्थान होने पर उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर, नियमित किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	नाम	अंशकालिक आधार पर नियोजन की तारीख	नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख
1.	तारा देवी	10.1.71.	23.11.89
2.	श्रीमती सफेदा	9.8.71	"
3.	सूरजभान	16.8.71	"
4.	दयावती	26.8.71	"
5.	दक्ष देवी	1.9.71.	"
6.	निर्मला देवी	1.9.71	"
7.	रुमकली	1.9.71	"
8.	जानकी देवरी	1.9.71	"
9.	कृष्णा	1.9.71	"
10.	रतन सिंह	7.10.71	"
11.	कृष्णा देवी	7.10.71	"
12.	भगवानी	13.10.71	"
13.	संचरा देवी	14.10.71	"
14.	अंगूरी देवी	16.10.71	"
15.	मेम देवी	20.10.71	5.01.91
16.	संतरा देवी	1.11.71	5.01.90
17.	अंगूरी देवी	5.11.71	"
18.	शीला देवी	10.11.71	"
19.	शकुन्तला देवी	16.11.71	"
20.	शकुन्तला देवी	16.11.71	"
21.	शान्ति देवी	1.12.71	"
22.	खजानी देवी	1.12.71	"
23.	शान्ति देवी	5.12.71	"
24.	केसरी	18.12.71	"
25.	सतवती	1.1.72	"
26.	राजो देवी	12.1.72	"

क्रम सं.	नाम	अंशकालिक आधार पर नियोजन की तारीख	नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख
27.	शरवती देवी	1.2.72	"
28.	सरूपी देवी	1.2.72	"
29.	लखमरी देवी	1.1.67	30.8.90
30.	खजानी देवी	15.2.82	"
31.	अशरफी देवी	15.3.82	"
32.	सन्तरा देवी	1.4.72	"
33.	बिमला देवी	1.4.72	"
34.	चन्द्रा देवी	15.5.72	"
35.	धनपति	20.4.72	"
36.	शरबती देवी	10.5.72	"
37.	रामवती	26.4.72	"
38.	रमेश चन्द	1.5.72	"
39.	शांति देवी	1.7.72	"
40.	ओम वती	8.7.72	"
41.	तेजपाल	15.7.72	"
42.	सतपाल	15.7.72	14.2.91
43.	कृष्णा देवी	15.7.72	22.3.91
44.	रमेश	15.7.72	14.2.91
45.	मेम्बो	25.7.72	14.3.91
46.	दयावती	26.7.72	4.2.91
47.	राजो	26.7.72	7.2.91
48.	दयावती	1.8.72	5.2.91
49.	दीवान	16.8.72	4.4.91
50.	मुरारी	17.8.72	5.2.91
51.	कनफटी देवी	6.9.72	5.3.91
52.	कमला देवी	1.10.72	7.5.91
53.	रूपकला	5.10.72	7.3.91
54.	स्वरूपी	5.10.72	7.3.91
55.	राम प्यारी	13.10.72	8.3.91
56.	सोमवती	15.10.72	7.2.91
57.	मूर्ति देवी	10.11.72	14.2.91
58.	अंगूरी देवी	21.11.72	19.2.91
59.	शांति देवी	1.12.72	5.4.91
60.	बेटी	5.12.72	31.1.91
61.	शीला देवी	8.12.72	23.3.91
62.	प्रकाशवती	1.1.73	9.4.91
63.	रिशाला	5.1.73	26.3.91
64.	कला देवी	5.1.73	•14.2.91
65.	भूरो देवी	20.1.73	14.3.91
66.	कमला देवी	24.1.73	14.3.91
67.	परमेश्वरी	1.2.73	19.4.91
68.	लक्ष्मी देवी	1.2.73	14.6.91
69.	ईश्वरी देवी	1.2.73	8.4.91
70.	फूलवती	1.2.73	5.3.91
71.	म्यानो देवी	1.3.73	7.2.91
72.	विद्या देवी	1.3.73	14.2.91
73.	चांद कौर	6.3.73	26.3.91

क्र०सं० नाम	अंशकालिक आधार पर नियोजन की तारीख	नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख
74. बिमला	4.4.73	10.4.91
75. म्यानो देवी	1.6.73	22.3.91
76. विद्यावती	1.6.73	15.5.91
77. सूरजभान	14.7.73	5.2.91
78. राजवती	16.7.73	29.5.91
79. शांति देवी	16.7.73	15.5.91
80. दया कौर	16.7.73	12.3.91
81. राम श्री	16.7.73	9.4.91
82. पत्नी देवी	16.7.73	31.1.91
83. किरन देवी	17.7.73	22.3.91
84. रामवती	17.7.73	5.3.91
85. माया देवी	18.7.73	7.3.91
86. भतेरी	19.7.73	4.6.91
87. चमेली देवी	"	12.3.91
88. कृष्णा देवी	22.7.73	30.5.91
89. अतरो	1.8.73	12.3.91
90. सुरेश कुमार	"	22.3.91
91. सरस्वती	"	5.3.91
92. राजो देवी	"	25.3.91
93. हरवाजी	2.8.73	13.2.91
94. अनारो	6.8.73	5.2.91
95. किशनी	1.9.73	10.4.91
96. म्यानो देवी	1.9.73	14.3.91
97. भरपाई देवी	14.9.73	15.3.91
98. सरस्वती	8.10.73	27.3.91
99. छन्नो देवी	8.10.74	13.3.91
100. सुखबीर सिंह	1.11.73	1.2.91
101. बिरमो देवी	20.12.73	4.6.91
102. श्रीमती प्रकाश	1.1.74	30.4.91
103. श्रीमती रानी	3.1.74	14.5.91
104. श्रीमती श्रीगंगी	9.1.74	18.2.91
105. ओम प्रकाश	2.3.74	3.5.91
106. कलावती	20.6.74	14.3.91
107. सरवन देवी	12.7.74	13.1.91
108. किताबो देवी	15.7.74	14.5.91
109. प्रकाशवती	15.7.74	5.3.91
110. रोशनी	19.7.74	19.4.91
111. चमनवती	22.7.74	13.2.91
112. क्रान्ति देवी	27.7.74	22.3.91
113. अंगूरी देवी	1.8.74	14.3.91
114. शांति देवी	1.8.74	7.5.91
115. शीला देवी	"	22.3.91
116. संतोष देवी	25.8.74	7.5.91
117. रिसालो देवी	29.8.74	16.4.91
118. जालो देवी	1.9.74	12.3.91
119. सोना	2.9.74	25.3.91
120. सुमित्रा देवी	8.9.74	5.3.91

क्र॰सं॰	नाम	अंशकालिक आधार पर नियोजन की तारीख	नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख
121.	कस्तूरी देवी	17.9.74	22.3.91
122.	मेदराम	1.10.74	10.4.91
123.	चन्द्रकला	1.10.74	10.4.91
124.	माया देवी	1.1.75	14.2.91
125.	कृष्णा	1.1.75	13.3.91
126.	इमरती देवी	1.2.75	22.3.91
127.	नारायण सिंह	3.2.75	22.3.91
128.	चमेली	3.2.75	19.3.91
129.	जगवती	11.2.75	4.5.91
130.	माया देवी	1.3.75	14.3.91
131.	राम प्यारी	5.4.75	8.3.91
132.	विद्या रत्न	16.4.75	14.3.91
133.	ओमवीर	1.5.75	13.3.91
134.	इन्द्रावती	1.5.75	2.5.91
136.	सावित्री देवी	17.6.75	73.91
137.	राम प्यारी	1.7.75	22.3.91
138.	रुक्मवती	1.7.75	5.3.91
139.	बलवीरी	12.7.75	14.3.91
140.	जसवती	15.7.75	5.4.91
141.	प्रेमवती	"	18.3.91
142.	कान्ता देवी	"	5.3.91
143.	सावित्री	16.7.75	"
144.	माया वती	17.7.75	"
145.	राज दुलारी	21.7.75	12.3.91
146.	माया देवी	22.7.75	26.3.91
147.	भाग्यवन्ती	23.7.75	7.3.91
148.	सीता देवी	24.7.75	7.3.91
149.	केला देवी	"	5.3.91
150.	सन्तरा	28.7.75	22.3.91
151.	ओम प्रकाश	1.8.75	5.3.91
152.	रिसाले	1.8.75	"
153.	भूपन	1.8.75	12.3.91
154.	रामवती	"	18.4.91
155.	संतोष	"	7.3.91
156.	सुमित्रा देवी	"	12.3.91
157.	कृष्णा देवी	"	14.5.91
158.	केसरी	8.8.75	26.3.91
159.	नाथू सिंह	13.8.75	9.4.91
160.	अनूप सिंह	16.8.75	12.3.91
161.	महावीरो	20.8.75	5.4.91
162.	राम प्यारी	22.8.75	14.3.91
163.	उषा देवी	28.8.75	5.3.91
164.	चांद कौर	13.9.75	15.3.91
165.	गोमती	1.10.75	5.3.91
166.	ब्रह्म प्रकाश	16.10.75	5.3.91
167.	रामो देवी	"	22.3.91
168.	कमला	17.10.75	14.3.91

क्र॰सं॰	नाम	अंशकालिक आधार पर नियोजन की तारीख	नियमित आधार पर नियुक्ति की तारीख
169.	रामो देवी	1.11.75	26.3.91
170.	शान्ति देवी	1.11.75	8.3.91
171.	श्रीमती मूर्ति देवी	1.11.75	15.3.91
172.	शीला देवी	1.11.75	29.3.91
173.	जयपाली	2.1.76	9.4.91
174.	रामो देवी	3.1.76	5.4.91
175.	इमरती	7.1.76	10.4.91
176.	प्रकाशी	10.1.76	18.3.91
177.	श्यामो देवी	28.1.76	5.4.91
178.	जागे राम	2.2.76	9.4.91
179.	राज बाला	1.3.76	19.3.91
180.	चन्दा देवी	4.3.76	12.3.91
181.	सुखबीरी	12.3.76	14.3.91
182.	प्रेम	1.4.76	27.3.91
183.	फूलवती	15.7.76	22.3.91
184.	रामो	15.7.76	27.3.91

मुरादाबाद और बिजनौर, उत्तर प्रदेश में चीनी और कैमिकल फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण

3404. **श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में स्थित चीनी और कैमिकल फैक्ट्रियां सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करके वायु और जल प्रदूषण फैला रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस दौर में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में स्थित चीनी और रासायनिक कारखानों में से 12 इकाइयां ऐसी हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि वे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत निर्धारित सभी मानकों का पालन नहीं कर रही हैं और 16 इकाइयां ऐसी हैं जो वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित सभी मानकों का पालन नहीं कर रही हैं, क्योंकि इन इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त उपकरण नहीं लगाए गए हैं।

(ख) प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के परामर्श से एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गई है और एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को 31 दिसम्बर, 1991 तक इन मानकों को पूरा करना है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपाय न करने के कारण चार इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

प्रदूषणकारी व खतरनाक उद्योगों का अवस्थापन

3405. **प्रो॰ राम गणेश कापसे:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले कस्बों के 25 कि॰मी॰ घेरे के अन्दर उद्योगों के लिए निर्धारित क्षेत्रों में प्रदूषणकारी तथा/अथवा खतरनाक उद्योगों के अवस्थापन पर प्रतिबंध लगाने, जैसाकि नई औद्योगिक अवस्थापन नीति द्वारा स्वीकार्य है, के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): एक मिलियन से अधिक आबादी वाले नगरों की परिधि में 25 कि॰मी॰ के भीतर विनिर्दिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों

में भी प्रदूषण फैलाने वाले और परिसंकटमय उद्योगों की स्थापना, जोनिंग, भूमि उपयोग विनियमों और पर्यावरणीय कानूनों के तहत की जानी है। इस प्रकार परिसंकटमय उद्योगों की स्थापना तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए जहां आवश्यक होगा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों का उपयोग किया जाएगा।

डी० आई० जैड० क्षेत्र में पेयजल की कमी

3406. **श्री भुवन चंद्र खंडूरी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में, विशेषकर "डी" सैक्टर में पेयजल की बारहों महीने कमी रहती है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या "डी" सैक्टर, मंदिर मार्ग के लिए स्वीकृत हैण्डपम्पों को अब तक लगा दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इन पम्पों को बिना विलम्ब के लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) डी० आई० जैड० क्षेत्र में विशेषकर "डी" सैक्टर में इस संकट को दूर करने के लिए तत्काल अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) पेयजल की बड़ी मात्रा की आपूर्ति में कुल कमी के कारण दिल्ली में आम कमी रहती है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान बिजली की कमी, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, कच्चे पानी की उपलब्धता में कमी तथा/अथवा अग्नि शमन कार्यवाहियों के दौरान जल के प्रयोग के कारण यह कमी और बढ़ जाती है।

(ख) और (ग). नई दिल्ली नगर पालिका ने सैक्टर-डी के लिए 3 हैण्डपम्प स्वीकृत किए थे जिनमें से एक पहले ही लगा दिया गया है। तथापि, धंसने वाली पथरीली मिट्टी होने के कारण शेष दो हैण्डपम्प नहीं लगाए जा सके और इसलिए इन पम्पों को लगाने के प्रयास बंद कर दिए गए थे।

(घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सैक्टर-"डी" क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए मौजूदा एक नलकूप के अतिरिक्त दो नलकूपों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव किया है। सैक्टर-"डी" की जल आपूर्ति में वृद्धि के लिए एक अतिरिक्त क्रेकशन मंजूर करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका के साथ भी यह मामला उठाया गया है।

हमीरपुर और झांसी के मंदिर

3407. **पं० विश्वनाथ शर्मा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा हमीरपुर और झांसी के मंदिरों का समुचित रख-रखाव किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व के इन मंदिरों के समुचित रख-रखाव के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मंदिरों के रख-रखाव पर कितनी धनराशि खर्च की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) हमीरपुर और झांसी के नगरों में केन्द्रीय संरक्षित मंदिर नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिद्ध चिकित्सा प्रणाली का विकास

3408. **श्री आर० कंगा गोविन्दाराजुलु:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद सिद्ध चिकित्सा प्रणाली की उपेक्षा कर रहा है और इसे आयुर्वेद की गौण प्रणाली मान रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार सिद्ध प्रणाली का अलग महत्व मानकर इसका विकास करने के लिए क्या कदम उठाने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) जी नहीं।

(ख) सरकार ने सिद्ध चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए निम्नलिखित मुख्य उपाय किए हैं:—

(i) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद, सिद्ध चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान कार्यक्रम का संचालन कर रही है। परिषद के अन्तर्गत 14 संस्थान/यूनिटें इस चिकित्सा पद्धति के अनुसंधान में लगी हुई हैं।

(ii) पलायमकोट्टइ में सिद्ध चिकित्सा के सरकारी कालेज के दो विभागों को मरूथुवम् और गुणयणम् में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का दर्जा बढ़ाया गया है।

(iii) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत, लाभान्वितों को सिद्ध पद्धति के अनुसार इलाज की व्यवस्था करने के लिए मद्रास तथा नई दिल्ली में एक-एक यूनिट की स्थापना की गई है।

(iv) इस पद्धति की औषधों के मानक सूत्र संहिता तथा औषध कोश तैयार करने के लिए एक सिद्ध संहिता समिति गठित की गई है। सिद्ध सूत्र संहिता की पहली जिल्द पहले ही प्रकाशित हो चुकी है।

(v) औषध और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम में 1982 में और संशोधन किया गया और उस अधिनियम में सिद्ध पद्धति को एक अलग पद्धति के रूप में दर्शाया गया है।

दिल्ली में पाण्डव नगर कालोनी की स्थिति

3409. **डा० लाल बहादुर रावल:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पाण्डव नगर कालोनी दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में पटपड़गंज में मदर डेयरी की फैक्टरी के पास घोंडा नीमका के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है;

(ख) क्या 8 मार्च को 1986 को भारत के राजपत्र की अधिसूचना सांविधिक आदेश 1991 के भाग II, खण्ड III, उपखण्ड (II) के अनुसारी पुरानी आबादी के साथ-साथ घोंडा नीमका गांव के पूरे राजस्व क्षेत्र को पहले ही शहरी क्षेत्र घोषित किया जा चुका है;

(ग) क्या राजस्व रिकार्ड के अनुसार दूसरा क्षेत्र घोंडा नीमका शाहदरा क्षेत्र दिल्ली के पटपड़गंज में, मदर डेयरी संयंत्र के निकट नहीं बसा है और पाण्डव नगर कालोनी घोंडा नीमका में स्थित है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम्): (क) पाण्डव नगर कालोनी घोंडा नीमका बांगर के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।

(ख) प्रश्न में निर्दिष्ट 8 मार्च, 1986 की अधिसूचना के अन्तर्गत भारत सरकार ने दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 के उपबंधों को घोंडा नीमका गांव तक विस्तारित किया है न कि गांव घोंडा नीमका बांगर तक। दिल्ली नगर निगम द्वारा 22 अप्रैल, 1982 की एक पृथक अधिसूचना के माध्यम से अकेले घोंडा नीमका गांव को शहरी क्षेत्र घोषित किया है कि न घोंडा नीमका बांगर को।

(ग) और (घ). उपायुक्त, दिल्ली ने सूचित किया है कि पाण्डव नगर कालोनी घोंडा नीमका बांगर गांव की जमीन पर स्थित है। मदर डेयरी प्लांट घोंडा नीमका बांगर गांव की सीमा पर मण्डावली फजलपुर गांव की जमीन पर स्थित है।

पुणे शहर के आस-पास प्रदूषण नियंत्रण

3410. **श्री अन्ना जोशी**: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में पुणे शहर में और इसके आस-पास वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) महाराष्ट्र के पुणे नगर और उसके आस-पास वायु और जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने की खबर दी गई है:—

1. पुणे नगर निगम ने वर्ष 2001 में 526 एम०एल०डी० के कुल प्रवाह को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक मल-जल शोधन एवं निपटान स्कीम तैयार की है। 72.66 करोड़ रुपए की लागत वाली यह स्कीम सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई है। पुणे नगर निगम इस स्कीम के लिए विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने की भी कोशिश कर रहा है।

2. पुणे नगर निगम क्षेत्र से उत्पन्न औद्योगिक बहिस्राव सहित कुल मल-जल लगभग 300 एम०एल०डी० होने का अनुमान लगाया गया है। भैरोबा पम्पिंग स्टेशन पर प्रारम्भिक शोधन प्रबंध कर दिए गए हैं। बायोलोजिकल आक्सीडेशन यूनिट के लिए एक नया मल-जल शोधन संयंत्र बनाया गया है और उसको नायडू अस्पताल के नजदीक लगाया गया है।

3. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मूला नदी के आवाह क्षेत्र में स्थित मैसर्स हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी पर मुकदमा चलाया है क्योंकि इस यूनिट ने प्रदूषण के नियंत्रण के लिए प्रभावी शोधन प्रबंध नहीं किए हैं। पवाने नदी के आवाह क्षेत्र में सभी बड़ी यूनिटों ने बहिस्राव शोधन प्रबंध कर दिए हैं।

4. पुणे में और उसके आस-पास राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत वायु गुणवत्ता की निगरानी नियमित रूप से की जा रही है। पुणे की परिवेशी वायु गुणवत्ता निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

अस्पृश्यता

[हिन्दी]

3411. **श्री हरिकेवल प्रसाद**: क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अस्पृश्यता विरोधी कानून बनाये जाने के बावजूद देश में छुआछूत की घटनायें हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी घटनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अस्पृश्यता विरोधी कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय सभी अपराधों को संज्ञेय बना दिया गया है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क(2) के अन्तर्गत राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों से कानूनी सहायता, सहित समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करने, अभियोजन चलाने अथवा उसके पर्यवेक्षण के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करने, विशेष न्यायालयों की स्थापना करने की समुचित स्तरों पर समितियों की स्थापना करने, आवधिक सर्वेक्षणों की व्यवस्था करने और अस्पृश्यता की बुराई से निपटने हेतु अस्पृश्यता बाहुल्य क्षेत्रों की पहचान करने जैसे उपाय करने की अपेक्षा की गई है। केन्द्रीय सरकार नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 50:50 के आधार पर सहायता अनुदान भी देती है।

विवरण

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य का नाम	दर्ज किए गए मामलों की संख्या		
		1988	1989	1990
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	393	465	203
2.	असम	शून्य	शून्य	शून्य
3.	बिहार	2	371	371
4.	गोवा	3	5	5
5.	गुजरात	107	94	172
6.	हरियाणा	2	3	—
7.	हिमाचल प्रदेश	8	6	उपलब्ध नहीं
8.	जम्मू और कश्मीर	5	उपलब्ध नहीं	2
9.	कर्नाटक	833	759	807
10.	केरल	26	23	24
11.	मध्य प्रदेश	444	410	463
12.	महाराष्ट्र	306	231	257
13.	उड़ीसा	56	47	43
14.	पंजाब	1	शून्य	शून्य
15.	राजस्थान	230	275	207
16.	तमिलनाडु	886	660	787
17.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उत्तर प्रदेश	386	353	357
19.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	—
20.	चंडीगढ़	2	शून्य	—
21.	दिल्ली	0	1	5
22.	पांडिचेरी	22	27	27
23.	दादरा एवं नगर हवेली	—	—	—
24.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	—	शून्य	शून्य
25.	लक्षद्वीप	—	शून्य	शून्य
26.	दमन और दीव	—	शून्य	शून्य
27.	मणिपुर	—	शून्य	—

हाथी अभयारण्य

[अनुवाद]

3412. **श्री गोपीनाथ गजपति:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने हाथी अभयारण्य हैं और ये कहां-कहां हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन हाथी अभयारण्यों की उचित देखभाल हेतु गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि जारी की है;

(ग) क्या भुवनेश्वर स्थित चण्डका हाथी अभयारण्य को प्रतयेक वर्ष केन्द्रीय सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है और यदि किसी वर्ष में स्वीकृत की जाती है तो वह बहुत ही कम होती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1991-92 में हाथी अभयारण्य के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) इस समय हाथियों के लिए विशेषरूप से कोई अभयारण्य नहीं बनाया गया है। फिर भी, हाथियों की आबादी वाले अभयारण्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विवरण में प्रत्येक अभयारण्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान बंटित राशि भी दी गई है।

(ग) से (ङ). पिछले तीन वर्षों के दौरान चान्दका वन्यजीव अभयारण्य के लिए बंटित राशि निम्न प्रकार है:—

(लाख रुपयों में)

1988-89	1989-90	1990-91
13.80	13.65	12.07

वर्ष 1991-92 के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए बजट आबंटन को ध्यान में रखते हुए चान्दका वन्यजीव अभयारण्य के विकास के लिए अपेक्षित अनिवार्य गतिविधियों के लिए केन्द्रीय सहायता देने के प्रयास किए जायेंगा।

विवरण

जिन वन्यजीव अभयारण्यों में हाथी पाए जाते हैं उनके नाम तथा पिछले तीन वर्षों में इन अभयारण्यों को स्वीकृत धनराशि।

क्र.सं.	वन्यजीव अभयारण्यों के नाम और उनकी अवस्थिति	पिछले तीन वर्षों में दी गई धनराशि		
		(रुपये लाख में)		
		1988-89	1989-90	1990-91
1.	श्री वेंकटेश्वर चित्तूर, कुडप्पा, आन्ध्रप्रदेश	—	—	1.00
2.	मेहाओ डिब्रांग घाटी, अरूणाचलप्रदेश	1.50	5.00	3.25
3.	पखुई पूर्वी कमेंग, अरुणाचलप्रदेश	2.00	11.50	6.00
4.	"डी" इरिंग सियांग, अरूणाचलप्रदेश	2.50	3.48	4.50
5.	बस्नाटी कामरूप, असम	3.32	—	4.79
6.	गरमपानी सिबसागर, असम	—	—	—

1	2	3	4	5
7.	ओरंग, दरंग, असम	—	—	—
8.	डाल्मा, रांची, बिहार	—	—	—
9.	भद्र, शिमोगा, कर्नाटक	3.52	6.25	4.50
10.	थिल्लिगिरि, रंगा स्वामी, मैसूर, कर्नाटक	7.52	7.35	6.08
11.	ब्रह्मगिरि, मादीकेरी, कर्नाटक	—	—	—
12.	कावेरी, मैसूर, कर्नाटक	—	—	—
13.	डांडेली,उत्तर कन्नड़, कर्नाटक	5.73	3.88	3.00
14.	नुगु, मैसूर, कर्नाटक	3.75	2.95	3.10
15.	शेट्टीहाली, शिमोगा, कर्नाटक	1.95	1.30	3.10
16.	चिमोनी, क्विलोन, केरल	—	0.40	—
17.	चिन्नार, इडुक्की, केरल	1.09	1.49	—
18.	इडुक्की, इडुक्की, केरल	1.45	3.20	10.00
19.	नेय्यार, त्रिवेन्द्रम, केरल	0.85	—	5.00
20.	परमबिकुलम, पालघाट, केरल	0.50	—	3.00
21.	पीचीचजानी, त्रिचूर, केरल	2.589	—	5.00
22.	पिप्परा, कोट्टयम, केरल	—	—	—
23.	पेरियार, कोट्टयम, केरल	—	—	—
24.	शेन्दुरुनी, क्विलोन, केरल	0.83	—	2.30
25.	थाट्टिकड, इडुक्की, केरल	0.72	—	1.95
26.	वायनाड, कालीकट एंड वायनाड, केरल	—	7.65	5.98
27.	नोंगखिलम, पूर्वी खासी, पहाड़िया मेघालय	0.41	2.40	—
28.	सिजू, पश्चिमी गारो पहाड़ियां, मेघालय	—	1.60	2.40
29.	दाम्पा, आइजोल, मिजोरम	16.50	4.55	5.10
30.	इंटांकी, कोहिमा, नागालैंड	12.862	—	2.82
31.	चांदका-डाम्पारा, पुरी, उड़ीसा	13.80	13.65	12.07
32.	हडगढ़, क्विन्जर, मयूरभंज, उड़ीसा	—	—	—
33.	खलासुनी, सम्बलपुर, उड़ीसा	—	—	—
34.	कोटगढ़, फुलबनी	—	—	—
35.	कुल्दिया, बालासौर मयूरभंज, उड़ीसा	—	—	—
36.	महानदी बैसिपल्ली पुरी, उड़ीसा	—	—	—
37.	सतकोसिया गार्ज, धनकनाल, पुरी, उड़ीसा	—	—	—
38.	सिमलीपाल, मयूरभंज, उड़ीसा	—	—	—
39.	उधाकोटि, सम्बलपुर, उड़ीसा	—	—	—
40.	अन्नामलाई (इन्दिरागांधी), कोयम्बत्तूर तमिलनाडु	—	5.55	2.14
41.	मुदुमलाय, नीलगिरि, तमिलनाडु	1.627	7.43	4.50
42.	नीलगिरि ताहर, नीलगिरि, तमिलनाडु	—	—	—
43.	सोननदी, उत्तर प्रदेश	—	—	—
44.	चापरामारी, जलपाइगुड़ी, पश्चिमबंगाल	—	—	—
45.	गोरुमारा, जलपाइगुड़ी, पश्चिम बंगाल	—	—	—
46.	जलदापाड़ा, जलपाइगुड़ी, पश्चिम बंगाल	2.68	3.93	4.50
47.	महानन्दा, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल	—	4.52	2.98
	जोड़	76.698	98.08	109.06

खेलों को बढ़ावा देना

3413. **श्री हरिन पाठक:** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व कर चुके खिलाड़ियों और उनके पारिवारिक सदस्यों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या बैंक और अन्य सरकारी उपक्रम सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार खिलाड़ियों को रोजगार देते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय [युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग] में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी): (क) सरकार, पात्र खिलाड़ियों तथा दरिद्र अवस्थाओं में उनके परिवारों को वित्तीय सहायता देने के विचार से खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की योजना क्रियान्वित कर रही है। इसमें वे खिलाड़ी भी शामिल हैं जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त की है।

(ख) और (ग) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सामान्य भर्ती प्रक्रिया में छूट देते हुए ग्रुप "ग" और "घ" पदों में रोजगार प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के दिशा-निर्देश उपयुक्त अनुपालन के लिए सरकारी उपक्रमों को परिचालित किए गए हैं।

भारतीय बैंक ऐसोसिएशन ने भी सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक योजना परिचालित की है, जिसके अधीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बिना किसी लिखित परीक्षा के उप-स्टाफ, लिपिकीय स्टाफ और अधिकारी काडर में भर्ती किया जाता है।

देश में नशीले पदार्थों के आदी लोग

3414. **श्री हरिन पाठक:**

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के प्रचार-प्रसार के परिणामस्वरूप नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले व्यक्तियों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है; और

(ग) विभिन्न देशों से नशीले पदार्थ, हशीष, चरस, ब्राउन शुगर कितनी मात्रा में आती है और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) नशीले पदार्थों के व्यसनियों की कोई जनगणना नहीं की गई है। देश में नशीले पदार्थों के व्यसनियों की संख्या का संकेत नहीं दिया जा सकता। सरकार द्वारा वित्तपोषित विभिन्न निव्यर्सन, परामर्श और उत्तरवर्ती देखभाल केन्द्रों में 1990-91 में, नशीले पदार्थों के लगभग 2.27 लाख व्यसनी पंजीकृत थे।

(ग) स्वापक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चूंकि यह काम अवैध है इसलिए विभिन्न देशों से जो नशीले पदार्थ आते हैं उनकी मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार इस संबंध में निम्नलिखित उपाय कर रही है:—

(1) स्वापक और मनोविकारी पदार्थ अधिनियम, 1985 में बनाया गया था और 1989 में इसके अनुबंधों को और सुदृढ़ बनाया गया था।

(2) स्वापक औषधों और मनोविकारी पदार्थों का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 में बनाया गया।

(3) केन्द्रीय नोटल प्रवर्तन एजेंसी के रूप में राजस्व विभाग के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।

(4) अंर्तराज्यी और अन्तर-एजेंसी प्रवर्तन समन्वय में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के माध्यम से सुधार किया गया है।

(5) विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में, सीमाशुल्क, पुलिस और अन्य प्रवर्तन अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

(6) 1988 की संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन का अनुसमर्थन करके 1990 की सार्क कन्वेशन तैयार करके और अमरीका, मारीशियस तथा अफगानिस्तान जैसे अनेक देशों के साथ द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर करके नशीले पदार्थों के प्रवर्तन में अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग को बेहतर बनाया गया है।

लंबित पड़े दावा संबंधी मामले

[हिन्दी]

3416. **श्री सूर्य नारायण यादव:**
श्री यशवंतराव पाटिल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी कर्मचारियों के 10,000 रुपयों से अधिक राशि के ऐसे चिकित्सा दावों की संख्या कितनी है जो मंत्रालय के पास एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक मामले की धनराशि, कर्मचारी का नाम तथा उसका पदनाम तथा उसके कार्यालय का नाम संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकर द्वारा उक्त दावों को मंजूरी देने में अभी कोई औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं और यदि हां तो क्या संबंधित कर्मचारियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में प्रत्येक मामले में सूचना किन-किन तारीखों को भेजी गई;

(ङ) क्या उक्त मामलों में ऐसे भी कुछ मामले हैं जिनमें सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं तथा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है और यदि हां, तो दुर्घटना का शिकार होने वाले कर्मचारियों को भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या ऐसे मामलों को निपटाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और क्या मंत्रालय के ऐसे दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रावधान है जिसने उपरोक्त निर्धारित समय-सीमा का पालन न किया हो?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी०के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) राजनीति शास्त्र का परिणाम

[अनुवाद]

3417. **श्री फूल चन्द वर्मा:**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ छात्रों, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर से स्नातकोत्तर (प्रथम वर्ष) राजनीति शास्त्र, की परीक्षा दी थी, का परिणाम रोक लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन छात्रों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन छात्रों का परिणाम कब घोषित किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उस छः विद्यार्थियों के परिणाम, जिन्हें दक्षिण कैम्पस से एम०ए० (पूर्वार्ध) राजनीति विज्ञान परीक्षा, 1991 में अस्थायी रूप से बैठने की अनुमति प्रदान की गई थी, उनकी पात्रता संबंधी कुछ शंकाओं के कारण रोक दिए गए हैं। पात्रता के प्रश्न का निर्णय हो जाने के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा उनके परिणाम घोषित करने के संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में मकानों में अतिरिक्त कमरे बनाना/उनमें परिवर्तन करना
[हिन्दी]

3418. **श्री अरविन्द नेताम:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण आवासीय कालोनियों में आवंटितियों द्वारा निर्माण नक्शों को मंजूर कराए बिना अनधिकृत अतिरिक्त कमरों/दुकानों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनधिकृत निर्माण की शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 30(1) और 31(1) के अन्तर्गत चूककर्ताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किये जाते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की गयी है। यदि यह क्षेत्र दिल्ली नगर निगम को स्थानान्तरित हो गया हो तो अनधिकृत परिवर्तन की सूचना दिल्ली नगर निगम को उचित कानूनी कार्रवाई के लिए दी जाती है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोगियों से लाखों रुपया लूटा जाना
[अनुवाद]

3419. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय रोगियों का आपरेशन कराने के लिए इन रोगियों से लाखों रुपए लूटने की घटना का पता चला है जैसा कि 7 अगस्त, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या जांच पूरी हो गई है और यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला है;

(घ) क्या रोगियों से हृदय के आपरेशन के लिए अपेक्षित उपकरण खरीदवाने की पद्धति को उनसे इसके लिए धन ले लेने में बदल दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रणाली को कब बदला गया और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या रोगियों को उनसे ली गई धनराशि के बदले कोई सरकारी प्राप्ति रसीद नहीं दी जा रही है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इन वर्षों में इस धनराशि को किस खाते में दिखाया गया; और

(ज) इस पद्धति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) सरकार को 7 अगस्त, 1991 के इंडियन एक्सप्रैस में छपी प्रैस रिपोर्ट की जानकारी है। बहरहाल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार हृदय रोगियों के इलाज में लाखों रुपये ठगे जाने का कोई अवैध व्यापार ध्यान में नहीं आया है। हृदय आपरेशन कराने वाले रोगियों से प्राप्त धनराशियों के खातों के रख-रखाव में केवल कुछ अनियमितताएं ही उनके ध्यान में आई हैं।

(ख) संबंधित सहायक के पास 0.51 लाख रुपए के बुक-बैलेंस से लगभग 4.87 लाख रुपए अधिक पाए गए थे और उसे 26.7.1991 को निलम्बित किया जा चुका है तथा संस्थान द्वारा सारे मामले की जांच का आदेश दिया गया है।

(ग) जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) सही वाल्वों और अन्य उपकरणों की उचित दरों पर सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह प्रणाली 1978-79 के दौरान बदल दी गई थी जिससे कि देश के विभिन्न भागों से आने वाले रोगियों द्वारा अत्याधिक दरों पर नकली/घटिया सामान के प्रयोग करने के खतरे को दूर किया जा सके और इन मदों के लिए सारे शहर में दौड़भाग करने में उनकी कठिनाई को दूर किया जा सके।

(च) संस्थान द्वारा लिए जाने वाले धन के लिए अब सरकारी रसीदें दी जा रही हैं।

(छ) वर्ष 1991-92 से पहले प्राप्त धन का हिसाब संस्थान के खातों में नहीं लिया जा रहा था। हर रोगी से लेन-देन का हिसाब एक रजिस्टर में तथा संबंधित फाइलों में रखा जा रहा था।

(ज) प्राप्तियों/भुगतान तथा उपकरणों की खरीद का हिसाब रखने के बारे में उचित क्रियाविधि निर्धारित करने के आदेश संस्थान द्वारा अपने सभी विभागों को मई, 1991 में पहले ही जारी किये जा चुके हैं।

सुपर बाजार से लिये गए खादय पदार्थों के नमूने

3420. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत 12 महीनों के दौरान दिल्ली में सुपर बाजार और केन्द्रीय भण्डार की शाखाओं में खाद्य पदार्थों के कितने नमूने लिये गए और तत्संबंधी विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के तुलना में इनकी स्थिति क्या है;

(ख) गत 12 महीनों के दौरान दिल्ली के थोक बाजारों से खाद्य पदार्थों के कितने नमूने लिये गए और तत्संबंधी विश्लेषण के क्या परिणाम निकले; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अदालत में कितने मामले दर्ज किये गए और तत्संबंधी निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खाद्य अपमिश्रण रोकथाम विभाग ने पिछले बारह महीनों के दौरान सुपर बाजार से खाद्य वस्तुओं के दो नमूने लिए थे। विश्लेषण करने पर दोनों नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए तथापि एक मामले में लेबल लगाने के उपबन्धों के उल्लंघन की बात देखी गई थी।

पिछले बारह महीनों के दौरान केन्द्रीय भंडार से कोई नमूना नहीं लिया गया।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार से लिए गए नमूनों के ब्यौरे और उनके परिणाम इस प्रकार हैं:—

संस्थान	लिए गए नमूने	विश्लेषणात्मक परिणाम
सुपर बाजार	3	तीनों नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए तथापि दो मामलों में लेबल लगाने के उपबंधों के उल्लंघन की बात देखी गई।
केन्द्रीय भण्डार	5	पांचो नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए।

पिछले बारह महीनों के दौरान दिल्ली के थोक बाजारों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 28 नमूने लिए गए उनमें से तीन नमूने मिलावटी पाए पए और दो नमूनों के मामलों में लेबल लगाने के उपबंधों के उल्लंघन की बात देखी गई। एक नमूने के परिणाम की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

पिछले तीन वर्षों (अर्थात् 1988—1990) के दौरान न्यायालयों में कुल 922 मुकदमें चलाए गए हैं। 233 मामलों में दोष सिद्ध किया गया; 26 व्यक्तियों को छोड़ दिया गया। मुक्त हो जाने, फरार हो जाने और अपराधी की मृत्यु हो जाने जैसे विभिन्न कारणों से 124 मामलों का निपटारा कर दिया गया। 439 मामले न्यायालयों में लम्बित पड़ हुए हैं।

12.00 मध्याह्न

अध्यक्ष महोदय: श्री रवि राय।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं एक एक करके अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री रवि राय को अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं एक एक करके बुलाऊंगा। अब श्री रवि राय।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): इम्फाल के निकट हुई हवाई दुर्घटना पर दिया जाने वाला स्वतः वक्तव्य कहां है? मंत्री महोदय कहां हैं? इतनी गंभीर दुर्घटना हुई है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): मंत्री महोदय को यहां आना चाहिए था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं हो रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं हरेक को अनुमति दूंगा! लेकिन पहले श्री रवि राय बोलें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्यः मंत्री महोदय वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सी॰ के॰ कुप्पुस्वामी (कोयम्बतूर): महोदय, मुझे अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको वक्तव्य देने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया यह समझिए। मैं आपको वक्तव्य देने की अनुमति दे रहा हूं।

श्री सी॰ के॰ कुप्पुस्वामीः मुझे अनुमति दें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः श्री रवि राय पहले। मैं एक एक करके अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्यः इम्फाल में हुई हवाई दुर्घटना पर नागर विमानन मंत्री एक स्वतः वक्तव्य दें। यह पहले हो। यह बहुत गंभीर मामला है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): इसी विषय पर लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस्तीफा दिया था। इसलिए श्री माधव राव सिंधिया जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्यः इस बारे में वक्तव्य दिया जाए। 69 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं हो रहा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह असहनीय है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको एक एक करके अनुमति दूंगा। आप अपने स्थान पर क्यों नहीं बैठ रहे?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको अनुमति देने से इन्कार नहीं कर रहा। लेकिन आप एक ही समय पर वक्तव्य नहीं दे सकते। मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कुप्पुस्वामी जी, मैं आपको भी अनुमति दूंगा लेकिन इसके बाद।

(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। कुप्पुस्वामी जी आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने आपकी भावनाओं को ध्यान में रखा है। मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं। मुझे पता लगा है कि उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। वे इस मामले को उठाना चाहते हैं। इसके बाद मैं आपको अनुमति दूंगा। अब श्री रवि राय।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि उड़ीसा राज्य में तेरह जिलों में से सात जिलों में एक जबर्दस्त, अन-प्रिसोडेंटेड बाढ़ आई है। वहां पर आर्मी को बुलाया गया लेकिन हमको तकलीफ तो सहनी पड़ती है। मैं भारत सरकार पर इल्जाम लगाता हूं कि आर्मी को दो दिन बाद पहुंचने में देरी हुई, उस वजह से लोगों की तकलीफ बढ़ती गई। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि करीब 15-20 लाख हैक्टेयर जमीन पानी के नीचे है, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 15 से 20 लोग अभी तक मर चुके हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि तुरन्त प्रधान मंत्री वहां जाएं और वहां जो स्थिति है, उससे साठ लाख लोग व्यथित हैं। फोतेदार साहब यहां पर थे, लेकिन अब चले गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर हैजा फैला हुआ है। राज्य सरकार का क्या काम होगा, यह पता नहीं है। लेकिन, भारत सरकार को तुरन्त एमरजेंसी मेडीकल रिलीफ वहां भेजनी चाहिए। अभी तक पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम में केन्द्र सरकार द्वारा 38 हजार टन उड़ीसा सरकार को दिया जाता था। मेरी यह मांग है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए साठ हजार टन तक तुरन्त ही बढ़ाना चाहिए, वहां पर चावल भी नहीं है। यह स्थिति है कि साठ लाख लोग व्यथित हैं और सात जिलों में यह बाढ़ फैली हुई है। पन्द्रह से बीस लाख हैक्टेयर जमीन पानी के नीचे है, इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

एक साल पहले जब उड़ीसा में भयंकर बाढ़ आई थी तो उस समय पर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से सौ करोड़ रुपया मांगा था, लेकिन एक पैसा भी नहीं दिया गया। हमको लगता है कि राज्य सरकार द्वारा मेमोरेन्डम देने का है। मेरा अनुमान है कि कम से कम पांच सौ करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार राज्य सरकार की सहायता बड़े पैमाने पर नहीं कर रही।

[हिन्दी]

तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पायेगी। लाखों लोगों का सवाल है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि तुरन्त आप कहिए कि प्रधान मंत्री वहां जाएं और देखें कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वहां हैजे से लोग न मरे और केन्द्र सरकार डाक्टरों को वहां तुरन्त भेजे।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय उड़ीसा में इस बार अभूतपूर्व बाढ़ आई है। बाढ़ सात दिन पहले आई थी। बाढ़ के कारण सारे तटवर्ती क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने हीराकुंड से जल के बहाव पर रोक लगा दी थी इसी कारण कटक नगर बचाया जा सका। लोग अभी भी वृक्षों के ऊपर रह रहे हैं और राज्य सरकार अभी तक उन तक नहीं पहुंच सकी है। निःसन्देह राज्य ने सेना से सहायता का अनुरोध किया था; लेकिन सेना देरी से आई। अभी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों तक पहुंचना संभव नहीं हो सका है। इस प्रकार, ऐसी परिस्थितियों में महामारी फैल गई है और राज्य सरकार इस स्थिति का सामना करने में समर्थ नहीं है, वास्तव में कोई भी राज्य सरकार ऐसी स्थिति में समर्थ नहीं हो सकती। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री को फोन द्वारा अनुरोध किया कि वह तुरन्त उड़ीसा का दौरा करें क्योंकि स्थिति का जायजा लेने से ही केन्द्र सरकार को उचित जानकारी मिलेगी।

यह अत्यंत दुखद दुर्घटना हुई है।

इसलिए मैं सदन के नेता से आग्रह करता हूं कि श्री रवि राय द्वारा की गई मांगों तथा प्रधानमंत्री द्वारा तुरन्त दौरा करने और राज्य सरकार को तत्काल आवश्यक दवाओं और भोजन की अतिरिक्त सहायता देने के बारे में वह एक वक्तव्य दें। अन्यथा हजारों लोगों की मृत्यु हो जाएगी और लोग नहीं बचाए जा सकेंगे। यह स्थिति है। फसल को दो बार क्षति हो चुकी है। इस प्रकार उड़ीसा में आगामी वर्ष बहुत खराब होंगे। अनेक मकान ढह चुके हैं। केन्द्र सरकार उड़ीसा के लोगों की दयनीय सिथति पर विचार करे और राज्य सरकार सहायता के लिए तत्काल सभी आवश्यक कदम उठाए।

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर): इस वर्ष उड़ीसा में बाढ़ तीसरी बार आई है जिसने सात जिलों को प्रभावित किया है और इस बार 45 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तीनों बार में सभी 13 जिले प्रभावित हुए हैं। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दम दम): यह केवल उड़ीसा का मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: आप उड़ीसा के सदस्य को क्यों रोक रहे हैं?

श्री शिवाजी पटनायक: इस स्थिति पर सरकार की तरफ से एक वक्तव्य दिया जाए और फंसे हुए लोगों और राज्य सरकार की सहायता के लिए सभी आवश्यक कदम तुरन्त उठाए जाएं।

यह बहुत ही दुखद अनुभव है। केन्द्र सरकार इस स्थिति को समझे। केन्द्र सरकार राज्य सरकार के बचाव के लिए आगे नहीं आई है। चावल का पर्याप्त भंडार नहीं है। इस कारण उड़ीसा में आवश्यक वस्तुंए उपलब्ध नहीं हैं। सरकार आवश्यक वस्तुओं का आवश्यक भंडार तुरंत भेजे।

उड़ीसा के लोगों को बाढ़ के दौरान गंजम जिले में उस समय दुखद अनुभव हुआ जब उन्हें केन्द्र से कोई मदद नहीं मिली। ऐसा पुनः नहीं होना चाहिए।

एक संसदीय समिति गठित हो और यह राज्य का दौरा करे तथा उसकी सलाह के मुताबिक सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: आप एक संसदीय समिति नियुक्त करें।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): उड़ीसा दुर्भाग्य से जिस आपदा का शिकार हुआ है उससे राज्य के प्रति न सिर्फ सहानुभूति होती है बल्कि सारी सभा तथा भारत के लोग इससे चिन्तित हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हमेशा की तरह ऐसी परिस्थितियों में स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार की सहायता के लिए सब कुछ करेगी और इस संबंध में कोई अन्य मुद्दा बीच में रुकावट नहीं बनेगा।

*__श्री सी० के० कुप्पुस्वामी__. (कोयम्बतूर): अध्यक्ष महोदय, हाल ही में केन्द्रीय मंत्री श्री चिदम्बरम तमिलनाडु के राज्यपाल के आमंत्रण पर राजभवन मद्रास गए थे। राज्यपाल ने 15 अगस्त, 1991 को कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को चाय पर आमंत्रित किया था। चाय पार्टी के समय ए०आई०ए०डी०एम०के० पार्टी के लगभग 15 विधायकों ने केन्द्रीय मंत्री श्री पी० चिदम्बरम का घेराव किया।

अगले दिन मद्रास से अपने निर्वाचन क्षेत्र जाते समय वह बीच में तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे पर उत्तर रहे थे। **(व्यवधान)** ए०आई०ए०डी०एम०के० कुछ विधायक तथा पार्टी कार्यकर्त्ता हवाई अड्डे पर आये और मंत्री महोदय तथा उनके साथ दो संसद सदस्यों पर हमला किया।

तिरुचिरापल्ली जिला मुख्यालय है और सभी जिला प्रशासनिक अधिकारी जैसे जिला कलक्टर, पुलिस अधिक्षक, पुलिस उप महानिरिक्षक वहां होते हैं। तिरुचिरापल्ली में इतने सारे अधिकारी तैनात हैं तब भी एक केन्द्रीय मंत्री को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई। इस पुनीत सभा के माध्यम से मैं सारे विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक केन्द्रीय मंत्री को उसके गृह राज्य में ही सुरक्षा प्रदान करने में गंभीर चूक हुई है। संसद सदस्यों को भी आवश्यक सुरक्षा नहीं मिल रही है।

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है। इसलिए मैं तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु सरकार को बर्खास्त करने पर विचार करें क्योंकि तमिलनाडु में केवल गुंडा राज है।

मेरे प्रिय भाई और पूर्व प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी की निर्दयता पूर्वक हत्या तमिलनाडु में राज्यपाल के शासन के दौरान की गई। एक उदीयमान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री की रक्षा नहीं की जा सकी और मैं इसके लिये कानून और यवस्था को लागू करने वाले शासनतंत्र को दोषी ठहराता हूं। यह एक राष्ट्रीय नेता की हत्या है। निंदनीय कृत्य है।* मेरा इस महान सभा से निवेदन है कि वह इस बात पर विचार करे कि यह कार्यवाही क्यों आवश्यक है इस घटना की पूरी जांच की आवश्यकता है। तिरुचिरापल्ली में जो कुछ भी हुआ है उसकी जांच की जानी चाहिये और सभा के समक्ष उसका पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया जाना चाहिये भविष्य में जब भी केन्द्रीय मंत्रिमंडल का कोई मंत्री तमिलनाडु जाता है तो उनकी सुरक्षा के लिये पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिये। अन्यथा आज जो श्री चिदम्बरम के साथ घटित हुआ है वह कल श्री अर्जुन सिंह या किसी भी अन्य मंत्री के साथ घट सकता है। श्री चिदम्बरम के साथ जो कुछ भी हुआ है वह ठगों और गुण्डों द्वारा किया गया है और वे उनकी धोती उतारने का भी दुस्साहस कर सकते हैं। पट्टालि मक्कल काछी के विधायक की विधान सभा में पिटाई कर दी गई। यह इतनी साधारण बात नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए। मैं सभा को उनकी प्रवृत्ति बताना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि तमिलनाडु के लोगों को उचित सुरक्षा दी जाए। यह हमारा दायित्व है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्रीय मंत्रियों और सांसदों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दायित्व का निर्वाह किया जाए। इस सभा के सभी सदस्य तथा विपक्ष के नेता और सदस्य जैसे श्री आडवाणी जी तथा श्री वाजपेयी जी इस पर ध्यान दें। संसद के सभी सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जाए। तमिलनाडु की घटना अभूतपूर्व है। इसलिये मैं आप सबों से सविनय निवेदन करता हूं कि सभी सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए। इन्ही बातों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और इस मुद्दे को यहां उठाने की अनुमति देने के लिये मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: यदि यहां पर भारत के राष्ट्रपति के सम्बन्ध में कोई उल्लेख किया गया है तो वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री राजगोपाल नायडु रामासामी (पेरिया कुलम): महोदय, मत प्राप्त करने के बाद श्री चिदम्बरम और श्री अरुणाचलम ने तमिल लोगों को धोखा दिया है। इसलिये सभी तमिल लोग उनके विरुद्ध हैं। **(व्यवधान)**

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली): महोदय, हमारे दल को भी अवसर मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अवसर दूंगा। कृपया बैठ जाएं। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री एम० सुन्दरराज (पुडुक्कोट्टाई): महोदय, 16 अगस्त को राज्य मंत्री श्री चिदम्बरम ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने का विचार किया। मैं जो कि स्वयं पुडुक्कोट्टाई निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य हूं और श्री अडाईकलराज जो तिरुचिरापल्ली से सदस्य हैं, श्री चिदम्बरम की अगुवानी करने के लिये गए थे। जब हम हवाई अड्डे की ओर जा रहे थे तो हमे पता चला कि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम के लोग उसी पार्टी के चार विधायकों के नेतृत्व में एकत्र हो गए हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें बीच में इस तरह न टोकें।

(व्यवधान)

श्री एन० सुन्दरराज: अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कषगम उन चार विधायकों के नाम मैं बता सकता हूं।**

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ये नाम कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किये जाएंगे।

(व्यवधान)

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः कृपया टोका टोकी न करें, मैं आपको बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री एन० सुन्दरराजः श्री चिदम्बरम को विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाने के लिये वहां करीब दो सौ से तीन सौ व्यक्ति जमा हो गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश, जब श्री अडाई कलराज हवाई अड्डे पर पहुंच ही रहे थे कि वहां पत्थर फेंके जाने लगे और हम लोगों ने तुरंत वहां के पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया ताकि मंत्री जी जब हवाई अड्डे से बाहर निकलें तब उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। दुर्भाग्यवश पुलिस अधीक्षक सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ थे और जब हमारे जिलाधिकारी से संपर्क किया तब उन्होंने कहा, हम पर्याप्त सुरक्षा देंगे और महोदय हम उप महानिरीक्षक (पुलिस) से संपर्क नहीं कर सके। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): आप हाउस में क्यों समय बरबाद कर रहे हैं? आप क्यों नहीं उस सरकार को सस्पेंड कर देते? आप केवल हाउस में अपना समय बरबाद कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम प्रसाद सिंह (विक्रम गंज): वहां जो सरकार है, आप वहां की सरकार को बरख्वास्त क्यों नहीं कर देते? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एन० सुन्दरराजः बाहर निकलते समय श्री चिदम्बरम की कार पर लोगों ने हमला कर दिया। मैं भी उस कार में था, मेरे ऊपर आक्रमण हुआ और मेरे सीने तथा बांह में चोट आई और श्री चिदम्बरम की टांग में चोट आई और कार का शीशा न केवल लोहे की छड़ से बल्कि पत्थरों से पूरी तरह चूर-चूर कर दिया गया और यहां तक कि अंड़ों में तेजाब भर कर भी फेंका गया और इस तरह उनके चेहरे को विकृत करने का प्रयास किया गया और उनकी हत्या का प्रयास किया गया। ऐसी घटना वहां घटी। उसके पश्चात उन्होंने वहां से दो किलोमीटर दूर चलकर गुन्डुर आकर अपनी कार रोकी जहां हमने पुलिस अधीक्षक, जिलाधीश तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक से संपर्क किया ताकि वे श्री चिदम्बरम को सुरक्षा प्रदान करें। पुलिस के उपमहानिरीक्षक और जिलाधीश ने कहा, 'हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं परंतु स्थिति तनावपूर्ण है।' लेकिन श्री चिदम्बरम ने पूछा, 'यदि आप सुरक्षा दे सकते हैं तो आप मुझे दें। लेकिन यदि आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे लिखित दें कि आप के लिये सुरक्षा देना संभव नहीं है, यह स्थिति थी। उनकी क्रूरतापूर्वक पिटाई हुई। इसके अलावा, करीब 30 कारों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पहली आठ कारें क्षतिग्रस्त हुईं और मंत्री जी की कार को क्षतिग्रस्त किया गया और श्री चिदम्बरम के काफिले की 30 कारों को क्षतिग्रस्त किया गया। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि एक राज्य मंत्री को किसी राज्य विशेष में क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है जब वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर रहा होता है। क्या उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं होती है। क्या वह तमिलनाडु के नहीं है और वह केवल दिल्ली के ही हैं? मुझे यह बताया गया है कि श्री चिदम्बरम 'जेड' श्रेणी में आते हैं जिससे कोई भी एजेंसी या किसी उग्रवादी संगठन द्वारा उन्हें खत्म किया जा सकता है। लेकिन अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक पार्टी जो राज्य में सत्तारूढ़ है उसने ही काले झंडों के प्रदर्शन का आह्वान किया था। यह स्वयं ऐसी गतिविधियों में शामिल है जिसके तहत मंत्रियों का सफाया किया जा सके। यहां तक कि जब श्री अरुणाचलम अपने निर्वाचन क्षेत्र में गए तब वहां के जिलाधिकारी और कुलपति ने समारोह का बहिष्कार किया था।

अध्यक्ष महोदयः कृपया विस्तार में न जाएं।

श्री एन० सुन्दरराजः तमिलनाडु में यही हो रहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस संबंध में सरकार क्या करने जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय मंत्रियों, मुझे और मेरे सह भोगियों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी अथवा नहीं। **(व्यवधान)** वे सुरक्षा देंगे या नहीं? जो कुछ भी तमिलनाडु में हो रहा है क्या वह वैसा होने देंगे? क्या वे हत्या होने देंगे? श्री राजीव गांधी की वहां हत्या की गई। वहां ऐसा होने जा रहा है। इस संबंध में हम सरकार से जानना चाहते हैं। इस घटना के बारे में हम गृह मंत्री, और प्रधानमंत्री से जवाब चाहते हैं। श्री चिदम्बरम ने कौन सा अपराध किया है? श्री अरुणाचलम ने कौन सा अपराध किया है? उन्होंने तो केवल इतना

ही किया है कि वे सरकार और पार्टी के साथ हैं। यही कारण है कि वे इन दो मंत्रियों का सफाया करना चाहते हैं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना): यह मुद्दा केवल श्री चिदम्बरम तक ही सीमित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: श्री वासनिक, मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया बीच में न टोकें।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी 542 सदस्यों को एक साथ बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। कृपया बैठ जाएं। अब श्री पी० जी० नारायणन बोलेंगे।

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टि पालयम): अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु में जो भी घटना घटी है उसका अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक पार्टी से कुछ भी लेना-देना नहीं है....। **(व्यवधान)** हम नहीं चाहते कि तमिलनाडु में इस तरह की हिंसा की घटना हो। लेकिन तमिलनाडु के लोगों को ऐसा लगा कि कावेरी विवाद के मुद्दे पर इन दो केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण तमिलनाडु के हित में नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम (टिंडिवनाम): क्या वे मंत्रिमंडल के निर्णय से सहमत नहीं हैं? आप उन्हें मंत्रिमंडल से किस तरह अलग कर सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बात न करें। उन्हें अपनी बात पूरी करने दें।

श्री पी० जी० नारायणन: कावेरी जल विवाद का मुद्दा एक संवेदनशील मामला है। श्री पी० चिदम्बरम और श्री ए०० अरुणाचलम इन दो मंत्रियों ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया है। तमिलनाडु की जनता को ऐसा लगा कि इन दो मंत्रियों द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण तमिलनाडु राज्य के हित में नहीं है। उसी दिन त्रिची हवाई अड्डे पर द्रमुक के कुछ लोग, डी० के० के लोग तथा पी० एम० के० के लोग तथा कुछ असामाजिक तत्व वहां एकत्र हो गए। लेकिन हमारी सरकार ने वहां पूरी सुरक्षा प्रदान की।

सरकारी अधिकारियों ने दोनों मंत्रियों को आगे न जाने के लिये सलाह भी दी। लेकिन उसके बावजूद, वे आगे बढ़े और एक विशेष स्थिति में मंत्री महोदय के रक्षार्थ कार में बैठे एक व्यक्ति ने भीड़ पर एक चप्पल मारी। इससे भीड़ उत्तेजित हो गई और फिर लोगों ने उनका पीछा करना शुरू किया। पुलिस ने समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्यकारी की।**(व्यवधान)**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा): यह विशेषाधिकार के हनन का मामला है।**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये। अगर सभी 542 सदस्य एक साथ बोलना चाहें, तो मैं उसमें कुछ सहायता नहीं कर पाऊंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर, उसकी भी अनुमति होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: मैं उसी के अनुरूप बात कर रहा हूं।

श्री पी० जी० नारायणन: हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसके पश्चात् किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं होगा। अतः मामला खत्म हुआ। उसके बाद, कल, तमिलनाडु भवन के सामने लगभग 400 कांग्रेसी इकट्ठे हुए और मुख्य मंत्री महोदय के विरोध में नारे लगाये। वे हमारे मुख्य मंत्री महोदय को गाली दे रहे थे। उन्होंने हमारे मुख्य मंत्री महोदय के लिये अभद्र भाषा का प्रयोग किया। क्या यह न्यायोचित है, महोदय?... **(व्यवधान)** कल की घटना के बारे में मैं मंत्री महोदय से उत्तर चाहता हूं क्योंकि यह कहा गया है कि इसमें उनका हाथ था। **(व्यवधान)**

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन (डिन्डिगुल): पिछले सप्ताह, जब रक्षा मंत्री मद्रास के दौरे पर गये तो राज्य सरकार द्वारा उन्हें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की गई थी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं एक दल के दो से अधिक सदस्यों को अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली): कृपया हमारी पार्टी से भी दो सदस्यों को अनुमति दीजिये क्योंकि आपने कांग्रेस (ई) के दो सदस्यों को अनमुति दी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें इसलिये अनुमति दे रहा हूं क्योंकि वह एक घायल व्यक्ति हैं। **(व्यवधान)**

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन: उन्होंने हमारी सरकार पर आरोप लगाया है। हमें उसका जवाब देना है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री उन्नीकृष्णन का नाम बुलाया है। आप कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा। पहले कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिये। सभा की कार्यवाही इस तरह नहीं चलाई जा सकती। आप सदन में इस प्रकार शोर नहीं मचा सकते। कृपया पहले बैठ जाइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने दो सदस्यों को अनुमति दी है। कृपया बैठ जाइये। कृपया समझने की कोशिश कीजिये कि मैं सभी लोगों को अनुमति नहीं दे सकता। अगर कोई मेरी अनुमति के बगैर बोलेगा तो उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: महोदय, नियम 222 तथा नियम 223 के अधीन विशेषाधिकार कि हनन के बारे में मैंने एक नोटिस आपके पास भेजा था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप इस विषय मे बात करना चाहते हैं या किसी और पर?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: महोदय, मैं केवल यही बात करना चाहता हूं। मैंने विशेषाधिकार के हनन के बारे में एक नोटिस भेजा था। महोदय, समस्या के राजनीतिक पहलुओं अथवा तमिलनाडु राज्य में कांग्रेस-इ और अन्ना द्रमुक के बीच प्रेम-घृणा का जो संबंध विद्यमान है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन एक गंभीर मामला है और वह है सदस्यों के संवैधानिक अधिकारियों का तथा इसके साथ ही साथ जब यह सदस्य के ऊपर प्रपीड़न और आक्रमण के रूप में परिवर्तित हो जाये, जब वे अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में जाये, तो उसे कैसे सहन किया जा सकता है।

अतः महोदय, यह एक साधारण मामला नहीं है। मंत्री महोदय की सुरक्षा से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। वह मामला राज्य सरकार तथा संघ सरकार के बीच सुलझाया जाने वाला है। सदन का प्रश्न इसलिये उठता है क्योंकि सदस्यों के अधिकारों का हनन हुआ है। ये पवित्र अधिकार संविधान के अनुच्छेद 105 के अन्तर्गत दिए गये हैं तथा महोदय, आपके अपने शासन में इनकी रक्षा करनी है तथा पूरे तौर पर इसे सुरक्षित रखना है।

महोदय, उसके अतिरिक्त यह विषय इस सदन तथा आपके पूर्ववर्तियों ने भी उठाया था कि अपने संसदीय कर्तव्य का निर्वाह करते हुए किसी अपेक्षित मसले पर सदस्य द्वारा जो भी विचार व्यक्त किये जायें, उसके लिये सदस्य को किसी प्रकार से प्रपीड़ित अथवा डराया गया तो यह सदन की अवमानना होगी। महोदय मैं, स्वयं को इस समस्या के इस संकीर्ण पहलू तक सीमित रख रहा हूं। मैं यह उन पर छोड़ूगां कि वे इसके लिये लड़ें जैसाकि मैंने पहले कहा कि मेरा तमिलनाडु में इन दो पार्टियों के प्रेम या नफरत के रिश्ते से, जो इन दोनों के मध्य विद्यमान है कोई संबंध नहीं है।

लेकिन महोदय, इस सदन के लिये यह बहुत गंभीर बात है क्योंकि इसमें सदस्यों के अधिकार शामिल हैं संवैधानिक अधिकार तथा गरिमा के अधिकार सम्मिलित हैं। आखिरकार, आप सभी जानते हैं, इससे मुक्ति नहीं है। इस सदन में हमारे बीच मतभेद हो सकते है, बाहर भी मतभेद हो सकते हैं लेकिन अगर आप इस प्रकार की प्रवृत्ति को जारी रहने की अनमुति देते है, तो हम एक प्रकार के फासिस्टवाद की शुरुआत के मार्ग को प्रशस्त करेंगे जो संविधान को ही अर्थहीन कर देगा। अतः महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन होगा कि आप संघ सरकार

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और राज्य सरकार से पूर्ण विवरण को प्राप्त करें। हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। वे कुछ लोगों के नाम ले रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं उचित कार्यवाही करूंगा। मुझे क्या करना चाहिये, यह आप मुझ पर छोड़ दीजिये।

श्री के॰ पी॰ उन्नीकृष्णन: यह विशेषाधिकार के हनन और सदन की अवमानना का प्रश्न है।

श्री चिन्नासामी श्रीनिवासन: इसी विषय पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले सप्ताह रक्षा मंत्री महोदय तमिलनाडु के दौरे पर गये तथा उनका वहां पूर्ण सत्कार किया गया तथा बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान की गई। कावेरी जल विवाद के संबंध में इन केन्द्रीय मंत्रियों को कुछ कठिनाई हो रही थी। इसीलिये लोग उनके विरुद्ध उत्तेजित हो गये और उन्होंने काले झंडे दिखाकर प्रदर्शन किये। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि इस मामले में अन्ना द्रमुक के लोग शामिल नहीं थे, केवल कुछ दुखी किसान उसके लिये जिम्मेदार हैं। महोदय, कृपया आप कावेरी जल विवाद से संबंधित उचित कदम उठायें और इन मंत्रियों को तमिलनाडु के मुख्य मंत्री महोदय की बात का समर्थन करने के लिये कहें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा): अध्यक्ष महोदय, आज सुबह डी॰ एम॰ के॰ के हैडक्वार्टर तमिलनाडु से हमारी बातचीत हुई है। इस संबंध में हमारे साथियों ने डी॰ एम॰ के॰ पर अपने कारनामे थोपने की जो कोशिश की है, मैं समझता हूं कि वह सही नहीं है। जिस तरीके से यह घटना घटी है हम उसकी निन्दा करते हैं और यह कहना चाहते हैं कि क्योंकि तमिलनाडु एक ऐसा सेनसीटिव स्टेट है जहां देश की सुरक्षा का मामला है, वहां इस तरह की अराजकता फैले मैं समझता हूं कि यह निन्दनीय काम है। इतना ही नहीं, जितने भी समाचार पत्र हैं, किसी समाचार पत्र का दफ्तर सुरक्षित नहीं है। 14 तारीख को पार्लियामैंट बन्द हुआ। 'तापसू' एक साप्ताहिक मैगजीन निकलता है। चूंकि उसमें उसने चीफ मिनिस्टर को कन्डैम किया है, दो दिन पहले उसका नतीजा हुआ कि उस दफ्तर पर अटैक किया गया, दो कर्मचारी मारे गये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब आप विषय से भटक रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: वहां के एक टैक्सटाइल मिनिस्टर का सीधा उसमें हाथ है **(व्यवधान)** इतना ही नहीं, 'कुमुदम' एक दूसरा मैगजीन है, उसके दफ्तर पर अटैक किया गया। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सवाल श्री उन्नीकृष्णन ने उठाया है प्रैस के अधिकार और कानून व्यवस्था का, जिसके संबंध में आप चिन्तित हैं, प्रैस की आजादी खतरे में पड़ गई है, सरकार को निश्चित रूप से इस संबंध में कड़ा कदम उठाना चाहिए और सदन को ऐश्योरैंस ही नहीं बल्कि ऐश्योरैंस पर कार्यवाही भी की जानी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): प्रातःकाल सभा के नेता ने उत्तेजित सदस्यों को शांत करने की कोशिश में कहा कि प्रधानमंत्री महोदय उत्तेजित सदस्यों से बात करेंगे। यह प्रधानमत्री का कुछ सदस्यों से बात करने का ही प्रश्न नहीं है। यह पूरे सदन का प्रश्न है। यह प्रवृत्ति उस घटना के साथ शुरू हुई जो दिल्ली में घटित हुई और दक्षिण तक फैल गई है...**(व्यवधान)**... यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। यह केवल दक्षिण तक ही नहीं फैली है बल्कि जो कुछ दिल्ली में हुआ, उसका अनुकरण पाकिस्तान में भी हुआ। श्रीमती बेनज़ीर भुट्टो पर भी आक्रमण हुआ है। यह असहमति की आवाज़ को सहन न करने की प्रवृत्ति है...**(व्यवधान)**... मैंने किसी पार्टी के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया है। परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि तमिलनाडु की राज्य सरकार ने जिस प्रकार से स्थिति को सुलझाया तथा जिस प्रकार से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी मांग यह है कि केन्द्र सरकार सभा में एक ठोस वक्तव्य दे कि वहां क्या हुआ; इसमें कौन लोग शामिल हैं और वे इस बारे में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। हम इस देश में अभिव्यक्ति के अधिकार और असंतोष व्यक्त करने के अधिकार से सदस्यों को इस प्रकार और अधिक वंचित नहीं होने देंगे। **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय इस पूरे दुखद प्रकरण में एक पहलू है जिसमें इस सभा में से किसी की रुचि नहीं है। तीन अन्य पहलू हैं जो काफी रुचिकर हैं। एक पहलू जिसमें किसी की रुचि नहीं है

वो कांग्रेस दल और अन्नाद्रमुक के बीच मतभेद है। चाहे वह इस सभा में हो या तमिलनाडु में हो, इसमें हमारी रुचि नहीं है। वे अपने विवेकानुसार इसे स्वयं सुलझा लेंगें **(व्यवधान)**

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन: हम कांग्रेस की विरुद्ध नहीं लड़ रहे। हम कांग्रेस के साथ हैं। **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मुझे यह सुनकर राहत मिली है। मुझे यह सुन कर राहत मिली कि इस पर कोई लड़ाई नहीं है। वास्तव में हम तीन बातों पर चिंतित हैं। अगर कोई लड़ाई नहीं है तो मैं जानना चाहूंगा: पहली बात तथ्यों का निर्धारण है। यहां कांग्रेस दल के कुछ सदस्य बहुत उत्तेचित हैं और उनकी उत्तेजना उचित है क्योंकि एक केन्द्रीय मंत्री की कार जिसके विंड शील्ड इत्यादि नहीं थे, उसके चित्र हमने देखे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अन्नाद्रमुक इसमें शामिल हैं; वैसे ही अन्नाद्रमुक के सदस्यों ने कहा है कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। **(व्यवधान)** इसका अर्थ है कि हमें मामले के तथ्य पता होने चाहिए वास्तव में मामले की सच्चाई क्या है।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं जो है केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया। मेरे मित्र ने कहा है कि मामले के राजनैतिक या गैर-राजनैतिक महत्व से देखते हुए केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया प्रतिदिन बदलती रहती है। हम यह भी समझते हैं कि वे अभी अपने सहयोगियों के साथ लड़ रहे हैं जिन्हें वे नीचा दिखाना चाहते हैं। किन्तु मंत्रिमंडल के एक सदस्य पर हमले जैसे गंभीर मामले पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया एक समान होनी चाहिए। यह दूसरी बात है।

तीसरी बात जैसा कि मेरे मित्र श्री उन्नीकृष्णन ने कहा है, सभा के विशेषाधिकार के बारे में है। जिस तरीके से इस सभा के एक सदस्य को चाहे वह तमिलनाडु जाना चाहते हैं या असम या जम्मू और कश्मीर जाना चाहते हैं—उन्हें संसद सदस्य के अपने कर्तव्य करने से रोका गया, यहां मेरे विचार से महोदय आप द्वारा सुरक्षा और सभा की चिंता का विषय आ जाता है।

इसलिए, ये तीन पहलू हैं और इसलिये महोदय मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि वे इन तीन बातों पर सरकार को उचित निर्देश दें और मुझे विश्वास है कि शेष सभा भी यही चाहती है। **(व्यवधान)**

श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम: महोदय, मैं बोलना चाहता हूं **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपके दल के दो सदस्य बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम: महोदय, वह घायल थे। वे वाहनों के काफिले में थे। इसलिये सिर्फ एक सदस्य ही बोला है। मैं एक वक्तव्य दूंगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपकी ओर से श्री कुप्पुस्वामी बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम: महोदय, मैं आपको इसका ब्यौरा दूंगा कि यह सब कैसे हुआ। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह आवश्यक नहीं है; हम इसे बाद में देखेंगे। दो सदस्य पहले ही बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम: महोदय, यह दो सदस्यों का प्रश्न नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या महत्वपूर्ण है—सरकार की प्रतिक्रिया या आपका बोलना।

(व्यवधान)

श्री के० राममूर्ति टिंडिवनाम: सरकार को भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, कृपया बोलिये।

श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम : महोदय, 16 तारीख को श्री पी० चिदम्बरम पर हुआ हमला नियोजित है। **(व्यवधान)**

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, एस० पी० ने मंत्री को सूचित किया कि लोग क्रोधित थे। ....**(व्यवधान)**

श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम : यह एक नियोजित हमला है। 10.8.1991 को राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्रियों ने अपने भाषण में स्पष्ट कहा कि श्री चिदम्बरम और श्री अरुणाचलम को तमिलनाडु में नहीं घुसना चाहिए और यह घोषित किया कि उनसे बुरा व्यवहार किया जाएगा। यह अन्नाद्रमुक के राज्य मंत्रियों द्वारा 10.8.91 को मंच से कहा गया था और उसके बाद, केन्द्रीय मंत्री श्री पी० चिदम्बरम जिन्होंने राज्य के राज्यपाल के आमंत्रण पर राजभवन में स्वतंत्रता दिवस के भोज में भाग लिया उनसे इस प्रकार व्यवहार किया गया कि सारे राज्य में जनता में एक वर्ग को संकेत दे दिए गए कि केन्द्रीय मंत्री के साथ इस तरह से व्यवहार करना है.....**(व्यवधान)**

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, हम यह नहीं होने देंगे। **(व्यवधान)**

श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम : महोदय, अगले ही दिन, 16 तारीख को, यह घटना हुई। डी०आई०जी० वहां थे; डी०एस०पी० पुलिस भी वहां थे और जिलाधीश वहां थे। मुख्यमंत्री का यह कथन रिकार्ड में है कि वे उनसे फोन पर विचार विर्मश करने के बाद ही वहां गए और केन्द्रीय मंत्री से मिले। मुख्य मंत्री का यह कथन रिकार्ड में है कि उन्होंने यह जानते हुए कि एक प्रदर्शन होगा। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया और अंत में उस प्रदर्शन ने एक उग्र प्रदर्शन का रूप ले लिया, और फिर महोदय, बहिस्कार का आह्वान मुख्यमंत्री द्वारा ही किया गया था। मैं यह मानता हूं कि अगर वे यह शपथ लेते हैं कि अन्नाद्रमुक शामिल नहीं थी, तो हमें कुछ नहीं कहना है। मुख्यमंत्री ने अपने पहले वक्तव्य में कहा कि उनके दल का इस मामले से कोई संबंध नहीं है और तिरुचिरापल्ली में कोई हिंसक घटना नहीं हुई। उनका दूसरा वक्तव्य यह था "हां, लोग उत्तेजित थे अन्नाद्रमुक का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। यह हिंसक कार्य किसानों और गुण्डों ने किया है।" ....**(व्यवधान)** तीसरा वक्तव्य यह था कि यह घटना हुई थी। गुण्डों ने हमला किया। किन्तु यह द्रमुक, डी०के० के लोगों और पट्टालि मम्मल कांची के लोगों द्वारा किया गया। अगर ऐसा है तो, वहां ऐसी सरकार की क्या आवश्यकता है जो राज्य में कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण नहीं रख सकती और जो केन्द्रीय मंत्रियों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रख सकती?....**(व्यवधान)** महोदय, यह एक नियोजित हमला था....**(व्यवधान)**....वे इसे सहन नहीं करेंगे। वे ऐसी परम्परा के उत्तराधिकारी हैं। वे सिर्फ इसी प्रकार का व्यवहार करेंगे....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष से संबोधित हैं या उनसे बात कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम : महोदय, जहां तक इस सभा का संबंध है, श्री चिदम्बरम ने, जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, हमारे प्रिय नेता, श्री नरसिंह राव की अध्यक्षता में, मंत्रिमंडल के निर्णय का समर्थन किया और उनका बहिष्कार कर अलग कर दिया गया। श्री अरुणाचलम का भी बहिष्कार किया गया। मैं गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि सामूहिक जिम्मेवारी का कोई फायदा होगा या नहीं। क्या वे इन दोनों मंत्रियों को नीचा दिखा कर मंत्रिमंडल कार्य करता रहेगा या उनका इस संबंध में कुछ उत्तरदायित्व है। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं कि जब वे तमिलनाडु जाऐंगे तो क्या उनका स्वागत पुष्पहारों से किया जाएगा या काले झंडों से **(व्यवधान)** इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कौन सुनिश्चित करता है? एक मुख्यमंत्री द्वारा, वह भी तमिलनाडु में, जो कहा गया है क्या उस पर मतभेद नहीं हो सकता? क्या आप इस तरह से सरकार चलाऐंगे? तमिलनाडु में ये सब जो अत्याचार हो रहे हैं क्या सरकार इनकी मूक दर्शक बनी रहेगी? क्या उन्हें कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं और गृहमंत्री से एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या वे अन्य राज्यों में दूसरे मंत्रियों के साथ इसी प्रकार की स्थिति होने की अनुमति देंगे। क्या अराजकता होने जा रही है? क्या यहां लोकतंत्र है या अराजकता है? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस सभा में आना चाहिए और लोकतंत्र के बारे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हमारे देश की अखण्डता के बारे मे हमें आश्वस्त करें। **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : मैं सिर्फ एक सदस्य को अनुमति दूंगा और वह भी सिर्फ एक मिनट के लिए।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद देता हूं। मुझे सिर्फ दो वाक्य कहने हैं। सिर्फ दूसरे राममूर्ती को हटाने के लिए, ये राममूर्ती वे सब बातें कह रहे हैं जो

सत्य नहीं है। इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है....**(व्यवधान)** समाचार पत्रों में मुख्य शीर्षक था। "जया विरोधी रैलियों के विरुद्ध" इन शीर्षकों से स्पष्ट है कि हमारी मुख्यमंत्री किसी भी तरह से तिरुचिरापल्ली की उग्र घटना से संबंधित नहीं है। तमिलनाडु की जनता की इच्छाओं के अनुसार हमारी मुख्यमंत्री ने संसद सदस्यों और विधायकों को इन दोनों यात्रियों के समारोहों और बैठकों में भाग न लेने का निदेश दिया, और कुछ नहीं है। किन्तु कांग्रेस (आई) की योजना कुछ और है। युवा कांग्रेस (आई) हमारी मुख्यमत्री को जब वे 23 और 24 अगस्त, 1991 को दिल्ली आएंगी, तो उन्हें काले झंडे दिखाएंगे। क्या आप युवा कांग्रेस (ई) की कार्यवाही को उचित ठहराते हैं?....**(व्यवधान)** तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और हमारी पार्टी, ए०आई०ए०डी०एम०के०, किसी भी प्रकार इस हिंसक घटना से सम्बन्धित नहीं है। **(व्यवधान)** तमिलनाडु से केवल दस सदस्य उपस्थित हैं जबकि तमिलनाडु के 18 कांग्रेस सदस्य संसद में नहीं आए हैं। यह तमिलनाडु के कांग्रेस (ई) के सदस्यों की दलबन्दी सम्बन्धी झगड़ा है....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री राममूर्ति, कृपया उनसे बात न करें। कृपया बैठ जाइये। क्या सरकार वक्तव्य देना चाहती है?

श्री अर्जुन सिंह : आज, आरम्भ में ही, मैंने कुछ कहा था इस पर कुछ आपत्ति थी। किन्तु मैं इसे पुनः दोहराना चाहूंगा

श्री जसवन्त सिंह : तथ्य क्या है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया, उन्हें बोलने दें....

श्री अर्जुन सिंह : मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं इसे केवल अपनी ओर से नहीं अपितु इस सरकार की ओर से और यदि मुझे यह कहने की अनुमति है, तो इस सभा के प्रत्येक सदस्य की ओर से कहना चाहता हूं। जहां तक अधिकारों और विशेषाधिकारों का सम्बन्ध है, हर सदस्य के पास देश के किसी भी हिस्से तक यात्रा करना, जो ठीक लगे वह कहना और उस पर दृढ़ रहने का अधिकार है। यह एक अहरणीय अधिकार है और इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लग सकता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज़फ्फरपुर) : किन्तु वहां क्या हुआ था?

श्री अर्जुन सिंह : जहां तक सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू का प्रश्न है, श्री उन्नीकृष्णन और श्री जसवन्त सिंह ने इसका उल्लेख किया था। हम ऐसा महसूस करते हैं। आप हमारे विश्वास और निष्ठा के पात्र हैं। परिस्थितियों को देखते हुए आपको जो ठीक लगे....

श्री राम विलास पासवान : किन्तु हमें तथ्य बताये....

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह : आप सुन तो लीजिए, वो सुनने को तैयार ही नहीं हैं।

[अनुवाद]

मैं इस विषय के बारे में बोल रहा हूं....**(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मामला क्या है? क्या हुआ है? और सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

श्री अर्जुन सिंह : मुझे दुःख है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज़ अपने बहुत अधिक सतर्क दिमाग के बावजूद मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। मैं यह कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि सदस्य के विशेषाधिकार का प्रश्न एक अहरणीय अधिकार है और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : क्या सरकार ने विशेषाधिकार के विषय को उठाया है?वास्तव में, सुबह मैंने माननीय मंत्री से कहा था कि विशेषाधिकार का मामला शामिल है। विशेषाधिकार का विषय कहां है?

श्री अर्जुन सिंह : कुछ ऐसा पूछा गया है जिसका मैं यहां पर उत्तर नहीं दे सकता। जहां तक दूसरे पहलू का सम्बन्ध है....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : घटना क्या हुई है, पहले घटना तो बताइए....**(व्यवधान)**....

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा करेंगे, तो कैसे होगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : यदि माननीय मंत्री महोदय स्वयं विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत करें तो बेहतर होगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : वे तथ्य नहीं बता रहे हैं। हम सारी बात जानते हैं। वे तथ्य बताएं।

अध्यक्ष महोदय : वे आपके शब्दों और दृष्टिकोणों का प्रयोग नहीं करेंगे। वे अपने दृष्टिकोण का अपने ही शब्दों मे प्रयोग करेंगे।

श्री अजुन सिंह : ऐसे कई अवसर होंगे जब मैं उनकी भाषा में बोल रहा होऊंगा जबकि वे मेरी भाषा में नहीं बोलेंगे।

महोदय, जहां तक इस मामले के तथ्यों का प्रश्न है, जैसा कि स्पष्ट है कि, हमारे पास विभिन्न दृष्टिकोण हैं। इस समय मैं यह कह सकता हूं कि मैं गृह मंत्री जी से सभी तथ्य एकत्र करके सदन मे आने के लिए निवेदन करुंगा ताकि सदन किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। मैं सीधे तौर पर यह प्रतिक्रिया जाहिर कैसे कर सकता हूं कि यह ठीक है और वह गलत है या वह ठीक है और यह गलत है? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मुझे भी कुछ कहने दें। मैंने इस मुद्दे पर सदस्यों को बोलते सुना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि इसी सदन में सिंधिया जी के सम्बन्ध म घटना घटी थी और उसी दिन 4 बजे मंत्री जी ने जबाब दिया था और यह तीन दिन पहले की घटना है। **(व्यवधान)** क्या आप बतलाएंगे कि होम मिनिस्टर आज इस सदन में इस पर स्टेटमेंट देने वाले हैं या नहीं? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। श्री कुप्पुस्वामी आपको यह समझना चाहिए कि मैं आपकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया बैठ जाइए और जब मैं कुछ कहूं तो हस्तक्षेप न करें, अन्यथा वह सब कहने के पश्चात् भी आपको कोई लाभ नहीं होगा।

मैं कह रहा था कि मैंने सदस्यों को इस विषय पर कहते सुना है। मुझे एक विशेषाधिकार प्रस्ताव भी मिला है। मुझ विशेषाधिकार प्रस्ताव सभा आरम्भ होने से केवल 15 या 20 मिनट पहले मिल रहे हैं और मुझे दस्तावेजों को देखने का समय नहीं मिल रहा है। विशेषाधिकार प्रस्तावों में न्यायिक निर्णय लेने पड़ते हैं। मैं उन दस्तावेजों को पढ़ूंगा और तथ्यों की जांच करुंगा। किन्तु सम्पूर्ण सभा यह जानने की इच्छुक है कि वहां क्या हुआ था। यहां पर विभिन्न व्याख्याएं की गई हैं। एक व्याख्या हमारी ओर से हुई है, अन्य व्याख्या किसी अन्य पक्ष से हुई है और सदन के समक्ष एक तीसरी व्याख्या भी रखी गई है जो अखबारों में छपी खबरों पर आधारित है। अतः सदन जानना चाहता है कि वास्तव में क्या हुआ है।

अब, मैं निवेदन करता हूं कि सदन तथा पीठासीन अधिकारी के समक्ष वस्तुस्थिति रखी जाये जिससे हम इससे उचित रूप से निपट सकें। मैं उन माननीय सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने कहा है कि सदस्यों के सदन में बोलने के हितों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करना पीठासीन अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि उनके हितों की सुरक्षा की जाये। ऐसा केन्द्र सरकार तथा राज्य कार्य प्रणाली दोनों द्वारा किया जाये। मैं उन सब से निवेदन करता हूं जो राज्यों अथवा संघ-शासित क्षेत्रों में सदस्यों को सुरक्षा देने के लिए उत्तरदायी हैं कि वे सदस्यों को उचित रूप में अपना कर्त्तव्य निबाहने के लिए सुरक्षा प्रदान करें।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : महोदय, क्या आप मुझे कृपा करके एक बहुत ही संक्षिप्त तथा महत्वपूर्ण निवेदन करने की अनुमति देंगे?

श्री एन० सुन्दरराज : महोदय, मंत्री महोदय वक्तव्य कब देंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं समय निर्धारित नहीं कर रहा हूं। वक्तव्य जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस मुद्दे पर कुछ विशेष सीमा से अधिक जोर डालेंगे तो कुछ हाथ नहीं आयेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यह बहुत गलत है।

(यवधान)

श्री एन० सुन्दरराज : इस घटना को हुए तीन दिन बीत चुके हैं। सरकार से अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको इसमें सम्मिलित अच्छेपन को समझना चाहिए।

श्री एन० सुन्दरराज : व्यक्तियों की हत्या करने में क्या अच्छापन है? यदि मेरी हत्या हो जाये तो कल क्या होगा?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पूर्ण सुरक्षा दूंगा। इस प्रकार बहस करना बेकार है।

श्री एन० सुन्दरराज : महोदय, यह बहुत फायदेमन्द है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री आडवाणी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। मैं आपमें से कुछ सदस्यों को एक के बाद एक बोलने का अवसर दूंगा। आपको यह समझना चाहिए कि मैं इस प्रकार हर सदस्य के साथ बहस नहीं कर सकता।

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन तथा नेता का ध्यान मास्को से आई एक चिन्ताजनक रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। न्यूज़ एजेंसियों ने आज सुबह रिपोर्ट की है कि आपातकाल स्थिति की....

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि जब तक यह खबर पक्की न हो जाये हमें इस प्रभुतासंपन्न संसद में किसी प्रभुतासम्पन्न देश के बारे में इस प्रकार का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। मैंने सोचा कि आप किसी दूसरे मुद्दे पर बोलना चाहते हैं। **(व्यवधान)** हम थोड़ा अन्तराल दे सकते हैं।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : सरकार को हमें बताना चाहिए....

अध्यक्ष महोदय : यह मैं जानता हूं। मैं इस बारे में बात करुंगा और कुछ किया जायेगा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैं आपका आदेश मानूंगा।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक खबर पढ़ी है जो वास्तविक तौर पर न्यूयार्क की किसी न्यूज़ एजेन्सी की रिपोर्ट है, जिसके अनुसार पाकिस्तान के प्रधान मंत्री कश्मीर के सन्दर्भ में युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। मुझे हैरानी है कि इस प्रकार का वक्तव्य और भी किसी व्यक्ति ने नहीं अपितु पाकिस्तानी प्रधान मंत्री ने दिया है। उनके अनुसार :

> "कश्मीर का मुद्दा दोनों देशों में तनाव को बढ़ा रहा था यह इतना गम्भीर विषय है कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का कारण बन सकता है। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के रूप में भारत को यह बताना मेरा कर्तव्य बनता है कि इस स्थिति से हम दुखी हैं।"

कश्मीर में जो हो रहा है उसके बारे में देश में हर व्यक्ति दुखी है किन्तु, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का ऐसा कहना, बिलकुल वैसा ही है जैसा, हिन्दी में कहते हैं।

[हिन्दी]

"उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।"

[अनुवाद]

अखिरकार आज कश्मीर में जो हो रहा है वह सीमा पार से से स्वयं पाकिस्तान द्वारा अपनाई जा रही हत्या तथा तोड़फोड़ की राजनीति का ही परिणाम है, और इस सबके होते हुए, वे दुख की बात कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और एक प्रकार से भारत को युद्ध की धमकी दे रहे हैं।

कश्मीर के मुद्दे पर दोनों देशों में लम्बे समय से तनाव चलता आ रहा है; परन्तु किसी ने भी कभी इतने खुले तौर पर युद्ध की बातें नहीं की जैसे कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने की हैं तथा इसलिए मैं समझता हूं कि यह आवश्यक था कि सारा सदन इस पर गौर करे तथा पाकिस्तान की सरकार तथा प्रधान मंत्री को यह बता दे कि यहां पर लोकतंत्र है जिसमें हमारे आपस में कई प्रकार के मतभेद हो सकते हैं; परन्तु जब देश की अखंडता का प्रश्न आता है तथा कश्मीर का प्रश्न आता है और जो पाकिस्तान कर रहा है उसका प्रश्न है; उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया एक और स्पष्ट है।

महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जो भी पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है; उसके प्रति हमने पर्याप्त ढील दिखाई है तथा उसे खुले रूप में शिमला समझौते का उल्लंघन करने दिया है जब कि पाकिस्तान ने भारत को यह वचन दिया था कि वह कश्मीर के मामले को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठायेगा तथा कश्मीर के मुद्दे को द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाया जाने वाला मुद्दा समझेगा।

महोदय, इस में कोई शक नहीं कि मेरी पार्टी, जो उस समय भारतीय जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, शिमला समझौते से नाखुश थी। हम यह महसूस करते थे कि हमारी सेना की युद्ध क्षेत्र में उस महान विजय के पश्चात्, कश्मीर मुद्दे का निपटारा हमेशा के लिए हो जाना चाहिए था तथा सरकार को ऐसी किसी भी घोषणा में शामिल नहीं होना चाहिए था जिस में यह कहा गया हो कि कश्मीर मुद्दे का अन्तिम निर्णय अभी बाकी है। यह एक अलग बात है।

परन्तु पाकिस्तान ने इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर न उठाने की शपथ अवश्य ली थी। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि संयुक्त राष्ट्र उप-आयोग द्वारा जे०के०एल०एफ० की सुनवाई की गई। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। मैं नहीं जानता कि इसे रोकने के लिए भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। परन्तु कश्मीर में जो हो रहा है, उससे सारा राष्ट्र चिन्तित है मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि सरकार हमें इसकी जानकारी दे कि वह स्थिति का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है। ऐसा विश्वास किया जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक विशेष संदेशवाहक हमारे प्रधानमंत्री के लिए संदेश ले कर आया है। हम नहीं जानते कि वह संदेश क्या लाया है। क्या यह उसी अप्रसन्नता को अभिव्यक्त करने के लिए भेजा गया है जिसके सम्बन्ध में 'न्यूज वीक' में रिपोर्ट आई है। इस मुद्दे पर सारे सदन को गौर करना चाहिए तथा सरकार को भी सदन को विश्वास में लेना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: यह स्पष्ट है कि युद्ध की स्थिति पैदा करने के लिए एक गहरा षड्यन्त्र रचा जा रहा है, जिसे पाकिस्तान भारत पर थोपना चाहता है।

'न्यूज वीक' में श्री नवाज शरीफ का साक्षात्कार काफी परेशान करने वाला है। उनका यह कहना है कि कश्मीर की घटनाओं से वे नाखुश हैं।

1.00 मध्य०

मैं श्री आडवाणी से पूरी तरह समझता हूं कि वास्तव में यह स्थिति उनकी पैदा की हुई है, जिस तरह से वे आंतकवादियों की सहायता कर रहे है तथा देश को अस्थिर करने के लिए सहायता कर रहे हैं, वहां की राजनैतिक स्थिति निंदनीय है। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि वे कश्मीर के घटनाक्रम के लिए भारत को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं।

श्री नवाज़ शरीफ द्वारा दिया गया वक्तव्य एक मात्र घटना नहीं है बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ घटनाएं हुई हैं। एक तो जिनका स्थित मानवीय अधिकारों सम्बन्धी उप-आयोग के बारे में है जिसका हवाला श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने दिया है।

फिर दूसरी घटना पाकिस्तान में अमरीका के राजदूत द्वारा इस टिप्पणी के सम्बन्ध में है जिस में उन्होंने कहा

है कि कश्मीर मुद्दे को ले कर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है; तथा उन्होंने यह भी कहा है कि कश्मीर भारत का अटूट अंग नही है; तथा इस तरह का प्रस्ताव मुस्लिम देशों के संगठन द्वारा पारित किया गया है। यह सब घटनाएं उस गहरे षड़यंत्र का पर्दाफाश कर रही हैं जो कि भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर लाने के लिए रचा जा रहा है।

मैं सरकार से इन घटनाओं के सम्बन्ध में विस्तृत वक्तव्य की मांग करता हूं; पाकिस्तान के प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर पाकिस्तान में अमरीका के राजदूत द्वारा दी गई टिप्पणी पर, तथा जिनेवा और ओ० आई० सी० में हुई घटनाओं पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

लोगों के मन में जागरुकता लाने के लिए यह आवश्यक है; तथा देश की एकता और अखण्डता के हित में सरकार को एक निश्चित दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा । मैं यह मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में बिना देरी के सरकार द्वारा वक्तव्य दिया जाना चाहिए और हमें अपने विचार तथा प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, जहां विश्व में तनाव कम करने का प्रयास चल रहा है वहां अपने इस भूखण्ड में, विशेषकर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव कम होने की बजाए बढ़ता जा रहा है। यह नज़र आ रहा है। काश्मीर का ही मामला नहीं उसके साथ पंजाब भी है और हम समझते हैं कि पिछले एक अर्से से विशेषकर दो सूबों में जो सिलसिला चला है उसमें हमारे पड़ोसी का हाथ है, वह स्वयं इन्कार नहीं करता।

नवाज शरीफ के प्रधान मंत्री होने के पहले ही श्रीमती भुट्टो ने 5 करोड़ रुपया या 5 मिलियन डालर, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन कई करोड़ रुपया काश्मीर में जो तनाव फैलाने का काम और आतंक बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर पर सक्रिय मदद करने के वास्ते एक फण्ड घोषित किया था। इसलिए हम यह जानते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में इस प्रकार के तनाव को बनाए रखना, चाहे जो प्रधान मंत्री आता हो, वह भले अपनी अन्दरूनी स्थिति को बनाए रखने के लिए ही क्यों न हो, मगर वह उसमें फंसा रहता है। उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, सीमा के इस तरफ, उसका भी हम लोग एक बार नहीं अनेक बार अनुभव कर चुके हैं।

अध्यक्ष जी, मैं दो प्रार्थनाएं करना चाहता हूं आपके माध्यम से। एक तो यह कि पिछले दो-तीन सालों में एक नहीं अनेक प्रधानमंत्रियों की बातचीत पाकिस्तान के भी एक नहीं अनेक प्रधानमंत्रियों से हो चुकी है। इस बातचीत का कुछ ब्यौरा इस सदन में हमेशा आता रहा है। लेकिन जो परिस्थिति आज काश्मीर को लेकर नवाज शरीफ ने अपने बयान में कही है, इस प्रश्न पर हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री में क्या बातें हुई हैं? क्या दोनों की भूमिकाएं रही हैं? मतभेद जो हैं, विवाद जो हैं उनको लेकर कहां तक एक दूसरे से मिल कर कम से कम बातचीत से अनुभव रहे हैं? इसके बारे में सदन को सम्पूर्णतः विश्वास में ले कर एक जानकारी हमें आनी चाहिए।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं, इस संदर्भ में अभी जो उनके विदेश सचिव भारत में हैं, मैं यह मानता हूं कि वह इस देश के मेहमान के तौर पर यहां पर हैं। बातचीत के लिए, जब वे अपनी सरकार की तरफ से बातचीत करने लिए आए हैं तो उन्हें हर तरह से हम मेहमान मानते हैं। ऐसे मौके पर जब यह बयान आ जाता है तो उस बयान का क्या महत्व है? क्या अर्थ है? हम सरकार से इस पर निश्चित जानकारी चाहते हैं। मगर इसके साथ दूसरा आग्रह मैं यह करना चाहता हूं अध्यक्ष जी, कि तनाव बनाए रखना, तनाव बनाना बहुत आसान है।

मगर, इस दक्षिण एशिया के जो मुल्क हैं, यहां की जो गरीबी और लाचारी है इसलिए हम यह चाहेंगे कि हर तरफ एक प्रयास यह भी हो कि तनाव बढ़ाने की बजाए, उस तनाव को खत्म करके, विवाद के जो मामले हैं शिमला का जो करार हुआ था और लाल जी बोले कि उनके दल ने उस वक्त उसका विरोध किया था। लेकिन, उसके बाद लाल जी सरकार में रहे और हम सब लोगों ने उसे अमल करने की ईमानदारी से कोशिश की। इसलिए, शिमला करार से हम लोग बंधे हुए लोग हैं। हम चाहेंगे कि आज भी उस आधार के ऊपर जो विवाद हैं उन्हें हल करने की दिशा में हम सब लोग अपनी शक्ति को लगाने का काम करें।

[अनुवाद]

चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): महोदय, विपक्ष के नेता द्वारा जो प्रश्न उठाया गया है, वह सारे राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय है। जिस बात से मुझे व्यक्तिगत रूप से चिन्ता हो रही है, वह यह है कि भारत सरकार उस रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है, जिस रूप में उसे ऐसी स्थिति में करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे राष्ट्र की प्रभुसत्ता और सुरक्षा सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। अब पाकिस्तान में जो हो रहा है तथा पाकिस्तान का इस मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण है, वह सर्वविदित है। कई महीनों से पाकिस्तान के पूर्व थल सेना अध्यक्ष, श्री असलम बेग कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की बातें कर रहे हैं। वे सीमा तथा पाक अधिकृत कश्मीर में ऐसे सार्वजनिक वक्तव्य दे रहे हैं। तथा वर्तमान थल सेना अध्यक्ष भी ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं। महोदय, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह साक्षात्कार सचमुच चिन्ता का विषय है। वे कश्मीर की स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे हैं तथा हम अपने आपको अकेला महसूस कर रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि भारत सरकार के इस मामले पर अस्पष्ट दृष्टिकोण के कारण, वे इसके पक्ष में जनमत बनाने तथा पाकिस्तान को अलग करने के अपने कर्त्तव्य में विफल हो रहे हैं पाकिस्तान के नेता यह आह्वान कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध संभावित है। मेरे विचार से यह हमारे लिए गहरी चिन्ता का विषय है।

महोदय, मैंने आज प्रातः आपको एक पत्र लिखा है कि एक महत्वपूर्ण लेबर नेता श्री गेराल्ड कॉफमैन, जो कि भारत सरकार के निमन्त्रण पर कश्मीर यात्रा पर आए हुए हैं। हमारे ही विरुद्ध वक्तव्य दे कर पाकिस्तान के नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों को और सशक्त बना रहे हैं। श्री 'गेराल्ड कॉफमैन' हमारे निमन्त्रण पर आए हुए थे तो उन्हें कश्मीर जा कर सभी प्रकार की टिप्पणियां करने की अनुमति कैसे दी गई जब कि वे हमारे अतिथि थे। क्या सरकार ने उनसे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण मांगने का कष्ट किया कि उन्होंने ऐसे सार्वजनिक वक्तव्य कैसे दिए जो कि कश्मीर मुद्दे पर हमारे दृष्टिकोण के विपरीत है। इस प्रकार यह सब बातें काफी चिन्ता का विषय बन जाती हैं।

मुझे आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों पर गौर किया होगा तथा इस पर उन से सम्पर्क स्थापित किया होगा। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से सम्पर्क स्थापित किया है अथवा नहीं।

हम सब शिमला समझौते से सहमत है. . . .**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री चन्द्रजीत यादवः महोदय, हम पाकिस्तान से दोस्ती चाहते हैं तथा भारत तथा पाकिस्तान के लोग भी एक दूसरे से मित्रता समझौते चाहते हैं। परन्तु अगर पाकिस्तान के नेता इस प्रकार की बातें कहते रहेंगे. . . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः यह कहने की बात नहीं है कि हम मित्रता चाहते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादवः यह कहने की बात नहीं है; इसीलिए यह महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री महोदय, न कि सदन के नेता है यहां आ कर पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए—वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः श्री वासनिक, कृपया एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिए। इसे भाषण मत बनाईए।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढ़ाना): दूसरे ही दिन माननीय गृह मंत्री श्री चव्हाण ने सभा में यह आश्वासन दिया था कि कश्मीर के बारे में श्री कॉफमैन, जो यूनाइटिड किंगडम के विदेश सचिव हैं उनके द्वारा कश्मीर के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्यों को उन्होंने अभी नहीं देखा है अतः सर्वप्रथम वह उनका वक्तव्य पढ़ेंगे तथा तत्पश्चात् सदन के समक्ष आयेंगे। विपक्ष के नेता द्वारा जो मामला उठाया गया है वह वास्तव में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका सम्बन्ध देश की सुरक्षा, प्रभुसत्ता तथा अखंडता से है। पिछले कुछ सप्ताहों से पाकिस्तान विश्व में विभिन्न मंचों के माध्यम से भारत विरोधी भावनाओं को भड़का रहा है। इतना ही नहीं इस्लामी देशों के संगठन तथा एमनैस्टी इंटरनेशनल यह अनुरोध करते रहे हैं कि उनके शिष्टमंडलों को कश्मीर में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः अब आप विषय-क्षेत्र को बढ़ा रहे है तथा अन्य बातों का जिक्र कर रहे हैं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिकः ये सभी बातें हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरफ से जो कुछ भी किया जा रहा है उस बारे में सरकार एक व्यापक वक्तव्य दे तथा साथ ही विश्व में विभिन्न मंचों के माध्यम से पाकिस्तान द्वारा जो भी भारत-विरोधी भावनाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है उसका मुकाबला करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है उस बारे में भी एक वक्तव्य दे।

श्री फ्रेंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय): वाइसराय की रक्षा परिषद के समय से मैं रक्षा परिषद का सदस्य रहा हूं। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा मुझे अर्द्धरात्रि को एक रक्षा सम्बन्धी बैठक में बुलाया गया था। उन्होंने हमें बताया थाः "पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया है। उसने अपने बम्बवर्षक विमानों को आगरा तथा अम्बाला पर हमला करने के लिए भेजा है जहां पर हमारे फ्रन्ट रैंक की वायु सेना है। पाकिस्तान ने हमला बोल दिया है। हमारा इस समय पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है" उनके अन्तिम शब्द थे, "मेरे देशवासियों, बहादुरी से लड़ाई करो" यदि पाकिस्तान हम पर हमला करता है तो इस हमले का जवाब देने के लिए देश का हर व्यक्ति इसमें भाग लेगा। परन्तु मेरे विचार से हमें इस मामले को प्रधानमंत्री पर छोड़ देना चाहिये। हमारे सेनाध्यक्ष अमरीका गये हैं। अमरीका इस समय भारत का समर्थन कर रहा है। अतः हमारे लिए यहां बेहतर होगा कि हम इस मामले को प्रधानमंत्री पर छोड़ दें। तथा निःसन्देह वह स्थिति का सही जायजा लेंगे। हम तब तक पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं छेड़ेंगे जब तक कि वह हम पर पहले हमला नहीं करता।

श्री इन्द्रजीतः इन दो गम्भीर घटनाओं पर हमें गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। विपक्ष के नेता द्वारा दोनों बातों का जिक्र किया गया है। एक तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अखबार में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में है। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर पहले ही भारत-विरोधी वक्तव्य जारी करके परोक्ष हमला बोल दिया है। अब वह खुले युद्ध की धमकी दे रहा है। अतः मैं इस विषय विशेष पर प्रधानमंत्री की ओर से एक व्यापक वक्तव्य दिये जाने की मांग का समर्थन करता हूं। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि कश्मीर के मामले में किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई सवाल ही नहीं है। परन्तु सभा में भी इस मामले तथा श्री कॉफमैन के दौरे तथा अन्य इससे सम्बन्धित मसलों से बारे में पूरी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः मैं उस मामले की कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप सामान्य उल्लेख नहीं करेंगे।

श्री इन्द्रजीतः "*"

अध्यक्ष महोदयः मैं उस बारे में कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दूंगा जब तक कि उसकी पुष्टि नहीं हो जाती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब कृपया मुझे उस प्रश्न के बारे में कुछ कहने दीजिये जो पहले ही उठाया जा चुका है।

यह मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। हमें इस पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि इस पर दिये जाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान सरकार का प्रतिनिधि भारत में ही है। उसका निश्चित रूप से एक सम्माननीय अतिथि के रूप में ही सम्मान किया जाना चाहिये जैसी कि हमारी परम्परा है। समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में ही जो प्रकाशित होता रहा है। हम केवल उसी पर निर्भर नहीं होंगे। उचित तरीका अख्तियार करके ही हमें इस बारे में वास्तविकता का पता लगाना चाहिये। मुझे विश्वास है कि सदन इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति जानना चाहता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीजः मैंने मेघालय की स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है जहां पर कि सरकार लिंडोह सरकार को गिराने के लिए हर तरह का प्रयास कर रही है। सप्ताह के अन्त तक सभा के स्थगित होने से पूर्व ही हमने इस मामले को यहां पर उठाया था। महोदय, इस सरकार ने कोई भी उत्तर देने से इंकार कर दिया है दूसरी तरफ से कुछ शोर मचाया जा रहा था परन्तु अपने दल के नेता की तरफ से मैंने यह

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सुना था कि बृहस्पतिवार को सभा में दो दिन पूर्व जब मैंने मामला उठाया था, उस सम्बन्ध में ही मैंने यह सुना था कि प्रधानमंत्री ने निजी चर्चा में उन्हें यह आश्वासन दिया था कि मेघालय में वर्तमान सरकार गिराने के लिए कुछ भी नहीं किया जायेगा। परन्तु अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार गिराई जा रही है, इसके लिए सारी व्यवस्था कर ली गई है तथा मैं चाहता हूं कि इस अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए सभा का स्थगन करने के लिए मेरे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय: मेरी अनुमति के पश्चात् ही आप ऐसा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से इस मामले को उठाने के लिए आपने एक घन्टा पन्द्रह मिनट का समय ले लिया है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, एक निर्वाचित सरकार विस्थापित हो जायेगी। मेघालय में इसे गिराने का प्रयत्न किया जा रहा है।**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: तमिलनाडु में जो कुछ भी हुआ है उसके बावजूद भी हमने किसी भी बात के लिए नहीं पूछा है। परन्तु आज मेघालय में क्या होने जा रहा है? देश का सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक स्वरूप ही संकट में है।**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपको सोचना चाहिए कि आपने उन मामलों के लिए भी एक घंटा पन्द्रह मिनट का समय ले लिया है जो कि कार्य सूची में नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हर कोई उस बारे में बात कर सकता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार का मामला काफी महत्वपूर्ण है जिन पर अभी विचार होना है।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट): हमने आप को भी मेघालय की स्थिति के बारे में लिखा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो मामला मेघालय के सम्बन्ध में उठाया है, वह वास्तव में गंभीर मामला है और पिछले 7-8 दिनों से पक रहा है और उसमें जो सबसे दुर्भाग्य पूर्ण कारण एक मुद्दा है, जिसका नोटिस आपको भी लेना चाहिये। वह यह है कि वहां पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, वे सदन के अध्यक्ष हैं।

[अनुवाद]

वह सभा के अध्यक्ष हैं।

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं ऐसा कर सकता हूं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: आप औपचारिक तौर पर तथा सरकारी तौर पर तो ऐसा नहीं कर सकते परन्तु पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के सभापति के रूप में आप पूरी
तरह से अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं तथा यह देखें कि इस प्रकार की स्थिति वहां उत्पन्न न हो और इसके बारे में लगाता है कि सदन हैल्पलैस है। हम उम्मीद करते थे कि सरकार जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, वे बीच-बचाव करके सही दिशा में गतिविधियों को ला सकते थे लेकिन लगता है कि वे नहीं ला सके हैं जिसका परिणाम यह होगा कि वहां पर चुनी हुई सरकार हटा दी जायेगी और उसके स्थान पर एक दूसरी सरकार आ जायेगी, यह नहीं होना चाहिये।

मैं अभी भी सदन के नेता के माध्यम से प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इसमें हस्तक्षेप करें और वहां पर जो कुछ उचित हो, उसी को करने दें और कुछ नहीं होने दें।**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवानः अध्यक्ष जी, यह मेघालय का मामला नार्थ ईस्ट स्टेट्स का मामला है। अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष महोदयः आपकी पार्टी से बोल चुके हैं।

श्री राम विलास पासवानः मेरा एक प्वांयट है। मैं कह रहा हूं कि हमारे पूर्वांचल के जो स्टेटस हैं, वे सेंसेटिव स्टेट्स हैं और पिछले एक दो दिन से नहीं, पिछले दस दिनों के वक्त से हम लोग इस मामले को उठा रहे हैं। अतं में आज वहां कांग्रेस पार्टी येन-केन-प्रकारेण सरकार बनाना चाहती है। कांग्रेस की हुकूमत बनाना चाहती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वहां कांस्टीट्यूशनल क्राइसेज़ उत्पन्न हो गया है। यह नॉर्थ ईस्ट का मामला है। वह हमारा बहुत सेन्सेटिव स्टेट है। किसी तरह से हमें उसे कंट्रोल में करना चाहिए **(व्यवधान)** वहां रूलिंग पार्टी की तरफ से, सेन्टर की तरफ से कोई ऐसी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए कि...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको बुलाऊंगा। अभी-अभी आपके दल से सदस्य बोल रहे थे। आपको अब और अधिक समय नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आपके प्रस्ताव पर ही विचार किया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवानः इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप सरकार को निर्देश दीजिए कि सरकार वहां की स्थिति के संबंध में यहां स्टेटेमेंट दे और बताताए कि भारत सरकार के द्वारा वहां कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की जाएगी जिससे कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो और पूर्वांचल राज्य में अस्थिरता का राज पैदा हो।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी॰ मरबनिआंग (शिलांग): महोदय, कुछ दिन पूर्व मैंने इसी सदन में मेघालय में राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाई के बारे में कहा था। राज्यपाल ने मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष को इस माह की सात तारीख को मंत्री परिषद में विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए सभा की बैठक बुलाने का निर्देश दिया था। इसी माह की पांच तारीख को दस बजे कांग्रेस नेता राज्यपाल महोदय से मिले थे तथा यह सूचित किया कि उन्हें यह पता लगा है कि दो विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जायेगी तथा उन्होंने राज्यपाल से निवेदन किया कि वह उन्हें शपथ न दिलाये क्योंकि अध्यक्ष ने सात तारीख को विश्वास मत प्राप्त करने हेतु सभा की बैठक बुलाई है। उसी दिन शाम 4.30 बजे एक विधायक जो अस्पताल में बीमार पड़े हुए थे उसे जबर्दस्ती राज्यपाल के निवास स्थल पर लाया गया तथा उन दोनों विधायकों को राज्यपाल द्वारा मंत्रीपद की शपथ दिलाई गई तथा नियुक्ति आदेश मुख्य मंत्री द्वारा ही जारी कर दिया गया था न कि राज्यपाल द्वारा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जीः यह गैर कानूनी नहीं है।

श्री पीटर जी॰ मरबनिआंगः यह गैर कानूनी है। यह परम्परा भी नहीं है कि किसी विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाये जबकि विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए सभा की बैठक बुलाई गई हो।

वर्ष 1990 में मेघालय में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए जनता दल सरकार द्वारा यह सब किया गया था। मैं वहां मौजूद था। इस सभा को गलत सूचना दी गई थी। राज्यपाल ने उस विधायकों को जिन्हें मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जानी थी के लिए कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया था। स्वयं मुख्य मंत्री द्वारा ही ऐसा किया गया था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जीः यह सप्ताह का आरम्भ है। हम 12.00 बजे से चर्चा कर रहे हैं। परन्तु आप अधीर हो रहे हैं। आपको हम से सहयोग करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः समय नहीं है कृप्या लम्बे भाषण मत दीजिये पहले ही एक घण्टा पन्द्रह मिनट उन विषयों पर चर्चा में खर्च हो चुके हैं जो कि कार्य सूची में नहीं हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: भारत का लोकतंत्र तथा अखण्डता खतरे में है। पहले तमिलनाडु में यह हुआ फिर मेघालय में। यह क्या हो रहा है। क्या आप सदन का नेता होने की कल्पना कर सकते हैं? यह सब देश के एक भाग में हो रहा है और यह भाग बार-बार अपने आपको बाकी देश से अलग थलग महसूस कर रहा है अगर दिल्ली में संसद इस ओर ध्यान नहीं दे सकती अगर उन्हें कोई संदेश नहीं दे सकती, तो यह केवल लोकतंत्र का पतन ही नहीं बकि देश में अलगाववाद तथा विखण्डन का भी प्रतीक होगा।

मैं यह नहीं चाहता कि सरकारें गिराई जायें या न गिराई जायें। हमने तमिलनाडु तथा मेघालय में इसकी मांग नहीं की थी इस के लिए कांग्रेस (इ) जिम्मेवार है? क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है। इसलिए हम इस सभा में उस दल से निवेदन कर रहे हैं। उन्हें वहां अपने लोगों से धैर्य से काम करने के लिए कहना चाहिए

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री पीटर जी॰ मरबनिआंग: कांग्रेस पार्टी को भी उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सरकार बनाने का अधिकार है। यह अधिकार केवल गैर-कांग्रेसी दलों के पास ही नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: हम यह नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें देश के विखण्डन तथा उत्तरपूर्व राज्यों के देश से अलग होने के लिए उत्तरदायी ठहरायें यह उत्तरदायित्व उन्हें अपने ऊपर लेना चाहिए तथा लोगों के प्रत्येक वर्ग को उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करना चाहिए।

अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो आपके नेतृत्व में सभी विधायकों को एक संयुक्त अपील जारी करनी चाहिए कि यह अनुचित है कि सदन के नेता को ही विधान सभा का अध्यक्ष होना चाहिए देश के सभी विधायकों को यह अपील जारी करनी चाहिए कम से कम हम इतना अवश्य कर सकते हैं संसद सदस्य होने के नाते हमारा देश के प्रति इतना उत्तरदायित्व अवश्य है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में और इस हाउस के संज्ञान में एक बहुत बड़ा स्कैंडल का मामला लाना चाहता हूं। **(व्यवधान)** मैं इससे पहले चार बार खड़ा हुआ परन्तु मुझे बोलने नहीं दिया गया। **(व्यवधान)** भारतीय औद्योगिक निगम द्वारा ऋण वितरण में भयंकर घांधली की जा रही है और करोड़ों रुपये की हेराफेरी की गयी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, नियमों को ताक पर रख कर, फायदा पहुंचाने के लिये 19 करोड़ 55 लाख रुपया दे दिया गया है, उनकी तरफ सूद के माफ किये गये हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं -कि एक सम्राट बाइसिकल कम्पनी है, करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा इस सम्राट बाइसिकल कम्पनी को भारतीय औद्योगिक निगम द्वारा दे दी गयी है। इतना ही नहीं एक अंसल कम्पनी है। इस कम्पनी की ओर भी कई सौ करोड़ रुपये बकाया थे, 77 लाख रुपये इस कम्पनी पर सूद के थे, उन्हें भी माफ कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: यह सब आप जो बोल रहे हैं, इसकी रैस्पौंसिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: जी हां, सब हमारे पास सबूत हैं

अध्यक्ष महोदय: नहीं, सबूत होना और चीज़ है, रैस्पौंसिबिलिटी लेना अलग है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: वैसे ही एक मैसर्स कॉन्टीनैन्टल फ्लोरिंग ग्लास लिमिटेड है, इससे भी 71 करोड़ रुपये, बिना आई॰डी॰बी॰आई॰ और आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰ की अनुमति के, दे दिये गये हैं। श्रीमान्, कम्पनी ने 400 करोड़ रुपये की एक योजना रखी थी और बगैर इस 400 करोड़ की योजना को पूरा किये हुए, इसे विदेशी मुद्रा दे दी गयी है। श्रीमन् औद्योगिक वित्त विकास निगम की, धारा 35, निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट, पृष्ठ 108 के पैराग्राफ 2.91 में दिखाया गया है कि 31 मार्च, 1990 तक कर्ज के विवरण में 153 करोड़ 64 लाख रुपये की राशि है, जब कि यह सरासर गलत है। इकॉनौमिक टाइम्स 31 मार्च और अनेक अखबारों ने कहा है कि यह घाटा 153 करोड़ रुपये का नहीं बल्कि 581.93 करोड़ रुपये का है।

श्रीमन् मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यदि ये सारी बातें गलत हैं, अखबारों में आ रही हैं, अध्यक्ष यहां पर बैठे हुए हैं औद्योगिक विकास निगम के, वे क्यों नहीं इसका खण्डन करते। सारे के सारे देश के प्रमुख अखबारों में ये खबरें सुर्खियों में छपी हैं, हैडिंग्स में हैं। वे इन सारी खबरों का खण्डन क्यों नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय: एक बात सुनिये। अखबारों में जो आता है, वह सही है बोल कर आप जो चाहे सो यहां ला सकते हैं मगर सिर्फ अखबारों में आता है, इस आधार पर नहीं ला सकेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: यह तो ठीक है लेकिन हमने आपको नियम 222 के अंतर्गत विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। उस पर आपने एक दिन कह दिया कि कुछ बनता नहीं है। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि निगम के अध्यक्ष तो यहां मौजूद हैं, उन्हें आज अध्यक्ष पीठ की ओर से ऐसे निर्देश दिये जायें कि इस पर इंक्वायरी की जाए। यह बहुत गम्भीर मामला है। इतना बड़ा घपला है। देश के इतने करोड़ रुपये बर्बाद हो रहे हैं। आखिरकार हमें इस हाउस में विचार करना चाहिये। हमने आपसे भी कहा है कि सरासर या तो इन अखबारों पर हमें मुकदमा चलाना चाहिये कि अखबार वाले क्यों गलत समाचार ऐसे लिख रहे हैं। मैंने आपको विशेषाधिकार का नोटिस दिया है और इस पर कायवाही होनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: पिछले सप्ताह, इसी विषय पर मैंने एक नोटिस दिया था

1.28 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार दवारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दशनि वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 406/91]

(3) (एक) राजा राममोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दशनि वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी०407/91]

(5) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दशनि वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 408/91]

[हिन्दी]

किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचनाएं इत्यादि

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) किशोर न्याय अधिनियम, 1986 की धारा 62 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) किशोर न्याय (लक्षद्वीप) नियम, 1988, जो 28 मार्च, 1988 के लक्षद्वीप राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

(दो) किशोर न्याय (दमन और दीव) नियम, 1988 जो 28 जुलाई, 1988 के दमन और दीव राजपत्र में अधिसूचना संख्या 35-1-87 डी एण्ड डी में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 409/91]

(3) वर्ष 1991-92 की कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 410/91]

[अनुवाद]

स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि

स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) स्नातकोत्तर अध्यापन तथा अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 411/91]

(3) (एक) लाला राम स्वरूप क्षयरोग अस्पताल, नई दिल्ली के वर्ष 1987 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लाला राम स्वरूप क्षयरोग अस्पताल, नई दिल्ली के वर्ष 1987 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 412/91]

(5) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 413/91]

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1991

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोबार): महोदय मैं कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 1991 जो 1 जून, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि०343 में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये एल०टी० संख्या 414/91]

1.30 म०प०

वित्तीय समितियां — एक समीक्षा

महासचिव: महोदय मैं "वित्तीय समितियां (1990-91) एक समीक्षा" के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

———

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, क्या हमें अपनी बात कहने के लिए वैल ऑफ दि हाउस में आना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय: हर मैम्बर अगर इस प्रकार से धमकियां देगा, तो काम कैसे चलेगा।

[अनुवाद]

कड़ी कार्यवाही करने के लिए कानून **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चैम्बर में भी मिला था और आपसे कहा था कि इस बारे में गृह मंत्री कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कश्मीर मायग्रेण्ट पर जो लाठी चार्ज हुआ, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: बार-बार अगर आप इस तरह से धमकी देंगे, तो आपके अगेन्स्ट एक्शन हो सकता है। मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता हूं।

[अनुवाद]

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, हम अपनी बात कहने के लिए फिर कहां जाएं**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: खुराना जी, आपसे ज्यादा तो कोई बोलता नहीं है। आपको तो बोलने का सबसे ज्यादा मौका दिया जाता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता हूं। यह ठीक नहीं है।

1.32 म०प०

[हिन्दी]

केवल आप ही एक सदस्य बोलने वाले नहीं हैं। बोलने के लिए तो और भी सदस्य हैं, उनका भी ध्यान रखना होता है।

[अनुवाद]

कृपया अपनी सीट पर बैठिए। मैं आपको बार-बार समय नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब ने वायदा किया था, उसका क्या हुआ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नहीं खुराना जी, आप इस प्रकार से मत कीजिए। आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्तावों को लेंगे श्री गुलाम अली आज़ाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से तीस सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से तीस सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(दो) लोक लेखा समिति

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से पन्द्रह सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियमों (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से पन्द्रह सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से पन्द्रह सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 312 (ख) के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से पन्द्रह सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 312(ख) के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(चार) अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से बीस सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331(ख) के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से बीस सदस्य लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 (ख) की उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से दस सदस्य नामनिर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से दस सदस्य नामनिर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय: श्री खुराना आपका नाराज़ होना सही है। मैं आपकी भावनाएं समझता हूं। मैं श्री गुलाम नबी आज़ाद से अनुरोध करता हूं कि वह गृह मंत्री तक आपकी भावनाएं पहुंचा दें। यदि वह कोई वक्तव्य देने के लिए सहमत हों तो वह वक्तव्य देगें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

1.38 म०प०

[श्री राव राम सिंह पीठासीन हुए]

1.38 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) जबलपुर में रेडियो और दूरदर्शन ट्रांसमिशन सेवाओं का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रवन कुमार पटेल (जबलपुर): महोदय, मैं इस अवसर पर इस माननीय सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में जबलपुर के आस-पास बहुत बड़े ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में अभी भी दूरदर्शन सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं।

जबलपुर के दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की वर्तमान क्षमता को 1000 वा० से बढ़ा कर 10 कि० वा० किया जाना था। इसे बहुत पहले चालू किया जाना था, अभी भी यह कार्य अधूरा पड़ा है। विशेषरूप से प्रसारण टॉवर बनाने का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है जबकि लाखों रुपये के उपस्कर अनेक वर्षों से बेकार पड़े हैं।

इसी प्रकार 200 कि०वा० क्षमता वाला एक और स्टेशन स्थापित करके जबलपुर रेडियो स्टेशन की प्रसारण सेवा के विस्तार का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है।

इस प्रकार बेकार पड़े उपस्करों के रूप में लाखों रुपये का सार्वजनिक धन बेकार हो रहा है तथा सूदूर इलाकों के ग्रामीण और जनजातीय लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग थलग पड़े हुए हैं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय एकता तथा ग्रामीण गरीब व्यक्तियों और जनजातीय लोगों के शौक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के लिए जबलपुर में दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण सेवाओं को बढ़ाने का कार्य समयबद्ध कार्यक्रम के अधीन पूरा किया जाने को सुनिश्चित करें।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि में नाम निर्देशन के लिए प्रांतीय सेवाओं, विशेषकर राजस्थान की प्रांतीय सिविल सेवा का कोटा बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, प्रान्तीय सिविल सेवाओं की भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति होने की अवधि कालान्तर में इतनी देरी से हो रही है कि इसके दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव प्रारम्भ हो गये हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वर्ष 1961 के सीधी भर्ती के अधिकारी अभी तक भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नति पाने के लिए प्रतीक्षा की पंक्ति में हैं। अन्य राज्यों में कहीं स्थिति इससे बेहतर और कहीं इसी प्रकार बदत्तर बनी हुई है। यदि अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति एक निश्चित एवं वाजिब समय में नहीं होती है, तो प्रान्तीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों में जो असंतोष और कुंठा की भावना उत्पन्न होती है वह सामान्य प्रशासन राजस्व-सुधारों एवं कानून और व्यवस्था के पदों पर नियुक्त सिविल अधिकारियों की कार्यकुशलता को बहुत प्रभावित करती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रान्तीय सिविल सेवा के अधिकारी की पदोन्नति के लिए वर्तमान में 33 प्रतिशत कोटा भी लागू नहीं किया जाता क्योंकि इसमें प्रान्तीय प्रशासनिक सेवा के अलावा अन्य सेवाओं यथा—सार्वजनिक निर्माण विभाग, सहकारी विभाग, सांख्यिकी विभाग आदि के अधिकारियों का भी चयन होता रहा है। केन्द्रीय सरकार को समय रहते इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस संबंध में मेरा यह सुझाव होगा कि प्रान्तीय सिविल सेवाओं के भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नति का प्रतिशत 33 से बढ़ाकर 50 कर दिया जाए और इसके साथ ही सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रान्तीय सिविल सेवा में बने रहते हुए ही उनके दीर्घ अनुभव और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टरों एवं विभागाध्यक्षों के पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

(तीन) राजस्थान के बूंदी जिले में गरड़दा सिंचाई परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा): सभापति महोदय, राजस्थान की कई महत्वपूर्ण वृहत व मध्यम सिंचाई योजनायें केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हुई हैं। उनमें से बूंदी जिले की गरड़दा सिंचाई योजना भी वर्षों से जल संसाधन मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

उक्त योजना से उक्त क्षेत्र के बहुसंख्यक आदिवासी, भील जाति जो कि निर्धनतम स्थिति में जीवन-यापन कर रही है, का जीवन स्तर ऊपर उठ सकेगा। मेरा इस प्रस्ताव के माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन है कि उक्त योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर पूरा करायें।

(चार) पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए विकास आयोग की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिले जिसमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर आदि जिले प्रमुख रूप से आते हैं, देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से हैं। इस अंचल की आबादी का भाग राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आमदनी राष्ट्रीय औसत से बुहत कम है। इन जिलों में न केवल प्रमुख उद्योगों का अभाव है, बल्कि यातायात, संचार दूरदर्शन आदि की सुविधायें भी केवल नामात्र की हैं। 70 प्रतिशत से भी अधिक गांव आज तक पक्की सड़कों से नहीं जुड पाये हैं। बहुत से गांवों में पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है। इस क्षेत्र के युवक बड़े पैमाने पर बेरोजगारी के शिकार हैं।

इस अंचल के लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण अग्रणी भूमिका निभायी है और देश की संस्कृति और साहित्य में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वी जिलों के विकास के लिए

विकास आयोग की स्थापना करके इनकी प्रगति और उत्थान में सहायता करें।

[अनुवाद]

(पांच) कोडाइकनाल दूरदर्शन रिले केन्द्र से दूसरा चैनल आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री राजगोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम): कोडाइकनाल के दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र में दूसरे चैनल के कार्यक्रम प्रसारित करने की सुविधा नहीं है। यह प्रसारण केन्द्र लगभग तीन करोड़ लोगों के लिए कार्यक्रम रसारित करता है। वास्तव में दूसरे चैनल के कार्यक्रम अधिक शिक्षाप्रद और जानकारीप्रद होते है। दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र समुद्र तल से 6000 फुट की ऊंचाई पर है। इसलिए कोडाइकनाल प्रसारण केन्द्र से दूसरे चैनल के कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए उपस्कर लगाने में अधिक खर्चा नहीं आएगा और यह बेकार भी नहीं होगा। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और आवश्यक कार्यवाही करे।

(छः) राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास किये जाने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपने (सुन्दरगढ़): महोदय, मैं नियम 377 के अधीन मामला उठाना चाहती हूं। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए जनजातियों के 62 लोगों को विस्थापित किया गया और 19000 एकड़ से अधिक जमीन को अधिग्रहीत किया गया। संयंत्र में मुश्किल से 7000 एकड़ जमीन का उपयोग हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है बची हुई जमीन को इसके वास्तविक काश्तकारों को लौटा दिया जाए।

जब सरकार उन जमीनों का अधिग्रहण कर रही थी तब उसने विस्थापित लोगों के पुनर्वास का वादा किया था। लेकिन उन्हें हटाकर अमगांव, उसरी, लक्षदा, झीरपानी जद्दा जैसे स्थानों में भेज दिया गया है और विस्थापन के 36 वर्षों के बाद भी उन्हें सड़क, स्कूल चिकित्सा सेवा बिजली और पेयजल बुनियादी सुविधाएं भी नहीं उपलब्ध कराई गई है।

तत्कालीन इस्पता मंत्री ने 1975 में यह वादा किया था कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। महोदय, कई विस्थापित लोग जो 40 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके है वे विस्थापन प्रमाण पत्र लेकर अब भी राउरकेला इस्पात संयंत्र में नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने अब विस्थापित लोगों के आश्रितों को विस्थापन प्रमाण पत्र जारी करना बंद कर दिया है। विडंबना यह है कि जिन लोगों के पास विस्थापन प्रमाण पत्र है वे अधिक उम्र के हो गए हैं और जो युवक हैं उन्हें विस्थापन प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए।

1.43 म०प०

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय: सभा अब विधायी कार्य, मद संख्या 16 पर चर्चा आरंभ करेगी।

एक माननीय सदस्य: क्या आज भोजनावकाश नहीं होगा?

सभापति महोदय: भोजनावकाश नहीं होगा। लेकिन बीच में समय निकालकर आप भोजन के लिये जा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य: महोदय, आपका क्या होगा?

सभापति महोदय: मैं आपके अतिथि के तौर पर आऊंगा। अब श्री सीताराम केसरी बोलेंगे।

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं—"कि कर्नाटक राज्य के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जनजातियों को सम्मिलित करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

श्री राम० नाईक (मुंबई-उत्तर): महोदय, एक जानकारी प्राप्त करनी है। हम माननीय मंत्री से यह जानना चाहते हैं कि हम इस विधेयक का समर्थन क्यों करें। हम उनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। इस बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिये।

श्री सीताराम केसरी: मैं जानकारी दे रहा हूं।

श्री राम नाईक: उन्हें इस संबंध में बताना चाहिये।

श्री अन्ना जोशी (पुणे): कृपया बताएं कि हमें इस विधेयक का समर्थन क्यों करना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी: मैं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय: (राव राम सिंह): जरूर बोलेंगे, आप मौका दीजिए।

श्री सीताराम केसरी: सभापति जी, कर्नाटक राज्य में नाईक, नायक, बेडा,बेडर तथा बाल्मीकि जनजाति को उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था इसलिए इन जनजातियों को संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित विभिन्न संरक्षणों के फायदे नहीं मिल रहे थे। कर्नाटक राज्य की सरकार ने सन् 1984 में प्रस्ताव भेजा कि इन पांचों जातियों को जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाय। मामले की छानबीन की गई और मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया। मंत्रिमंड़ल ने 10 अप्रैल, 1991 को निर्णय लिया कि इन पांचों जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर लिया जाय। क्योंकि, उस समय संसद का सत्र नहीं था इसलिए उन जातियों को जनजातियों की सूची में सम्मिलित करने के लिए एक अध्यादेश 19 अप्रैल, 1991 को जारी किया गया।

वर्तमान विधेयक उसी अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है ताकि इन पांचों जातियों को जनजातियों की सुविधायें मिलती रहें। यह प्रस्ताव आपके सामने विचाराधीन है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: यह तो आपके सामने जो लिखा हुआ है, वही आपने पढ़ा है।

इसके अलावा और भी कुछ है, हम उस बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम विधेयक का समर्थन कर सकें।

[हिन्दी]

जो इस मैमोरेण्डम में लिखा हुआ है, उसको छोड़कर यदि कोई बात हो तो उसे हम सुनना चाहेंगे।

श्री सीताराम केसरी: अध्यादेश तो मैंने पढ़ दिया।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ "कि कर्नाटक राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जनजातियों को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं—" कि विधेयक को 15 नवम्बर, 1991 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाय।"

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदय, यद्यपि यह विधेयक देखने में बहुत छोटा है और यह कहा गया है कि उस समय लोक सभा का सत्र नहीं था उस सदन की बैठक उस समय नहीं थी, इस कारण अध्यादेश के जरिए उन जातियों को सम्मिनित करने की बात कही गई है, जिनकी कर्नाटक राज्य द्वारा अनुशंसा की गई थी। इसी प्रकार पिछले सप्ताह भी एक विधेयक लाकर माननीय मंत्री जी द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में स्वीकृति ली गई थी। मुझे कहते हुए अत्यन्त दुःख है कि एक बार जम्मू-कश्मीर राज्य के बारे में दूसरी बार कर्नाटक राज्य के बारे में और अगली बार शायद आप मध्य प्रदेश के बारे में या महाराष्ट्र के बारे में भी इसी प्रकार संशोधन विधेयक लाकर यहां पर प्रस्तुत करेंगे और हम से स्वीकृति चाहेंगे। मैं चाहता हूं, इस के

बारे में समेकित विचार होना चाहिए, ताकि जहां-जहां इस प्रकार की विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को हम दूर कर सकें और ठीक जहां-जहां इस प्रकार की अनुसूचित जातियों के संबंध में या अनुसूचित जनजातियों के संबंध में हमारी आवश्यकता है, कहां किस प्रकार से उनको सुविधा देनी चाहिए या किस प्रकार से उनके नाम उन राज्यों में जोड़े जाने चाहिए, इसके बारे में अगर समेकित विधेयक विचार करके वहां लायेंगे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को स्मरण दिलाना चाहूंगा कि जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, पुनर्गठन के संबंध में जो भी आयोग की सिफारिशों के कारण विभिन्न राज्यों के क्षेत्रों की जो सीमायें थीं, उन सीमाओं की अदला-बदली हुई थी या सीमावर्ती क्षेत्रों की अदला-बदली हुई थी, इसके कारण कई राज्यों की आज जो स्थिति है, उस स्थिति से भिन्न थी। उस समय के मध्य प्रदेश की मैं आपके सामने वस्तुस्थिति रखना चाहूंगा। आज कुछ ऐसे भाग मध्य प्रदेश के जो राजस्थान में थे, वे आज मध्य प्रदेश में हैं और राजस्थान में ऐसे कुछ भाग हैं, जो मध्य प्रदेश के थे, राजस्थान में हैं अर्थात् कुछ क्षेत्रों की एक दूसरे में अदला-बदली हुई थी। उस समय जो जातियां राजस्थान के अन्दर आदिवासी जातियों के नाम से मानी जाती थी या अनुसूचित जनजातियों के नाम से सम्मिलित थी, वे मध्य प्रदेश में आने के कारण वहां पर अनुसूचित जनजाति के नाम से नहीं रहीं। जिस प्रकार से मीणा जाति राजस्थान के अन्दर सामान्य जाति मानी जाती है, मीणा-राजपूत के नाम से, लेकिन मध्य प्रदेश में केवल एक भाग के अन्दर उस जाति को अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत लाया गया है। ठीक इसी प्रकार से कर्नाटक राज्य के संबंध में यह स्थिति है। मैं समझता हूं कि कुछ इसी प्रकार की स्थिति रही होगी, जिसके कारण इस जातियों को सम्मिलित करने की बात कही गई है। जहां तक इन जातियों का संबंध है, नायक मध्य प्रदेश में पिछड़ी जाति मानी जाती है और बाल्मीकी उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जनजाति मानी जाती है, लेकिन यहां पर उसको अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत ला रहे हैं। क्योंकि आज स्थिति यह बन गई है कि भारतवर्ष के अंदर किसी प्रकार एक विशेष राज्य में किसी अनुसूचित जाति का घनत्व हो, तो ऐसी बात नहीं है। आज एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में काफी लोक आते रहते हैं। इसके बारे में जैसा मैने आपसे निवेदन किया कि एक समेकित विचार हो और वह होना आवश्यक है, अन्यथा कई अनुसूचित जातियों या जनजातियों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से आज जो मध्य प्रदेश वर्तमान में हैं पहले महाराष्ट्र की जो सीमायें लगती हैं और उसके कुछ भाग महाराष्ट्र के इसके अन्दर आए, विदर्भ और बरार, वहां की जो जातियां थीं, वहां की जो अनुसूचित जनजातियों थीं, वे मध्य प्रदेश के अन्दर सामान्य जातियां मानी जाती हैं। इस रूप में उन जातियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए या उन जातियों को एक प्रकार से आरक्षण मिलना चाहिए या जो अन्य सुविधायें प्राप्त नहीं हो रही हैं, वे सुविधायें प्राप्त होनी चाहिए।

महोदय, मंत्री महोदय ने यहां पर अलग-अलग प्रकार से विधेयक ला कर और हर एक के बारे में आडिनेंस, या अध्यादेश लाकर जो बात कही है, हो सकता है कि उस समय सरकार की विशेष परिस्थिति रही होगी, जिस के कारण अध्यादेश लाने की आवश्यकता समझी गई हो। इस अध्यादेश के लाने के बावजूद भी आपने स्वयं कहा है कि लम्बे समय से कर्नाटक राज्य इस बात की मांग कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि लम्बे समय से चली आ रही मांग को और दस अप्रैल को उसकी अनुभूति की है और सोचा कि इसको तत्काल लाना चाहिए, अध्यादेश जारी कर दिया। इस प्रकार और राज्यों के द्वारा भी इस प्रकार की मांग हो, तो मैं निवेदन करूंगा कि उस बारे में विचार करें। जहां-जहां इस प्रकार की विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को आप दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक के बारे में अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाए हैं और इसका अब निश्चित रूप से अधिनियम बनना आवश्यक हो गया है, नहीं तो अन्य कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री वी० एस० विजयराघवन** (पालघाट): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तविक में सूची में संशोधन करने के लिये तथा विभिन्न समुदायों को उसमें शामिल करने के लिये कई राज्यों ने मांग की है। इस संबंध में कुछ समुदायों के मामलों को मैं आपके समक्ष रखूंगा। वर्तमान में एक समुदाय जिसे वीरा सैवा के नाम से जाना जाता है उसे या तो अनुसूचित जातियों या जनजातियों की सूची में रखा गया है। उनकी

*मूलतः मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

भाषा कन्नड और तेलुगु का मिश्रित रूप है। इस भाषा की अपनी कोई लिपि नहीं है। साथ ही जेंकम, वीरा सैवजा, अंण्डीपरदरम और मलअप्यन्दरम जैसे समुदाय वीरा सैवा जैसी ही हैं जो न तो अनुसूचित जाति हैं और न जनजाति। वास्तव में यह सभी समुदाय एक ही समूह के हैं जिनका रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा भी समान है। वे एक दूसरे परिवार के साथ वैवाहिक संबंध जोड़ते हैं और उनका आपस में नजदीकी रिश्ता होता है। फिर भी इन समुदायों को न तो अनुसूचित जाति और न अनुसूचित जनजाति माना जाता है। शिक्षा जैसी सुविधाएं देने के उद्देश्य से उन्हें केरल में अन्य पिछड़ी जातियों की श्रेणी में रखा गया है। वे अत्यधिक पिछड़े लोग हैं। इस समुदाय का पारम्परिक पेशा भिक्षा मांगना है। बाद में उनमें से कुछ कृषि मजदूर का कार्य करने लगे हैं परंतु यहां भी उनसे केवल धान पौधों को रोपने का कार्य लिया जाता है कटाई का कार्य उनसे नहीं लिया जाता है। बहुत ही थोड़े से लड़के छोटी नौकरी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं अन्यथा सरकारी नौकरियों या किसी भी अन्य जगहों पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिये मेरा केसरी जी से निवेदन है कि इस मामले पर विचार करें और उन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाए।

2.00 म०प०

दूसरा समुदाय जिसका मामला मैं मंत्री महोदय के समक्ष रखना चाहता हूं वह है केरल के पेरूवन का . . . . .। महोदय, मंत्री जी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राम नाईक: महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है।

श्री वी० एस० विजयराघवन: महोदय, मैं एक बहुत ही गंभीर मामले के संबंध में बोलना चाहता हूं। आप कृपया मेरी बात सुनें।

सभापति महोदय: क्या आपका व्यवस्था संबंधी प्रश्न है?

श्री राम नाईक: जी हां, महोदय, जब कोई माननीय सदस्य बोल रहा हो तो माननीय मंत्री को उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिये। कुछ माननीय सदस्य आ रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय सदस्य उठा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री बहुत ही योग्य हैं। वह सुन भी सकते हैं साथ ही नोट भी करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर मंत्री जी पूरा ध्यान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी: माननीय सदस्य जो बात रह रहे हैं, मैं उनकी बात का अनुवाद सुन रहा हूं। मैंने कान में हैड-फोन लगाया हुआ है और इनकी बात भी सुन रहा हूं। मैं माननीय सदस्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। माननीय सदस्यों के जो प्रस्ताव आ रहे हैं, जो सुझाव आ रहे हैं, मैं उनको ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): मंत्री महोदय के दो कान हैं, एक कान से एक माननीय सदस्य की बात सुन रहे हैं और दूसरे कान से दूसरे माननीय सदस्य की बात सुन रहे हैं।

सभापति महोदय: जब मंत्री महोदय जवाब देंगे तब आप सुन लेना कि इन्होंने माननीय सदस्यों की बातों को पूरे गौर से सुना है या नहीं।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० विजयराघवन: मैं उन बातों को दोहरा रहा हूं जिसे मैं कह चुका हूं क्योंकि मंत्री जी ने हमारी बात नहीं सुनी है।

श्री सीताराम केसरी: नहीं, आपको दुहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उसका अनुवाद सुन रहा था।

श्री वी० एस० विजयराघवन: महोदय, मैं यह कह रहा था कि एक अक्षर परिवर्तन के कारण एक समुदाय को अनुसूचित जाति नहीं माना जा रहा है। हो सकता है कि बच्चों के विद्यालयों में प्रवेश के समय अशिक्षित माता पिता ने नाम गलत लिख दिया हो। पर उसका परिणाम यह हुआ है उसी समुदाय पेरूमन्नाव को उस सूची में शामिल नहीं किया गया है। ये बहुत ही गरीब लोग हैं। ये दोनों समुदाय के लोग परम्परागत रूप से धोबी हैं। इसलिये पेरूवन्नान समुदाय को भी अनुसूचित जाति के लोगों की इस सूची में शामिल किया जाना चाहिये।

महोदय, इस सूची में और भी कई गड़बड़िया हैं। समय-समय पर यह शिकायत मिलती रहती है कि अपात्र लोगों और समुदायों को सूची में शामिल किया गया है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिन्होंने इसका लाभ लिया है और हमारे राज्य से निर्वाचित होकर इस सभा में आए हैं। आरक्षण की सुविधा उन लोगों की दी जानी चाहिये जो इसके पात्र हैं और जो पात्र नहीं हैं उन्हें सूची से बाहर कर दिया जाना चाहिये। यह उपयुक्त समय है कि सरकार सूची में संशोधन लाए और अत्याधिक गरीब और पिछड़े लोगों के लिये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशन गंज): सभापति महोदय, मुझे विधेयक के मूल भाग के संबंध में कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु सरकार ने जिस ढंग से इस कानून को बनाया है उससे अनेक प्रश्न उठते हैं।

महोदय, मैं आपका ध्यान निदेश 198 के अधीन सरकार के ज्ञापन की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें मंत्री महोदय ने कहा है:

> "चूंकि सरकार चिंतित है कि इस विधेयक को इसी सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाए और उस पर विचार हो, यह भी निवेदन किया गया है कि नोटिस देने की अवधि इत्यादि जिसकी भी आवश्यकता है उसमें कृपया छूट दे दी जाए।"

अब मैं सरकार की चिंता से सहमत हूं और मैं समझता हूं कि यह चिंता सामाजिक न्याय जैसे अच्छे कार्य के लिये है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि कर्नाटक सरकार द्वारा दिये गये सुझाव पर विचार करने में सरकार को सात वर्ष कैसे लग गए। यह सुझाव 1984 में दी गई थी और वर्ष 1991 में सरकार अचानक जाग पड़ी। मैं जानता हूं कि इस बीच सरकारों का परिवर्तन होता रहा है। लेकिन सभापति महोदय, सरकार तो निरंतर चलती ही रहती है। कर्नाटक सरकार द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करने में सात वर्ष लग गए और अचानक अध्यादेश जारी कर दिया जाता है।

अब इससे एक प्रश्न पैदा होता है। अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता पड़ी जबकि सरकार को कर्नाटक सरकार के सिफारिशों पर कार्रवाई करने में सात वर्ष का लम्बा समय लग गया। यह एक-दो महीने और क्यों नहीं रूक गई बजाय इसके कि कार्यपालिका के लिये विधायी शक्ति का प्रयोग करके हमारे सामने वे इसलिये आये हैं कि अध्यादेश को कानून में बदल दिया जाए? सभापति महोदय, आप गौर करें कि इससे सरकार के कानून बनाने की शक्ति की सीमा और क्षेत्राधिकार के संबंध में एक मौलिक प्रश्न उठता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बात पर विचार करें कि क्या संसद के इस सत्र के आरंभ होने के एक-दो महीने पूर्व सरकार द्वारा इस तरह का अध्यादेश जारी करना और बाद में सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करना उचित था? यह मेरा पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न यह है कि सारे देश में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कई ऐसे छोटे समूह है जिन्हें आरक्षण की योजना में छोड़ दिया गया है। मैं उनके नाम दुबारा नहीं गिनाऊंगा। उन सभी को आरक्षर के लाभ से वंचित कर दिया गया है। जैसा एक माननीय मंत्री ने कहा है कि इन छोटे समूहों में कुछ ऐसे आदिवासी समूह है जो देश के एक भाग से दूसरे भाग में घूमते रहते है। इस प्रकार घूमते रहने से उनका राज्य बदलता रहता है जिससे वे उस आरक्षण से वंचित रह जाते हैं जो उन्हें अपने मूल राज्य में प्राप्त हो सकता है।

फिर, क्षेत्र के स्थानातंरण का एक और मामला है जिसके बारे में पाण्डेय जी ने कहा है, जहां आरक्षण का लाभ उठा रहा एक समूह इससे वंचित हो जाता है क्योंकि वह जिस क्षेत्र में रहता है वह दूसरे राज्य का हिस्सा बन जाता है। ऐसे कई विसंगति के मामले हैं जिनमें एक समूह को एक क्षेत्र में अनुसूचित जाति माना जाता है किन्तु देश के दूसरे हिस्से में या तो उसे अ०जा० बिल्कुल ही नहीं माना जाता या उसे अ०ज०जा० माना जाता है।

इसमें कई विसंगतियां है, विरोधाभास है और कई दोहराव है। यह सूची हमारे पास पिछले 40 वर्षों से है और मैं सोचता हूं कि 40 वर्ष का समय सरकार के लिए पर्याप्त है कि वह विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं या वंचित समूह के प्रतिनिधि संगठनों या राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर दिए गए विभिन्न सुझावों और सिफारिशों को ध्यान में रख कर एक व्यापक सूची तैयार करे।

इसलिये, मैं माननीय मंत्री से चाहूंगा कि वे हमें बताएं कि सरकार कब तक सभा में इस विषय पर एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेगी जिसमें विभिन्न अनुसूचित जातियों और जनजातियों या विभिन्न समूह जो

अ०जा०/अ०ज०जा० की सूची में शामिल होना चाहते हैं, उस बारे में सभी लम्बित सुझावों और सिफारिशों का ध्यान रखा जाएगा।

महोदय, स्पष्टतः मैं नहीं जानता कि मंत्री ने कर्नाटक के साथ ही विशेष व्यवहार क्यों किया। कर्नाटक में ऐसे कई छोटे समूह हो सकते हैं जिन्हें छोड़ दिया गया है। इस छोटे समूह को अत्यन्त उदारतापूर्वक और विशेष दर्जा देने के पीछे कोई उद्देश्य लगता है और दूसरी ओर कर्नाटक के अन्य समूहों और इसी राज्यों के ऐसे ही समूहों के प्रति बेरूखी दिखाई गई है। हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री सभा में आए और हमें इस छोटे समूह पर दिए गए असाधारण ध्यान के बारे में हमें बताएं। ऐसा नहीं है कि मैं उनके खिलाफ हूं। मैं भी चाहूंगा कि वे सूची में शामिल हो किन्तु इसके पीछे मुझे लगता है कि कोई राजनैतिक भावना है। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री, अपने उत्तर में, सभा को विश्वास में लें और हमें बताएं कि इस समूह के प्रति उनकी चिंता, उनके लगाव और इस समूह को शामिल करने व अन्य समूहों और अन्य राज्यों को छोड़ने के क्या कारण हैं।

सभापति महोदय, कई उदाहरण दिए जा सकते हैं किन्तु मैं उन्हें नहीं कहूंगा। मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा क्योंकि वे मेरे लिए विशेष महत्व के हैं। एक छेटा समूह है जिसे सूरजवंशी कहा जाता है। वे पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा के पार फैले हुए है। पश्चिम बंगाल में वे अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किए गए है किन्तु बिहार में नहीं।

सभापति महोदय: श्री शाहाबुद्दीन, यह सिर्फ कर्नाटक से संबंधित है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन: मैंने जो कहा है मैं सिर्फ उसी की व्यवस्था कर रहा हूं, कि यह आवश्यक है कि सरकार स्थिति की समीक्षा करे और हर सत्र में एक या दो अध्यादेश लेकर हमारे पास न आए किन्तु उसके सामने सभी लम्बित मामलों पर विचार करने के बाद हमारे पास आएं। और इस अवसर का प्रयोग उनसे यह कहने में करता हूं क्योंकि मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और क्योंकि विभिन्न ज्ञापनों में यह मुद्दा मेरे द्वारा उठाया गया है, इसलिए मैं मंत्री जी को इस विशेष वंचित समूह की और छोटा नागपुर के कई ऐसे ही आदिवासी समूहों जिन्हें असम में जहां बड़ी संख्या में वे काम कर रहे हैं, वहां उन्हें आरक्षण की इस सुविधा से वंचित किया गया है। उनके बारे में मंत्री को पुनः स्मरण कराता हूं।

सभापति महोदय: यह सिर्फ उस अध्यादेश को नियमित करने के लिए है जो जारी किया गया है।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन: सभापति महोदय, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, कि मैं इस विधेयक के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं हूं किन्तु इससे प्रक्रिया का प्रश्न उठता है, संवैधानिक प्रश्न ओर एक बड़ी बात है कि सरकार द्वारा तुरंत विचार और सरकार की चिंता के दायरे से बाहर किया जाना। जबकि इन वहिष्कृत समूहों ने कष्ट उठाया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करना चाहूंगा किन्तु मैं निश्चित तौर पर चाहता हूं कि माननीय मंत्री सभा को विश्वास में ले और आश्वासन दें कि शीघ्र ही वे इस विषय पर एक व्यापक विधेयक तैयार करेंगे।

***श्री रूप चंद मुरमु** (झाड़ग्राम): सभापति महोदय, माननीय मंत्री श्री सीताराम केसरी ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है। पहले मैं कहूंगा कि मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

गुज्जर, बकड़वाल, गद्दी, सिप्पी— इन चारों जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करना चाहिए। फिर उन्हें भी वही लाभ मिलेंगे जो अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। इसलिए मैं इस कदम से अत्यन्त प्रसन्न हूं। किन्तु अन्य राज्यों में और भी कई जनजातियां है। इन जनजातियों को भी सूची में शामिल करना चाहिए। कई जातियां लुप्त हो रही हैं। भारत सरकार का कर्तव्य है कि वह इन जातियों की समस्या को सुलझाएं जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। सरकार को ऐसे कुछ उपाय भी करने चाहिये जिससे ये आदिवासी अपनी जाति बढ़ा सकें। अण्डमान में ऐसी कई जनजातियां हैं जिनकी संख्या नहीं बढ़ रही। दूसरी ओर उनकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। अण्डमान और निकोबार द्वीप में ऐसी कई जनजातियां जिनका सभ्य संसार से कोई सम्पर्क नहीं है। ये जनजातियां अभी तक नग्न रहती है और अपने जीवन निर्वाह के लिए शिकार पर निर्भर रहते

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर है।

हैं। हमें अपनी सभ्यता पर बहुत गर्व है। किन्तु अभी भी हमारे चारों ओर ऐसे लोग है जिन तक अभी भी सभ्यता की रोशनी नीहं पहुंची। बहस में भाग लेने का अवसर मिलने पर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हम अपना स्नेह, घनिष्टता, प्रेम और मानवतावादी भावनाएं प्रकट करें ताकि इन पिछड़े हुए लोगो से अच्छे रिश्ते व संबंध बन सकें।

अगर इन जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाता है तो सरकार का कुछ उत्तरदायित्व है कि इन जातियों को उनके अपेक्षित विशेष लाभ मिल सकें। सामान्य रूप से यह सहायता आर्थिक है। किन्तु यह सिर्फ आर्थिक सहायता तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है कि हम अपना ध्यान उनकी संस्कृति, शिक्षा, आपसी-मैत्रीपूर्ण संबंध, भाषा पर केन्द्रित करें। इन पहलुओं में सुधार करने के लिए सरकार को कुछ उपाए करने चाहिए।

इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि एक संक्षिप्त अवधि में इन जनजातियों की दशा सुधारने का एकमात्र उपाए सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं है। इस उद्देश्य को प्राप्त करना संभव नहीं है, इसके लिए लगातार कार्यक्रम शुरू करने होंगे। उद्योगपतियों और जमींदारों की संयुक्त शक्ति हमारे देश में शासन कर रही है। इन लोगों ने कभी गरीबी और असभ्यता का अनुभव नहीं किया। अगर उन्हें आदिवासियों की स्थिति में ही रखा गया होता तो उनके वक्तव्य की सच्चाई का पता चलता।

हम जानते है कि समाज की मान्यताएं उत्पादन व्यवस्था पर निर्भर करती हैं। सामाजिक रीति रिवाज व्यवहार इस व्यवस्था पर आधारित होते हैं। जिस देश में उत्पादन व्यवस्था और आर्थिक नीति पर अमीरों का प्रभुत्व हो उसमें निश्चित रूप से सम्पन्न लोगों द्वारा अपनाई गई संस्कृति होती है। हम इस संस्कृति को पनपने देना नहीं चाहते। हम इसे खत्म करना चाहते हैं"। अगर हम यह पाना चाहते हैं तो, हमें इन आदिवासियों की संस्कृति को विकसित करना होगा और भूमि सुधार भी करना होगा। फिर इस विधेयक का उद्देश्य पूर्ण होगा।

इस विधेयक का उद्देश्य तभी अनुभव होगा जब हम भेदभाव को खत्म करें और समानता की नीति का पालन करें। हमारा संविधान भी इस प्रकार के दृष्टिकोण के पक्ष में है। इसलिए मैं रवीन्द्रनाथ के शब्दों का उल्लेख करना चाहूंगा। तुमने जिन लोगों को तुछ समझा है, तुम्हारे साथ भी वे वैसा ही व्यवहार करेंगे इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार): सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं इसमें कर्नाटक में पांच कम्युनीटीज़ को शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। मैं एक बात मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि देश भर में हर जगह जहां आदिवासी-हरिजन लोग रहते हैं उनको एक प्रदेश में तो इस केटागिरी में माना जाता है लेकिन दूसरे प्रदेश में नहीं माना जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों को एक यूनिफार्म सिस्टम बनाकर सारे भारत में एक सी मान्यता दिलाई जाये। लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार आप खण्ड-खण्ड रूप में विधेयक सदन में लाते हैं तो उससे जो आप उनको ऊपर उठाने और उनमें सुधार लाने के इच्छुक दिखाई देते हैं वह बात पूरी नहीं हो पाती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा विधेयक लायें जिससे हर प्रान्त में उनको एक सी मान्यता प्राप्त हो।

अण्डमान-निकोबार में पांच प्रकार के आदिवासी लोग रहते हैं। जिसके अन्तर्गत ग्रेट निकोबार में शोम्पेन लोग रहते हैं, जोकि जंगलों में रहते हैं। एक निकोबारी आदिवासी हैं जिनको शिक्षा और अन्य चीजों में हम चाहते हैं कि वे आगे बढ़ें। एक अण्डमानीज़ हैं जिनकी जनसंख्या 23 थी, अब 31 तक आ गई है। हमारे यहां ऊंगी आदिवासी हैं उनकी पहले संख्या 90 थी जो अब काफी बढ़ गई है। एक जाड़वा कम्युनिटी है जो कि जंगल में रहते हैं। उनके साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए निरन्तर हमारी सरकार लगी रहती है। उनको केला या अन्य चीजें देकर उनसे सम्पर्क स्थापित किया जाता है और हमारी सरकार चाहती है कि जो उनकी होस्पीटेलिटी है उसको कम किया जाये। एक सेनिंटले आयरलैंड में सेनिल्टीज़ हैं उनका भी हमारे साथ सम्पर्क नहीं है। एक माननीय सदस्य ने यह बताया कि उनको आधुनिक

सभ्यता में लाने के लिए सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि अंडमार-निकोबार में आदिवासियों को जिस प्रकार से ऊपर उठाने के लिए हमारी सरकार प्रयासरत है वह देश के जो बाकी हिस्से हैं, मैं समझता हूं वहां इतना प्रयास नहीं होता होगा। अगर बाकी जगह भी उतना ही प्रयास किया जाता तो आज उनकी यह हालत न होती।

जंगल में जो वांडरिंग ट्राइब्ज़ के लोग हैं, प्रिमीटिव ट्राइब्ज़ के लोग हैं उनके बारे में मेरा निवेदन है कि उन्हें भात या अन्य चीजें खाने को न दें, क्योंकि उनको अपने ही तरीके से जीवन व्यतीत करने दिया जाये, यही उनकी सभ्यता है। इसीलिए सरकार हमेशा कोशिश करती है कि उनके अपने रहन-सहन की अपनी व्यवस्था हो और उसमें काम करके उनको ऊपर उठाया जाये। वहां उनके इलाज के लिए डाक्टर्स का प्रबन्ध किया गया है और वे वहां रेगुलर जाकर उनका इलाज करते हैं। प्रिमीटिव ट्राइब के लोगों का मुख्य भोजन जंगल में सुअर आदि मार कर और मछली पकड़ कर उसका भोजन करना है, ये लोग काश्त करना नहीं जानते हैं। इसलिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वे कृपा करके उनके रहन-सहन को देखने के बाद जो उनके लिए सुझाव भेजे जायें उनको अमल में लायें और इनकी हालत को सुधारना चाहिए।

इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई कामप्रीहेंसिव बिल लायेंगे जिससे इन वर्गों का उत्थान किया जा सके।

सभापति महोदय: मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि इस विधेयक का सम्बन्ध सिर्फ कर्नाटक राज्य से है। भविष्य में जब मंत्री महोदय विस्तृत विधेयक लायेंगे तब इस विषय पर विचार व्यक्त किये जा सकते हैं।

यह विधेयक सिर्फ जारी किये गये एक अध्यादेश को नियमित करने हेतु लाया गया है और यह कर्नाटक से सम्बन्धित है। इसलिए यदि माननीय सदस्य अपने विचार कर्नाटक राज्य और हमारे समक्ष रखे विधेयक तक ही सीमित रखें तो मैं बहुत ही आभारी होऊंगा।

श्री राम नाईक।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): सभापति महोदय, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक जो इस सभागृह के सामने आया है, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

सभापति जी, चर्चा के प्रारम्भ होते समय मैंने माननीय मंत्री महोदय से पूछा और अपने विचार बताते समय उन्होंने यह बताया कि कर्नाटक राज्य से 1984 में केन्द्र सरकार के पास यह सुझाव आया कि इस प्रकार की जातियों को शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची में लेना चाहिये। यह एक संयोग की बात है कि जो इसमें अमेंडमेंट है, जो नाम जोड़ने हैं, उनमें नाईक भी है जो कि मेरा सर नेम है। इसके अलावा नायक, बेडा, बेडर और बाल्मीकि भी हैं जिसके लिए इन नामों को जोड़ने की बात कही गयी लेकिन 1984 में जो सूचना या प्रार्थना कर्नाटक सरकार से आयी, उसको क्रियान्वित करने के लिए सात साल सरकार को लगे। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि इतने महत्वपूर्ण सुझाव के लिए सरकार इतना लम्बा सोयी रही। हम देखते हैं कि इस समय में कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राईब्स, मण्डल आयोग की सारी बातों पर लम्बी बहस करने के बाद वी॰पी॰ सिंह की सरकार सोयी रही और बाद में श्री चन्द्रशेखर की सरकार ने इसके बारे में विचार किया परन्तु यह आर्डिनेंस अप्रैल, 1991 में निकला जबकि आम चुनाव पर बहस शुरू हुई और मेरा विचार है कि इस आर्डिनेंस का उपयोग आम चुनाव में लाभ उठाने के लिए क्यों किया? ....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मुझे सारी बातों की खबर है।

[हिन्दी]

और इसलिए इस आर्डिनेंस का उपयोग चुनाव के दिनों में हुआ जिससे हमें उस जाति के लोगों की सहायता मिले, मत मिले। मैं मानता हूं कि ये मतों का खेल कम से कम ऐसी सरकार को नहीं करना चाहिये था और आगे भी नहीं करना चाहिये। कम से कम यह भूमिका अभी की सरकार के मंत्री महोदय को लेनी होगी कि

चुनाव की राजनीति के लिए हम शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राईब्स या ओ॰बी॰सी॰ या मण्डल आयोग की जो बाते हैं, चुनाव के मैदान में हथियार के तौर पर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि देश के लिए, सब के लिए और विशेषकर शेड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शेड्यूल्ड ट्राईब्स के लिए यह अच्छी बात होगी।

सभापति महोदय, यह आदेश अप्रैल, 1991 में निकाला गया लेकिन बाद में क्या हुआ? यह विधेयक जब हम लोगों को प्रसारित किया गया तो उस समय जो बिल पेश करने के लिए सात दिन का मोशन देना चाहिये था सरकार की ओर से तो उसमें भी सरकार ने कहा कि रूल 19ए के अन्तर्गत हमको इतना समय नहीं है इसलिए जल्दी से जल्दी पास करना है और फिर .....

सभापति महोदय: यह तो हाऊस के वियू से किया गया था।

श्री राम नाईक: ठीक है, हाऊस के व्हयू से किया गया था लेकिन हाऊस ने व्हयू कब किया तब मंत्री महोदय को आर्डिनेंस रेगूलराईज़ करना चाहिये, इसके लिए किया। लेकिन अप्रैल, 1991 में यह होने के बाद जब जुलाई में सभागृह का सैशन शुरू हुआ था तो ऐसी कौन सी बात थी कि उसके लिए सात दिन का समय नहीं दिया जाये? या कोई विधेयक इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद अमेंडमेंट देने हैं या आब्जेक्शन देने हैं, तो उसके लिए दो दिन रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री महोदय ने उस नियम को भी छोड़ देना चाहा।

सभापति महोदय: एक संशोधन आया है। इसका अर्थ है कि इसके लिए पर्याप्त समय उपलब्ध था।

श्री राम नाईक: ऐसा नहीं था। वास्तव मे शुक्रवार को मैंने विधेयक के पुरःस्थापन के विरोध में एक संशोधन दिया था।

[हिन्दी]

लेकिन 4 बजे के बाद आया। हम लोगों को भी गाड़ी पकड़ कर जाना था। सरकार को मौका मिल गया, नहीं तो मैं उसी दिन इस बात पर ऑब्जेक्शन लेने वाला था। लेकिन बात यह है कि इतने महत्वपूर्ण बिल के लिए सदस्यों को दो दिन का समय न दिया जाए। शुक्रवार को यह बिल इंट्रोड्यूस हुआ और शुक्रवार को इंट्रोड्यूस होने के बाद हम सब लोगों को अपने क्षेत्र में जाना था। हम सूचना नहीं दे पाए क्योंकि चार बजे के बाद विधेयक आया, लेकिन सवाल वह नहीं है। अभी यह बिल हम पास करने वाले हैं, लेकिन सरकार के काम करने की जो पद्धति है जल्दी-जल्दी में करना, सात साल के बाद कुछ जातियों को इसमें मंजूर किया गया और बिल यहां पास करना है, अभी करो, अभी करो! अभी इसमें कोई जल्दीबाज़ी नहीं है और इसलिए सरकार को आगे के दिनों में जल्दबाज़ी नहीं है और इसलिए सरकार को आगे के दिनों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार का निवेदन मुझे माननीय मंत्री महोदय से करना है।

अध्यक्ष जी, मैं अभिनन्दन करना चाहता हूं कि नायक, नाईक, बेडा, बेडर और बाल्मीकि जातियों को शेड्यूल ट्राइब्ज़ में जोड़ने का प्रस्ताव है, इसके लिए में सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन बाकी सदस्यों ने यहां जो सुझाव दिए और अध्यक्ष जी, आप भी बोलते-बोलते कह गए कि यह केवल कर्नाटक का है। मुझे यह कहना चाहिए कि सरकार को विचार करते समय बाकी प्रदेशों की क्या हालत है, उसको देखना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में संविधान के 38 आइटम में यह जोड़ दिया। महाराष्ट्र की जो लिस्ट है, उसमें और कर्नाटक की पहले की लिस्ट, इसमें कोई अंतर नहीं है। कर्नाटक की 38 आइटम की एक लिस्ट है, उसमें पहले की हुई जातियां हैं—नायकडा नायक, चौली वाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक और नाना नायक। इसी तरह महाराष्ट्र की 35 नंबर की जो लिस्ट है, यह वही है— नायकाडा नायक, चौलीवाला नायक, कपाडिया नायक, मोटा नायक, नाना नायक। यह ऐसी क्यों है क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र पहले एक स्टेट थे— बांबे प्रोविन्स थे। अब वह डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर ये जातियां कर्नाटक में भी हैं और महाराष्ट्र में भी हैं। इसलिए 1950 में जब ये ऑर्डर बन गए तब दोनों प्रदेशों में ये नाम लिखे गए। लेकिन जब सरकार की ओर से इसमें अमेंडमेंट आ रहा है तो इसमें महाराष्ट्र का नाम नहीं है! क्यों नहीं है? कर्नाटक सरकार ने सुझाव दिया इसलिए कर्नाटक सरकार के सुझाव पर यह लिया जा रहा है। यह ठीक है, लेकिन लॉडिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हमारा जो लॉडिपार्टमेंट है, या शेड्यूल कास्ट्स का काम देखने वाला जो मंत्रालय है, वह इस बात को देख नहीं सकता है कि जिसका लाभ हम कर्नाटक को दे रहे हैं और महाराष्ट्र के

बॉर्डर पर यही जातियां रहती हैं, उनको भी दें। इसलिए मेरी यह मांग है कि इसके लिए महाराष्ट्र सरकार को अलग से प्रस्तुत रखने की कोई ज़रूरत नहीं । मैं यह अमेंडमेंट देना चाहता था।

[अनुवाद]

तकनीकी रूप से मैं सिर्फ इसलिए संशोधन नहीं ला सका क्योंकि यह एक अलग भाग है और यह सूची अन्य है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र की लिस्ट अलग है और कर्नाटक की लिस्ट अलग है, लेकिन जब वही जातियां उसमें हैं तो इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि ये जातियां महाराष्ट्र की सूची में भी आ जाएं, इस प्रकार का विधेयक आपको अपनी ओर से लाना चाहिए, ऐसा मेरा इस समय पर आपको सुझाव है।

सभापति महोदय: कोई बधाई देने वाली बात नहीं की आपने।

श्री राम नाईक: इसमें महाराष्ट्र के नाइक को लाभ मिलेगा क्या ऐसा किसी ने पूछा इसमें मुझे फायदा होने वाला है तो हमारे गृह मंत्री जी ने बैठे-बैठे बता दिया कि नहीं-नहीं, राम नाईक ब्राह्मण हैं।

अब कोई ब्राह्मण है या दूसरा कोई है, वह बात नहीं है। सवाल यह है कि इस देश की जो जनजातियां हैं, उन्हें यह लाभ मिलना चाहिये। यह लाभ यदि कोई ब्राह्मण कहे तब भी मिलना चाहिये, किसी और जनजाति का कहे तब भी मिलना चाहिये।

हम सब यहां लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और इसलिये यह ऐसा मुद्दा है, जिस पर विचार करना चाहिये। ऐसी कई जातियां हैं। इसलिये मेरा सुझाव आपके सामने है। अब मैं एक-दो छोटे से उदाहरण देकर अपनी बात को खत्म करुंगा।

समझ लीजिये कि एक पॉटर है, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसे गुजरात में प्रजापति कहते हैं, महाराष्ट्र में उसे कुंभार कहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी उसे कुम्हार कहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का कुम्हार, हमारे महाराष्ट्र में, वही ओ०बी०सी० लिस्ट की बात अलग है, यहां ओ०बी०सी० में मंजूर नहीं हो सकता यद्यपि उसका व्यवसाय वही है। वैसे ही सोनार है, जिसे स्वर्णकार कहते हैं। गुजरात में उसे सोनी बोलते है लेकिन महाराष्ट्र में अगर कोई सोनी होगा तो उसे वे फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी जो महाराष्ट्र के एक सोनार को मिलेंगी। अब यहां फिर प्रदेश के बोर्डर का इश्यू आता है क्योंकि पहले ऐसे ही मुथई प्रदेश था। इसीलिये मेरा यह सुझाव है कि सारी बातों को ख्याल में रखते हुए, जब यह विषय सदन में चर्चा के लिये आया है— अप्वाइंट ए कमेटी टू रिव्यू द फंक्शनिंग ऑफ द कांस्टीट्यूशन शैड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर, 1950 — जिसके अंतर्गत अमैंडमैंट लाने के लिये आप हाउस में यह विधेयक लाये हैं। ऐसी कई जातियां हैं, कई प्रदेशों में, जहां इस प्रकार के लाभ से लोगों को वंचित कर दिया गया है। वे लोग भी इस लाभ से वंचित न हों, इसके लिये एक सुझाव यह आया कि आप एक काम्प्रीहैन्सिव बिल सदन में लाइये परन्तु मेरा कहना है कि काम्प्रीहैन्सिव बिल आप बाद में लाइये, पहले एक पार्लियामैंटरी कमेटी अप्वाइंट कीजिये और देश भर में शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को समान रूप से अभी तक जो लाभ नहीं मिलते हैं, वह कमेटी उसे ध्यान में रखते हुए सारी स्थिति को रिव्यू करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

पहले आप पार्लियामैंट की एक कमेटी रिव्यू के लिये बनाइये। उसका कारण और भी है और वह यह है कि आज सारे हिन्दुस्तान में अर्बनाइजेशन होता जा रहा है। देहातों से लोग शहरों में ज्यादा आ रहे हैं। इसके साथ शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग भी अपने प्रदेशों से दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। जब वहां जाकर उन्हें जाति का प्रमाणपत्र लेना पड़ता है तो उनसे पूछा जाता है कि आप 1950 में कहां थे। आप 1950 से पहले जिस गांव में थे, वहां के सरपंच का प्रमाणपत्र लाइये। यदि कोई आदमी मुम्बई में आकर रहता है और जिसने दो पीढ़ियां मुम्बई में बिताई हैं, उसका अब गांव में कौन है। उसकी जमीन नहीं, घर नहीं और नये पुराने सम्बन्ध वाला भी कोई नहीं होगा, जाति का आदमी भी नहीं होगा तो इस कारण उसे वह सर्टिफिकेट मिल नहीं पाता। सन् 1950 का अपने गांव का, डौमिसाइल, नेटिव प्लेस का सर्टिफिकेट न मिलने के कारण— दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द फैसिलिटीज़, पर्टिकुलरली एजूकेशनल अपौर्चुनिटीज, टू विच दे अदरवाईज़ आर एन्टाइटिल्ड— इसीलिये मेरा कहना है कि 1950 का जो आर्डर है, उसे रिव्यू करने की आवश्यकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ

मिल सके। उसे रिव्यू करने के लिये पार्लियामैंट की एक कमेटी बननी चाहिये ताकि उससे लोगों की कठिनाइयां दूर हो सकें।

इसी आधार पर महाराष्ट्र में आप खुद ऐसा अमैंडमैंट लेकर आयें यही मेरा निवेदन है। मुझे आशा है कि शीघ्र ही पार्लियामैंटरी कमेटी का गठन होगा। इन शब्दों के साथ, सभापति जी, आपने मुझे जो समय दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: आदरणीय सभापति जी, जो बिल हमारे समाज कलयाण मंत्री जी ने सदन में पेश किया है, मैं उस बिल का स्वागत करते हए, अपने कुछ सुझाव समाज कल्याण मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा।

जहां तक मुझे जानकारी है देश में जातियों का वर्गीकरण सन् 1952 के आसपास किया गया था। उस समय देश में आवागमन की सुविधा कम थी, रोजगार के दायरे सीमित थे और कुछ लोगों से जब उनकी जातियों के सम्बन्ध में पूछा जा रहा था।

सभापति महोदय: सोनकर साहब, आप एक मिनट के लिये बैठिये। अब नागर विमानन और पर्यटन मंत्री, श्री माधव राव सिंधिया अपनी स्टेटमैंट देंगे।

[अनुवाद]

शास्त्री जी कृपया एक मिनट के लिए बैठ जाइये। श्री माधव राव सिंधिया जी अपना वक्तव्य देगें।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक: महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक वक्तव्य है। इसकी सूचना हमें पहले से दी जानी चाहिए। कम से कम हमें यह बता दिया जाना चाहिए कि अमुक समय में माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार का वक्तव्य देंगे ताकि उस समय सदस्यगण यहां उपस्थित रह सकें। हमारे बीच कुछ भी परिचालित नहीं किया गया। हम सब पूर्व सूचना प्राप्त करने के अधिकारी हैं। महोदय, मैं यह परामर्श दूंगा कि आप तीन बजे म० प० अथवा कोई अन्य समय निश्चित कर सकते हैं ताकि उस समय सदस्यगण उपस्थित रह सकें।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति मदोदय, बिना पूर्व सूचना के इस प्रकार का वक्तव्य नहीं हो सकता है। मेरी आपत्ति है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त: यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। **(व्यवधान)**

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया): महोदय, करीब 2 या $2^{1/2}$ घंटे पहले ही हमने यह वक्तव्य अध्यक्ष महोदय के कार्यालय में दे दिया था और मैं समझता हूं कि अध्यक्ष द्वारा इसे स्वीकृत भी किया जा चुका है। मैंने सोचा कि यह जानकारी मैं अभी दे दूं।**(व्यवधान)** लेकिन यदि माननीय सदस्यगण चाहते हैं कि मैं अपना वक्तव्य बाद में जारी करूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है।

श्री राम नाईक: आप तीन बजे वक्तव्य दे सकते है ताकि सदस्यगण यहां आएं और इसे पढ़ सकें।

श्री माधव राव सिंधिया: मुझे कोई परेशानी नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): सभापति महोदय, जब दोनों पक्ष के लोग इसके लिए तैयार हैं कि बाद में मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें, तो फिर मेरा आपसे निवेदन है कि कोई साढ़े तीन-चार बजे का टाइम आप फिक्स कर दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या तीन बजे का समय आपके लिए ठीक रहेगा क्योंकि आपने कहा कि आप शीघ्र ही जा रहे हैं?

श्री माधव राव सिंधिया: ठीक है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: सभापति महोदय, अभी पौने तीन बज रहे हैं और आप तीन बजे स्टेटमेंट करने के लिए कह रहे हैं। मेरा निवेदन है कि स्टेटमेंट को आप साढ़े तीन बजे करवाईए।

सभापति महोदय: ठीक है, जो प्लेन क्रैश हुआ है, उसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय साढ़े तीन बजे स्टेटमेंट देंगे।

[अनुवाद]

श्री माधव राव सिंधिया: महोदय, मैं आपके कार्यालय में यह वक्तव्य दे चुका हूं। आपका कार्यालय इसे पहले से ही परिचालित कह देता क्योंकि मैंने दो घंटे पूर्व इसे दे दिया था।

सभापति महोदय: मैं समझता हूं कि इसकी साइक्लोस्टाइल प्रति तैयार की जा रही होगी और यह परिचालित हो रहा होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: सभापति महोदय, तो यह जो हमारे यहां जातियों का वर्गीकरण किया गया था—अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, जनजाति, ये सब सम्भवतः 1950 में किया गया था। उस समय आवागमन की सुविधा नहीं थी, रोजगार का दायरा सीमित था और वर्ग व्यवस्था बहुत बड़ा प्रकोप उस समय बनी हुई थी क्यों कि देश को तत्काल ही आजादी मिली थी, इसलिए कुछ लोगों ने अपनी जाति को छिपाया हुआ था। कुछ लोग जो एक स्थान पर शैड्यूल्ड कास्ट में थे और जब इसकी पूछ-ताछ की जा रही थी, तो किसी ने कहा कि हम राजपूत हैं, किसी ने कहा कि हम क्षत्री हैं, जब कि उनकी जातियां कुछ और थीं । इस प्रकार देश में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, जिसका परिणाम आज सारे मुल्क में नजर आ रहा है।

सभापति महोदय, आज यहां डिबेट हुई है, माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, यह सब उसी का परिणाम है। हम आपको बता रहे हैं कि कर्नाटन का बिल आपने पास किया है, उसी संदर्भ में मैं एक जाति का उदाहरण देता हूं। एक खटिक जाति है, जो उत्तर प्रदेश में शेडयूल्ड कास्ट मैं है और महाराष्ट्र में भी शैड्यूल्ड कास्ट में है, लेकिन कर्नाटक में यही जाति बैकवर्ड क्लास मे है। अब यदि एक ही घर की दो बहिनों में से एक की शादी दिल्ली या उत्तर प्रदेश में हो, तो वह शैड्यूल्ड कास्ट हो जाती है और दूसरी बहन की शादी यदि कर्नाटक में हो, तो वह बैकवर्ड हो जाती है। इसमें सामाजिक मान-सम्मान का भी प्रश्न आता है। एक घटना हुई, मैं इतफाक से उस जाति का हूं। एक जगह गए तो वहां पर हमको शैड्यूल्ड कास्ट बताया गया, एक और जगह गए तो वहां पर बेकवर्ड क्लास कहा गया। हमारी जाति के लोग बनारस, उत्तर प्रदेश में तो शैड्यूल्ड कास्ट में हैं और बगल में वहां से तीन किलोमीटर की दूरी पर बिहार शुरू हो जाता है, वहां पर वे बैकवर्ड क्लास में हैं। यह एक बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है। शादी-ब्याह में, खान-पान में, सामाजिक क्रियाकलापों में भी बहुत ज्यादा अड़चन है। कर्नाटक के लोग हमारे यहां आते है, बातचीत होती है।

इसी संबंध मे मैं एक बात और कहूंगा कि कहीं-कहीं उच्चारण संबंधी गड़बड़ी है। उत्तर प्रदेश में एक जाति गोंड है। अंग्रेजी में उसको गौंड कहते हैं और हिन्दी में गोंड कहा जाता है। हमारे समाज कल्याण मंत्री श्री केसरी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जब सैर्टीफिकेट का मामला आता है तो गोंड जाति को कलैक्टर के यहां वापस कर दिया जाता है, कहा जाता है कि गौंड लिखकर लाओ, वह कहता है कि गौंड तो नहीं है गोंड है। इस प्रकार से उसको इतनी परेशानी उठानी पड़ती है कि कुछ कहने की बात नहीं है। उच्चारण संबंधी एक बात और कहता हूं। हम खटीक जाति को ले लेते हैं। कम से कम हिन्दुस्तान में चारों तरफ यह जाति है। इसका नाम 30 प्रकार से हिन्दुस्तान के विभिन्न हिस्सों में है, एक-एक प्रान्त में दो-दो, तीन-तीन नाम हैं। उस दिन यह बिल पेश हुआ था। जम्मू-कश्मीर में इसका नाम बकरकसाव है, कर्नाटक में जहां पर यह बिल पेश हो रहा है वहां पर इसको खटिक कहते हैं, उसी के बगल में मैसूर में खाटीक कहते हैं, बड़ी ई की मात्रा लगा देगे हैं कहीं पर छोटी इ की मात्रा लगा देते हैं। आपने तो बिल पेश किया है इसके सन्दर्भ में मैं एक बात कहूंगा कि 5 अप्रैल, 1984 को यह मामला इस हाउस में उठा था। उस पर बड़ा खुलकर विचार हुआ था, प्रश्न-काल था, आधे घंटे की चर्चा इसी हाउस में हुई थी। उस समय के गृह मंत्री ने यह कहा था कि हम इस मामले से काफी चिन्तित हैं। हम पूरे देशभर में स्टडी करके एक अमैंडमैंट बिल लाते हैं। तमाम तरीके के वाद-विवाद हुए, उस वाद-विवाद में राज्य सरकारों से हम रिपोर्ट मांगते हैं, वे सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की रिपोर्ट भेजते हैं। उस पर हमने पूछा था

कि यह बताइए बहुत दिनों से राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी जा रही है, गृह मंत्री के बीसियों पत्र हमारे पास थे, हमने सबको इस हाउस में दिखाया था, आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि स्टेट के लोगों को हम बार-बार लिखते हैं लेकिन वे रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। बिहार सरकार को हमने लिखा, जम्मू-कश्मीर को लिखा, कर्नाटक को लिखा, आंध्र को लिखा, रिपोर्ट नहीं आई। हमने पूछा कि आपने बताया। कभी तो व्यंग में कहा जाता है लेकिन उन्होंने गिनकर बताया कि 17 बार रिमाइंडर केन्द्र सरकार ने भेजे हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं आई। यदि रिपोर्ट आ जाए तो हम तत्काल वृहद् अमैंडमैंट बिल लाएंगे। आज तक वह बिल नहीं लाया गया।

समाज कल्याण मंत्री हमारे सामने बैठे हुए हैं। इनका अखबारों में स्टेटमैंट आ रहा था कि सरकार इस पर बहुत जल्दी एक अमैंडमैंट बिल लाएगी, वाईड स्टडी कर वही है और बहुत सी जातियों के बारे में पुनरीक्षण किया जाएगा, ढंग से संशोधन किया जाएगा। लेकिन आज तक वह बिल नहीं आया। इस बिल का समर्थन करते हुए हमारे समाज कल्याण मंत्री जी से दो-तीन प्रश्न हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान की कई जातियों के बारे में आपके यहां पत्र पड़े हुए हैं, कम से कम सौ पत्रों का तो ज्ञान है। विभिन्न सोसाइटियों ने, अनुसूचित जाति के तमाम संगठनों ने अपनी परिस्थिति के बारे में पत्र लिखते हुए कहा कि हमें शैडयूल्ड कास्ट में ले लिया जाए। सरकार समय-समय पर आश्वासन देती रही है कि आपको लिया जाएगा। लेकिन जब इलैक्शन आता है या कोई बात आती है तो एक-दो जातियों को लेकर एक अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, हाउस में उस पर बहस करवा ली जाती है।

हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हमारे समाज कल्याण मंत्री जो वर्तमान हैं, इन सब बातों में बहुत ज्यादा रुचि भी लेते हैं और ज्यादा रुचि लेने के इच्छुक भी दिखायी देते हैं, उसकी जो भी वजह हो लेकिन यह बहुत ज्यादा इस कोशिश में हैं कि हम इस वर्ग को कुछ दें।

सभापति महोदय: वजह तो समाज कल्याण है, और कोई वजह हो तो उसको बता दीजिये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: वह हम नहीं बताना चाहते हैं, वह समझ गये होंगे और हाउस के लोग भी जानते हैं।

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका): हम नहीं जानते हैं, हमें बताइये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: तो जान लीजियेगा। जिन को माननीय मंत्री जी लाना चाहते हैं, उनको वह कब ला रहे हैं? 1-2 जातियों का नाम लेकर यह संशोधन पेश करेंगे, अध्यादेश लायेंगे तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि वह आज हाउस में हम लोगों को इस बात का उत्तर दें कि वह कब पूरा एंटायर बिल ला रहे हैं जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि एक संसदीय समिति बनायी जाये, क्या यह संसदीय समिति बनायेंगे? हम भी इसके समर्थक हैं।

अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि सर्टिफिकेट न मिलने की वजह से स्टूडैंट्स और दूसरे लोग बहुत परेशान हैं। वे अनुदान न मिलने की वजह से परेशान हैं। वे रोते फिर रहे हैं। उसके बारे में भी आप जिला कलेक्टरों या और लोगों को यह निर्देश देंगे—जैसा कि मैंने गोंड का जिक्र किया और दूसरी जातियों का जिक्र किया, उनके यहां से उच्चारण को हटा कर जो इसकी परिभाषा दी गई है या भावात्मक ढंग से उन्हें शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स में रखा गया है, उनको क्या वह सर्टिफिकेट देंगे?

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुक्तुपुजा): महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक का दायरा बहुत ही समिति है। यह सिर्फ एक अध्यादेश को नियमित करने हेतु लाया गया है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि सिर्फ चुनाव के समय ही सरकार इस प्रकार के कल्याणकारी उपाय अपनाती है। यह दुर्भाग्य की बात है कि यह अध्यादेश पहले नहीं लाया गया। खैर, अब हमारे यहां प्रत्येक वर्ष चुनाव होते हैं। इसलिए, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के दलित वर्गों को विकास के अधिक अवसर मिलेंगे। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन मुद्दों पर सिर्फ चुनाव के समय ही विचार नहीं किया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि अनेक सम्प्रदाय, जातियां ऐसी हैं जिन्हें इन सूचियों में अर्थात् अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की सूची में सम्मलित किया जाना है। बहुत ही अधिक संख्या में अभ्यावेदन सरकार के समक्ष लम्बित पड़े हैं। इसलिए मैं

माननीय मंत्री महोदय से कल्याण मंत्रियों अथवा सभी राज्यों के सम्बद्ध मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन करने का अनुरोध करूँगा ताकि वे इस मुद्दे पर उचित रूप से जल्द से जल्द विचार कर सकें कि राज्य के किन-किन मांगों को इसमें सम्मिलित किया जाये।

इस समय, मैं अनुसूचित जाति के लोगों जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, द्वारा बहुत समय से की जा रही मांगों का भी उल्लेख करना चाहता हूं। इसलिए यहां विश्वास में परिवर्तन हुआ है। ये लोग जो कि ईसाइयों में परिगत हुये हैं अथवा जिनका पूजा का ढ़ंग बदल गया है यद्यपि वे एक ही बस्तियों में रहते हैं, उनका पूजा का ढ़ग एक पद्धति ही है, समाज में उनके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है फिर भी उन्हें वे सुविधायें नहीं मिल पाती हैं जो अनुसूचित जाति के लोगों को मिल रही हैं। परिवर्तन सिर्फ विश्वास में आया है। इसलिए में माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि भारत के करीब-करीब सभी राज्यों द्वारा बहुत समय से की जा रही इस मांग पर वे उचित ध्यान दें। मैं समझता हूं कि यदि आवश्यक हो तो माननीय मंत्री महोदय एक सम्मेलन का आयोजन करेंगे अथवा अधिक जानकारी देने के लिए सम्बन्धित व्यक्तियों को अवसर प्रदान करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि आगे कोई जानकारी दिया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि मुझे विश्वास है कि पूर्व की सरकार ने भी यह आश्वासन दिया था कि इस सम्बन्ध में एक विधेयक लाया जायेगा। मैं नहीं समझता हूं कि इस मुद्दे पर किसी राजनीतिक दल में कोई मतभेद है। इसलिए एक बार पुनः मैं नम्रतापूर्वक माननीय मंत्री महोदय से यह करने का अनुरोध करता हूं।

2.49 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री राम नाईक: हम इसका विरोध करते हैं।

श्री पी० सी० थामस: भाजपा ने इसका विरोध नहीं किया है। मै समझता हूं कि कुछ तकनीकी पहलुओं के संबंध में भाजपा को कुछ आपत्ति है। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्हें भी दूर किया जा सकता है। तकनीकी कारणों से कतिपय भागों को बहुत समय तक न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा कुछ विशेष वर्ग न्याय पाने से वंचित रह जायेंगे। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जिन अनुसूचित जनजातियों को इस सूची में शामिल किया गया है, उन्हें कुल मिलाकर न्याय नहीं मिल रहा है। कुछ अन्य सदस्यों ने भी ऐसा कहा है। मैं केवल एक विशेष मुद्दे का उल्लेख करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जनजातियों के लोग समूहों में अथवा एक साथ रह रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो बिल्कुल भी विकसित नहीं हुए हैं। मैं आपके माध्यम से कल्याण मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह एक बहुत ही सीमित विधेयक है किन्तु आप इसे बड़ा बना रहे हैं। इसमें केवल दो जनजातियों को सम्मिलित करने की बात है। आप इतना अधिक समय क्यों ले रहे हैं?

श्री पी० सी० थामस: शायद, केवल यही वह अवसर है जब हम कुछ कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अवसर का गलत उपयोग मत कीजिए।

श्री पी० सी० थामस: मैं केवल यह कह रहा हूं कि केरल में मेरे चुनाव क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र....

अध्यक्ष महोदय: यह केरल से संबंधित नहीं है। इसका संबंध कर्नाटक से है। हमें यह बात समझनी चाहिए।

श्री पी० सी० थामस: किन्तु समस्या एक ही प्रकार की है यह केवल क्षेत्र के परिवर्तन की बात है। इसमें बिल्कुल भी अन्तर नहीं है। मैं केरल के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जो कल्याण संबंधी योजनाएं हैं जैसे क्षेत्र के विकास की योजना, उन्हें आरम्भ किया जाये। मैं समय की कमी और विधेयक की सीमाओं को देखते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे जो आपने यह अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष जी, मैं इस पर बस 3-4 सैण्टेंस में अपनी बात को खत्म करूंगा।

पहली बात तो यह है कि यह आर्डिनेंस लाया गया और आर्डिनेंस को आप सदन में लाये हैं इसलिए सदन की ओपिनियन पहली बार इस सम्बन्ध में आ रही है। फर्स्ट इसमें जो आप लाये हैं, उसका हम सब लोग समर्थन करते हैं।

दूसरी बात आपसे सिर्फ इतनी ही कहनी है कि यह बात सही है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स की, शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जो पहली लिस्ट बनी थी, पूरे देश में, वह उस समय की स्थिति के मुताबिक होती है, लेकिन इसमें जैसा कि मैंने उस दिन कहा था कि आज जो परिस्थितियां हैं, उसके मुताबिक जो खोज हुई है, उसमें करीब-करीब आपके मंत्रालय में 100 से 200 के बीच में ऐसी जातियां हैं, जिनकी लिस्ट बनकर तैयार थी। अभी हमारे साथी बी०जे०पी० के नाईक साहब ने कहा कि पिछली सरकार ने भी इसमें जल्दबाजी नहीं कि, हम चाहते थे इसको करना, लेकिन हम चाहते थे कि दोबारा कोई जाति छूट नहीं जाय।

इसके दो प्रोसीजर्स हैं। एक प्रोसीजर होता है कि जिनके बारे में स्टेट गवर्नमेण्ट से रिकमेण्डेशन आती है और दूसरा होता है, रजिस्ट्रार जनरल आफ इण्डिया का एप्रूवल, जिसके पास सारी जातियों की सूची रहती है कि कौन जाति अनटचेबल है, किसका ट्राइब्स कैरक्टर है कि नहीं, ट्राइब्स के मामले में। शैड्यूल्ड कास्ट के लिए यह कहा जाता है कि अनटचेबल है या नहीं। इस सम्बन्ध में आर०जी०आई० का भी एप्रूवल हो चुका है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिनका स्टेट गवर्नमेण्ट्स ने रिकमेण्डेशन कर दिया है और आर०जी०आई० ने जिसका एप्रूवल कर दिया है, वह करीब 150 से 200 जातियां हैं। जिस के बारे में कल्याण मंत्रालय में हम लोगों ने अपने समय में सारी की सारी लिस्ट तैयार करके रख दी थी, उसे आपको पेश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको यदि आप दिखवा लेंगे तो मैं समझता हूं वह आपको तुरन्त एवेलेबल हो जायेगी, सारी चीज हमने अध्ययन करके की थी। उसमें भी किसी जाति का छूट जाय तो उस जाति के लिए आप यह कर सकते हैं कि पार्लियामैण्टरी कमेटी हो या मिनिस्ट्री के अन्दर जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी कमेटी बनाकर आप उसको नये तरीके से कर सकते हैं लेकिन एक बार यह दिक्कत जरूर होगी। एक बार जब पार्लियामैण्ट में आप विधेयक पेश कर देंगे तो जो जाति छूट जाएगी, उसके लिए थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन उसके कारण से मैं देख रहा हूं कि हमने अपने समय में भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ जातियां छूट रही हैं, उसके कारण नतीजा हो रहा है कि आप सारी जातियों का नहीं हो पाया। जैसे बिहार में थारू जाति है, उसके सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमेण्ट ने रिकमेण्डेशन कर दी है, सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट ने आर०जी०आई० ने एप्रूवल भी कर दिया है।

इसी तरह से महाराष्ट्र की बात इन्होंने कही, तो बहुत सारी जगहों पर इस तरह की जातियां हैं। उनके बारे में एक व्यापक विधेयक आप जितनी जल्दी हो सके, पार्लियामेण्ट के सामने उतनी जल्दी ले आइये तो आपको ही गुणगान मिलेगा। अब भी हम लोगों में से किसी ने अपोज़ नहीं किया, उस समय भी कोई अपोज़ नहीं करेगा। जो कुछ जातियां छूट जायेंगी, उसके लिए भी जितनी जल्दी से जल्दी कदम आप उठाने का काम करेंगे...

महोदय, मैं एक बात मंत्री जी से कहना चाहूंगा। जैसे बिहार में पासवान शैड्यूल्ड कास्ट्स में है, लेकिन दिल्ली में कोई इस जाति का आएगा तो वह शैड्यूल्ड कास्ट्स का नहीं माना जाएगा। एक राज्य में कोई जाति शैड्यूल्ड कास्ट्स में है, मान लीजिए पश्चिम बंगाल में, लेकिन उत्तर प्रदेश में या बिहार में शैड्यूल्ड कास्ट्स में नहीं है। हरियाणा में थारू जाति शैड्यूल्ड कास्ट्स में है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में वह नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने मिनिस्ट्री में एक पेपर तैयार किया था, कोई व्यक्ति शैड्यूल्ड कास्ट्स का या शैड्यूल्ड ट्राइब्स का नौकरी करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो वह उसी जाति या जनजाति का माना जाना चाहिए। सैन्ट्रल गवर्नमेंट के लिए वह शैड्यूल्ड कास्ट्स माना जाता है या शैड्यूल्ड ट्राइब्स माना जाता है, लेकिन राज्यों की सर्विसेज में उसको ये फैसिलिटीज नहीं मिलती है। इसलिए जो शैड्यूल्ड कास्ट्स या शैड्यूल्ड ट्राइब्स का व्यक्ति जीवनयापन करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो उसको उस राज्य में वही दर्जा मिलना चाहिए। यही हमारा आपको सुझाव है, आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए इस आग्रह के साथ जितनी जल्दी हो सके एक व्यापक बिल लाकर उसको भी पास करने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मन्त्री महोदय।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय): **खड़े हुए।**

अध्यक्ष महोदय: यह आवश्यक नहीं है। यह एक छोटा विधेयक है। हमारे पास अन्य कई विषय हैं जिन्हें हम उठाना चाहते हैं। क्या आप कठिनाई को समझने का प्रयत्न करेंगे?

श्री फ्रैंक एन्थनी: मै न केवल कर्नाटक अपितु पूरे भारत के बारे में कहना चाहता हूं मैंने इस विषय का कानूनी दृष्टि से अध्ययन किया है क्योंकि मैंने इस पर उच्चतम न्यायालय में बहस की थी। मैंने जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए बहस की थी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह एक अति सामान्य विधेयक है। हम इसे पारित करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री फ्रैंक एन्थनी: जो मैं कह रहा हूं, मेरे मित्र को उस बात का आभास नहीं है। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। मैं यह कह रहा हूं। मंडल आयोग—मेरे पास आंकड़े हैं— ने 3,747 की संख्या बताई थी किन्तु एक मुख्य मन्त्री ने कहा था कि यह संख्या 4,000 से अधिक है। 1950 और 1958 में पूरे भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची दोगुनी हो गई थी—अनुसूचित जातियां 60; तथा अनुसूचित जनजातियां, 130। अब प्रश्न यह है। हुआ यह था कि मंडल आयोग के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 52 प्रतिशत, 3,500 है। किन्तु, उच्चतम न्यायालय के दो निर्णयों के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता। अतः हम केवल 22 प्रतिशत के आरक्षण की मांग कर सकते हैं अर्थात् 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिये तथा 7 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिये। मेरे विचार में मेरे मित्र ने इसका अध्ययन नहीं किया है और मंडल आयोग के अनुसार हमें शेष बचे अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों को छोड़ना होगा; हमें इसे 52 प्रतिशत से घटाकर 27 प्रतिशत करना होगा। उन्होंने यही कहा था। उन्होंने यह रुख अपनाया है। अन्यथा, आप उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध कार्य करेंगे। मेरे मित्र ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या बढ़ा दी थी। किन्तु क्या वे इन्हें पिछड़ी जातियां भी बना रहे हैं। क्योंकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल-भारतीयों के लिये एक विशेष अध्याय है—इस अध्याय के बनाए जाने में मैं भी उत्तरदायी हूं, क्योंकि यह मेरे समुदाय से जुड़ा हुआ है।

इस विशेष अध्याय से ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा होती है। किन्तु वास्तव में उन्हें केवल दस वर्षों तक ही सुरक्षा दी गई थी। चूंकि ऐसे लाखों लोग हैं अतः इसे कई बार पुनः 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कह रहा हूं। क्या आप उन्हें पिछड़ी जातियों में शामिल करते हैं? यदि आप उन्हें पिछड़ी जातियों में सम्मिलित करते हैं तो आप उनका नाश कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें **शूद्रों** से नीचे कर रहे हैं। यही हो रहा है। कर्नाटक में, वक्कालिगा और लिंगायत पिछड़ी जातियां हैं किन्तु वे सबसे अधिक धनी पिछड़ी जातियां हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अगर आप एंग्लो-इंडियन नहीं रहते, तो आप इतने दिनों से एम०पी० कैसे रहते .....**(व्यवधान)**.....

3.00 म०प०

[अनुवाद]

श्री चन्द्र जीत यादव (आजमगढ़): आंग्ल भारतीय होने के नाते आपको भी आरक्षण का लाभ मिला है।

श्री फ्रैंक एन्थनी: मैंने अपने विशेषाधिकार खो दिए हैं क्योंकि मेरी समय सूची केवल दो आरक्षित सीटों के अलावा स्वतः ही व्यर्थ हो गई। मुझे नौकरियों में आरक्षण मिला था, शिक्षा के लिए अनुदान इत्यादि मिला जो सब व्यर्थ चला गया। किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को जो लाभ मिले वे व्यर्थ नहीं गए।

मैं अपने मित्र से यह कहने का प्रत्यन कर रहा हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या बढ़ाकर और इन्हें पिछड़ी जातियों से निचले स्तर पर रखकर वे बहुत अनुचित कार्य कर रहे हैं। तब ऊंची पिछड़ी जातियों—वोक्कालीगा और लिंगायत—को सब आरक्षण मिल जायेगा। श्री हेगड़े प्रथम ऐसे मुख्य मंत्री थे जो वोक्कालीगा नहीं थे, वे ब्राह्मण थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या बढाकर यदि

आप उन्हें शूद्रों के साथ पिछड़ी जातियों में सम्मिलित कर लें तो न उन्हें अब कुछ मिल रहा है और न ही भविष्य में कुछ मिलेगा।

श्री एच॰ डी॰ देवगौड़ा (हसन): अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं माननीय मन्त्री जी के विचार हेतु एक या दो निवेदन करना चाहता हूं। 19 अप्रैल 1991 को जारी किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत करने के साथ ही उन्होंने कुल समुदायों जैसे नायक, नाईक, बेदा, और बाल्मीकि को कुछ लाभ देने का प्रत्यन किया है।

यह मामला 1978 से लम्बित पड़ा है। मैं उन व्यक्तियों में से एक हूं जिन्होंने जनवरी, 1991 में इन समुदायों से सम्बन्ध रखने वाले शिष्ट मण्डल को बुलाकर और तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री चन्द्रशेखरजी को ज्ञापन देकर इस मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। उस समय किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी चुनाव कराये जायेंगे। चुनावों से इसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं था। इस अध्यादेश में कश्मीर से सम्बन्ध रखने वाले कुछ समुदायों को भी शामिल किया गया था। कश्मीर में चुनाव नहीं थे। अतः मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री नाईक द्वारा की गई टिप्पणी सत्य नहीं है और यह मामला 1978 से लम्बित पड़ा है।

इस सदन के लगभग सभी सदस्य यह जानते हैं कि 1956 में, राज्यों के पुनर्गठन के पश्चात्—विभिन्न राज्यों के विभिन्न भागों से पांच-छः क्षेत्र—वृहत बम्बई या महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, आन्ध्र प्रदेश से, केरल से—मिलकर एक राज्य बनाया गया जो कर्नाटक राज्य के नाम से जाना जाता है। पहले इसे मैसूर राज्य कहा जाता था।

नाईक समुदाय को कुछ क्षेत्रों में पिछड़ी जनजाति, कुछ क्षेत्रों में **अनुसूचित** जनजाति और कुछ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति माना जाता है। कर्नाटक सरकार को इस समस्या से जूझना पड़ा था। हमने 1978 से भारत सरकार को इस विसंगति को दूर करने के लिए बाध्य करने का प्रत्यन किया है। हमने कहा था कि इन सभी समान समुदायों को अनुसूचित जनजातियों में सम्मिलित कर लिया जाये और उन्हें इसका लाभ दिया जाये। किन्तु दुर्भाग्य से यह मामला 1978 से आगे खिंच गया हालांकि यह मामला श्री राजीव गांधीजी और बाद में श्री वी॰पी॰ सिंह जी को सौंप दिया गया था। कर्नाटक सरकार की ओर से लगातार अभ्यावेदन भेजे गए थे कि इन समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

1984 में कर्नाटक सरकार ने इन समुदायों को शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक आदेश पारित किया था, इनमें दो अन्य समुदायों परिवारा तथा तलवारा को भी शामिल किया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय के विचार के लिए जिस मुद्दे पर बल देना चाहता हूं वह है कि ये दोनों समुदाय एक जैसे हैं—दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि इन दो समुदायों को भी लाभ मिले। उनके पास कोई भूमि नहीं है। वे समीप के वन क्षेत्रों में जाकर आग जलाने की लकड़ी काटते हैं और बाजार में जाकर बेचते हैं। इससे उन्हें जो भी मिलता है वे उसी से गुजारा करते हैं। अब वन से सम्बन्धित लोग इस पर रोक लगाकर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने वाले हैं। अतः वे अवैध शराब बनाकर बेचते हैं। वे कई प्रकार की समाज विरोधी गतिविधियों में भी लिप्त रहते हैं।

अतः परिस्थितियों में मैं मंत्री महोदय से तलवारा और परिवारा समुदायों को, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा पहले ही बहुत से फायदे दिए जा चुके हैं, को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में शामिल करने का अनुरोध करुंगा जहां तक केन्द्रीय सरकार द्वारा देय फायदों का सम्बन्ध है। जब तक इस सदन के सम्मुख एक उपयुक्त संशोधन नहीं लाया जाता तथा सदन द्वारा उसे अंतिम रूप में पारित नहीं किया जाता। इसे हम अधिक लाभ नहीं कर सकते।

आज सुबह जब मैं आया तो मैंने इस विधेयक पर संशोधन देने का प्रयत्न किया परंतु दुर्भाग्यवश उस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उस में बहुत देर हो चुकी थी। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करुंगा कि जवाब देते समय इन दो समुदायों को अर्थात् परिवारा और तलवारा को एक आश्वासन दें ताकि इन दो समुदायों को भी फायदा हो सके।

महोदय, सरकार यह विधेयक एक अध्यादेश के स्थान पर पहले कश्मीर में कुछ समुदायों के लिए तथा तत्पश्चात् अब कर्नाटक के कुछ समुदायों के लिये लाई है। हममें से कुछ सदस्य अध्यक्ष के पास गये थे और अनुरोध किया था और उन्हें कर्नाटक पर एक अलग विधेयक लाने के लिए कुछ नियमों और प्रक्रियाओं में ढील देने के लिए राजी किया।

मैं सरकार को विधेयक प्रस्तुत करने को सहमत होने के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री महोदय ने यह निश्चित करने में दिलचस्पी दिखाई कि यह मामला सभा के सम्मुख भूतलक्षी प्रभाव के साथ तुरंत अर्थात् 19 अप्रैल, 1991 से लाया गया। लगभग सभी विद्यार्थियों जिन्हें शिक्षा संस्थाओं में पहले ही प्रवेश मिल चुका है, को अगर यह विधेयक पारित नहीं किया गया तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता। यह मंत्री महोदय की कृपा है कि वे इस विधेयक को स्वीकृति के लिए सभा के सम्मुख लाये हैं। लगभग सभी सदस्य जिन्होंने इस विधेयक पर बोला है, ने मांग की है कि एक विस्तृत विधेयक लाना चाहिये ताकि पूरे देश में सभी क्षेत्रों को लाभ पहुंचाया जाये। इसके साथ ही जो लाभ वहां पहले ही दिए जा चुके हैं उनको वापिस नहीं लिया जाना चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्री के साथ-साथ माननीय सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थना करुंगा कि यह विधेयक एक परिवर्तन के साथ पारित किया जाये अर्थात् तलवारा और पारिवारा दो समान समुदायों को इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिये। अगर किसी वजह से ऐसा संभव न हो तो उपरोक्त दो समुदायों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिये।

इन टिप्पणियों के साथ, मैं इस विधेयक को लाने के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी: अध्यक्ष महोदय, मैं उन सब माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अपने विचार इस विधेयक पर प्रस्तुत किए। सर्वप्रथम मैं श्री शाहबुद्दीन साहब से कहूंगा कि उनका यह संदेह गलत है, यह अध्यादेश पवित्र मकसद के साथ आया है और श्री चन्द्रशेखर जी की सरकार के समय मैं इसको प्रस्तुत किया गया था।

जैसा श्री राम नाईक साहब ने कहा है कि इस तरह के आर्डिनेंस और बिल राजनीतिक उद्देश्य से लाए जाते हैं, वोट प्राप्त करने के लिए लाए जाते हैं तो जहां तक वोट प्राप्त करने का संबंध है, हमारी सरकार उसमें सम्मिलित नहीं है। चन्द्रशेखर जी के जमाने में यह अध्यादेश आया था और चूंकि अध्यादेश का उद्देश्य परित है, जिन जिन जातियों को अनुसूचित जातियों में लाने का प्रस्ताव रखा गया है और इस संबंध में अध्यादेश-प्रस्तुत किया गया है, अब इसको मैं विधेयक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

दूसरी बात श्री रामविलास पासवान जी ने अभी मुझे बताई कि तकरीबन 125-150 जातियों के बारे में रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया ने अपना मत दिया है, इस पर मैं निश्चितरूप से विचार करुंगा।

तीसरी बात यह है कि जिस जिस प्रदेश सरकार ने जिन जनजातियों को अनुसूचित जाति या जनजाति में मिलाने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, उन पर भी हम विचार करेंगे।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो गरीब तबके हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं या दूसरे समुदाय हैं जो उपेक्षित हैं, जिनका क्लेम है कि जनजाति में या अनुसूचित जाति में आरक्षण के लिए उनका नाम सम्मिलित किया जाए, यह विचारणीय विषय है और मैं खुद भी सोचता हूं कि उन लोगों को आरक्षण मिले और उनका उत्थान हो।

इन शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि आप लोगों ने जो संशोधन प्रस्तुत किए हैं, उनको वापिस ले लें और इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री राम नाईक: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सवाल पूछा था कि यही जातियां महाराष्ट्र में हैं तो क्या उनको भी इस प्रकार की सुविधा दी जायेगी?

अध्यक्ष महोदय: आप जाइये इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: अध्यक्ष महोदय, यदि आप दो मिनट का समय दें, तो मैं कुछ बोल दूं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं। अमैण्डमेंट पर भाषण देने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: संशोधनों पर आपको इस प्रकार बोलने की अनुमति नहीं है। यह एक बहुत छोटा

विधेयक है कृपया विचार कीजिये। अगर समय होता तो मैं आपको अवश्य देता। लेकिन आपको यह समझना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक: मेरा एक अनुरोध है **(व्यवधान)** जब अन्य लोग बोलें तो आप समय दीजिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अगर हर बात पर कोई एक सदस्य अनुरोध करता रहे तथा अन्य सदस्यों को समय नहीं मिलता, वे इसकी शिकायत कर रहे हैं।

श्री राम नाईक: लेकिन वह पहले ही परस्ताव दे चुके हैं **(व्यवधान)** बोलने की अनुमति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यही बात तो मैं पूछ रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपना प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको रूल्स के मुताबिक अधिकार नहीं है। अगर अधिकार होता तो मैं समय दे देता। आप अपना अमैण्डमैंट विदड्रा कर लीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आपकी आज्ञा शिरोधार करके मैं अपना संशोधन वापस ले लेता हूं। न मैंने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है और न ही कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति है।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां, महोदय।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं विधेयक पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है:

"कि कर्नाटक राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ जनजातियों को सम्मिलित करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी। प्रश्न यह है: "कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी: मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि विधेयक पारित किया जाये।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है: "कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के व्यक्तियों पर किये जा रहे अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय: अब सभा 13 अगस्त, 1991 को श्री राम विलास पासवान द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी।

मैं यह माननीय सदस्यों के नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि हमने इस प्रस्ताव पर पांच घंटे और 53 मिनट तक चर्चा की है। इस प्रताव पर बोलने वाले सदस्यों की लम्बी सूची है। हमने मंत्रालयों को भी 5 घंटे या आठ घंटे अथवा दस घंटे का समय दिया है। अतः हमें यह निर्णय करना पड़ेगा कि हम इस प्रस्ताव के लिये कितना समय दें। निःसंदेह यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। लेकिन फिर हमारे लिए समय की सीमा भी है। क्या निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर चर्चा आज समाप्त की जाये—45 मिनट का समय लग सकता है लेकिन उससे अधिक समय नहीं।

हम बाढ़ एवं सूखे का मामला लेंगे जो काफी लम्बे समय से सूची में है। उद्योग मंत्रालय की मांगों, जिसे हाठ घंटे का समय दिया गया है, को स्थगित कर दिया गया है। हमें मंत्रालयों की मांगों पर भी विचार करना है मुझे उम्मीद है कि सदस्यगण समय की कमी को समझेंगे और सहयोग करेंगे। श्री श्याम लाल कमल भाषण कर रहे थे। वे अब बोलें।

श्री श्याम लाल कमल (बस्ती): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले मैं हरिजनों पर अत्याचार की राष्ट्रीय समस्या पर बोल रहा था।

चर्चा को जारी रखते हुए मैं यह बात सदन, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की जानकारी में लाना चाहूंगा कि जहां तक बजट में हो सकता था, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया है। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस राशि का लगभग 50 प्रतिशत भ्रष्टाचार रूपी दानव निगल जाता है। मुश्किल से कुल राशि का 25 से 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों तक पहुंच पाता है, जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। गांवों में बिचोलिए जो कि अपने आपको अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मददगार के रूप में प्रकट करते हैं वास्तव में उन्हें गुमराह करके उन्हें लूटते हैं। इस धन की वास्तविक लाभार्थी अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां नहीं रह जातीं। इसके अतिरिक्त, उन्हें उन सभी ऋणों का भार भी उठाना पड़ता है जो कि उन्हें मिलते हैं।

जब अनुसूचित जातियों के लोग छोटे अथवा कुटीर उद्योग लगाने के लिए ऋण प्राप्ति के लिए बैंकों से सम्पर्क करते हैं तो जितना ऋण वे मांगते हैं, उसका 10 प्रतिशत सीधे ही दलाली के रूप में ले लिया जाता है। और जो लोग दलाली नहीं देते उन्हें ऋण नहीं मिलता है जिसके परिणाम स्वरूप छोटे तथा कुटीर उद्योग बर्बाद होते हैं तथा इसकी सारी जिम्मेदारी उन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को उठानी पड़ती है जो कि गरीबी दूर करके समाज का भार वहन करना चाहते हैं।

महोदय, पढ़े लिखे लोगों, विशेषकर सरकारी नौकरी में लगे हुए, द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों पर अत्याचार के तरीके अनोखे और तीक्ष्ण हैं।

पहले तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अकुशल तथा अयोग्य घोषित करके एक असन्तुलन पैदा किया जाता है। परन्तु सरकार ने उन्हें विभिन्न स्तरों पर पदोन्नतियों के अवसर प्रदान किए हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा न्याय नहीं किया जाता पदोन्नति के समय उनकी चरित्र रिपोर्ट खराब कर दी जाती है तथा कई प्रकार की जांच बिठा दी जाती है तथा फिर यह कह दिया जाता है कि क्योंकि अमुक व्यक्ति के विरुद्ध जांच का मामला लम्बित है, इसलिए उसे पदोन्नति प्रदान नहीं की जा सकती। इस प्रकार का अत्याचार उच्च अधिकारियों द्वारा बड़े ही विचित्र ढ़ग से किया जाता है। इसका परिणाम यह है कि आज अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति

कर्मचारी संघ बर्बाद हो रहे हैं। उनके लिए जो अच्छा काम किया जाता है, अनुदान दिया जाता है अथवा सहायता दी जाती है, वे उसकी सराहना नहीं करते हैं, बल्कि इन भ्रष्ट हथकंडों के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे हैं।

महोदय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के राजनैतिक कारण भी अज्ञात नहीं हैं। जब चुनाव का समय आता है तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की तलाश की जाती है तथा उन्हें विभिन्न जिलों में तैनात कर दिया जाता है तथा जिला मैजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के मामले में विशेष रूप से ऐसा होता है। चुनावों के पश्चात्, किसी भी कारण से उन्हें चार-छः महीने के बीच जिलों से हटा दिया जाता है। उनमें से कुछ एक को वहां से इसलिये नहीं हटाया जाता ताकि रैस अथवा राजनैतिक क्षेत्रों में कोई शिकायत न उठे। चुनावों से पहले, यह देखा गया है कि 20 प्रतिशत कोटा भरा जाता है और चुनावों के 8 से 10 प्रतिशत तक को जिलों में नियुक्ति पर रहने दिया जाता है, तथा बाकी अधिकारियों को कम महत्व के पदों पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है।

भर्ती से संबंधित लखनऊ का एक मामला मेरी जानकारी में है।

अध्यक्ष महोदयः कृपया विस्तार में मत जाइए। मेरे पास वक्ताओं की एक लम्बी सूची है तथा समय बहुत कम है। कृपया, कहानियां मत सुनाइए। सिद्धांतों और नीतियों की बात कीजिए।

श्री श्याम लाल कमलः महोदय, मैं साधारणतया ऐसा नहीं करता, परन्तु यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

महोदय, अनुसूचित जाति का एक अभ्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया। परन्तु जब वास्तव में भर्ती की गई तो दूसरे स्थान पर आने वाले व्यक्ति को नियुक्ति दे दी गई तथा अनुसूचित जाति के व्यक्ति को नौकरी के अवसर से वंचित कर दिया गया। जिला बस्ती में एक वकील को पैट्रोल पम्प का लाइसैंस दिया गया। जिला आपूर्ति अधिकारी ने उसे बिक्री शुरू करने के लिए कहा। परन्तु तीन दिन बाद उसने उस पर छापा मारा तथा उसे पकड़ लिया पैट्रोल पम्प पिछले पांच साल से बंद है। उसे अभी तक अनुमति प्रदान नहीं की गई है। न ही उसे यह कहा गया है कि वह पैट्रोल पम्प नहीं चला सकता ताकि वह पैट्रोल पम्प बेच सके। उसने इस पर लाखों रुपये खर्च किए हैं.....

अध्यक्ष महोदयः कृपया, अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री श्याम लाल कमलः महोदय, मैं पिछले दिनों आंन्ध्र प्रदेश गया था तथा वहां पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में मैं पुलिस तथा जिला प्रशासन के व्यवहार पर प्रकाश डालना चाहता हूं। 7-7-91 को एक हरिजन लड़के ने.....के पांव को छूआ.....,

अध्यक्ष महोदयः कृपया, इसे समाप्त कीजिए। इन सब बातों के लिए समय नहीं है।

श्री श्याम लाल कमलः 9-7-91 को एक और ऐसा मामला सामने आया। 4-8-91 को लड़के के पिता को पीटा गया। 5-8-91 को एक लड़की से छेड़छाड़ की गई। फिर एक हरिजन लड़के को पीटा गया। धारा 144 लागू थी फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। पुलिस केवल मामला दर्ज करके संतुष्ट हो गई।

अध्यक्ष महोदयः आपको एक मिन्ट में अपनी बात समाप्त करनी होगी।

श्री श्याम लाल कमलः महोदय, मैं पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ाने पर जोर देना चाहता हूं। पुलिस के बारे में तृतीय राष्ट्रीय आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं। पुलिस को अधिक कार्य कुशल बनाने के लिए इन सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदयः कृपया, बैठ जाइए। अब श्री सोनकर शास्त्री जी जो बोलेंगे, उसे ही कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जायेगा।

श्री श्याम लाल कमलः महोदय, मैं बैठ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आपने मुझे ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मुझे दुःख है कि आप हमें समय कम दे रहे हैं। देश में चारों तरफ अनुसूचित जातियों के ऊपर अत्याचार की घटनायें हो रही हैं इन घटनों के तफसील में मैं नहीं जाऊंगा ताकि समय का पालन हो। बहुत सी घटनायें हुई और हमारे साथियों ने इन घटनाओं पर बहुत विस्तृत

रूप से अपने विचार रखे। मान्यवर, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि आखिर ये घटनायें क्यों हो रही हैं, इनके मूल में क्या है। यहां पर बहुत से साथियों ने भाषण दिये, बहुत से सदस्यों ने विचार प्रकट किये और इन घटनाओं के बारे में कई बार इस सदन में जिक्र किया। अच्छे-अच्छे भाषण दिये जाते हैं, तमाम आंकड़े पेश किये जाते हैं, तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं, गृह मंत्री जी उठकर जवाब देते हैं और मामलों की इतिश्री हो जाती है। जो भाषण मैंने यहां सुने हैं, आपने इतना मौका दिया है जहां तक मेरा संसदीय अनुभव है कि अब तक इससे पहले 3-4 घण्टे तक बहस होती थी लेकिन हम बहुत प्रभावित हैं कि आपने इस पर तीन दिन से बहस कराने का मौका दिया है और अब भी इस पर कई घण्टे बहस हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, बहस में लोगों ने बताया कि अनुसूचित जातियों के ऊपर अत्याचार का कारण मुख्य रूप से आर्थिक है। बहुत से साथियों ने कहा कि यदि उनको आर्थिक पावर दे दिया जाये, उनको समृद्ध कर दिया जाये तो देश में अछूतों पर जो अत्याचार हो रहा है, वह खत्म हो जायेगा। कुछ साथियों ने कहा कि नहीं, उनको राजसत्ता दे दी जाये, राजनीतिक शक्ति प्रदान कर दी जाये तो शायद ये अत्याचार खत्म हो जायेंगे लेकिन मैं इन दोनों बातों से इत्तफाक नहीं रखता हूं। मेरा यह मानना है कि अनुसूचित जातियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इन अत्याचारों में सबसे बड़ा यदि कोई कारण है तो वह है सामाजिक कारण।

अध्यक्ष महोदय, मैं समय का बहुत ध्यान रख रहा हूं लेकिन में एक उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं कि सन् 1977 में इसी हाऊस में बाबू जगजीवनराम जी मैम्बर थे। उस समय वे बहुत ऊंची शक्ति रखते थे। वे उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री थे। लोगों का कहना था और जैसाकि सब लोग जानते हैं कि वे आर्थिक रूप से काफी समृद्ध थे लेकिन उनको जब बनारस में सम्पूर्णानन्द की मूर्ति का अनावरण करने के लिए बुलाया गया और हम लोगों ने जब उनको एअरपोर्ट पर रिसीव किया तो उसी समय नारे लगने शुरु हो गये — "जगू चमार वापस जाओ, वापस जाओ, जूता पालिश कौन करेगा — चमार करेगा, चमार करेगा" जब हम बाबू जगजीवन राम जी को लेकर समारोह स्थल पर जाने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने मूर्ति का अनावरण शुरू किया तो तेज़ी के साथ वहां पर जूते, चप्पल फैंके जाने लगे और कहा जाने लगा— "जगजीवन राम वापस जाओ — वापस जाओ, जूता पालिश कौन करेगा चमार करेगा, चमार करेगा। दिल्ली से चमड़ा लाया संदेश, भैंस चराये राम नरेश।" उस समय उत्तर प्रदेश में श्री राम नरेश मुख्यमंत्री थे।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, मैं एक और चीज़ कह दूं। गृह मंत्री जी यहां से चले गये, पता नहीं कहां? इनको यह सुनना चाहिये था। यह हरिजनों पर एट्रोसिटीज का मामला है जो हाऊस में मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। श्रीमन् जो काशी विश्वनाथ का मन्दिर है.....

श्री मनोरंजन भक्तः (अंडमान निकोबार) अभी यहां श्री राम बिलास पासवान भी नहीं हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्रीः आप राम विलास की बात छोड़ दें, हम तो उनको नहीं चाहते, राम विलास भी हट गये हैं, हम गृह मंत्री को चाहते हैं। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहां मन्दिर की बात की जाती है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी बात नहीं है। लेकिन आज बनारस में काशी विश्वनाथ का मन्दिर है। आप कभी जायें तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर आज भी लिखा हुआ है — "अछूत का मन्दिर में प्रवेश करना वर्जित है।" श्रीमन् मैं इसी मन्दिर का एक उदाहरण दे दूं। वहां पर सोने की चोरी हुई थी। जब चोरी हुई तो बहुत तुफ़ान मचा, हम ,लोगों से पूछा गया, अखबार वालों ने पूछा कि आपकी क्या राय है? हमने कहा कि सोना चोरी हुआ है, चोर को सज़ा मिलनी चाहिये, उसे पकड़ना चाहिये और सरकार को जल्द से जल्द कार्यवाही करनी चाहिये। फिर इसके बाद वहां के काशी नरेश साहब ने एक वक्तव्य दिया और कहा कि इस मन्दिर से देवत्व का लोप हो गया है। मैंने 25-26 साल से मन्दिर में जाना बंद कर दिया है। मैंने वहां के अखबारों के माध्यम से पूछा कि 25-26 साल पहले हरिजनों ने मन्दिर में प्रवेश कर लिया था, क्या उसी समय से इसका देवत्व लोप हो गया, क्या महाराज काशी नरेश बतायेंगे?

अध्यक्ष महोदय, इसी हाउस की घटना है, मैं आपको बता रहा हूं। एक 1008 लक्ष्मणचन्द जी ब्रह्मचारी महाराज ने अखबार में एक स्टेटमेंट दिया कि राजनाथ सोनकर शास्त्री को यह बात पूछने का हक नहीं है, यह अधिकार नहीं है। इसलिए अधिकार नहीं है कि वे शुद्र है। जैसे एक हिरणी कभी शेर को जन्म नहीं दे सकती,

उसी प्रकार राजनाथ सोनकर शास्त्री शूद्र की मां कभी विद्वान पुरुष को जन्म नहीं दे सकती है। मैंने इस हाउस के अन्दर विशेषाधिकार का मामला उपस्थित किया लेकिन जब विशेषाधिकार कमेटी को यह मामला सौंपा गया तो उस समय भी उसमें जातीयता आ गयी।

3.30 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

श्रीमान्, हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर कोई सुनवाई नहीं हुई और जब हम लोगों ने ताकत लगाकर इसमें दखल किया और जब वह स्वयं 1008 श्री लक्ष्मणाचंद जी ब्रह्मचारी जी महाराज यहां आने लगे तो हमने कहा कि चलिए, हमारे भी दिल्ली में लाखों आदमी हैं, तो उन्होंने माफी मांग ली।

सर, मैं कह रह था कि यह मामला हरिजनों पर जो अत्याचार होता है, यह आर्थिक कम है, राजनैतिक पीछे है, यह मामला सबसे बड़ा यदि कोई है तो वह छुआछुत का है, सामाजिक है और इस सामाजिक समस्या को जब तक गृह मंत्री जी या कोई भी सरकार हल नहीं करेगी तब तक हरिजनों पर अत्याचार निरंतर होते रहेंगे।

श्रीमन्, हम तो बूटा सिंह जी के भाषण को सुन रहे थे, सीताराम केसरी जी के भाषण को सुन रहे थे। हमको बड़ी खुशी थी कि इन्होंने कहा और पहले ही ऐसा फैशन बन गया है कि जब हाउस में शेड्यूल कास्ट्स का मामला आएगा तो एक बात कही जाएगी कि देखो इसमें राजनीति की बात मत करना, इसमें राजनीति मत लाओ। एकदम खुले मन से बात करो और उसके बाद सब राजनीति इसमें घुसेड़ दी जाती है। बूटा सिंह जी भी कह रहे थे कि अगर शुरू-शुरू में रिकार्ड देखा जाए तो उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं आनी चाहिए, खुले दिल से विचार करना चाहिए। सीताराम केसरी जी ने भी कहा। पासवान जी पर एक आरोप लगाया गया तो पासवान जी ने उत्तर दे दिया तो तमाम तूफान उत्पन्न हो गया और फिर सब राजनीतिक हो गया। सर, यह शुद्ध रूप से राजनैतिक रूप में यहां बहस होती है, राजनीतिक रूप में यहां चर्चा कराई जाती है और जब बोलने के लिए फैक्ट्स और फिगर्स प्रस्तुत किए जाएंगे तब भी राजनीति आने लगती है और कहते हैं कि "समय कम है, यह मामला है जरा औरों को बोलना है, लंबी सूची है।" श्रीमन्, मैं इस लंबी सूची का ध्यान रखते हुए.....आप घंटी मत बजाइए, हमको 40 मिनट बोलना है।

सभापति महोदय: आप बोलते रहिए मगर हमने आपको पहले कहा कि आपको पांच मिनट मिलेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले मे नारीपचदेवरा गांव है। वह गांव में जब नंदगंज थाने में है, उसी गांव में दो-चार महीने का किस्सा है कि एक लड़का रेल का टी०सी० था, वह पैंट और कोट पहने हुए जा रहा था। उसको कुछ लोगों ने घेर लिया और कहा कि तुम पैंट-कोट क्यों पहने हो? तुम अपने कोट पैंट उतारो। मोहल्ले के तमाम लोग आ गए, कुछ लोग उसमें भाषण करने लगे, कुछ वाद-विवाद होने लगा और इसका नतीजा यह हुआ कि वह वाद-विवाद इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा कि पूरा गांव फूंक दिया गया। वहां तलवार से दो हरिजन औरतों के स्तन काटे गए। थाने में रिपोर्ट लिखाने के बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कहते हैं कि अनटचेबिलिटी ऐक्ट बना हुआ है। गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। 45 वर्ष भारत को आज़ाद हुए हो गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अनटचेबिलिटी ऐक्ट में अब तक कितने लोगों को आपने सज़ा दिलवाई? बाबू जगजीवन राम तो गृह मंत्री थे। दुनिया भर में, देश भर में यह कांड उठा था संपूर्णानंद मूर्ति अनावरण का किन्तु क्यों नहीं सरकार ने अनटचेबिलिटी ऐक्ट के अंतर्गत मुकदमा कायम किया? वह तो सरकार के आदमी थे? आज रोज़ाना हत्याएं और अत्याचार होते हैं। अनटचेबिलिटी ऐक्ट पर आपकी पुलिस क्यों नहीं मुकदमा कायम करती है? तो श्रीमन्, यह सब बहुत अजीब मुद्दे हैं। मैं इन सबके ऊपर नहीं जाकर के अत्यंत दुख के साथ यह बात कहूंगा कि आज भी अत्याचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और इतनी तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं कि जिसकी कल्पना भी अब कर सकना मुश्किल सा लग रहा है।

श्रीमन्, रामायण काल में एक शांबूक हुआ करता था। उसकी गरदन काटी गई और आज तक हम लोग दोहराते हैं कि शांबूक की गरदन काटी गई है आज यहां पर वर्तमान समय में जो हज़ारों शांबूक की गरदन कट

रही है क्यों? तमाम कानून बने हुए हैं। उस समय तो पता नहीं ऐक्ट क्या था, क्या नहीं था, लेकिन यहां हमारा ऐक्ट है तो क्यों नहीं शांबूक की गरदन बचा ली जाती।

महाभारत में एक एकलव्य था। एकलव्य का अंगूठा काटा गया। आज उसको हम दोहराते हैं। अभी चुंडूर में क्या हुआ? पासवान जी बता रहे थे कि बहुतों के हाथ काट दिए गए, बहुतों के पैर काट दिए गए लेकिन यह घटना भी दो दिन बाद दबकर रह जाएगी। इसमें भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिये मान्यवर केवल भाषण देने से ही काम नहीं चलेगा। हमारे साथी अपने आप को त्यागी बनते हैं। त्याग की बातें करते हैं लेकिन ऐसे त्याग से भी कुछ बनने वाला नहीं है। जितने नेता और समाज सुधारक अपने आप को कहते हैं, सब गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। इस पर भी रोक लगने की जरूरत है। सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हमें हर मामले की तह तक जाना पड़ेगा। और देखना होगा कि समस्या क्या है और मूल कारण क्या है। इस सम्बन्ध में, मैं आपके सामने अपने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं।

हमने पहले ही कहा था कि यह समस्या नितान्त सामाजिक है और इस समस्या को हल करने के लिये हमें अपने मन को पहले साफ करना होगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरठ में कालीदास नाम का एक हरिजन था। वह काफी समय से बीमार था। जब वह दवा लेने के लिये जा रहा था तो रास्ते में चक्कर आने या किसी दूसरी वजह से गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गयी। तीन दिन तक उसकी लाश वहीं पड़ी रही, उसकी लाश को उठाने वाला कोई नहीं था। बगल में कुछ ईसाई लोग रहते थे। खुराना जी आप जरा सुनिये। मेरठ में इसाई लोग उस हरिजन की लाश को उठाकर ले गये और जब उन्होंने अपने रीति-रिवाजों के अनुसार उसे दफन करने का कार्य आरम्भ किया तो इतने में कुछ हिन्दू लोग, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पहुंच गये और कहने लगे कि यह हिन्दू है, इसकी लाश को हमें वापस कर दो। इसाई लोगों ने उसकी लाश को वापस कर दिया लेकिन ज्यों ही वे लोग उस हरिजन की लाश को जलाने या अन्तिम क्रियाक्रम करने के लिये चले तो उनके पास पैसे नहीं थे जिससे वे लकड़ी खरीद सकें। इस पर वे लोग उसकी लाश को ज्यों का त्यों छोड़ कर चले गये। यह ब्लिट्ज अखबार में छपी रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं। आप कहते हैं कि हरिजन हमारे लोग हैं, लेकिन आपके कहां हैं। आज यदि कोई मुसलमान बनने की कोशिश करता है तो कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि विदेशों से, अरब कन्ट्रीज से पैसा आ रहा है और उस पैसे के बल पर यहां लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है लेकिन हम अपनी करनी को नहीं देखते कि कोई यदि मुसलमान बन रहा है तो आखिर क्यों बन रहा है। क्या मामला। आज भी यदि कोई हरिजन दूल्हा घोड़ी पर चढ़ कर जाता है तो कफलटा काण्ड हो जाता है।

इसलिये सभापति जी जब तक हम कुछ बातों पर अमल नहीं करेंगे, प्रयोग में नहीं लायेंगे, ये एट्रोसिटीज़ बंद नहीं होंगी। वे कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि गृह मंत्री जी उन पर विचार करेंगे।

पहली बात यह है कि हरिजनों से सम्बन्धित, अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित जितने मामले हैं वे सारे मामले गृह मंत्रालय के अंतर्गत सीधे आने चाहिये। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने चाहिये। यहां कह दिया जाता है कि यह स्टेट सबजैक्ट है, फलां है, वह नहीं चलेगा। यह स्टेट सबजैक्ट नहीं है, सीधे केन्द्रीय सरकार का विषय है। इस पर सीधे गृह मंत्रालय का उत्तरदायित्व होना चाहिए।

जांच के लिये विशेष न्यायालय बनाये गये और उन विशेष न्यायालयों ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर कितने लोगों के विरूद्ध कार्यवाही हुई। हम इसका उत्तर गृह मंत्री जी से चाहते हैं। यदि गृह मंत्री जी को कोई असमर्थता हमें उत्तर देने में हो तो एक महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, हम लोगों को आप वे फीगर्स भेज दीजियेगा। सभापति जी, आप जरा घंटी रुक कर बजाइयेगा, अभी हम दो-तीन मिनट और लेंगे।

सभापति महोदय, गृए उप मंत्री श्री राम लाल राही जी यहां मौजूद नहीं हैं। राही साहब ने अखबारों में एक वक्तव्य दिया था कि आर्म्स लाइसेंस देश में अब जारी नहीं करने चाहिए। उनका जो यह वक्तव्य है, इसके अनुसार जो उन्होंने कहा है, वैसा करना असम्भव है। आर्म्स के लाइसेंस जारी होंगे, लोग बंदूक मांगेंगे और आपको बंदूक का लाइसेंस देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब बंदूक का लाइसेंस देते हैं, तो गृह मंत्री महोदय आप यह भी देख लिया कीजिए कि उस क्षेत्र में मान लिया आपने एक हजार या दो हजार लोगों को लाइसेंस बंदूक के दे दिए हैं, तो 100 या 200 बंदूक के लाइसेंस हरिजनों को भी दिए जाएं। इस सम्बन्ध में, मैं कोई फिक्स संख्या तो नहीं बता रहा हूं, आप स्वयं अपने हिसाब से कोटा फिक्स कर दीजिए कि इतने हजार पर इतने हरिजनों को भी लाइसेंस दिया जाएगा। श्रीमान इसमें यह बात भी उठाई जा सकती है कि अनुसूचित जाति के आदमी को, हरिजन को भोजन तो मिलता नहीं है, वह बंदूक कहां से खरीदेगा, वह पिस्तौल के लिए 40 हजार रुपए कहां से लाएगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जब आप हरिजनों को स्कॉलरशिप देते हैं, बहुत से ग्राण्ट और अन्य अनुदान आदि देते हैं और इस प्रकार उन पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और कुएं बनवाने में, उद्योग स्थापित करने में आप तमाम प्रकार की सहायता करते हैं, तो फिर आप उनको बंदूक और पिस्तौल खरीदने में भी सबसिडी दें। इसमें हर्ज ही क्या है?

श्रीमान, अब मैं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की बात करूंगा। इसमें बहुत कमियां हैं। यदि एक हरिजन की हत्या कर दी जाती है, तो 302 का मुकदमा कायम ही नहीं होगा, बल्कि 302 के साथ-साथ 166, 148 और 149 भी लिख दिया जाएगा, केवल 302 नहीं लिखा जाएगा। यदि एक हरिजन के साथ झगड़ा होता है, तो उसके साथ 107,116 की कार्रवाई कर 151 में इसे बन्द कर दिया जाएगा और एक पक्ष के पन्द्रह-बीस लोगों को बन्द किया जाएगा दूसरे पक्ष से सिर्फ 2 लोगों को बन्द किया जाएगा। 323 धारा के अन्तर्गत इसमें कार्रवाई होगी और कब कार्रवाई होगी, कार्रवाई तब होगी, जब एस० पी० साहब आदेश दे देंगे। मान्यवर मैं कहता हूं कि जब आप 323 धारा के अन्तर्गत कार्रवाई करते हैं, तो उसमें एस० पी० के आदेश की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसको इस बंधन से मुक्त कीजिए। (व्यवधान) **श्रीमान, पुलिस की भूमिका भी अब सन्देहप्रद है। पुलिस की भूमिका ठीक नहीं है। एक जगह अत्याचार होता है, तो पुलिस 24 घंटे के अंदर पहुंच जाए, 36 घंटे के अंदर पहुंच जाए, तो गनीमत है। कहीं-कहीं तो 72 घंटे में भी पुलिस पहुंचती है और कई ऐसे भी स्थान हैं और कई ऐसी भी घटनाएं हैं जहां पुलिस एक साल और डेढ़ साल में भी पहुंचती नहीं है और रिपोर्ट ज्यों की त्यों रह जाती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि घटना घटे और पुलिस मौकाए वारदात पर तुरन्त पहुंचे।**

श्रीमान, कोई भी सरकार हो, वह कह देती है कि जहां भी हरिजनों पर अत्याचार होगा वहां के एस० पी० और जिलाधीश को मुअत्तिल किया जाएगा। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, उसने भी यही कहा और अब जो दूसरी सरकार आई है, वह भी यह कहती है, लेकिन यह सब कागजी कार्रवाई है, सिर्फ कागज पर ही ऐसा होता है और जब अत्याचार होता है, तो इसको सिर्फ दोहरा भर दिया जाता है, वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कथनी और करनी में जो विभेद है, उसको समाप्त कीजिए। इसकी तुरन्त समीक्षा की जाए और इसको लागू किया जाए।

श्रीमान, हरिजन सेल बनी हुई है। इसका काम है जांच करना। जब जांच करने के बाद थानाध्यक्ष को केस भेजा जाता है, तो वह उस पर मुकदमा नहीं चलाता है। वह कहता है कि इसमें एस० पी० ने तो हमारी कोई मदद

ही नहीं की। इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस हरिजन सेल को इतनी पॉवर दीजिए कि वह खुद जांच करे, खुद रिपोर्ट दर्ज करे, खुद मुकदमा दर्ज करे, खुद मुकदमें की पैरवी करे। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक हरिजनों पर अत्याचार बन्द नहीं होगा।

श्रीमान, मैं अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग की रिपोर्ट में नहीं जाऊंगा। वह तो एक ऑफिस की रिपोर्ट है। वह तो आती ही है। भले ही आप इसको तमाम अधिकार दे दें, इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा।

एक विशेष बात है भूमि संबंधी विवाद, हरिजनों का एक यह भी मामला है। भूमि संबंधी विवाद चारों तरफ है, यह हो गया कि बंजर जमीन, ऊसर जमीन हरिजनों को आवंटित कर दी जाए। आवंटित हो गई, कितने लोगों को आपने कब्जा दिलाया, कब्जा दिलाने के लिए 198(4) की कार्यवाही होती है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं। आप केवल एक जिला—बनारस, गाजीपुर, जोनपुर कोई ले लें, एक जिले में भी यदि 198(4) की कार्यवाही हुई हो तो मैं समझूंगा कि आपका कानून बनाना सार्थक है। मेरा गांव है, मैं चुनौती देता हूं कि कब्जों के ऊपर 198(4) की कार्यवाही कभी भी किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं की, वह केवल कागजों में ही है।

अन्त में मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। रोज अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात होती है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कितना परसनटेज है, कौन दोषी है, क्या है आदि। मैं आपको बता दूं कि आज तक आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है और न ही आप पूरा कर सकते हैं क्योंकि नीयत साफ नहीं है। पहले कहा जाता था कि हरिजन मिलते नहीं हैं, नौट ऐवेलेबल हो गए। जब ऐवेलेबल होने लगे तो कहा जाने लगा कि ये सूटेबल नहीं हैं, जब सूटेबल होने लगे तो कहा जाने लगा कि नौट कैपेबल, जब कैपेबल होने लगे तो कहा जाने लगा कि नौट ट्रस्टेबल। इसके बाद न मालूम कितने ऐबल जोड़ने के लिए आप तैयार हैं।

मैं आपको बता दूं कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इस समय इंटरव्यू चल रहा है। हमको कल टेलीफोन पर सूचना मिली है कि वहां पर विभिन्न विभागों में चालीस से अधिक फस्ट क्लास के अनुसूचित जाति के लड़कों का इंटरव्यू हो रहा है। मैं केसरी जी से कह चुका हूं, मैं अर्जुन सिंह जी को भी यह सूचना दे चुका हूं, पासवान जी बैठे हैं, जब इनकी सरकार थी इनको भी मैंने सूचना दी थी। इन्होंने सैक्रेटरी को बुलाकर कहा, सैक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी डम्प कर दी और खत्म हो गया। यहां पर भी 40 आदमियों का इंटरव्यू हो रहा है, देख लीजिएगा, यह यूनीवर्सिटीज में चार हजार लैक्चरर और प्रोफैसर काम कर रहे हैं और उसमें केवल अब तक तीन शेडयूल कास्ट के लोग हैं। तीन से चार हो जाएं तो मैं पार्लियामैंट से वापस चला जाऊंगा। मैं आपसे कहूंगा कि चालीस जो साक्षात्कार दे रहे हैं, इनमें एक की भी नियुक्ति नहीं होगी। मैं आपसे कहूंगा कि हमारे नेता हरिजनों पर बहुत दुख मनाते हैं, कोई भाषण देता है कोई कुछ कहता है। ये नेता लोग स्वंय अपनी डयूटी भी भूल जाते हैं, मैं निष्पक्ष बात करता हूं।

विधान परिषद है, वहां पर उत्तर प्रदेश में या देश के किसी भी प्रदेश में कहां रिजर्वेशन है। एक भी शैडयूल कास्ट का आदमी विधान परिषद में रिजर्वेशन के आधार पर नहीं जा सकता और नेता कहेंगे कि हम शैडयूल कास्ट के हिमायती हैं। राज्य सभा बगल में है, मैं कहना चाहता हूं कि एक भी शैडयूल कास्ट के आदमी के लिए आपने कांसटीटयूशन नहीं बनाया कि राज्य सभा या विधान परिषद में शैडयूल कास्ट के लोग जाएं।

मैं यह कहता हूं कि श्री चरणसिंह जी ने 1977 में एक शैडयूल कास्ट वाले को विधान परिषद में भेज दिया, यदि आपकी पार्टी ने ऐसा कोई काम किया है तो हम आपको बधाई देते हैं, कम से कम ऐसा सेचना चाहिए, करना चाहिए। **(व्यवधान)**

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अब हमारे साथियों ने सफाई देना शुरू कर दिया है। सभापति महोदय, मैं बैठ रहा हूं। हमारे साथी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि इन्होंने रिजर्वेशन दे दिया लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप मन्दिर बनवाने जा रहे हैं क्या इससे पहले आप विश्वनाथ मन्दिर में वह नेम-प्लेट हटाने के लिये तैयार हैं जिस में लिखा है कि अछूतों का—**(व्यवधान)**— विश्वनाथ मन्दिर से वह नेम-प्लेट हटना चाहये—**(व्यवधान)**—

श्री राम नाइक: हम आपके साथ सत्याग्रह करने के लिये चलेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: मैं आपसे कहूंगा कि अनुसूचित जाति का मामला बहुत गम्भीर मामला है।

इसमें आरोप-प्रत्यारोप और सफाई नहीं चलनी चाहिये। यदि इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति खराब होती चली जायेगी।

जब महात्मा गांधी जी ने देश में हरिजनों का नाम हरिजन रखा तो इस हाउस के अन्दर डाक्टर अम्बेडकर ने कहा कि महात्मा गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि हरिजन मायने भगवान का जन और भगवान के जन का मायने भगवान की औलाद, यदि हम लोग भगवान की औलाद हैं तो क्या इस हाउस में बैठे लोग शैतान की औलाद हैं और उस पर आप चिढ़ गये थे। उस समय बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। आज हम लोग सफाई देते हैं जब हरिजनों की बात की जाती है। इसको लेकर मजाक उड़ाया जाता है, आरोप—प्रत्यारोप लगाये जाते हैं। मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस आरोप—प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा, नीयत को साफ करना होगा और बिना राजनीति को आधार बनाये हरिजनों के उत्थान के लिये जो समय-समय पर सुझाव दिये जाते हैं, उन पर अमल करना होगा। अभी सुबह इससे संबंधित एक सवाल उत्पन्न हुआ था और उस पर सरकार ने अपने सुझाव भी दिये थे, उन सुझावों पर जब तक गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया जायेगा तब तक हिन्दुस्तान में हरिजनों पर ज्यादा अत्याचार होता रहेगा और एक दिन यही हिन्दुस्तान हरिजनों का बूचड़खाना उनके कत्ल से बन जायेगा, फिर हरिजन लोग मुसलमान, ईसाई होने लगेंगे तो आप कहेंगे कि मुसलमान लोग अरब से पैसे ला रहे हैं इसलिये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, इसमें राजनीति है, ईसाई लोग अलग से पैसा ला रहे हैं, दूसरे मुल्कों से पैसा ला रहे हैं और ये सब करा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह समस्या बहुत गम्भीर है और इसकी गम्भीरता से लेना चाहिये।

मैंने गृह मंत्री जी से जो 2-3 सवाल किये हैं, उन सवालों के जवाब की मैं अपेक्षा करता हूं कि वह अगर उनका आज उत्तर नहीं दे सके ते कुछ दिनों के बाद उत्तर दें, लेकिन उत्तर जरूर दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री श्री माधव राव सिंधिया को मणिपुर में इम्फाल के नजदीक 16 अगस्त, 1991 को हुई विमान दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य देने की अनुमति देता हूं।

श्री राम नाईक: महोदय, यह अफवाह उड़ाई जा रही है कि इस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए वे अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) मणिपुर में इम्फाल के निकट हुई इंडियन एयरलाइंस के विमान की दुर्घटना

नागर विमानन और पर्यटन (श्री माधवराव सिंधिया): अध्यक्ष महोदय, मैं गहरी वेदना के साथ सदन को 16 अगस्त, 1991 को इम्फाल, मणिपुर के पास हुई विमान दुर्घटना के बारे में सूचित करना चाहता हूं जिसमें 69 व्यक्तियों की जानें गईं। चूंकि आज तक सदन का सत्र नहीं चल रहा था अतः मैं यह वक्तव्य पहले नहीं दे सका।

2. इंडियन एयरलाइंस का यह अभागा बोइंग 737 विमान 16 अगस्त, 1991 को कलकत्ता से इम्फाल की सीधी अनुसूचित उड़ान आई०ए०सी०-257 पर था। इसकी कमान कैप्टन एस० हल्दर कर रहे थे और इसके सह-पायलट कैप्टन डी०बी० राय चौधरी थे। विमान में चार बिमान परिचारिकाओं के अलावा 62 यात्री और एक शिशु था। यह उड़ान 11.52 बजे कलकत्ता से समय पर ही रवाना हो चुकी थी और इसने 1255 बजे इम्फाल पहुंचना था।

3. 1241 बजे हवाई यातायात नियंत्रण (ए०टी०सी०), इम्फाल ने इस विमान को उपस्कर अवतरण प्रणाली के अधीन उतरने की अनुमति दे दी थी। इम्फाल हवाई अड्डे पर उपस्कर अवतरण प्रणाली से अवतरण करने के लिए निर्धारित न्यूनतम दृश्यता दो किलोमीटर है जबकि उस समय दृश्यता सात किलोमीटर थी।

4. 1245 बजे अर्थात् विमान के उतरने से लगभग पांच से सात मिनट पहले विमान ने हवाई यातायात नियंत्रण इम्फाल को यह सूचित किया कि यह उपस्कर अवतरण प्रणाली के अनुसार अवतरण के लिए 5000 फुट पर प्रक्रियात्मक मोड़ ले रहा है। यह विमान और हवाई यातायात नियंत्रण के बीच अंतिम सम्पर्क था और उसके

बाद हवाई यातायात नियंत्रण द्वारा विमान के साथ कोई सम्पर्क नहीं स्थापित किया जा सका। हवाई यातायात नियंत्रण ने इंडियन एयरलाइंस के अन्य दो विमानों से एयरबस ए-320 जिसने उसी समय उड़ान भरी थी और बोइंग 737 जिसने उस समय इम्फाल से प्रस्थान करना था—इस विमान के साथ सम्पर्क करने के लिए कहा। लेकिन वे भी ऐसा न कर सके।

5. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हवाई यातायात नियंत्रण, इम्फाल ने लगभग 1310 बजे इस गुमशुदा विमान की खोज और बचाव कार्य शुरू करने के लिए कार्रवाई शुरू की। इस गुमशुदा विमान की तलाश के लिए वायुसेना और उस इलाके के अर्द्ध-सैनिक संगठनों की भी सहायता ली गई। परन्तु, हेलीकाप्टर उड़ान के लिए खराब मौसम की स्थिति और दुर्गम पहाड़ियों के कारण इस खोज और बचाव कार्य में रूकावट आई। लगभग 17.00 बजे राज्य प्रशासन से एक बेतार संदेश प्राप्त हुआ कि इम्फाल हवाई अड्डे से लगभग 25 मील दूर दक्षिण पश्चिम में थानजींग पहाड़ियों पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।

6. चूंकि इम्फाल हवाई अड्डा पर रात्रि अवतरण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं अतः मैं उसी दिन शाम को हवाई जहाज से कलकत्ता पहुंचा और वहां से विशेष जहाज द्वारा 17 अगस्त को प्रातः 7.00 बजे इम्फाल पहुंचा। मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय और ईंडियन एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारी मेरे साथ थे। हमने दुर्घटनाग्रस्त विमान के यात्रियों के लगभग 65 संबंधियों और मित्रों को भी अपने साथ लिया। मैं दो दिन तक इम्फाल में रुका रहा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि यात्रियों के संबंधियों और मित्रों को सभी संभव सहायता दी गई है तथा यात्रियों के शवों की तलाश करने और उनके संबंधियों को सौंपने के लिए सभी संभव कदम उठाए गए हैं, कल रात को ही लौटा हूं।

7. यात्रियों के लगभग 300 संबंधी और मित्र इम्फाल आए थे। इम्फाल में उपलब्ध सीमित सुविधाओं के बावजूद उन्हें आवास और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष ध्यान दिया गया। उनके ठहरने के स्थान पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया ताकि उनकी जरूरतों को पूरा करने और शवों की तलाश में हुई प्रगति के बारे में उन्हें ताजी सूचना दी जा सके। दुर्घटनास्थल का हवाई जहाज से सर्वेक्षण करने और शवों की खोज से संबंधी बेस कैम्प का कई बार निरीक्षण करने के अलावा, मैंने यात्रियों के संबंधियों और मित्रों से कई बार मुलाकात की जिससे उन्हें शवों की खोज के बारे में किये जा रहे प्रयासों की जानकारी दी जा सके और उनकी आशंकाओं को शान्त किया जा सके। मैंने मणिपुर के आस-पास के कुछ यात्रियों के परिवारों के पास संवेदना प्रकट करने के लिए भी उनसे मुलाकात की।

8. मैंने हैलीकाप्टर से दुर्घटनास्थल का सर्वेक्षण किया क्योंकि हैलीकाप्टर के लिए इसके आस-पास उतरना संभव नहीं है। विमान का मलबा घनघोर जंगल के बीच पर्वतों की एकदम अत्यधिक ढलान की और बिखरा हुआ है। उस स्थल पर पहाड़ियों से होकर पांच से छः घंटे की दुर्गम पैदल यात्रा के बाद ही पहुंचा जा सकता है। लगातार वर्षा से पहाड़ी में फिसलन हो गई थी और उसमें चलना बहुत ही कठिन हो गया था। इन कारणों से शवों को इम्फाल पहुंचाना एक बहुत ही कठिन कार्य हो गया। सभी शव निकाल तो लिये गये हैं परन्तु उनमें से कुछ को पहचानना मुश्किल है। शवों को निकालने की कार्रवाई में वायुसेना, अर्द्धसैनिक संगठनों के कुशल प्रयासों की मैं सराहना करता हूं। शवों को निकालने में, समीपवर्ती गांवों और इम्फाल से स्वयंसेवकों तथा पर्वतारोहण स्कूल के छात्रों द्वारा पहुंचाई गई सहायता का भी मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। राज्य सरकार ने भी बहुमूल्य सहायता प्रदान की।

9. इस संबंधी मौजूदा विनियमों के अनुसार इंडियन एयरलाइंस दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यस्क यात्री के लिए पांच लाख रुपए और मृत शिशु के लिए 2.50 लाख रुपए का मुआवजा देगी।

10. दुर्घटनाग्रस्त विमान वी०टी०-ई०एफ०एल० इंडियन एयरलाइंस द्वारा 28 नवम्बर, 1977 को खरीदा गया था और इस पर प्रैट एवं विटनी का डैश-17 ए इंजिन लगा हुआ था। दुर्घटना की तारीख तक यह विमान 29,727 घंटे की उड़ान और 33,570 अवतरण कर चुका था।

11. विमान के कमांडर कैप्टन एस० हल्दर इंडियन एयरलाइंस में 22 मई, 1985 को सेवा में आए थे। दुर्घटना के समय तक उन्हें कुल 3533 घंटे उड़ान का अनुभव प्राप्त हो गया था जिसमें 1115 घंटे का अनुभव

बोइंग 737 विमान के पाइलट-इन-कमान के रूप में था। सह-पाइलट कैप्टन डी०बी० राय चौधरी इंडियन एयरलाइंस में 24 फरवरी, 89 को आए थे और उन्होंने बोइंग 737 विमान के सह-पाइलट के रूप में 1197 घंटों के उड़ान का अनुभव प्राप्त कर लिया था।

12. विमान का काकपिट वाइस रिकार्डर (सी०वी०आर०) बरामद कर लिया गया है जबकि फ्लाइट डाटा रिकार्डर (एफ०डी०आर०) अभी बरामद नहीं हुआ है।

13. वायुयान नियम, 1937 के अनुसार नागर विमानन महानिदेशालय ने इस दुर्घटना की जांच करने के लिए दुर्घटना निरीक्षक की नियुक्ति कर दी है। नागर विमानन महानिदेशालय के अधिकारी दुर्घटनास्थल पर गये हैं। इस प्रकार विभागीय जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और मैंने पहले ही यह घोषणा कर दी है कि इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए शीघ्र ही कलकत्ता या गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच अदालत की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

14. इस दारूण दुर्घटना से हमें जो दुख पहुंचा है उसे शब्दों में ब्यान नहीं किया जा सकता। हमारा हृदय उन परिजनों के साथ है, जिनके दुख से हम भी दुखी हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य इन भावनाओं को व्यक्त करने में मेरा साथ देंगें।

4.00 म० प०

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दम दम): इस दौरान कितने मृतकों की पहचान की जा सकी है?

सभापति महोदय: किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं है। यदि आप चाहें तो चर्चा कर सकते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: कलकत्ता का विमान पत्तन मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। एक विमान परिचारिका की भी मृत्यु हो गई जो मेरी पड़ोसन थी।

श्री माधव राव सिंधिया: 60 मृतकों में से 56 की पहचान कर ली गई है। नौ मृतकों का अभी शव परीक्षण किया जा रहा है।

4.01 म०प०

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों और अनय कमजोर वर्गों के व्यक्तियों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में प्रस्ताव—जारी

[हिन्दी]

श्री शिबू सोरेन (दुमका): सभापति महोदय, आदिवासी और हरिजनों पर हो रहे अत्याचार के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आंध्र प्रदेश के चन्दूर गांव में जो घटना घटी है, यह कोई पहली घटना नहीं है, देश के अन्दर ऐसी घटनायें बहुत बार हो चुकी हैं और होती रहती हैं तथा आगे भी होती रहेंगी। इसीलिए इस सभा में तीन दिनों से इस संबंध में माननीय सांसद अपने-अपने भाषण दिए हैं। इससे मालूम होता है कि जितने भी भाषण हम लोग करें, घड़ियाली आंसू गिरायें, इससे आदिवासी-हरिजनों पर अत्याचार बन्द होने वाले नहीं हैं। मैं भी एक आदिवासी सदस्य हूं और आप बीती घटनायें भी बहुत हुई हैं। हमारे संथाल परगना में एस०पी०टी० एक्ट है, जमीन बचाने का कानून है और इसी प्रकार छोटा नागपुर संथाल परगना में सी०एन०टी० एक्ट है, यह भी जमीन बचाने का कानून है। यह अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ कानून है, लेकिन आजादी के बाद इस कानून के तहत जो जमीन बची है, उस पर सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया है। जहां कारखाने बनते हैं। जहां खदानें बनती हैं, वहां बाहर से लोग आकर जबरदस्ती कब्जा करते हैं। इसमें सरकार का भी हाथ रहता है। नोटिफिकेशन सरकार करती है और मुश्किल से गांव के लोगों की जमीन दो-एक एकड़ रहती है और सरकार की जमीन सौ एकड़ होती है। हमको मुआवजा भी नहीं मिलता है, हमको कोई काम भी नहीं मिलता है। आक्रोश तो यहीं से शुरू होता है। हम लोग जंगल साफ करके जमीन बनाएं, और चालाक लोग आ कर उस पर कब्जा कर लेते हैं।

इससे नतीजा यह होता है कि लोगों में आक्रोश पैदा हो जाता है। इस आक्रोश में प्रशासन का भी हाथ रहता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे संथाल परगना में एस०पी०टी० एक्ट है। इस एक्ट के तहत जमीन बदली भी नहीं जा सकती है, बिक्री भी नहीं हो सकती है। सरकार ने हमारी जमीन को नीलाम करना शुरू किया। हम यह बात बराबर कहते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार द्वारा खुद शोषण होता है। इस प्रकार कैसे नियम बनाने के बाद हमारी सुरक्षा हो सकती है।

एक ताज्जुब की बात और बताना चाहता हूं, कहते हैं कि जातिवाद खत्म होने से शोषण खत्म होगा। इस प्रकार की स्थिति में क्या होता है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं । गृह मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं, वे हमारे यहां 1982 में गए थे। उस वक्त सारे हरिजन-आदिवासी लोग कहते थे कि यह नियम बना है कि आदिवासी लड़की से कोई शादी गैर-आदिवासी करता है, तो उनके बच्चों को आदिवासी ही माना जाए और उनको आदिवासी की फैसिलिटीज़ मिलेगी। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आदिवासी लड़कियां जो नौकरी करती हैं, उनसे बड़े सुनियोजित ढंग से गैर आदिवासी शादी करते हैं। शादी करने बाद, उसकी नौकरी से फायदा उठाते हैं और उनसे जो बच्चे होते हैं उनको भी इन्क्लयूड करते हैं। उसके बाद उस आदिवासी औरत को मार देते हैं। मारने के बाद उसको एक नौकरी मिल गई, दूसरे डैथ कम्पेसेशन भी मिल गया। यह तो आदिवासियों के साथ हो रहा है। हम कहते हैं कि जब कोई दूसरी जाति में शादी हो गया तो वही जाति मानी जानी चाहिए। कमाल है हमारे बिहार में छोटा नागपुर, संथाल-परगना, हिन्दुस्तान में पिता प्रधान है लेकिन हमारे यहां माता प्रधान है। इससे क्या होता है यह जमीन भी उन औरतों के नाम पर वे लोग लेते रहते हैं, ये आदिवासी औरतें हैं और इस कारण से आए दिन लड़ाई होती रहती है, बल्कि इससे भी ज्यादा आए-दिन भयानक घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए कानून पर क्या भरोसा किया जाए, कानून से कुछ नहीं होता है। हमारे संथाल-परगना के 14 आदिवासी साहेबगंज जिले में मारे गए थे, ऐसे ही अनायास मारे गए थे, कोई कारण नहीं था। लेकिन वहां की पुलिस और महाजनों की मिलीभगत से 14 आदमियों को मारा गया और उसमें एक फादर एन्थोनी नाम से एक्स०एम० पी० थे उनको भी मारा गया, जहा वह नेगोसिएशन करने गए थे। उसके बाद बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के लिए एक रिटायर्ड जज वृषकेतु नारायण सिंह को बहाल किया, वह सरकार से मिले हुए थे। सरकार ने उनके कुछ तोहफा दिया और उन लोगों की मौत बेकार चली गई और उनको कुछ नहीं मिला। इसलिए सारी चीजें होने के बाद भी हम लोगों को राहत नहीं मिलेगी और अगर हम अपनी जमीन, जायदाद बचाने के लिए, अपनी इज्जत बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो सरकारी नुमाइंदे खड़े हो जाते हैं, प्रशासन ही हमारे विपक्ष में खड़ा हो जाता है।

महोदय, मेरा कहना यह है कि ऐसे ही यायवासा में गोवा गोली कांड हुआ था, उसमें भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस प्रकार से हमारे इलाके में कल-कारखाने बहुत हैं। पेपर-पत्रिका में तो सरकार की जबान से बहुत उन्नति हो रही है कि यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झारखंड इलाका हिन्दुस्तान में सबसे घनी इलाका है, वहां पर इतना खजाना है, लेकिन सबसे गरीबी के रास्ते से हम लोग गुजरते हैं। सबसे ज्यादा अत्याचार हमारे यहां हो रहा है, आज भी हम लोग नंगे बदन हैं, हम लोग जंगलों से घिरे हुए हैं। जंगल ही हमारे आधे वर्षों की सम्पदा था, 6 महीने हम लोग जंगलों से खाते-पीते थे, लेकिन सरकारी नीति से वे जंगल भी साफ हो गए। हम लोग जंगलों को बचाना जानते हैं। हम लोग अच्छी लकड़ियों को नहीं काटते थे, फलदार वृक्षों को नहीं काटते थे, लेकिन जब सरकार जंगलों को नीलाम करने लगी, 40, 50 और 1000 एकड़ तक जंगल कटने लगे और हम गरीब आदिवासियों से कटवाए और नहीं काटने पर हम पर मुकदमा कर देते थे।

महोदय, आज जंगल साफ है और पर्यावरण का नाम आ रहा है, इस पर करोड़ों रुपयां हम लोग अमरीका से लेकर जंगल लगा रहे हैं और यह भी ज्ञान नहीं है कि जंगल कैसे लगाए जाएं। ऐसे जंगल हम लोग लगा रहे हैं जिसका पत्ता भी बाहर नहीं आएगा, लकड़ी भी काम में नहीं आएगी, वैसे जंगल लगाने में लाखों-करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। इस डिपार्टमेंट के लोग, पदाधिकारी और राजनेता लोग उससे गुज़र-बसर कर रहे हैं। यह मैं आपको एक सच्चे अनुभव की बात बता रहा हूं इससे जंगल लगता नहीं है, जब भगवान के दिए हुए जंगल को हम नहीं बचा सकते हैं तो अमरीका की सहायता से हम लोग जंगलों को कैसे बचा सकते हैं। हमारे यहां कल-कारखानों से भरा हुआ इलाका है, लेकिन रोज प्रदूषण हो रहे हैं और भिखारी की तरह से हम लोग रहते हैं। इसलिए जो बाहर से लोग गए और पदाधिकारी गए, उन्होंने क्या तरीका अपनाया है,

वे लोग आवासीय प्रमाण-पत्र निकाल कर नौकरी में घुस गए। हमारी जमीन भी चली गई और हम लोगों को नौकरी भी नहीं मिली।

महोदय, इस तरह से जमीन का मामला बड़ा जटिल है, जमीन हमारी जो लूट गई है वह वापस होनी चाहिए, नहीं तो आज कल यह क्या हो रहा है, हम तो समझते हैं कि लोग अपने आप मानसिक तौर पर तैयार हो रहे हैं, लड़ाई करने के लिए और हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई दूसरी तरह से भी हो रही है, देश द्रोहियों ने भी अपना हाथ इसमें बंटाया है। हम लोगों की तरफ बड़ी आफत हो गई है, रोज लोग मारे जा रहे हैं और अब तो बम-बंदूक भी उस लड़ाई में आ गया है।

इसी तरह से सभापति महोदय, जमीन का ममाला बुहत गंभीर है। जमीन का जो आदान-प्रदान होता है उसमें हमको जमीन की कीमत नहीं मिलती है, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए, यह लड़ाई की जड़ है।

इसी प्रकार से वनस्पति हम लोग बचाना चाहते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार हमको नहीं देती है। अधिकारी कहते हैं कि यह सरकारी जंगल है, सरकारी जंगल कह कर ही जंगल खत्म हो गए हैं। जंगल को बचाने के बारे में जंगल के आसपास रहने वाले लोगों से सलाह नहीं ली जाती। जंगल विभाग के पदाधिकारी, रेंजर, डीएफओ आदि पर जिम्मेदारी सौंपी गई है जंगल को बचाने की, जिनको कई पेड़ों का नाम तक पता नहीं है। इसी तरह से जंगल बरबाद हुआ है और जंगल बरबाद होने से वहां से जीव-जंतु भी समाप्त हो रहे हैं।

बिजली की हालत यह है कि सबसे ज्यादा पावर-हाउस हमारे यहां हैं, लेकिन हमारे गांव आज भी अंधकार में पड़े हैं। हमारी जमीन उजड़ गई लेकिन हमको नौकरी पाने का हक नहीं है। सारे काम लालफीताशाही और सरकारी पदाधिकारियों की मर्जी से होते हैं। जब कोई पदाधिकारी अपने पद पर बैठता है तो वह अपने आपको पता नहीं क्या समझता है। डिप्टी-कमिश्नर, एस पी, बी डी ओ, सब का यही है, बी डी ओ भी अपने आप को ब्लाक का मालिक समझता है और कागज-कलम के हिसाब से वह है भी, लेकिन गांवों के लोगों की भी तो कोई मर्यादा है। सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं होगा, हरिजन-आदिवासी को सम्मान नहीं मिलेगा। आज गांव के रहने वालों को तो मान-सम्मान-अपमान का मतलब ही पता नहीं है, लेकिन जो हम लोग मतलब समझते हैं, हमारे साथ भी यही व्यवहार होता है। हमें भी सम्मान नहीं मिलता है। नियम बनते हैं, लेकिन जब नीयत खराब है तो नियम बनाने से क्या होगा। आज यदि एक दरोगा राजपूत होता है तो वह भी हरिजन-आदिवासी को पिटवाता है, चोरी करवाता है। मैं चाईबासा से आया हूं, वहां पर एक काण्ड हुआ था। उस काण्ड को कम्युनल रायट में बदला जा रहा है। हमने इसको रोका कि यह काम नहीं होना चाहिए। इस तरह के गलत काम करने वालों को शासन के सामने सुरक्षा मिलती है, जबकि दुखियों को मिलनी चाहिए, लेकिन बदमाशों को सुरक्षा मिलती है। हर जगह यही काम हो रहे हैं। जो पदाधिकारी होते हैं, पद पर रहते हुए उनको बहुत घमंड होता है। वे सोचते हैं कि जैसे हमेशा उनको इसी पद पर रहना है। रिटायर होने के बाद में भी भुगत रहे हैं।

सभापति महोदय, मंशा सही होनी चाहिए, सम्मान की बात होनी चाहिए। जब सब इंसान बराबर हैं तो सब को बराबर सम्मान का हक भी मिलना चाहिए। कल कारखानों के लिए हमारी जमीन ली जाती है, हमें उस जमीन की कीमत मत दीजिए, लेकिन हमारे जीवन की गारंटी लीजिए। पैसा बैंक में जमा कर दो, उस पैसे का उपयोग 100 साल तक हम लोग नहीं कर सकते, तो उसका क्या फायदा है। हमें जीने की गारंटी दो, दवाई, पढ़ाई-लिखाई की गारंटी करो, जमीन की कीमत मत दो। कानून बहुत बनते हैं, लेकिन उनका लाभ हमको नहीं मिलता है। कानून बना हुआ है कि 3 एकड़ जमीन लेने पर नौकरी का हक मिलेगा, लेकिन बहुत लोगों के पास 2 एकड़ जमीन है, लेकिन जब तक उसके पास 2 एकड़ जमीन थी, तब तक तो वह किसी से कुछ मांग नहीं रहा था, उसे से अपना जीवन-यापन कर रहा था, लेकिन सरकार बोलती है कि 3 एकड़ जमीन होनी चाहिए और 3 एकड़ जमीन की कीमत है 15,000 रुपए।

सभापति महोदय, इस तरह से हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। यहां पर बोलने से समस्या का समाधान नहीं होता। लोगों को मान-सम्मान मिलना चाहिए, चाहे नौकरी में हो, घर में हो, खेत में हो, उसको इन्सानियत का मान-सम्मान मिलना चाहिए। मंदिर में पूजा करने से क्या होता है। हम लोग आदिवासी हैं और पेड़

तथा प्रकृति की पूजा करते हैं, लेकिन रजिस्टर में हिन्दू लिखा जाएगा। कोई क्रिश्चयन हो रहा है, कोई घड़ल्ले से मुसलमान बन रहे हैं, इस सब का कारण समाज के अंदर की वह खाई है जिसकी वजह से अलग अलग संबंध और अलग-अलग दिमाग बन गए हैं। आज समय बहुत आगे भाग रहा है, जिसका नतीजा है कि आज पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। हम सोचते थे कि हमारे झारखण्ड में, बिहार में अन्याय हो रहा है, लेकिन आंध्र में जो अन्याय हुआ इसको सुन कर हम बहुत ताज्जुब में फंसे हैं। समानता कैसे होगी। समानता शिक्षा से हो सकती है। शिक्षा नीति गड़बड़ है यह हम जान गए हैं। आदिवासी और हरिजन बहुत पीछे हैं। ये ऊपर कैसे आयेंगे? रस्सी से तो खींच कर नहीं उठा सकते, सीढ़ी पर चढ़ा कर तो नहीं ऊपर ला सकते। हमें शिक्षा दीजिए। हमें आई०ए०एस० और आई०पी०एस० बनाने के लिए शिक्षा की स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए। इनको पढ़ाओ और पढ़ाई-लिखाई का खर्चा बियर करो लेकिन यह नहीं होता है। नवोदय विद्यालय बनते हैं, सैंट्रल स्कूल खोलते हैं, वहां हमारे बच्चे नहीं जा सकते। इसलिए दिमागी तौर पर इनका विकास करने के लिए स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए।

सरकार का इतना रुपया खर्च होता है, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत रोना आता है। मैं तीसरी दफा एम० पी० चुन कर आया हूं। मैं बोलता बहुत कम हूं, लेकिन लड़ाई मैंने बहुत की है। लड़ाई पर मुझे भरोसा है। लड़ाई से ही समानता आ सकती है। हमें इसके परवाह नहीं है। शिक्षा के लिए स्पेशल नियम बनने चाहिए। हमारे बच्चों में बहुत मेधावी छात्र होते हैं। लेकिन वे पढ़ नहीं पाते। न पढ़ने से अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। शिक्षा नहीं है तो समानता नहीं होगी। कारखाने के मालिक तो हम नहीं बन सकते, लेकिन छोटे दुकानदार तो बन सकते हैं। बोकारो कारखाने में हमारी जमीन गयी लेकिन हमें जगह नहीं मिलती है दुकान बनाने के लिए। को-आपरेटिव कॉलोनी के लिए सरकार जमीन बिक्री करती है। खरीदते हैं एक हजार रु० एकड़ के हिसाब से और बिक्री होगी 1 लाख रु० एकड़ के हिसाब से। इसलिए महोदय, इसका एक ही उपाय है कि पूरे देश के अन्दर आदिवासी और हरिजनों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग व्यवस्था हो। जो मेधावी छात्र हैं, उनको अवश्य पढ़ाया जाए। वे अच्छे अफसर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। इस से समानता आ सकती है। यह लड़ाई बन्द करना सरकार की नीति और नियम के बूते के बात नहीं है। जब कोई मुझे मारेगा और मेरी मारने की ताकत नहीं होगी तो मैं बच नहीं सकता। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार): सभापति महोदय, मुझे एक बात का खेद है, मैंने इस सदन में देखा कि जब-जब किसी भी राज्य में हरिजनों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो जाता है, उनकी हत्या होती है, उनको जिन्दा जलाया जाता है, उनका घर जलाया जाता है तो उस संबंध में हम लोग एक दफा इस सदन के अन्दर इस प्रकार का प्रस्ताव ला कर हर वर्ग के लोग यहां चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने हरिजनों के लिए बात की, गिरिजनों के लिए बात की।

सवाल यह है कि पिछले दो दिनों से इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, हरिजनों और गिरिजनों के ऊपर अत्याचार के बारे में चर्चा हो रही है। राम विलास जी अच्छे मित्रों में से हैं, लेकिन गलत जगह पर बैठे हैं। फिर भी वे मित्र हैं। ये इस प्रस्ताव को इस सदन में लाए हैं। मैंने कल से देखा, राम विलास जी माफ करेंगे, शुरू के दिन से आप बहुत विश्वस्त हो कर टहलते रहे हैं, लेकिन यह प्रस्ताव जब आपने लाया तो हर व्यक्ति का वक्तव्य भी आपको सुनना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि आप अभी उपस्थित हैं, मौजूद हैं।

मैं कई बातें इसके ऊपर कहना चाहता हूं। आज 45 साल बाद अगर गांव में एक हरिजन होने के नाते, एक कमजोर वर्ग का होने के नाते किसी का घर जलाया जाता है, उनको जिन्दा जला दिया जाता है, उनके बच्चों का जिन्दा जला दिया जाता है।...

किसी भी प्रांत या आन्ध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश की बात हो और उनके ऊपर जुल्म होता है तो हम लोग इस सदन में लोगों के जन-प्रतिनिधि के रूप में आए हैं तो हम सब के लिए भयानक लज्जा है। इस वजह से देश के सामने या दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। मैं इस बात को जानता हूं कि हजारों साल से कमजोर वर्ग के ऊपर जुल्म हुआ है। सिर्फ 40-45 साल कहने से काम नहीं चलेगा। समाज में यह व्यवस्था है कि कमजोर वर्ग के ऊपर जुल्म हुआ और उन लोगों को हमेशा सताया गया। उस बात को हम सबको इकट्ठे होकर सोचना पड़ेगा। अलग-अलग ढंग से नहीं, चुनाव या वोट की राजनीति से नहीं बल्कि इस बात को देखना पड़ेगा कि सामाजिक रूप से भारत का इतिहास और संस्कृति के रूप में मिलाकर, जोड़कर इस देश को किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। इस देश में अधिक संख्या में गांवों में लोग कमजोर वर्ग के हैं। अगर कमजोर वर्ग के

लोगों को आगे नहीं ले जा सकते हैं तो यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है, यह सीधी बात है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। आज, टी०वी० और रेडियो का मीडिया है। आज राजधानी में ही नहीं बल्कि जिला स्तर पर भी अखबार छपते हैं। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत आगे बढ़ गया है जिसके जरिये अखबार छपते हैं और लोगों को जानकारी मिलती रहती है। पहले भी जब जुल्म होता था तो हरेक बात देश के सामने नहीं आती थी। लेकिन, आज सारी बातें सामने आती हैं। इन बुराइयों को हमें देखने का मौका मिलता है। आज इस अत्याचार को रोकने के लिए किस प्रकार से हम सब लोग सहयोग देकर काम कर सकते हैं तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैंने कई चर्चाओं में यह सुना कि कांग्रेस वाले इतने साल से सत्ता में हैं और यह इनकी जिम्मेदारी है। जब हमको मौका मिलता है तो हम आपके ऊपर बोलते हैं। लेकिन, आरोप-प्रत्यारोप से समस्या का हल निकलने वाला नहीं है। जब तक शिक्षित और बेकार शिक्षित, कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग के लोगों में और ऊपर वर्ग के लोगों में इस बात का जागरूक नहीं होगा कि हम देशवासी हैं और यह हमारा देश है और हम सब लोगों को मिलकर दुनिया के सामने मान और मर्यादा को ऊपर उठाना है अगर यह नहीं होगा तो इसलिए सामाजिक आन्दोलन शुरू होना चाहिए। सामाजिक आन्दोलन एक पार्टी से नहीं बल्कि सभी लोगों को निर्णय लेना चाहिए जिससे एक प्रकोष्ठ बन सकता है और लोगों के बीच में जाकर बोल सकते हैं कि बुराइयों को हमको दूर करना होगा। यह संकल्प लेना होगा और तभी मार्क्सिक रूप से परिवर्तन होगा। जितने भी कानून इस देश में हैं, वे कानून रो रहे हैं क्योंकि उनका इस्तेमाल नहीं होता। हम सब लोग कानून बनवाने के लिए बैठे हैं और उनका इस्तेमाल नहीं होता है। जब तक यह प्रश्न नहीं उठेगा कि समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा करने के लिए हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयी है तो उस जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। मजबूती के साथ निपटना पड़ेगा, वरना तब तक यह नहीं हो सकता है। लेकिन आज इन सारी चीजों की कमी है, जिसकी वजह से हमें यह देखना पड़ता है।

माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्ति अपनी तकलीफ या दुःख को लेकर उनके पास आवेदन पत्र लेकर जाता है, सरकार के पास जाता है तो उस समय सरकार चुप रहती है। लेकिन जब खलबली मच जाती है, हंगामा होता है, लाठी चलती है तो उस समय जाकर जल्दी-जल्दी कहते हैं कि सबसे बात करनी है और फिर रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, तब बहुत देर हो जाती है और रास्ता नहीं निकल पाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार का दृष्टिकोण इस तरह का होना चाहिए कि शुरू में जब समस्या उभरे तो उसको हल करने के लिए समय नहीं लेना चाहिए, अगर हम समस्या को बनाकर रखेंगे तो वह बड़ी हो जायेगी और आपके काबू में नहीं रहेगी। मैं एक मिसाल के तौर पर बताना चाहता हूं। देश भर में बहुत जगह हरिजन और गिरिजन लोग हैं, मगर अण्डमान-निकोबार जहां से मैं आता हूं वहां आदिवासी लोग रहते हैं और हरिजन नहीं हैं। वहां पर हरिजनों को मान्यता प्राप्त नहीं है, क्योंकि जब देश का संविधान बना, जिस समय अनुसूचित जाति और उपरी जाति को लिस्ट में शामिल किया गया, शिड्युल बनाने के समय, उस समय अंडमान-निकोबार की जो जनसंख्या थी उसमें जो आदिवासी थे उनका नाम आ गया, लेकिन जो मिक्स्ड पापुलेशन थी उसके अन्दर जात-पात का भेद नहीं था। अगर कोई बंगाली है तो उसकी शादी तमिल से हो रही है या उत्तर प्रदेश के जो लोग रहते हैं उनसे हो रही है। इस प्रकार से मिलाजुला समाज वहां पर है। हमारे द्वीप में हमने जात-पात की लड़ाई नहीं देखी। लेकिन आज हम देखते हैं कि जो बाहर से अंडमान घूमने के लिए लोग जाते हैं वे वहां उनसे कहते हैं कि आपमें तो ऐसी चीज नहीं है। जो मण्डल की मिठाई बंट रही है वह यहां नहीं मिल रही है, इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बात को आपको देखना पड़ेगा। देश में एक जगह ऐसी है जहां पर जात-पात का कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। आज सारे देश को उसी प्रक्रिया को सीखने की आवश्यकता है।

सभापति जी, इसके साथ ही में एक बात और बताना चाहता हूं। हमारे निकोबार ट्राइब्ल जिला है। वहां के लोगों को संरक्षण देने के लिए जो ट्राइब्ल एक्ट है, वहां पर आदमी जाना चाहे तो पास लेकर जाता है। वहां पर दुकानें वैगरह का काम को-आपरेटिव सिस्टम से चलता है। लेकिन हमको आजकल एक शिकायत है कि उधर प्राइवेट दुकानें खोलने की इजाजत भी दी जा रही है, जोकि बाहर के लोग हैं। यह बहुत भयानक बात है। जहां पर कोई शोषण नहीं है, जहां ट्राइबल को-आपरेटिव सिस्टम द्वारा लोग धंधा सम्भालते हैं, उनके जो सिनेमाहाल हैं, जहाज हैं वे भी ट्राइब्ल को-आपरेटिव के हैं। आज जब इतनी अच्छी व्यवस्था आपके सामने है तो जो व्यक्ति या अफसर उनको बर्बाद करना चाहते हैं, उधर प्राइवेट व्यापारियों को लाकर और उनका शोषण करना चाहते हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह सही ढंग से वहां के प्रशासन

को निर्देश दें कि आने वाले समय में इस प्रकार का काम न हो। ट्राईब्लस के संरक्षण का काम पूरा का पूरा सौ प्रतिशत सही ढंग से किया जायेगा, यही मेरा उनसे निवदेन है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवदेन करना चाहता हूं कि श्री सोनकर जी एक घण्टा बोल चुके हैं और मैं अपनी बात पूरी नहीं कह पाया हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस जगह पर आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता है, यह बुराई है। आन्ध्र प्रदेश में, बिहार में जो कुछ हुआ और अभी पश्चिमी बंगाल में केशपुर में हुआ। वहां दो हज़ार आदिवासी जंगल में हैं...**(व्यवधान)**... अण्डमान में भी हैं...

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): यह गलत है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री आचार्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया बाधा न डालें।

[हिन्दी]

श्री मनोरंजन भक्त: तो मैं कह रहा था कि अभी केशोपुर में दो हजार ट्राईब्लस जंगल में हैं। मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी सोनकर शास्त्री जी ने बताया है और मैं उनकी बात मानने को तैयार हूं कि हरिजन आदिवासियों का जो मामला है, इसमें केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की बात से खामोश नहीं रहेगी। मैं मानता हूं और गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि यदि सदन की हर एक पार्टी राज़ी है, तो आप संविधान में संशोधन कीजिये कि जहां पर भी हरिजन-आदिवासियों का मामला होगा, सैण्ट्रल गवर्नमेंट फोर्स भेजेगी और राज्य सरकार को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यदि सभी पार्टियां मानती हैं तो आप बिलकुल कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सभी विरोधी पार्टियों के लोग भी इसका समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय, अब जो स्पेशल कोर्ट की बात की गयी है मैं समझता हूं कि जितना डिले होता है, उतना ही। न्याय नहीं मिलता है। इसलिए निवेदन करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप जिस कोर्ट को डेज़गनेट करेंगे या नया कोर्ट बनायें, उसी प्रकार से इस मसले को बहुत जल्द निपटाने की कोशिश कीजिये जिससे उन लोगों को राहत मिल सके।

एक बात अंत में कहकर समाप्त करूंगा। देश के सामने जो भयानक परिस्थिति है, इस मामले पर बहुत गंभीरता से हम सब वर्गों को सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर पाये तो आने वाले समय में एक सिविल वार होगा, डण्डा लाठी चलेगा, उसमें देश को बचा नहीं पायेंगे। आज वक्त है कि हम सब लोग अगर एक संकल्प लेकर आगे आयेंगे तो इसमें सफलता मिल पायेगी। यह एक बुरी बात है सबसे निन्दनीय बात है, घृणित बात है कि समाज के उस वर्ग पर आक्रमण करना, उनकी हत्या करना और उनको सताना जिसके लिए हम सब लोग लज्जित हैं। आज उस लज्जा को सामने रखते हुए हमें संकल्प करना है, यही निवेदन आपसे करता हूं और गृह मंत्री से निवेदन करता हूं।

श्री रतिलाल वर्मा (धन्धुका): सभापति महोदय, बहुत लम्बी चर्चा इसके पीछे हो रही है। इसके पहले में नवीं लोक सभा के अन्दर भी इस विषय पर बोल चुका हूं। उस समय उत्तर प्रदेश में गोण्डा जिला के अन्दर 12 हरिजनों को खड़े रखकर गोली से मार दिया गया और यह कहा गया कि डकैत लोग आये और हमने उनको मार डाला है। उसी समय के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने एस०एस०पी० को इनाम डिक्लेयर कर दिया लेकिन बाद में इन्क्वायरी में मालूम हुआ कि उसमें एक गुनाहगार था और ग्यारह लोग निर्दोष थे जिनको मार डाला गया। जब मैंने कहा कि हर सरकार यह कहती है कि हमारे समय में कम हरिजन मारे गये लेकिन कोई भी सरकार यह नहीं कहती कि एक भी हरिजन की हत्या नहीं हुई। किसी आदिवासी की हत्या नहीं हुई, ऐसा कहने वाली कभी सरकार नहीं आई है। जो प्रधान मंत्री आए हैं, वे आज तक अपनी ओर से रुपए देते आए हैं। हमारी ओर से एक लाख रुपया, हमारी ओर से 50 हज़ार रुपया, लेकिन जान जाती हो तो रुपए से वह जान वापस नहीं आती। जिस परिवार में बच्चे अपने बाप से अलग हो जाते हैं, जिस परिवार में स्त्री अपने पति की मृत्यु से विधवा हो जाती है, उसकी हालत क्या होगी, यह रुपए देने वाले नहीं समझ पाएंगे।

मान्यवर, यहां पर जो आंध्र प्रदेश के गुण्टूर ज़िले में चुण्डूर गांव में जो घटना घटी, इस घटना से वहां के लोग जो सुखी थे, थोड़ा अच्छा घराने वाले थे और उनका कसूर यही था कि वहां के जिस मोहल्ले से निकलना नहीं चाहिए, वहां से वह निकलते थे और उनको मारने के लिए पहले से ही इन लोगों ने प्लान बना रखा था,

लेकिन दुख है कि जिस पुलिस को हम रक्षक समझते हैं, लेकिन जब रक्षक भक्षक बनता है तो कोई इन्सान नहीं बच सकता है। वे लोग जिस रास्ते से जाते थे वहां से अगर उनको जाने दिया होता तो एक साथ 25 लोगों की हत्या न होती, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें उस रास्ते से भेजा जहां उनकी मौत बनकर वह लोग खड़े थे। वहां जाने के बाद सभापति महोदय, उनकी हत्या की गई और हत्या इतनी बुरी तरह से की गई कि जिन लोगों ने हतया देखी है आज भी उसका वर्णन करते-करते उनकी आंखों में पानी आ जाता है और हत्या करने के बाद उनके टुकड़े नज़दीक के नाले में डाल दिए गए। कुछ लोगों को तो बोरे के अंदर बांधकर भी फेंक दिया गया। इस तरह की मानव हत्या अगर हिन्दुस्तान में आज़ादी के 44 साल बाद अभी भी होती रहेंगी तो लोकशाही में किसी का भी विश्वास नहीं रहेगा। यहां की जो स्वतंत्रता है, उसे हमेशा परतंत्रता की दृष्टि से लोग देखते रहेंगे। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस घटना के समय सात पुलिस वाले भी उपस्थित थे। जब पुलिस वाले भी उपस्थित थे फिर भी हत्या होती है तो जहां पुलिस वाले नहीं हैं, वहां उनकी क्या हालत होगी यह आप समझ सकते हैं। इसके साथ जो हत्या कभी रात को होती है, यहां 11 से 5 बजे के बीच में दिन-दहाड़े नरसंहार हुआ है। यह भारत देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना है और यहां बैठे हुए राजनैतिक लोगों के लिए भी शर्मनाक घटना है। पांच साल पहले उसी स्थान के अंदर कारमचेडू और नेरुकोप्डा गांव हैं, वहां भी हरिजनों की हत्या हुई थी, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप दोबारा वहां घटना का पुनरावर्तन होता है और हर साल अगर पुनरावर्तन होता जाएगा और हम लोग हर साल यहीं लोक सभा के अंदर बैठकर उन पर आश्वासन देते रहते हैं, हम नयी-नयी बातें करते रहते हैं, लेकिन घटनाएं नहीं रुकती हैं। मेरा कहना यह है कि घटना रुकें।

इस देश में रहने वाले पिछड़ी जाति के लोग, हरिजन या गिरिजन हों, वह इसी देश का अंग हैं, इसी देश के मनुष्य का एक भाई है यह मानकर जब तक उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा, जब तक मानस के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक यह घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं भले हम पांच-पांच घंटे क्या दस-दस घंटे चर्चा करते रहें, लेकिन ये कार्रवाई होती रहेगी।

इसके साथ-साथ वहां पर जो कलक्टर हैं मिस्टर नागार्जुन, उन्होंने कहा कि इतनी पुलिस होते हुए भी जब ऐसी नृशंस हत्या होती है तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ है कि ये घटनाएं कैसी घटीं! वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं जनार्दन रेड्डी और मारने वाले भी रेड्डी थे। सभापति महोदय, यह मिनिस्टर और मारने वाले रेड्डी क्या दोनों ही एक मत वाले नहीं हैं, उनकी भावना एक तो नहीं हैं, परिणामस्वरूप उनके प्रति जो कार्रवाई होनी चाहिए वह कार्रवाई ठीक तरह से नहीं हुई और डिप्टी स्पीकर के घर पर बम चले हैं ऐसा वहां के लोगों का कहना है। इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए।

इसके साथ मैं गुजरात की बात करूंगा। सारे देश में अभी तक बिहार का नंबर था, मध्य प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश का था, अब आंध्र प्रदेश का भी नंबर आ गया है। सभापति महोदय, मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात में भी हरिजनों की हत्या होती रहती है। कुछ समय पहले जामनगर के तोड़ा गांव के अंदर भी हरिजनों की हत्या हुई थी। वहां एक हरिजन नवयुवक को घर से ले जाकर उसको मार डाला, लेकिन उसमें बाद में कोर्ट में वे लोग निर्दोष हो जाते हैं और उनके पीछे कोई कार्रवाई नहीं होती। बनासकांठा में भी आज सामेरा गांव है। उस गांव के लोगों पर इतना अत्याचार होता था कि वहां कोई शादी करने के लिए भी नहीं जा सकता था। यदि कोई हरिजन शादी करने के लिये जाता है तो उसे घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता। कोई दूल्हा अच्छे कपड़े पहन कर गांव में नहीं जा सकता। हमारी मां-बहनें जब रात में कुदरती हाजत के लिये जाती हैं तो उनके साथ छेड़खानी की जाती है, उनके पत्थर मारे जाते हैं। जब वे अपने हाथ में लोटा लेकर जाती हैं तो उनके लोटे को गिरा दिया जाता है। एक दिन ऐसा आया कि उस गांव के पूरे हरिजन गांव को छोड़कर शहर की ओर चले आये और कलैक्टर की कचेहरी के अंदर तीन तीन महीने तक पड़े रहे परन्तु उन्हें शहर में भी कोई आश्वासन नहीं मिला। अब उन्हें दूर, अलग-थलग जगह दी गयी है। परिणामस्वरूप अब वे शान्ति के साथ रह रहे हैं।

कहने का मतलब है कि गांव से जब उन लोगों को निकाल कर अलग जगह दी जाती है तभी उन्हें शान्ति मिलती है। हमारे यहां खेडा जिले में गोदारा गांव में एक साथ 5-5 हरिजनों की हत्या कर दी गयी। अपनी जान बचाने के लिये उनमें से एक नवयुवक तीन-तीन घरों तक, अपने हाथ में बंदूक लेकर घूमा परन्तु मारने वालों ने आखिरी घर तक उसका पीछा किया और जिस घर में एक कमरे में वह जाकर छिपा हुआ था, उसी कमरे में सामने से 7 से 10 गोलियां मारकर उसके शरीर को छलनी बना दिया गया। एक साथ 5 लोगों की हत्या होना,

वह भी पिता, पुत्र और उनके संबंधियों की, यह कितनी शर्मनाक बात है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री को जब मैंने इस घटना के बारे में लिखा और निवेदन किया कि जिन परिवारों के लोग मारे गये हैं, उन परिवार के लोगों को सरकारी नौकरियां दी जायें तो गुजरात के मुख्यमंत्री का लिखित उत्तर मेरे पास यह आया कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो मारे गये हैं, उन्हें नौकरी नहीं दी जा सकती। इसका मतलब चतुर्थ श्रेणी का पद, प्यून का पद भी देने के लिये मुख्यमंत्री तैयार नहीं हुए। सभापति महोदय, इस बारे में भी हमें विचार करके कुछ निर्णय लेने होंगे।

अभी अहमदाबाद में ही बहरापुरा नामक कालोनी में कुछ हरिजन रहते थे। घर के अंदर ही, वहां के एक कांग्रेस के कारपोरेटर ने, उन्हें बंद कर दिया। उस परिवार में पांच लोग थे। जब वे चीखने चिल्लाने लगे तो मकान को तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया। इस कारण उस कारपोरेटर को तीन चार महीने तक जेल में रहना पड़ा। अभी वह रिहा होकर बाहर आया है।

यदि ऐसी हालत अहमदाबाद शहर में है तो दूर स्थानों पर बसे गांवों में हरिजनों और गिरिजनों की क्या हालत होगी, कहना मुश्किल है। उनकी हालत आप स्वयं समझ सकते हैं।

आज गुजरात में अत्याचार और हत्या की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं और दिन प्रति-दिन ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। गुजरात एक समय गांधी जी का राज्य कहा जाता था, शान्तिप्रिय राज्य कहा जाता था। सारे भारत में ही नहीं, दुनिया भर में, जिसने शान्ति का पैगाम पहुंचाया है, उसी गुजरात में धीरे-धीरे इस तरह की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी के सामने कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं। जिस तरह हरिजनों पर अत्याचार होते हैं, उन अत्याचारों को कम करने के लिये मेरा एक सुझाव यह है कि जहां हरिजन लोग तितर-बितर स्थिति में रहते हैं, दूर-दूर बसते हैं, उन्हें एक जगह लाकर, उनके रहने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके साथ यह प्रबंध भी करना चाहिये कि वहीं उन्हें रोजगार भी मिल सके।

दूसरा सुझाव है कि जिन हरिजनों की हत्या होती है, उनके परिवार के लोगों को कम से कम दो लाख रुपये सहायता के तौर पर देने चाहिये। सहायता के साथ साथ उस हरिजन के परिवार के किसी एक व्यक्ति को, वारिस को, आश्रित को तुरन्त नौकरी मिलनी चाहिये। हरिजनों को ज्यादा से ज्यादा पुलिस और होमगार्ड में भरती करना चाहिये। आज देखने में आया है कि पुलिस रक्षक के बदले भक्षक हो गयी है। जब हरिजन लोग पुलिस और होमगार्ड में होंगे तो आसानी से वहां जा सकेंगे और लोगों की मदद कर सकेंगे। इसके साथ-साथ नवयुवकों को अपने बचाव के लिये, संरक्षण के लिये, पिछड़ी जातियों के नवयुवकों को, अपने संरक्षण की तालीम देने की भी आवश्यकता है। उन्हें अपने संरक्षण के लिये आधुनिक शस्त्र भी कुछ बस्तियों में देने पड़ेंगे। इससे वे अपने बचाव की व्यवस्था कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें स्वयं रोजगार भी उपलब्ध कराना पड़ेगा, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से या अन्य किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से। जहां छूआछूत और एक-दूसरे से भेद रखने की प्रवृत्ति पायी जाती है, उसे कम करने के लिये यह भी आवश्यक है जहां हमारे मन्दिर हैं, सरकारी ट्रस्ट हैं, वहां हरिजनों को पुजारी के नाते बैठाना होगा। मन्दिर के बाहर जितनी दुकानें हैं, उन दुकानों को भी हरिजनों को आबंटित करना चाहिये ताकि एक दूसरे के नजदीक वे लोग आ सकें। जिन महिलाओं पर बलात्कार होता है, जो महिला बलात्कार का शिकार होती हैं, मेरा सुझाव है कि उसे कम से कम दो लाख रुपया दिया जाना चाहिये और इसमें से आधी राशि उस व्यक्ति से वसूल की जाये जो बलात्कार के लिये जिम्मेदार पाया जाये ताकि दोबारा वह ऐसे काम करने की हिम्मत न करने पाये।

आज शहर के अंदर सभापति महोदय, सिर पर जो मैला ढोने की प्रथा है, यह प्रथा भी तुरन्त बंद करनी चाहिये और उसके बदले कोई अच्छी व्यवस्था दाखिल करनी चाहिए। मरे हुए पशुओं को वे खींचकर ले जाते हैं, परिणामस्वरूप उनके प्रति घृणा और क्षोभ का वातावरण लोगों के मन में होता है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए भी दूसरा वातावरण बनाने के लए कोई दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए।*

सभापति महोदय, अत्याचार और बलात्कार के केस स्पेशल कोर्ट के अंदर ही चलाने चाहिए। जनरल कोर्ट

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

से तो पहली बात यह है कि जजमेंट आते ही नहीं हैं और यदि आ भी जाते हैं, तो दोषियों को कोई सजा नहीं दी जाती है, वे निर्दोष साबित ठहरा दिए जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि हरिजनों पर अत्याचार और बलात्कार के केस स्पेशल कोर्ट के अंदर चलाने चाहिए और उन स्पेशल कोर्ट में भी न्यायाधीश शे०-कास्ट या शे०-ट्राइब या हरिजन, बैकवर्ड का ही होना चाहिए। यदि आप ऐसी व्यवस्था कर देंगे, तो हम उनको न्याय देने का प्रयास कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त महोदय, मेरा कहना यह भी है कि जब तक कोर्ट के अंदर केस चल रहा होता है, तब तक उसके गवाहों तथा मुद्दई को संरक्षण मिलना चाहिए। उसको संरक्षण प्राप्त न होने के कारण कोर्ट जाने से पहले ही धमकी दी जाती है जिसके कारण वह अपना बयान बदल देता है। इसके साथ-साथ सभापति महोदय, आज पिछड़ी जाति वालों को यह कहना पड़ता है—

"जिसने लिखा यह संविधान
उसकी हम हैं संतान
फिर भी होता है हत्याकांड"

सभापति महोदय, आज जो वातावरण है, वह इतना बिगड़ चुका है कि संविधान के बनाने वाले ने इतनी व्यवस्था और इतनी बातें संविधान में रखीं और इस सब को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में रखा, लेकिन आज नी उन्हीं के भाई, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं की बहिन परेशान हैं। अत्याचार हो रहे हैं। परिणामस्वरूप एक दिन ऐसा आएगा, जैसा हमारे एक साथी ने कहा कि शायद लड़ना पड़ेगा। मैं यह नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा दिन भी आएगा जब यह कहना पड़ेगा कि—

"आंखों के आंसू से न पत्थर पिघलने वाले हैं
तू लोहा बन टकरा, मांगने से न कुछ मिला
है, तू ताकत से खींच ला"

अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो फिर एक दिन जब पूरी ताकत से, लोहा बनकर टकराएंगे तो आपको उस मान्यता को पूरा करना पड़ेगा। यह समय न आए, यह बात न आए, यह मौका न आए। हिन्दुस्तान के अंदर सब भाई-भाई बनकर रहें। एक-दूसरे से प्रेम और प्यार का बंटवारा करते रहें, साथ जियें, साथ मरें। यह माहौल बनाए रखने के लिए सभापति महोदय, मेरा गृह मंत्री जी से अन्त में यही निवेदन है कि जो सुझाव मैंने यहां रखे हैं, उन पर अमल किया जाए और देखा जाए कि राज्यों में इन पर अमल हो रहा है या नहीं। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा, तो ये हत्यायें होती रहेंगी और मगरमच्छ के आंसू ये सब राष्ट्रीय पार्टियां यहां बहाती रहेंगी। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: आपने, वर्मा जी, जो अभी लोक सभा सैक्रेट्रिएट के बारे में अपने भाषण में जो कुछ कहा है, वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इसलिए वह एक्सपंज किया जाता है।

श्री रति लाल वर्मा: ठीक है, सभापति जी, जो जाने लायक नहीं है, उसे हटा दीजिए।

श्री रामविलास पासवान (रोसेडा): सभापति जी, इसके माध्यम से खाली आपकी नॉलेज में ये लाए हैं। चेयर की नॉलेज में ले आए हैं। इस पर जरा चेयर सोचे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): सभापति जी, यह आज जो चंडूर में हुआ है, उस सिलसिले में जैसे ही यह 6 तारीख को चंडूर का वाकया जो हुआ, वह 7 तारीख के रोज भी पेपरों में नहीं आया, 8 तारीख के रोज वह पेपरों में आया। आते ही हम लोगों ने समझा कि एकाध वाकया होगा, फिर मैंने गुंटूर को कांटैक्ट किया, तो पता चला कि 27 लोग गायब हैं और अब तक उनका पता नहीं है। मैंने फौरन प्रधानमंत्री जी से बातचीत की। मैंने कहा कि यह तो बहुत बड़ी दुर्घटना है, हरिजनों की इस तरह की हत्या हुई है, मैं चंडूर जाना चाहता हूं। उनकी परमीशन से 9 तारीख को, वहां के मुख्यमंत्री जो यहीं थे, उनके साथ मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वहां पर आठ लाशें पड़ी हुई थीं। गांव के सारे लोग परेशानी की हालत में, दुख की हालत में सारा गांव छोड़कर चले गए थे। जैसे ही हम वहां पहुंचे हर घर से सिवाए रोने के, मातम के कुछ नजर नहीं आ रहा था। पता चला कि छोटा सा वाकया था, एक हरिजन बच्चे ने थियेटर में कुर्सी पर पैर रखा और उस पर तकरार हुई, उसके बाद हरिजन लोग बस में जा रहे थे तो किसी ने कहा कि उठो, आप बैठ नहीं सकते, दूसरे साहब को बैठने दो, यह उच्च वर्ग के हैं, उसमें थोड़ी सी तकरार हुई। बाद में यह रयूमर उठाया गया कि कुछ

हरिजन लड़कों ने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की इसलिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसका बदला लेना होगा। 5 तारीख को यह वाकया हुआ, वहां पर पुलिस भेजी गई, 50 पुलिस कांस्टेबल, 7 सब-इंसपैक्टर और एक सर्कल इंसपैक्टर के साथ उस गांव में मौजूद थे। 6 तारीख को वहां के हरिजनों को यह कहा गया कि आप यहां से निकलो, अगर आप यहां पर ठहरेंगे तो मारे जाएंगे, तो वे भागने लगे। जब भागने लगे तो वे लोग हरिजनों को मारने को तैयार थे। वह सुनने के बाद सिवाए रोने के और कुछ नहीं हो सकता, एक-एक को काटना और तुंगभद्रा कैनाल में डालना। यहां तक कि हम दूसरे-तीसरे रोज पहुंचे तो गन्नी बैग में दो-दो, तीन-तीन लाशों को बांधा पाया गया, सब लाशों को हौसपिटल ले गए थे। उनको देखने पर ऐसा लगा कि उन्होंने प्री-प्लान ऐसा किया है। हरिजनों की भी वहां पर दो हजार की पौपूलेशन है, उसमें से 200 लोग पढ़े-लिखे हैं, 200 में से कुछ ग्रेजुएट्सहैं। पोस्ट ग्रैजुएटस भी हैं। नैचुरली अब पहले की बात तो आ नहीं सकती है कि जैसे पहले हरिजन डरकर उनको बड़ी इज्जत देते आए हैं। हो सकता है कि आज पढ़े-लिखे हरिजन उस तरह से बिहेव नहीं कर रहे मगर देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि आजकल पढ़-लिखकर अपने आपको सिविलाईज्ड सिटीज़न समझकर रहना भी मुश्किल हो गया है। यही नहीं, आंध्र प्रदेश में यह वाकया अब से नहीं बल्कि श्री एन०टी० रामाराव जब पहली बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए तो 15 दिन में बद्राकूपम जल गया। मैं वहां दूसरे दिन पहुंचा तो पूरे मकान, लोग जला दिए गए। जो बचे हुए थे उनको वहां बैठकर मुझे राशन लाकर देना पड़ा। आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई।

इतना ही नहीं, आगे बढ़ेगे तो कारमचेडू का एक वाकया छः महीने के बाद फिर हुआ। उनके साथ शिकार खेलकर सात हरिजनों को मार डाला गया। यह भी आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों के साथ हुआ। उन्हें मारा ही नहीं गया बल्कि स्त्रियों की इज्जत के साथ भी खिलवाड़ हुआ। हम यह सब घटना आंध्र प्रदेश में देखते आ रहे हैं। नीरूकोडा का भी वाकया आ जाता है। वहां पर भी इसी तरह से हुआ। आखिर में चन्दूर में, यह क्यों हो रहा है, यह आपके लिए और हमारे लिए सवाल है। इसलिये हो रहा है कि हम विद्या दे रहे हैं, बच्चों को विद्या देने के वाद वह लोग पढ़-लिख कर आगे आ रहे हैं और पुरानी बातों को बर्दाश्त नहीं कर वह आगे बढ़ना चाहते हैं। जो पुराने किस्म की बाते हैं, जो कई सौ सालों से चलती आ रही हैं उन सब को याद कर अपर कास्ट के लोग यह सोचते हैं कि हरिजनों में इतना गर्व किस तरह से आया है, कल तक उनके बाप और मां व दादा-पड़दादा हमारे पास नौकरी करते थे और आज हम पर हाथ डाल कर बात करते हैं। अब दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है मगर गांवों के अन्दर जो हालात हैं, समाज का जो रवैया है उस रवैये में कोई तबदीली ज्यादा नहीं आ रही है। ये सब सिर्फ जैलिसी से हुआ है और इसके पीछे जैलिसी के सिवाय और कुछ नहीं है। पुलिस वालों की लापरवाही से वहां जो हत्या हुई, उस वक्त भी मैंने साफ तौर पर यह कहा था कि इंसपैक्टर और सब-इन्सपैक्टर को सजा देने से कुछ नहीं होगा, जो पुलिस है या डायरेक्टर जनरल है, उनको फौरन निकाल देना चाहिये। मुझे आज यह देख कर महसूस होता है कि यह और अधिक दिन तक चलने वाला नहीं है। हम ये सारी चीजें काफी सालों से देखते आ रहे हैं लेकिन कब तक ये लोग बर्दाश्त करेंगे। अगर इसको इसी तरह से अधूरा छोड़ देंगे तो समस्या कभी भी नहीं सुलझेगी।

आज सभी पालिटिकल पार्टीज के लोग मिलकर इस देश में समानता लाने की बातें करते हैं। महात्मा गांधी और डाक्टर अम्बेडकर ने भी समानता लाने का सपना देखा था। इन दोनों के सपनों को पूरा करने के लिये कोई उपाय हमें निकालना चाहिये। अगर सभी पार्टीज मिलकर इसमें आगे आयें तो यह सपना पूरा हो सकता है।

कल गुंटूर में एजिटेशन शुरु हुआ मुख्यमंत्री ने जब यह एनाउन्स किया कि मृतकों के परिवार वालों को एक लाख रुपये, एक एकड़ जमीन और उनके घर से किसी एक को गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के उद्योग में नौकरी दी जायेगी। इसके खिलाफ भी आवाज शुरु हो गई और कई इलज़ाम लगा कर प्रौपेगैंडा शुरु किया। कल गुंटूर में जो कुछ हुआ उसका आईंदा भी होने का अन्देशा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे वहां स्थिति का जायजा लेने के लिये भेजा। वे सब देखने के बाद मेरा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वहां के जो हालात हैं, उनके बारे में यहां कुछ बताऊं सो मैं बता रहा हूं। उस झगड़े में जिन लोगों की हत्या हुई वह चाल पहले से ही सोच समझ कर बनायी गई थी जो कि बहुत बुरी बात है। अगर हम सही मायने में देश की खिदमत करना चाहते हैं तो हम सब का यह फर्ज हो जाता है कि हम इस आग को बढ़ाने से पहले उसे बुझा दें और हम सब मिलकर आगे आयें तभी इसमें एक राय हो सकती है।

यह कहा गया कि वहां पुलिस थी लेकिन कारमचेडू में कोई पुलिस नहीं थी और कई गांव इस तरह के हो

सकते हैं जहां पुलिस नहीं हो सकती है। इसलिये कोई पक्का रास्ता निकालने के लिये मेरी सभी पालिटिकल लीडरों से यह प्रार्थना और अपील है कि हम बुनियादी तौर से इस मसले को हल करने की कोशिश करें।

इन चन्द अल्फाज़ के साथ जो दृश्य में देख कर आया हूं जो दुख उससे मुझे हुआ है, वह मैंने प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा दिया है और उसको आप सब लोगों के सामने रखने की कोशिश की है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

5.00 म०प०

अनुवाद]

श्री ए० अशोकराज (पेरम्बलूर): महोदय, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक दल की ओर से मैं खेद के साथ कह रहा हूं कि स्वतंत्रता के चालीस वर्षों के बाद भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्प संख्यक समुदायों पर अत्याचार हो रहे हैं।

महोदय, यदि हम अतीत की ओर मुड़ कर देखें तो देश के किसी कोने में जब ऐसी कोई घटना घट जाती है तो संसद् में भी इस पर चर्चा मात्र परम्परा की निर्वाह करने जैसी होती है। समाचार पत्रों में देश के किसी कोने अत्याचार की घटना को प्रकाशित किया जाता है लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इसके अतिरिक्त देश के सभी हिस्सों में ऐसी अनेकों घटना घटती लेकिन वे प्रकाशित नहीं हो पाती हैं और हम नहीं जान पाते हैं। हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार की घटनाएं बढती ही जा रही हैं और उनमें कमी नहीं आ रही हैं।

यहां कुछ सदस्यों ने कहा कि अनेक स्थानों पर अत्याचार की घटनाएं घटी हैं। मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उनके बारे में कह कर भी कुछ नहीं किया जा सकता है। साथ ही, चंडूर गांव में हाल ही में अत्याचार की घटना घटी है वह इस संसद के सदस्यों की याददाश्त में ही नहीं देश के सभी लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है।

जब भी देश के किसी हिस्से में ऐसी अत्याचार की घटनाएं घटी हैं उसमें अनेक जाने चली गई हैं, सम्पत्ति लूटी गई है, मवेशी उठा कर ले जाई गई हैं और महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। यह आम बातें हैं जिसे कोई इंकार नहीं कर सकता।

यदि हम पिछली अत्याचार की घटनाओं को देखें तो पाएंगे कि पुलिस और राजस्व अधिकारी इसके लिये बहुत अधिक उत्तरदायी हैं। उन्हीं के चूक के कारण ऐसी घटनाएं घटती हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अधिकतर अत्याचार की घटनाएं गांवो में ही घटित होती हैं। इसका एक कारण अस्पृश्यता है। फिर भी मैं यह कहते हैं कि अस्पृश्यता की भावना अब नहीं है। अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून बने हुए हैं। लेकिन वास्तव में इस देश में क्या हो रहा है? मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री अपने अत्यधिक अनुभव के आधार पर इस पर विचार करेंगे और कठोर कदम उठाएंगे। जब तक हम कठोर कदम नहीं उठाएंगे हम यह आशा नहीं कर सकते कि अधिकारी उनकी ठीक से देख भाल कर सकेंगे।

महोदय, अत्याचार या अस्पृश्यता केवल सांप्रदायिकता और समुदाय आधारित ही नहीं है बल्कि हमें यह भी ध्यान देना होगा उच्च जाति के लोग अनुसूचित जाति के लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सुदूर गांव में एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। यहां तक कि उस बैंक का शाखा प्रबंधक भी वहां ऋण लेने आए लोगों विशेषरूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों से कहता है कि इस परिसर से बाहर चले जाइए और यहां का वातावरण दूषित हो जाएगा। लोगों की ऐसी धारणा है जिसे हमें समझना चाहिए।

यदि रिपोर्ट आती है और उसकी जांच की जाती है तब संबंधित प्राधिकारी उच्च अधिकारियों की टिप्पणियों पर ही कार्यवाही करते हैं जो कि सच्चाई से दूर होती हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें कुछ बातों के बारे में सोचना चाहिए ताकि इन लोगों को बचाया जा सके। हमें उन कारणों की जांच करनी चाहिए कि इन लोगों पर इस प्रकार के अत्याचार क्यों हो रहे हैं। मेरे आकलन के अनुसार इसके चार मुख्य कारण हैं भूमि से उनकी बेदखली, ऋण में डूबे होना, गरीबी और अशिक्षा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनके रास्ते में आने वाली इन सभी समस्याओं, को सुलझाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने से संबंधित अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 335 में अंतर्विष्ट संविधानिक प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।

दूर-दराज़ के गांवों से आने वाले माननीय सदस्य जानते है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को गांवों में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनकी एक समस्या आवास की है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश व्यक्ति घास-फूस की छत वाले घरों में रहते हैं। घास-फूस की छत होने से आग लगने की घटनाएं अधिक होती हैं। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इन सभी लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

दूसरी समस्या पेयजल की है। उन पर अनेक अत्याचार पेयजल उपलब्ध न होने के कारण किए जाते हैं। जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति उस कुएं से पानी लेने का प्रयास करता है जो उच्चतर समुदाय का है तब टकराव होता है क्योंकि उच्च जाति के लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को उनके कुएं से पानी नहीं लेने देते। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार को इन लोगों को पेय-जल की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

मैंने गांवों में देखा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए उपयुक्त शमशान भूमि तक भी नहीं है। यह भी क्षोभनीय बात है कि उनके लिए शमशान भूमि तक पहुंचने के लिए उचित रास्ता भी नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों और उच्च जाति के लोगों के बीच टकराव का एक कारण यह भी है।

मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं और स्वीकार करता हूं कि सरकार इन लोगों के लिए कुछ कार्य कर रही है। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि वास्तविकता यह है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में से कुछ अंश ही तो उन तक पहुंच पाता है क्योंकि भ्रष्ट अधिकारियों और मध्यस्थों द्वारा अधिकांश सहायता हड़प ली जाती है। अतः मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सरकार को ऐसी व्यवस्था अपनानी चाहिए जिससे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य योजनाओं के अंतर्गत जो सुविधाएं इन्हें उपलब्ध हैं वे उन तक सीधे पहुंच सकें। वर्तमान में बैंकों द्वारा जो ऋण दिया जाता है वह परिसंपत्तियाँ सृजित करने के नाम पर दिया जाता है। इसलिए उस ऋण का बड़ा भाग बेनामी के तौर पर लोगों द्वारा ले लिया जाता है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए ताकि वे अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें।

सुंदर घटना के बारे में सरकार ने विशेष न्यायालय गठित किया है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि विशेष न्यायालय उसी स्थान पर गठित किया जाना चाहिए जहां घटना घटी है ताकि वहां के लोग अपना मामला ठीक प्रकार से रख सकें।

जब तक हम इन अभाग्यशाली लोगों के लिए ये सभी कार्य नहीं करते हैं तब तक हम उनकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर सकते हैं।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यदि हम उपयुक्त ढंग से कदम नहीं उठाएंगे, इन लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं करेंगे तो यह लोग हमेशा चुप नहीं रहेंगे। वे विद्रोह करेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले की जांच करें और आवश्यक कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय: अब प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन बोलेगी। आपके पास समय बुहत कम है। कृपया सहयोग कीजिए। हमारे पास केवल तीन मिनट हैं और एक, दो माननीय सदस्यों को भी बोलना है। प्रत्येक को दो मिनट मिलेंगे।

प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम): मैं पूरा प्रयास करुंगी **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: यह बात तो ठीक है कि तीन अथवा पाँच मिनट में विषय के साथ न्याय नहीं किया जा सकता है। लेकिन सभा के पास समय बुहत कम है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार): हम लोग क्या यहां मक्खी मारने के लिए हैं। हम लोगों को बोलने का समय नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग यहां क्या करने के लिए हैं **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पासवान जी। आपका क्या कहना है? अब समय समाप्त हो रहा है और कुछ माननीय सदस्यों को अभी बोलना है।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट): हमें भी अपने विचार परकट करने हैं। हमें भी समय दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन: महोदय, मैं सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तेजी से बोलने का प्रयास करुंगी। **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु: कोई निश्चित तरीका होना चाहिए। क्या हम यहां पर आपकी दया से अथवा किसी और की दया से हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): महोदय, आप राष्ट्रीय समाजवादी दल और फारवर्ड ब्लॉक को भी कुछ समय दीजिए क्योंकि वे भी अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सूखे और बाढ़ के बारे में चर्चा आज पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप कुछ समय बढ़ा दीजिए ताकि राष्ट्रीय समाजवादी दल और फारवर्ड ब्लॉक के सदस्य भी अपने विचार प्रकट कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय: हां, अब प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन।

प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन: महोदय, दसवीं लोक सभा में मेरा पहला भाषण होने के कारण मैं सबसे पहले अपने प्रिय नेता श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं।

इस संदर्भ में मुझे गर्व के साथ यह याद आता है कि हमारे प्रिय नेता ने ही वर्ष 1989 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की थी। यह निगम 8 फरवरी, 1989 को स्थापित किया गया था। मेरी जानकारी के अनुसार इस निगम ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की भलाई के लिए 179.25 करोड़ रुपये की 84 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ऑटो-रिक्शा की सप्लाई, भूमिहीन मज़दूरों के लिए गैर-सरकारी भूमि की खरीद आदि शामिल किए जा सकते हैं। मैं विस्तार से नहीं कह रही हूं। मेरा कहना केवल यही है कि स्वर्गीय राजीव गांधी भी उसी प्रकार कार्य कर रहे थे जिस प्रकार हमारी (राष्ट्रपिता) महात्मा जी, भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों—स्वर्गीय पंडित जी, स्वर्गीय शास्त्री जी और स्वर्गीय इंदिरा जी ने किया। राजीव जी ने भी इस दिशा में अथक प्रयास किये।

महोदय, स्वतंत्रता के प्रारंभिक दिनों में भारत वर्ष में एक वर्ष में लगभग दो सौ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति मिल रही थी लेकिन अब यह संख्या बढ़कर एक वर्ष में चौदह लाख हो गई है जो चालीस साल इस देश पर शासन करने वाले चार कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों, जिन्होंने हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति गहरी चिंता, व्यग्रता और व्याकुलता को दर्शाता है।

मैं चार साल में अन्य चार प्रधान मंत्रियों के बारे में भी जानती हूं।

हमारे नए प्रधान मंत्री और उनके सहयोगी भी उन नीतियों को अच्छी तरह से जानते हैं जो उनके पूर्ववर्ती प्रधान मंत्रियों ने अपनाई। तथापि हरिजनों पर वर्ष दर वर्ष अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। देश में गैर-अनुसूचित जातियों द्वारा अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अपराधों की भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपराध-वार आंकड़ों की सरकारी विवरण दर्शा रहा है कि ऐसे अपराध वर्ष 1986 में 15,403 थे, वर्ष 1987 में 13,529, 1988 में 15,207 और 1989 में 15,726 थे वर्ष 1990 में इनकी संख्या 16,562 थी। यह संख्या उतरोत्तर क्यों बढ़ रही है?

महोदय, जीवन के सभी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करके हम उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस लोकसभा में भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का 20 प्रतिशत भाग आरक्षित है जहाँ वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियाँ देश की कुल जनसंख्या का 15.75 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियाँ उसी जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 7.8 प्रतिशत भाग है। मैं यह भली-भाँति जानती हूँ कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का लगभग 85 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। जो शहरी क्षेत्रों में रहते है वे झुग्गी-झोंपड़ियों में रहते हैं। अनुसूचित जातियों का 78 प्रतिशत से अधिक भाग गरीबी की रेखा से नीचे अनुमानित किया गया है। संपूर्ण भारत में 41.3 प्रतिशत औसतन साक्षरता की तुलना में उनकी साक्षरता प्रतिशत केवल 21.38 है। इस प्रकार से अनुसूचित जातियों और जनजातियों का संख्या आदि का ब्यौरा है। आर्थिक, शैक्षिक व सामाजिक और वित्तीय रूप से पिछड़े वर्गों और जातियों को, जो हमारे भाई-बन्धु हैं, ऊपर उठाने की हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद हमारे देश में क्या हो रहा है?

महोदय, एक राष्ट्र के निर्माण के लिए हमें ईमानदार एवं वास्तविक प्रयत्नों, जो व्यक्तिगत रूप से शुरू हों, की जरूरत है। एक माँ अपने बच्चे को एक महात्मा जी के पास मिठाई खाने की उसकी बुरी आदत को दूर कराने के लिए उनकी सलाह लेने गई। महात्मा जी ने उनसे मुलाकात का एक और अवसर दिया और कुछ दिनों के बाद जब वे वापिस आये, तो उन्होंने उस लड़के को अधिक मिठाई न खाने की सलाह दी। उसकी माँ ने एक प्रश्न किया कि उनके पहली बार आने के समय यह सलाह क्यों नहीं दी? फिर महात्मा जी ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ जवाब दिया कि उस वक्त वह स्वंय भी मिठाइयाँ खाने की उस बुरी आदत के शिकार थे और वे उस लड़के को उस बुरी आदत से दूर रहने की सलाह कैसे दे सकते थे। उन्होंने फिर बताया, कि अब वह इस बुरी आदत से मुक्त हैं तथा उस लड़के को सलाह देने के लिए वह पूरी तरह से योग्य है। महोदय, जब हम हरिजनों पर हुए अत्याचारों के लिए शोक मनाना शुरू करते हैं, मैं इस योग्यता की उम्मीद रखता हूँ। महोदय, मेरे लिए एक आदमी, यहाँ तक कि जब वह देश के उच्चतर पद पर है तथा विशेष रूप से अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जो एक पत्नी गाँव में तथा दूसरी शहर में रख रहा है, को हरिजनों पर हुए अत्याचारों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और वह सिर्फ इसलिये क्योंकि वह दो असहाय हरिजन महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है। अन्यथा वह हर समय कम से कम जब भी वे संपूर्ण भारत में राष्ट्र-विरोधियों द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध शिकायत करने के लिए अपना मुंह खोलते तो उस समय पाप स्वीकार करें।

महोदय, श्री राम विलास पासवान के वक्तव्य से कि हर फूल को मुस्कराने का अधिकार होता है, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। लेकिन मुझे खेद है कि भारत में हर कहीं गुलाब के फूलों को स्वंय उनके उत्पादकों द्वारा स्वंय कुचला जाता है।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस महान सभा में उठाये गये प्रश्न संख्या 125 की तरफ दिलाना चाहता हूँ। मान० सदस्य प्रश्न में वर्ष 1990-91 के दौरान दूरदर्शन पर श्री बी० आर० अम्बेडकर साहेब पर कितने कार्यक्रम तथा श्री जवाहर लाल नेहरू पर उनके जन्मशताब्दी वर्ष पर कितने कार्यक्रम दिखाये गये पूछना चाहते हैं तथा मुझे आश्चर्य है कि तीसर प्रश्न इस भेदभाव के लिए, अगर कोई कारण हो तो, उसके बारे में था। मान० सदस्यों को किन कारणों की उम्मीद है? भगवान का शुक्र है कि उसमें ज्यादा अंतर नहीं था। परंतु आम आदमियों की ऐसे प्रश्नों के उत्तरो में ज्यादा दिलचस्पी होती है। मान लीजिये—इन दोनों कार्यक्रमों की संख्या में अधिक अंतर है, तो तथाकथित दलित वर्ग या जाति शायद सोचना शुरू कर देतीः अरे, हमारे बाबा साहेब को उनके नेहरू से कम समय मिल रहा है—देखिये मुझे डर है कि इस प्रकार का वर्गीकरण हो सकता है। कैसी तुच्छ बांत होगी। और उसके अगले दिन ही वे अपने प्रतिनिधि की सदन में यह प्रश्न उठाने और एक बड़े रहस्य से पर्दा उठाने, अगर उसे ऐसा कहा जा सकता हो, प्रशंसा करनी शुरू कर देते। उसका आदर उनके नायक की तरह होता। मेरे मुताबिक ऐसे नायक और उनकी सेवाएं कभी न खत्म होने वाली अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित हमारे देश की समस्याओं को सुलझाने में सिरदर्दी बने हुए हैं।

महोदय, अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर हुए अत्याचारों पर चर्चा की अनुमति अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के मामले पर हुई थी।

लेकिन महोदय, मैं आपके माध्यम से उत्तर-प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल या देश में अन्य श्रेणी के लोगों पर हुए अत्याचारों को इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं।

सुन्दुर के दौरे के तुरंत पश्चात् आंध्र-प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा जो उपाय किये गये, उनको सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। परन्तु मैं उन घटनाओं को भूल नहीं सका जो श्री वी० पी० सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में हुई जब वे प्रधान मंत्री के पद पर थे और उनकी पार्टी ही इस राज्य पर शासन कर रही थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि तीन बार ग्यारह महीने के राष्ट्रीय मोर्चा वामपंथी मोर्चा के परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्पित संयुक्त मोर्चे के शासन के दौरान उनके अपने राज्य से ये समाचार आये। मेरे मित्र श्री मुकुल बालकृष्ण ने बिहार, उड़ीसा आदि के बारे में स्पष्ट तस्वीर पेश की है।

सालो पहले, जब स्वर्गीय इंदिरा जी विपक्ष में थीं, बेलायी नामक स्थान पर हरिजनों पर दुर्भाग्यपूर्ण अत्याचार हो रहे थे। साधारण आवागमन के साधनों द्वारा वहां पहुंचने के लिए एक सड़क तक नहीं थी। कृपया राष्ट्रमाता, इंदिरा जी की यादों का पुनर्स्मरण कीजिये, उनका स्वयं एक हाथी की पीठ पर बैठकर बेलपी पहुंचना और निराश वर्ग को सात्वंना देना।

मैं आपके माध्यम से सारे राष्ट्र से अनुरोध करती हूं कि अपने दबाये गये भाई बंधुत्वों को ऊपर उठाने के लिए इस देश के सभी भागों से निःस्वार्थ और उत्साहपूर्वक किए गए प्रयत्नों की ज़रूरत है

उपाध्यक्ष महोदयः अब श्री चित्त बसु को बोलना है।

श्री पीयूष तिरकीः हम चार सदस्य यहाँ है। कुछ नियम भी होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदयः आपके नाम इसके बाद आ रहे हैं।

श्री पीयूष तिरकीः मेरा नाम अगला क्यों है?

उपाध्यक्ष महोदयः आपका नाम श्री चित्त बसु के तुरंत बाद में है।

श्री पीयूष तिरकीः क्या यह निश्चित है?

उपाध्यक्ष महोदयः हां, यह निश्चित है।

श्री पीयूष तिरकीः फिर तो मैं सहमत हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः क्या मैं श्री चित्त बसु को बोलने के लिए अनुरोध कर सकता हूँ।

श्री चित्त बसुः मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर कोई मुझसे पहले भी बोलना चाहता हो।

मैं संक्षेप में अपनी बात कहूँगा क्योंकि मैं जानता हूं कि समय का अभाव है यह अवसर मुझे इस अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर ढाये गये अत्याचारों पर सभा में गहरी चिंता व्यक्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। इसका लगाता है, कोई अंत नहीं है।

मैं इस सभा को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों में यह एक आम भावना घर कर गई है कि अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा करने के मामले में संसद, न्यायपालिका तथा कार्यकारिणी असमर्थ है।

देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए स्वतंत्रता और जीने का अधिकार कोई अर्थ नहीं रखते। एक समय आयेगा वह समय बहुत दूर नहीं है—जब करोड़ों मूक लोगों का विशाल भाग अपने को समझेंगा और उन लोगों का विरोध करेंगा जो उन पर अत्याचार करते हैं। मुझे सरकार से केवल एक शिकायत है और वह शिकायत बहुत साधारण सी है मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस पर ध्यान दें।

महोदय, हमने अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग बनाया है। वह आयोग नियमित रूप से प्रतिवेदन देता रहता है। उस आयोग की सभी सिफारिशों की उपेक्षा करना सरकार की आदत रही है। कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य अथवा निष्कर्ष जो अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति आयोग ने दिये हैं उनको माननीय गृह मंत्री महोदय के नोटिस में लाने की मुझे अनुमति दें। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए (अप्रैल, 1990) बनाये गये राष्ट्रीय आयोग की हाल की रिपोर्ट के अनुसार उस अवधि के दौरान वर्ष 1981 से 1986 के मध्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के 4022 लोग मारे गये। प्रतिदिन एक से अधिक हत्या की वह दर थी। फिर दुबारा उसी अवधि में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दलितों के विरुद्ध 1,15,000 अपराध दर्ज

किये गये। इसके अतिरिक्त नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के अंतर्गत हजार से आधिक मामले दर्ज किये गये। यह रिपोर्ट मेरे द्वारा नहीं दी गई है; यह आरोप मैंने नहीं लगाये हैं; ये व्यक्तिगत तौर पर लगाये गये आरोप नहीं है अथवा हमारे देश के किसी निजी व्यक्ति के द्वारा नहीं लगाये गये है।

ये आरोप अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, जिसे अब वैधानिक मान्यता मिल गई है, द्वारा लगाए गए हैं। अब, सरकार को उत्तर देना है। मैं जानना चाहता हूं कि वैधानिक आयोग द्वारा लगाए गए इन आरोपों की उपेक्षा की जाती रहेगी, हमेशा के लिए उपेक्षा की जाएगी या उन्हें गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा। माननीय गृहमंत्री को इसका उत्तर देना है।

महोदय, हम में से अधिकांश लोग जानते हैं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के 84 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। आज गांवों की क्या स्थिति है? वे कहते हैं कि इस मामले पर राजनीति से ऊपर उठकर विचार होना चाहिए। हरिजनों और आदिवासियों को पूर्व के क्रूर शासन में सर्वाधिक दमनपूर्ण तरीके से रहने पर बाध्य होना पड़ा, गांवो की ऐसी प्रभुता के तहत रहना पड़ा जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। क्या यह आपका कर्तव्य नहीं है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों से उनकी सुरक्षा करें। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने कहा है कि आदिवासी और हरिजनों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर ज्यादा अत्याचार होते हैं। उनका कहना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के राष्ट्रीय आयोग द्वारा 1987 में किया गया सर्वेक्षण जिसे 1990 में प्रकाशित किया गया, जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम भारत के सात राज्यों के 100 परिवार जो इन अत्याचारों के शिकार हुए थे उनकी वार्षिक आय के बारे में था, इस सर्वेक्षण में पाया गया कि 41 पीड़ित 3500/- रुपए की उच्च सीमा के आय समूह में आते हैं और सिर्फ 13 10,000/- रुपए के आय समूह में आते हैं। अतः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के गरीब वर्गों पर ही आक्रमण और भीषण आक्रमण अधिक होते हैं।

महोदय, मैं चर्चा नहीं करना चाहता और अधिक तथ्य नहीं देना चाहता। उस अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि 1981 और 1986 के बीच, प्रति लाख जनसंख्या में सामान्य अपराध दर 10 प्रतिशत कम हो गई जबकि अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ किए गए अपराधों में सिर्फ 4 प्रतिशत की कमी आई। अपराधों में दस प्रतिशत की सामान्य कमी हुई। किन्तु अनुसूचित जाति और जनजातियों के मामले में सिर्फ चार प्रतिशत की कमी आई। अर्थात्, अनुसूचित जाति और जनजाति पर हो रहे अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक और विशिष्ट कारक के कारण भी है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के युवक और युवतियां अब यह अनुभव करने लगे हैं कि वे भी इन्सान हैं, और उन्हें भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, वे भी मानव अधिकारों का भोग कर सकते हैं, उन्हें भी जीने का अधिकार है और वे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। वे स्वयं को व्यक्त कर रहे हैं। अगर सरकार इन बातों पर विचार नहीं करेगी, मेरे विचार से, यहां सिर्फ वैधानिक मामलों पर चर्चा करने से हमारे देश के इन लोगों की गुलामी का अंत नहीं होगा। यह मेरे कहने की बात नहीं है। किन्तु मुख्य बात है देश में सामंतवाद के खिलाफ लड़ना और इसके लिए, न्यूनतम वेतन निर्धारित करने, और सिर्फ निर्धारित ही नहीं करना बल्कि न्यूनतम वेतन अधिनियम को लागू भी करने के लिए भूमि सुधार कानूनों के क्रियान्वयन पर विशेष बल देना होगा। स्पष्टतः, हमारे समाज के इस बहुसंख्यक दलित वर्ग की आर्थिक स्थिति दृढ़ करने पर बल देना होगा। मेरे विचार से यह जब तक यह नहीं किया जाता, सहानुभूति की एक दिखावटी अभिव्यक्ति होगी। मैं इस इस विचार के विरुद्ध हूं। ये मुद्दे राजनैतिक मुद्दे नहीं है। ये मुद्दे कुछ अच्छे शब्दों और मीठे शब्दों के संबंधित मुद्दे नहीं हैं। ये मुद्दे मुख्यतः आर्थिक मुद्दे हैं और मूलतः राजनैतिक मुद्दे हैं और इस मुद्दे के राजनैतिक और आर्थिक पहलुओं को सुलझाना होगा। मुझे आशा है, कि माननीय गृहमंत्री मूल समस्या को समझेंगे और सुधारात्मक कदम उठाएंगे।

[हिंदी]

श्री पीयूष तिरकी: उपाध्यक्ष महोदय, हर सत्र में अनुसचित जाति और अनुसचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार के विषय पर बहस होती है और सरकार भी बोलती है, आश्वासन देती है कि यह करेंगे, वह करेंगे। सरकार कभी किसी जाति की आज तक रक्षा नहीं कर पाई है। जिस जाति में दम नहीं है वह जाति नहीं बच सकेगी, यह इतिहास बताता है। अंग्रेजों के समय में अनुसूचित जाति के लिए शिड्यूल्ड एरिया क्यों बनाया गया,

इसलिए कि हरिजन-आदिवासी लोग शासन नहीं कर सकते थे और इन लोगों को मारा जाता था, डी॰ पी॰ साहब भी थे उनको भी जंगल में काट दिया गया। इसीलिए शिड्यूल्ड एरिया बनाया गया था और कहा गया था कि जंगल कानून नहीं चलेगा, गवर्नर जनरल का शासन चलेगा। संविधान में लिखा हुआ है, पांचवे और छठे शिड्यूल्ड में लिखा हुआ है। यह सरकार हमारी बातों को क्या मानेगी, खुद संविधान की बात नहीं मान रही है। आज भी अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन संविधान में उनकी रक्षा के लिए क्या किया गया है, आप संविधान पढ़ें और जो उनके बारे में उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार क्यों नहीं चलते। हम लोगों ने धर्म परिवर्तन किया अनुसूचित जाति के बने, सिर्फ बचने के लिए। लेकिन अभी क्या है कि न तो मुसलमान बचा सकता है, न हिन्दू और क्रिश्चिएन बचा सकता है। आप वोट मांगने जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। लोकतंत्र है वोट किस को दें यह राजनैतिक सवाल है। आज पश्चिम बंगाल में डेढ़ सौ से ऊपर शिड्यूल्ड कास्ट्स हैं, एक भी बी॰जे॰पी॰, कांग्रेस या जनता दल नहीं जीत सकी, सारे के सारे वामपंथी को वोट गये। एक भी अनुसूचित जाति का सांसद या विधायक इनका पश्चिम बंगाल में नहीं है इसलिए कि उनका बचाव हुआ है और वे मर्यादा से जीते हैं और उनके जान-माल, जमीन की रक्षा वहां की सरकार द्वारा की गई है। उनकी मां-बहनों सबको इज्जत दी गई है। कोई ब्राह्मण, कोई बड़ी जाति उनको ध्यान से देखे तो वहां पता चलेगा कि उनको एक साथ खाना पड़ता है। चाहे यहां पर मुखर्जी हैं, बनर्जी हैं, वे लोग बड़े नहीं होते, मजदूर के साथ खाना खाते हैं। इसलिए कहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट्स के नुमाइन्दे पार्लियामेंट में आये हैं, इस जाति को धोखा दे रहे हैं। जब तक आदिवासियों और हरिजनों द्वारा कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा जायेगा, इनके ऊपर अत्याचार होते रहेंगे। पश्चिम बंगाल में वामपंथी उनके लिए जान देने के लिए तैयार हैं। वामपंथी सरकार ने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राईब्स के लिए जमीन दी और उनके लिए सब कुछ किया। इसलिए में सारे हिन्दुस्तान के शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राईब्स के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जो धोखेबाज हैं, इनको वोट मत दो, इनके दल को छोड़ो, इनका पीछा छोड़ो। जो दल हमारी रक्षा कर सके, हमें प्राण दे सके, उस दल के साथ तुम आओ, तभी तुम बच सकोगे। दल चुनें, इनके बचाने से क्या होगा, क्या राम से रक्षा होगी, आप इन लोगों से नहीं बचोगे। ये मारने वाले हैं, वे सताने वाले हैं। ये छूआछात करके आदमी को इन्सान नहीं मानते हैं, उनके पास इनकी छाया तक दूषित होती है, तो बी॰जे॰पी॰ में क्यों रहेगी? 40 साल तक कांग्रेस ने राज किया, इन्होंने सब को मारा है, उनके खेत लूटे हैं, जमीन लूटी है, कितने ही अत्याचार किये हैं और कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस के अन्दर ट्राईब्लस के कई नुमाईन्दे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हवा चल रही है। अभी वहां पर सारे ट्राईब्ल एरिया में गड़बड़ है । सरकार का माथा गर्म है, और गर्म होगा। यदि आप साहस नहीं करोगे तो ट्राइब्ल एरिया में रुकना आपके लिए मुश्किल हो जायेगा। हमारी बंदूक काम नहीं करेगी, मिलिटरी पावर कुछ भी नहीं कर सकेगी। आप इस जगह पर आ गये हैं। इसलिए सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इन जातियों के साथ खिलवाड़ मत करो, ये दया नहीं चाहते हैं। डेमोक्रेसी में क्या दया देते हैं?मेरा अधिकार है, हम अधिकार चाहते हैं और अधिकार के लिए लड़ेंगे। जब तक बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, वामपंथी ने जो रास्ता दिखलाया है, वामपंथी लोगों ने ही इनको ऊपर करना है, दूसरा कोई भी नहीं कर सकेगा। ये लोग वोट के समय जाकर बहुत किस्म का प्रॉब्लम लेकर आते हैं। कहीं तो शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को वोट नहीं देने देते हैं। उस इलाके के जहां से ये नुमाइन्दे आये हैं, वे कहां हैं? कौन दल का है और उस दल के आदमी को दामी वोट दिया है, अमूल्य वोट का लैक्चर देते हैं। कोई मीटिंग तक नहीं बुलाई? इसलिए कहता हूं कि गरीब को मारने वाला, सताने वाला जो दल है, उसको इनको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आदिवासी और हरिजनों को चेतावनी है कि एक दल चुनना पड़ेगा जब तक आदिवासी और हरिजनों को चेतावनी है कि एक दल चुनना पड़ेगा जब तक दल नहीं चुनेंगे, तब तक आप बच नहीं सकोगे।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी॰ मरबनिआंग (शिलांग): उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों पर हो रहे अत्याचार संबंधी इस प्रस्ताव के माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं अनुसूचित जनजाति का सदस्य हूं। मैं सभी मित्रों को जिन्होंने अत्याचारों के विभिन्न पहलुओं का जिक्र किया है और उनके द्वारा सुझाए उपचारात्मक उपायों के लिए धन्यवाद करता हूं।

महोदय, इस मुद्दे पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, वह सरकार के उस, जालिम आदेश के बारे में है, जो अनुसूचित जातियों के जो लोग ईसाई बनाए जा रहे हैं उनके अधिकार और विशेषाधिकार वापस लेने से

संबंधित है। महोदय, यह बहुत अजीब है कि जब सन् 62 में प्रेम और पुनर्जीवन का संदेश भारत में आया था, तब से आज तक, हमारे इस प्रिय देश में ईसाई धर्म के खिलाफ भेदभाव होता जा रहा है।

मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में दस हजार से भी अधिक अनुसूचित जाति के लोगों ने धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म अपनाया है। उन्हें उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों से इसलिए वंचित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है।

पिछली बार जब मेरे मित्र श्री राम विलास पासवान द्वारा नव-बौद्धों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए 52वां संविधान संशोधन विधेयक सभा में प्रस्तुत किया गया था, ताकि वे संविधान द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को दिए गए अधिकारों और विशेषाधिकारों का लाभ उठा सकें। तब हमने विधेयक में एक संशोधन रखा था जिसमें मंत्री से दलित ईसाइयों को भी विधेयक में सम्मिलित करने का अनुरोध किया था। मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया था। उन्होंने हमसे संशोधन वापस लेने का अनुरोध किया और कहा कि वे दलित ईसाइयों को भी संवैधानिक क्रम में लाने के लिए एक नया विधेयक लाएंगे। फिर भी, आज तक ऐसा कोई विधेयक नहीं लाया गया है। मुझे आशा है कि दलित ईसाइयों के विरुद्ध भेदभाव के इस क्रूर आदेश पर सरकार विचार करेगी और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए कुछ उपाय किए जाएंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के इसाई हैं और दस लाख से अधिक ब्राह्मणों ने ईसाई धर्म अपना लिया है।

मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि 4 अप्रैल, 1991 को दिल्ली में एक राजनैतिक रैली के पश्चात् लोगों का एक समूह मैथोडिस्ट चर्च में गया और चर्च में क्रास को अपवित्र किया जिसके कारण उस चर्च के बिशप ने उपवास रखा। इन कार्यों को हमें याद रखना चाहिए और किसी के साथ नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि जब हम इन लोगों की स्थिति सुधारने की बात करते हैं या अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचार को समाप्त करने की बात करते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर हमारे राजनैतिक दलों द्वारा हो रहे सामाजिक अन्याय को पहले समाप्त करना चाहिए।

हमें याद रखना चाहिए कि ईसाई भारत में ही हैं। वे भारत का ही अंग हैं। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में ईसाई हैं। हम अपने महान देश भारत की एकता और अखण्डता को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अगली बारी श्री रोशन लाल की है। मैं माननीय सदस्य से पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त करने का निवेदन करता हूं।

श्री रोशन लाल (खुर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम इस सभा में अनुसूचित जाति के संसद सदस्यों, जो इस सामाजिक कलंक के कारण सबसे अधिक कष्ट सहते हैं, को इन अत्याचारों के बारे में अपने उद्‌गारों को प्रकट करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। दूसरे, मैं इस सम्माननीय सदन में पहला भाषण दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मदद करेंगे।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचारों पर इस सम्माननीय सदन के बीच बोलने के लिए दिए गए अवसर के लिए मैं आपका आभारी हूं।

अनुसूचित जातियां, जिन्हें हिन्दू जाति के लोग, ऊंची जाति के लोगों की सेवा करने और खराब, अपमानजनक और छोटे कामों को करने के लिए भगवान द्वारा नियुक्त किए गए लोग मानते हैं, वे भारत की कुल जनसंख्या का 15% है। इन जातियों के लगभग 90% लोग ग्रामीण भारत में रहते हैं और अशिक्षित हैं। इनमें से 75% से अधिक लोग भूमिहीन मज़दूरों के रूप में कार्य करते हैं। हिन्दू समाज की विशेषता इसकी विशिष्ट सामाजिक रचना और मूल्यों पर आधारित है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को अस्पृश्य समझना इस व्यवस्था का सबसे बुरा पहलू है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग बन कर रह गया है। हमारे समाज में ऊंची जाति वालों द्वारा अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार, छेड़खानी, अत्याचार, हत्या और बलात्कार एक आम बात हो कर रह गई है।

भारत में अस्पृश्यता और क्रूरता विभिन्न रूपों में, अस्पष्ट और स्पष्ट रूप में, हमारे महात्माओं, धार्मिक नेताओं, समाज सुधारकों और स्वतंत्र विचारकों के व्यक्तियों में सदा ही रही है। यह बहुत दुःख की बात है कि

हमारा शिक्षित समाज भी एकमत होकर इस सामाजिक बुराई की निन्दा नहीं कर रहा है। इसके विपरीत, बहुत से लोग इस बुराई का समर्थन करते रहे हैं।

सदियों पुरानी इस बुराई के कलंक और अपमान से बचने के लिए हज़ारों अनुसूचित जाति के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है किन्तु फिर भी वे अस्पृश्यता और अत्याचार से नहीं बच सके। स्वतंत्रता के 40 वर्षों के पश्चात् भी, इस बुराई को दूर करने के लिए उठाए गए कई कदमों के बावजूद, कोई सफलता नहीं मिली है। दूसरी ओर, इससे सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, खुली प्रतिक्रियाओं को दबाया जाता रहा है, और जाति, पूर्वाग्रहों पर नकली मुखौटा चढ़ाया जा रहा है। अतः अनुसूचित जातियों के प्रति अस्पृश्यता और अत्याचारों से हमारे राष्ट्र की एकता, खुशहाली और अखण्डता पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा धर्म-निरपेक्षता, प्रजातान्त्रिक समाजवाद और सामाजिक न्याय के सिद्धान्त, जिसके प्रति हम वचनबद्ध हैं, खोखले हो गए हैं। अनुसूचित जातियों को अभी भी सार्वजनिक कुओं के प्रयोग से वंचित रखा जा रहा है और उन्हें अन्य स्त्रोतों से गन्दा पानी पीना पड़ रहा है। उनके बच्चों को उन ग्रामीण स्कूलों में प्रवेश नहीं मिलता है जिनमें हिन्दू जाति के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। हालांकि वे भी हिन्दू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं और हिन्दुओं के त्यौहारों को मानते हैं, फिर भी हिन्दुओं के मन्दिर उनके लिए बन्द हैं। अतः सामाजिक, धार्मिक और नागरिक अधिकारों से वंचित रहकर, उन्हें अपनी स्थिति सुधारने का अवसर नहीं था अतः उन्होंने 'भूतकाल' और 'मृत युग' में जीवन जीया है, अपर्याप्त आवश्यक सुविधायों, स्वास्थ्यकारी स्थितियों और सामाजिक अलगाव के साथ अपना दयनीय जीवन को घसीटा है और ऊंची जातियों द्वारा इनके साथ मनुष्यों से बदतर व्यवहार किया जाता था।

भारतीय संविधान सबको न्याय, स्वतंत्रता और समानता प्रदान करता है। सार्वजनिक जीवन में केवल धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव प्रतिबन्धित है। यह राज्य द्वारा अनुसूचित जातियों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है तथा सामाजिक अन्याय और हर प्रकार के शोषण से सुरक्षा देता है।

किन्तु दूसरी ओर, अस्पृश्यता, हिन्दुत्व का एक अभिन्न अंग है। यहां तक कि हाल ही में, 1969 में जगन्नाथ पुरी के श्री शंकराचार्य ने काशी में विश्व हिन्दू धर्म सम्मेलन में अस्पृश्यता को धर्म से सम्बन्धित बताया है और इसे न्यायोचित ठहराया है।

ब्राह्मणों ने वर्ण और जाति प्रथा बनाई थी। सामान्य तौर पर, यह एक हैरानी की बात होती यदि वे जातिगत ढांचे में अपने वर्ग को सबसे ऊंचा नही रखते। अनुसूचित जातियों को वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया और सामाजिक, राजनैतिक तथा न्यायिक शक्तियों में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। इसके विपरीत, उन्हें गुलाम समझा जाता था और, वर्तमान समय के समान, मित्रों, मन्दिरों को उपहार के तौर पर प्रस्तुत किया जाता था और उन्हें भूमि, पशु और जमींदारों की अन्य सम्पत्ति के समान खरीदा, बेचा और गिरवी रखा जाता था। मालिक को अपने गुलाम की हत्या करने का भी अधिकार था। आधुनिक समय में, हमने पाया है कि जो स्थिति मनु के समय से चली आ रही थी वह न, केवल जारी रही अपितु बदतर हो गई है। यह स्पष्ट है कि कथित अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध रखने वाले लोगों के साथ भेदभाव और बुरा व्यवहार शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। यही भविष्य है जिसे प्रतिदिन देखा जा सकता है यद्यपि अनुसूचित जातियों के लोगों के प्रति अन्याय से सम्बन्धित मामलों की रिपोर्ट ऐसी नहीं की जाती जैसी की जानी चाहिए।

इस का अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए कि अस्पृश्यता और क्रूरता हिन्दुओं के लिए भी, भौतिक रूप से अथवा अन्य कारण से लाभप्रद नहीं है।

समाज में अनुसूचित जातियों ने बहुत कष्ट सहा है। उन्हें समाज में मनुष्यों से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्हें शेष समुदाय के साथ सामाजिक सम्पर्क बनाने से वंचित किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रोशन लाल, कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री रोशन लाल: अनुसूचित जातियों के प्रति अस्पृश्यता और अत्याचार न केवल अप्रशमित आर्थिक शोषण व्यवस्था, है बल्कि यह अनियन्त्रित आर्थिक शोषण व्यवस्था भी है। ऐसा इसलिए है कि इसकी निंदा करने के लिए कोई जनमत नहीं है और इसे रोकने के लिए कोई निष्पक्ष प्रशासनिक तंत्र नहीं है। जनमत में कोई तत्व नहीं है क्योंकि जो भी जनमत है वह उन हिन्दुओं के विचार हैं जो शोषक वर्ग का अंग हैं और वे ऐसे शोषण के

पक्ष में हैं। पुलिस अथवा न्यायालय से कोई रोक नहीं है क्योंकि वे सब हिन्दू हैं और शोषक वर्ग का पक्ष लेते हैं। सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए जिससे समाज का उत्थान होगा। गुन्टूर जिले में चुन्डूर घटना बहुत ही चिन्ताजनक थी। ऐसी घटना के बारे में कभी किसी ने सोचा भी न था। एक व्यक्ति की हत्या करके, उसकी टांगों, पैरों और गर्दन को काटकर एक बोरी में डालकर नहर में फेंक दिया था। हमारे इतिहास में ऐसे क्रूर, अमानवीय अपराध के बारे में कभी नहीं सुना गया। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था जब सभा में भीड़ थी। किन्तु यह घटना उस गोलीबारी से भी बदतर है। यह अपराध सामाजिक भेदभाव के कारण हुआ था और जब तक इसे समाप्त न किया जाये तब तक हमारे समाज में सदभाव नहीं हो सकता। जब पासवान जी के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल चुन्डुर गांव गया था तो हम भी गए थे। हमने उस घटना के पीड़ितों की स्थिति देखी और उनके दुःखों के बारे में सुना।

महोदय, जैसाकि विभिन्न वक्ताओं ने इस का उल्लेख किया है, विशिष्ट अधिकार-क्षेत्राधिकार के साथ एक न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए। एक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाये, जो उस स्थान का दौरा करे, वहां पर 15 या 20 दिनों के लिए रहे, सम्पूर्ण जांच कराएं और साक्ष्य रिकार्ड करे। जो व्यक्ति दोषी पाए जाएं उन्हें दण्डित किया जाये।

जहां तक मुआवजे का सम्बन्ध है, मुआवजा उन व्यक्तियों की सम्पत्ति से दिया जाना चाहिए जो इस अपराध के लिए उत्तरदायी हैं और जिन्होंने यह अपराध किया था। केवल तभी वे यह महसूस करेंगे कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को हथियार उपलब्ध कराये जाने चाहिए और उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अत्याचारों से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को उन लोगों को मुफ्त लाइसेंस और मुफ्त हथियार देने चाहिएं।

अतः, महोदय, समाज के सभी वर्गों के लिए एक समिति होनी चाहिए जिसमें सही सोचने वाले, और खुले विचारों वाले व्यक्ति हों जो उन लोगों को शिक्षित करें जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और हरिजनों के लिए बुरी भावनाएँ रखते हैं ताकि वे जाति भावनाओं से ऊपर उठे और भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हो सकें।

उपाध्यक्ष महोदय: अभी कुछ सदस्यों ने अपनी बात कहनी है अतः मेरे विचार में सदन के समय को बढ़ाना पड़ेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, सभा के समय को आधे घण्टे के लिए आगे बढ़ाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह सभा की इच्छा है कि समय को और आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाये?

कुछ माननीय सदस्य: जी हां महोदय।....**(व्यवधान)**

6.00 म०प०

उपाध्यक्ष महोदय: कई माननीय सदस्य बोलने को आतुर हैं। किन्तु वे संक्षिप्त में अपनी बात कहें।

श्री सौमेन्द्रनाथ चटर्जी (बोलपुर): इसे कितने अधिक समय तक बढ़ाया जायेगा?

उपाध्यक्ष महोदय: आधे घण्टे के लिए।

श्री पी०एम० सईद (लक्षद्वीप): दो-तीन वक्ता हैं। यदि हर वक्ता केवल पांच मिनट तक ही बोले तो हम 6.15 म०प० तक चर्चा समाप्त कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: यह माना जाए कि आधा घण्टा समय बढ़ाने का तात्पर्य यह है कि गृह मन्त्री भी 6.30 म०प० तक अपना भाषण समाप्त कर देंगे। प्रत्येक माननीय सदस्य केवल पांच मिनट तक बोलेगा। इतना सहयोग बहुत आवश्यक है।

आपकी अनुमति से, सभा को 6.30 म०प० तक, आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री रेड्डय्या, कृपया आप आरम्भ करें।

श्री के०पी० रेड्डय्या (मछलीपटनम): उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा सुनने के पश्चात् जिसमें श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री राम विलास पासवान, श्री सोनकर शास्त्री तथा श्री निर्मल चटर्जी जैसे अनुभवी व्यक्तियों ने भाग लिया, मैं अब इस सभा तथा विशेषकर माननीय गृह मंत्री महोदय के ध्यान में आंध्र-प्रदेश में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके बारे में एक विशेष बात लाना चाहूंगा।

महोदय, जहां तक आंध्र-प्रदेश में निर्मम हत्याओं का सम्बन्ध है, जिसे मैं पहले दिन ही आपकी जानकारी में ला चुका हूं, मैं सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि आंध्र-प्रदेश सरकार ने तत्काल किसी प्रकार की कार्यवाही की घोषणा नहीं की। अब संपूर्ण आंध्र दो समूहों में विभाजित हो गया है। तथाकथित उच्च जातियों के लोग इस महीने की 15 और 16 तारीख से हरिजन-विरोधी एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। उच्च जातियों में रेड्डी, कम्मा, ब्राह्मण तथा वैश्य जातियों ने गुन्टूर में हिंसक जुलूस निकाला। उन्होंने अल्पसंख्यकों से संबंधित एक संस्थान तथा ए०सी० कॉलेज में तोड़फोड़ की और जहां हरिजन लड़के पढ़ रहे थे, विश्वविद्यालय आवास के कमरों के फर्नीचर को नष्ट कर डाला। अब यह मेरे चुनाव-क्षेत्र मछलीपटनम में भी फैल रहा है। मैंने अभी हाल ही में व्यापक पैमाने पर दौरा किया है।

जबकि स्थिति इतनी गंभीर है, आंध्र-प्रदेश सरकार सो रही है। उन्होंने घोषणा की है कि वे पीड़ितों को रोजगार देंगे, वे उन्हें एक लाख रुपये, एक घर तथा एक एकड़ भूमि देंगे। ये आंध्र-प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य हैं।

15 अगस्त को जब सारा देश 45वाँ स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तो आंध्र-प्रदेश के नलगोंडा जिले में एक गाँव चिलाकुर्ती में एक स्त्री को वस्त्रविहीन करके घुमाया गया। इस निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के एक सदस्य करते हैं। चिलाकुर्ती गाँव में भुय्यम्मा नाम की एक महिला को उस गाँव के जमींदारों नारायणन रेड्डी तथा श्री परवथा रेड्डी ने वस्त्र-विहीन किया। फिर उन्होंने गलियों में उसे नग्न रूप में एक किलोमीटर दूर तक घुमाया और फिर लोगों के तमाशे के लिए एक पेड़ से बांध दिया, जहाँ उस दिन लगभग 2000 से 3000 व्यक्ति जमा हुए। फिर उसे पीटा गया। क्यों यह बात मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। मुथम्मा पांच बच्चों की माँ है। वहाँ बहुत से जमींदार थे—रेड्डी लोग भी गलियों में मौजूद थे। यहाँ तक कि पुलिस भी वहाँ थी। लेकिन यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने भी उसके विरोध में ऊंगली नहीं उठाई। एक दिन के पश्चात् उसे नागार्जुन सागर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ आंध्र-प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, गृह मंत्री महोदय तथा अन्य सदस्य और कांग्रेस (इ) विधायक आनन्दोत्सव में भाग ले रहे थे। आज तक भी वे प्रभावित महिला के पास नहीं गये और चिलाकुर्ती के जमींदारों को गिरफ्तार नहीं करवाया। यहाँ तक कि इस सदन के हरिजन सदस्यों ने भी परवाह नहीं की। वर्तमान संसद में अनुसूचित जातियों से संबंधित लगभग 80 सदस्य हैं। इन 45 वर्षों के दौरान उन्होंने किसी पार्टी के किसी प्रधान मंत्री को यह धमकी नहीं दी कि वे उनके विरोध में मत डालेंगे। इसके प्रारंभ से लेकर इस महान सभा के इतिहास में इस प्रकार का मामला कभी नहीं आया।

डा० अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बहुत सी सुविधायें प्रदान की हैं। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के 20 प्रतिशत अधिकारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से हैं लेकिन एक भी व्यक्ति हरिजनों पर अत्याचार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। पहले भी गुंटूर जिले के करमछेदू गांव में जब अत्याचार हो रहा था तो भारतीय पुलिस सेवा का हरिजन अधिकारी वहाँ पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात था लेकिन वह एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार नहीं कर सका जब दिन के समय करमछेदू गांव में यह जघन्य हत्याकांड हुआ। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा / भारतीय पुलिस सेवा के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अधिकारियों को दोष दे रहा हूँ। मैं हरिजनों अन्य पिछड़े तथा अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को दोष दे रहा हूँ। आज, अगर सचमुच हमें कमजोर वर्गों और हरिजनों की चिन्ता है तो हमें मिलकर श्री नरसिंह राव की सरकार को अविलम्ब गिरा देना चाहिये। हम कायर कहलाने के लिए तैयार नहीं हैं।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं यह गृह मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि वस्तुस्थिति इतनी साधारण नहीं है स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और देश का दो अलग हिस्सों में विभाजन होने जा रहा है। जिस क्षण हमने मुस्लिम भाइयों के साथ हाथ मिलाया, जिस क्षण हमने पिछड़े वर्ग के लोगों और हरिजनों के साथ हाथ मिलाया आप कहीं भी नहीं थे। आप मुस्लिम और हरिजन विरोधी हैं।

आंध्र प्रदेश में सभी रेड्डियों को गृह मंत्री, राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री, ऊर्जा एवं सिंचाई मंत्री आदि अध्यक्ष, सार्वजनिक-अभियोक्ता और यहां तक कि न्यायाधीश भी रेड्डियों को ही बनाया गया है। जब मैं हरिजनों और अनुसूचित जाति के मंत्रियों से पूछता हूँ कि वे कमजोर वर्गों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं वे कहते हैं [हिन्दी]

अरे क्या हुआ, हमको एक कुर्सी दी, एक टेबल दिया एक टाइपिस्ट दिया, यह कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में इस स्थिति के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व को दोष दिया जाना चाहिये तथा हम अनावश्यक रूप से ही संपूर्ण राष्ट्र को दोष दे रहे हैं। यहां कांग्रेस नेतृत्व को ही दोष दिया जाना चाहिये। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर गृह मंत्री वस्तुस्थिति का आकलन इतने हल्के ढंग से करेंगे तो कुछ समय के पश्चात् उन्हें इसका परिणाम भोगना पड़ेगा।

महोदय, मुझे इतना समय देने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

डा० आर० मल्लू (नगर कुरनूल): मैं सभा का ध्यान पिछली अनेक शताब्दियों से हरिजनों और गिरिजनों पर किए जा रहे अत्याचारों की ओर दिलाना चाहता हूँ। अन्य साथियों ने जिन्होंने हरिजनों और गिरिजनों पर किए गए अत्याचारों के विषय में बोला, उन्होंने अनेक ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जहाँ इन हरिजनों और गिरिजनों का अत्याधिक अपमान किया गया। मैं यह कहना चाहूंगा कि इन सभी घटनाओं में हरिजन और गिरिजन किसी प्रकार का विरोध प्रकट किए बगैर अथवा उस व्यक्ति को फिर मारने की कोशिश किए बगैर मर गये। लेकिन में यह नहीं कहूंगा कि वे शारीरिक रूप से कमजोर हैं। वास्ताव में यही वे लोग हैं जो बांधों का निमार्ण करते हैं। यही वे लोग हैं जो खेती करते हैं और देश के भण्डार अनाज से भरते हैं। वे ऐसे व्यक्तियों में से एक है जो घरों का निर्माण तो करते हैं परंतु दूर्भाग्य से जिन घरों का वे स्वंय निर्माण करते हैं, उसमें उन्हें घुसने की अनुमति नहीं दी जाती । वे उनमें से एक हैं जो कुएँ खोदते है परंतु उसी कुएं से जिसे वे खोद रहे है उन्हें पानी पीने की अनुमति नहीं है। वे राष्ट्रीय राजमार्ग बना रहे हैं लेकिन उन पर चलने का भी उन्हें अधिकार नहीं है। वाहन चलाने की बात छोड़िये स्पष्टतया, वे शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है।

आप पूछ सकते है कि वे यह जानने में क्यों दिलचस्पी नहीं रखते कि उन्हें कौन मार रहा है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वे यह महसूस कर रहे हैं कि उनका जन्म ही यही सभी दुख भोगने के लिए हुआ है। यही कारण है कि वे कोई बदला नहीं ले रहे हैं; यही कारण है कि वे उन लोगों पर आक्रमण नहीं कर रहे है और उस व्यवस्था पर जिसमें हम रह रहे हैं उस पर प्रहार किया जाना चाहिये अतः जाति व्यवस्था पर प्रहार किया जाना चाहिये।

मैं आपको एक मुख्याध्यापक का, जिसे एक गांव में नियुक्त किया गया है तथा एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का एक चिकित्सा अधिकारी जिसे मंडल मुख्यालय में भेजा गया है, साधारण सा उदाहरण देना चाहूँगा। आज तक भी, उन्हें रहने के लिए एक घर भी प्रदान नहीं किया है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह किसी के व्यक्तिगत तौर पर स्पष्टवादिता का प्रश्न नहीं है जो उनके रहने के लिए प्राप्त करने के रास्ते में आ रही है बल्कि जाति का मामला ही है जो उनके रास्ते में आ रहा है।

जैसा कि आप जानते है कि आंध्र प्रदेश, बिहार उत्तर-प्रदेश और किसी भी स्थान पर मुख्य अपराधी, जो इन नृशांसताओं में शामिल हैं, मुक्त घूम रहे है। वे अभी भी जिन्दा हैं। लेकिन वे लोग जो इन घटनाओं में मारे जा चुके है, उनका सम्बंध एक विशेष जाति से है तथा जो व्यक्ति इन घटनाओं में शामिल होते हैं, किसी अन्य उच्च जाति से संबंधित है और जो वास्तविक अपराधी है, वे मुक्त घूम रहे हैं। इसलिए, इससे साफ पता चलता है कि यह व्यक्तियों के बीच की लड़ाई नहीं है, किन्तु यह एक जाति की दूसरी जाति से लड़ाई ह।

इस संबंध में, मैं इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए कुछ बातों का सुझाव देना चाहूँगा जब तक आप जाति व्यवस्था पर प्रहार नहीं करते तब तक आप समस्या सुलझाने में सफल नहीं हो सकते। आन्ध्र

प्रदेश में त्सुन्दूर या उत्तर प्रदेश या बिहार में जो घटनाएं हुईं, वे सिर्फ इक्का दुक्का घटनाहें ही हैं। वास्तव में ऐसी घटनाएं सारे भारत में सभी गांवों में हो रही हैं मैं सरकार से प्रधान मंत्री से और गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे सिर्फ विद्यार्थियों के लिए संक्षिप्त, प्राथमिक, माध्यामिक और उच्च माध्यामिक शिक्षा प्रांरभ करें जिसमें उन्हें जातियों की समानता की शिक्षा मिले ताकि कम से कम विद्यार्थी समुदाय में तो यह भावना रहे कि वे सभी भारतीय समुदाय में उत्पन्न भारतीय हैं और एक विशेष जाति के नहीं है।

अगर कोई व्यक्ति किसी उच्च या निम्न जाति में पैदा होता है तो आपको इस तरह का अहसास नहीं कराना चाहिए कि इससे कोई व्यक्ति ऊंची नीची जाति का हो जाता है। इसलिए, व्यक्ति नहीं अपितु जाति बीच में आती है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप अर्न्तजातीय विवाहों का समर्थन नहीं करते?

डा॰ आर॰ मल्लू: हाँ, यह भी एक उपचार है। और दूसरा उपचार है शिक्षा का एक संक्षिप्त रूप और जमीन खरीद कर अनुसूचित जातियों और जनजातियों में बाँटना।

आप संचार माध्यम का उपयोग प्रचार के लिए भी कर सकते हैं। सभी भारतीय जन्म से समान हैं और वे भाई और बहन की तरह हैं। इस तरह के संदेश रेडियो और टी॰वी॰ पर समाचार से पहले और बाद में प्रसारित होने चाहिए। संचार माध्यमों का उचित प्रयोग होना चाहिए, हरिजनों और गिरिजनों पर अत्याचार पर विचार करने के लिए तालुका, जिला और राज्य स्तर पर सभी दलों के सदस्यों की अलग समिति बनाएं। जिलाधिकारी के स्तर पर यह जिलों में होना चाहिए। सचिव के स्तर पर यह राज्यों में होना चाहिए और केन्द्रीय सचिव के स्तर पर यह राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। संसद का प्राथमिक उद्देश्य जाति व्यवस्था के विचार को खत्म करना होना चाहिए। इसे हटा देना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि वे समान हैं।

हरिजनों और गिरिजनों की समस्याओं के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। ये समस्याएँ सिर्फ हरिजनों और गिरिजनों की ही नहीं है। बल्कि भारत में पैदा होने वाले अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सभी लोग इनका सामना कर रहे हैं। वे भी इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

आपने देखा होगा कि सारे भारत में कई तनाव हैं। उदाहरण के लिए उग्रवाद, आतंकवाद आदि। इन लोगों का उग्रवाद और आतंकवाद की ओर झुकने का मुख्य कारण यह है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। जो लोग अन्न पैदा करते हैं उन्हें खाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए, मैं प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि के इस विषय में सोचें और उचित कदम उठाएं ताकि यह जाति व्यवस्था समाप्त हो जिससे लोगों को समान अधिकार मिलें।

मुझसे पहले बोलने वाले प्रत्येक सदस्य ने आन्ध्र प्रदेश के त्सुन्दूर में हुई घटना का उल्लेख किया। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री जो अनुसूचित जातियों के समर्थक हैं...

श्री के॰ पी॰ रेड्डय्या (मछलीपटनम): ऐसा मत कहें।

डा॰ आर॰ मल्लू: यह निर्णय आपको करना है। यह बात कहने का मुझे पूरा अधिकार है। आप संसद में अपनी बात थोप नहीं सकते।

मुझे यह स्पष्ट करने का पूरा हक है कि कैसे घटनाएँ हो रही हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने प्रत्येक मृत परिवार के सदस्य को एक लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की; एक एकड़ भूमि देने की घोषणा करने वाले वे पहले मुख्य मंत्री हैं; वे पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने यह घोषणा की कि वे हर मृत परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी देंगे; वे पहले मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने यह घोषणा की कि वे एक गाँव में सभी हरिजनों के लिए घर बनवाएंगे; उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय उपलब्ध करवाएंगे। इस प्रक्रिया में, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं बता रहा।

मैं आपसे कह रहा हूं कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए ना कि व्यक्ति विशेष। इसलिए इस संबंध में वे सभी सावधानियां बरत रहे हैं। इस के साथ ही, मैं राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार से भी सभी सावधानियां बरतने का अनुरोध करता हूं।

यह जाति व्यवस्था एक दिन में समाप्त नहीं की जा सकती। सरकार को यह समस्या दीर्घकालिक आधार पर सुलझानी होगी। मैं सरकार से इसे युद्ध-स्तर पर लेने का अनुरोध करता हूं। कम से कम इस संसद द्वारा एक शुरूआत की जानी चाहिए।

***श्री रूप चन्द मुरुमु** (झाड़ग्राम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक अत्यन्त गंभीर और महत्वपूर्ण मामला है। मैं यहाँ नया हूँ। अतः मेरा अनुरोध है कि मुझे कुछ समय दिया जाए। मैंने सुना है कि प्रत्येक सत्र में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि इस सम्माननीय सभा में महिला दमन और हरिजनों पर अत्याचार के बारे में प्रभावशाली भाषण देते हैं। समाज के कमजोर वर्गों पर अत्याचार को रोकने के लिए सरकार भी कुछ उपचारात्मक उपाय करने का वायदा करती है। किन्तु कुछ नहीं होता। रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं और हरिजनों पर अत्याचार और उनके साथ अन्याय करते हैं। अतः हमें गहन विचार करना है और समाज के खतरे को दूर करने के उपाय सोचने हैं। इस गंभीर मामले पर मैं अपने विचार रखता हूं।

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा और कर्नाटक राज्यों में एक वर्ष में एक हजार से भी अधिक आदिवासी मारे गए हैं। पीयूष दा (पीयूष तीरकी) ने अभी त्रिपुरा की घटनाओं का उल्लेख किया। वहाँ आदिवासी महिलाओं का दमन हो रहा है। उनकी इज्जत दांव पर लगी है।

बार-बार अनुरोध करने के बावजूद अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। कर्नाटक में भी यही हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री के भाई और रिश्तेदारों ने जिला मोहम्मद पुर के गाँव वोछी से हरिजनों को बाहर निकाल दिया। इन लोगों को अपने गाँव छोड़ने और कहीं और आश्रय लेने पर मजबूर किया गया। खजूरी बद्धोपाल जैसे गाँव मुख्यमंत्री के ही जिले में हैं। इन गाँवों के हरिजनों पर भी अत्याचार किए गए हैं। यह तुरंत रोका जाना चाहिए। ये कुछ घटनाएँ हैं जो इन सब बातों के लिए उत्तरदायी हैं। मैं उनमें से कुछ को कहूँगा। इन सब घटनाओं में जातिवाद की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस जाति व्यवस्था ने कई राज्यों के वातावरण को दूषित किया है। इस जहरीले वातावरण ने इन क्षेत्रों को इतना अधिक दूषित कर दिया है कि एक छोटी सी घटना भी एक समुदाय को दूसरे समुदाय पर तेज हथियारों से आक्रमण करने को भड़काने के लिए पर्याप्त होती है। इसका परिणाम महाविनाश में होता है। घर जलाए जाते हैं। सम्पत्तियाँ नष्ट की जाती हैं। शोषित लोगों का उनके प्रिय जनों सहित सब कुछ लुट जाता है और वे भिखारी बन जाते हैं। यह तुरंत समाप्त होना चाहिए।

कुछ लोग धर्म का एक अंग होने के कारण जातिवाद को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। अतः वे जरा भी मानवीय होने के बारे में नहीं सोचते।

हरियाणा के मेहराना गाँव में विजेन्द्र नामक एक लड़का जो किसी अन्य जाति का था उसने एक जाट लड़की रश्मि से विवाह किया। उनकी सहायता उनके एक मित्र राम किशन ने की। अतः गाँव के नेताओं ने इन लोगों को पेड़ से लटका दिया और उनकी हत्या कर दी। यह एक शर्म की बात है, दुःख की बात है कि स्वतंत्रता के 44 वर्षों के बाद भी इस तरह की घटनाएं होती हैं। सामंतवाद का दुष्प्रभाव अभी भी है। इस सामंतवादी दृष्टिकोण के कारण सम्पन्न जमींदार अभी भी आदिवासियों पर जुल्म ढाते हैं। पहले भी दमन होता था। किन्तु उस समय यह इतना तीव्र नहीं था। हमारे पूर्वज कभी भी जमींदारों के आदेश का उल्लंघन नहीं करते थे। आज क्या हो रहा है? क्योंकि उन दिनों राजनीति इतनी अधिक जटिल नहीं थी, आदिवासी अपने अधिकारों के प्रति इतने सजग नहीं थे। आज गरीब हरिजन अपने अधिकारों की अभिव्यक्ति के लिए जटिल राजनैतिक संघर्ष में सामने आ गए हैं। वे उन लोगों के प्रति सचेत हो गए हैं जो उनका शोषण कर रहे हैं। वे अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं। जमींदार, उनके निहित हित इस तरह की स्थिति में समझौता नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आदिवासी विद्रोह करते हैं, ये जमींदार उन पर अत्याचार करते हैं; उनका दमन करते है। हर गाँव में जमींदार हरिजनों पर जुल्म ढा रहे हैं ताकि उनके स्वार्थों की रक्षा हो सके। सामान्यतः आदिवासी गरीब होते हैं, वे दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं और फसल मालिक को दे देते हैं। इनमें भी कई आदिवासी भूमि सुधार अधिनियम के बारे में जान चुके हैं। क्योंकि यह पश्चिम बंगाल, केरल और कुछ राज्यों में सामान्यतः लागू हो चुका है। अतः आदिवासी अपनी जमीन और अपने अधिकार पाने का सपना देखने लगे है। जमींदार इसे

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तर।

सहन नहीं कर सकते और वे हरिजनों को जमीन से बेदखल करने का प्रयास करते हैं। जिस क्षण हरिजन प्रतिरोध करते है; उनकी हत्या कर दी जाती है; उनके घर जला दिए नाम वाले अधिकारियों का नाम था। एक बार उनका सूची में नाम दर्ज हो जाता है, इसके पश्चात जैसे ही कोई रिक्त स्थान खाली होंगे, उन्हें भरा जायेगा। **(व्यवधान)**

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढ़ाना) : पुरानी सूची में से आठ में से छः की स्वीकृति अगली सरकार द्वारा दे दी गई थी। क्या इसका यह अभिप्राय है कि अनुसूचित जनजाति के सात अधिकारियों का चुनाव उचित प्रक्रिया द्वारा हुआ था तथा दो अधिकारी, जिनका नाम सूची में से निकाल दिया गया है वे, उचित प्रक्रिया द्वारा नहीं आये थे?

श्री एस०बी० चव्हाण : कम से कम मैं यह मानता हूं कि यह सारा कार्य एक उचित प्रक्रिया द्वारा किया गया है। मैं नहीं समझता कि छः के मामले में भी आप संभवतः यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने किसी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। प्रक्रिया के दृष्टिकोण से भी हर कार्य उचित रूप में किया गया है। परन्तु सूची में आठ से घटाकर छः कर दी गई है। श्री बूटा सिंह ने यही बात कही थी। इसलिए मैं इस सम्माननीय सभा को यह सूचना देना चाहता था।

मेरे विचार से ये मुख्य बातें थीं। और भी कई प्रश्न हैं जो माननीय सदस्य ने किये हैं परन्तु मैं नहीं समझता कि मुझे सभा का और अधिक समय लेना चाहिए तथा अनावश्यक ही आपके धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए।

मैं श्री पासवान से अनुरोध करूंगा कि उन्हें इस संकल्प के लिए अधिक जोर नहीं डालना चाहिए क्योंकि हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक इस उद्घोषणा का सम्बन्ध है, हम देखेंगे कि इन विशेष अदालतों का गठन किया जाये। मैं इसके लिए समय निर्धारित नहीं कर सकता। यह उन रिक्तियों पर निर्भर करता है जो उपलब्ध होनी चाहिए। इसीलिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम भी शीघ्रातिशीघ्र पिछले कोटे को भरना चाहते हैं। अतः इसी आश्वासन पर मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य श्री पासवान अपने संकल्प पर जोर देंगे...**(व्यवधान)**।

श्री चन्द्रजीत यादव: महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि वह राष्ट्रीय एकता परिषद का संयोजन करने पर विचार करेंगे जो कि विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचार के बारे में चर्चा करेगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए चार मुख्य कारण उत्तरदायी हैं जिनमें से तीन कारण आर्थिक कारण हैं जैसे कि भूमि सुधार, न्यूनतम मजदूरी इत्यादि। अब क्या गृह मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि वह प्रधानमंत्री से यह सिफारिश करेंगे कि राष्ट्रीय एकता परिषद की एक विशेष बैठक इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाई जायेगी तथा आर्थिक कारण सम्बन्धी मुख्य समस्या पर भी विचार किया जायेगा ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का उत्थान किया जा सके?

श्री एस० बी० चव्हाण: मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी से इसकी सिफारिश करूंगा तथा अपनी ओर से उनसे अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की एक विशेष बैठक बुलाई जाए **(व्यवधान)**।

श्री पी० एम० सईद: महोदय, क्या माननीय गृह मंत्री जी सभा को यह आश्वासन देंगे कि राष्ट्रीय अखंडता परिषद का गठन करते समय अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भी इसमे सम्मिलित किया जायेगा?

श्री एस० बी० चव्हाण: हमारा राष्ट्रीय एकता परिषद गठित करने का प्रस्ताव है और हम चाहेंगे कि अनुसूचित जनजातियों को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार): महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं। निकोबार जिले में संपूर्ण जनजातीय समुदाय सहकारिता के आधार पर रह रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने अब कुछ बाहर के व्यक्तियों को भी व्यापार करने की अनुमति दे दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन को उचित निदेश देंगे या नहीं ताकि जनजातीय जीवन शांतिपूर्वक चलता रहे और वहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को द्वीप में व्यापार शुरू करने की अनुमति न दी जाए।

श्री एस० बी० चव्हाण: मैं निश्चित रूप से इस मुद्दे की जांच करूंगा।

माध्यम से उनसे दरख्वास्त करूंगा, जिन्दगी में, समाज में हर मर्तबा कमजोर तबकों, वर्गों पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, उसमें पॉलिटिक्स लाना कोई ठीक बात नहीं है। यहां तक कि जहां कांग्रेस की हकूमत है वहां भी यह हो रहा है, हर स्टेट में, जहां जनता दल का चीफ मिनिस्टर है, वहां भी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं और जहां बी०जे०पी० का चीफ मिनिस्टर है वहां भी है और बहुत कम बंगाल में हो रहा है। मगर आज किसी ने यह नहीं बताया। बंगाल में बिल्कुल ठीक हुआ, यह मैं नहीं कह रहा हूं। अत्याचार की संख्या जो हमारे यहां है वह बहुत कम है। आन्ध्र प्रदेश में चंदूर में जो हुआ उसका हर एक आदमी को दुःख है, समाज उसके लिए शर्मिन्दा है। जिन्होंने ऐसे अत्याचार किए हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

आन्ध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्पेशल कोर्ट कायम किए हैं। इस बात को हम नहीं दोहरा रहे, मगर चंदूर में एक साल से टैंशन है। किसी पार्टी, पॉलिटीकल पार्टी या ऐडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस उग्रता (tension) को कम करने की कोई कोशिश नहीं हुई। आज तेलुगु देशम के लोग वहां अपोजीशन में हैं, मेन अपोजीशन में हैं। रामा राव जी के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कमजोर वर्गों पर अत्याचार शुरु हुआ जो पहले कभी नहीं था। जो इन्सिडेन्ट्स हुए, रामा राव के चीफ मिनिस्टर होने के बाद, तब हम कांग्रेस वालों ने भी उसके खिलाफ फाईट किया। आनरेबल मैम्बर जो मछलीपट्टनम से आये हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो 15-16 अगस्त को अपर कास्ट वालों ने बंद के लिए कॉल किया, क्या उसके पीछे भी कांग्रेस का हाथ था? मछलीपट्टनम में जो इन्सिडेन्ट्स हुए, उसके कारण आज वहां कितनी टैंशन है। अगर कांग्रेस ने टैंशन कम करने में सफलता नहीं पायी है तो जो मेन अपोजीशन पार्टी है एवं उनके साथियों ने अपनी जिम्मेदारी क्या निभायी? पासवान जी, आप सही दिल से दुःखी हैं, आप दिल से चाहते हैं। बूटा सिंह जी ने कहा कि यह मामला होम मिनिस्ट्री को दीजिए। क्यों दें? यह मामला कितने सालों से होम मिनिस्ट्री में था, अभी वैलफेयर मिनिस्ट्री में आया है। आज हमारे सीनियर मिनिस्टर जो कमिटिड हैं, आदरणीय श्री चव्हाण जी उन्होंने 1985 में जब वह स्वयं गृह मंत्री थे, चीफ मिनिस्टरों को लिखित हिदायत दी (आदेश दिए थे)? उन हिदायतों पर क्या अमल हुआ?

जब पासवान जी वेलफेयर मिनिस्टर थे तो उस वक्त अच्छा काम हुआ। वे कमिटेड थे और आज हमारे श्री केसरी जी ने पासवान जी से दुगुनी बात की, कम नहीं की इसलिए ये भी कमिटेड हैं। जब आप कमिटेड हैं तो रास्ता निकाल सकते हैं। वेलफेयर में रखें या होम मिनिस्ट्री में रखें, लेकिन कमिटेड होना चाहिए। टैन्शन कम करने में पोलिटिकल पार्टीज और प्रशासन ने ठीक काम नहीं किया जिससे टैन्शन कम हो सके। पोलिटिकल पार्टीज़ का मैं फैल्योर मानता हूं। बदकिस्मती यह है कि कोई भी सोशल आरगेनाइजेशन आगे नहीं आ रहा है। अच्छे सोशल आरगेनाइजेशन भी नहीं बन पा रहे हैं और टेंशन को कम करने के लिए प्रयास नहीं किया। पार्टियों में कुछ लोग ही कमिटेड होते हैं। ऐसा हादसा (इन्सिडेन्ट) होने पर मिलकर प्रयास करना चाहिए। मैं सियासी नजर से बात नहीं कर रहा हूं। मैं मछलीपट्टनम के माननीय सदस्य और अपर कास्ट के लोगों से अपील करता हूं कि चंदूर में जो हादसा हुआ है और जो कत्ल करने में इन्वाल्व हैं, उन्हें सजा दिलाने में आगे आयें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : निर्धारित समय समाप्त हो गया है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री जे० चौक्के राव : हरिजन और आदिवासियों पर एट्रोसिटीज को रोकने में हम कांग्रेस पार्टी आगे रहे हैं। मैं पासवान जी से कहना चाहता हूं कि आपके दिल में दर्द है और आप कमिटेड हैं तो सियासी नजर से ऊंचे उठकर मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप आगे आते हैं तो हम लोग आपका साथ देंगे। आजकल आन्ध्र के चार-पांच जिलों में दो वर्गों में काफी टेंशन है। इस टैन्शन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसको पोलिटीकल एंगल से नहीं देखना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने स्पेशल कोर्ट मुकर्रर की है। वह अच्छा काम है। बुनियादी इन्वेस्टीगेशन होनी चाहिए। सी०बी०आइ० और स्टेट के क्राइम ब्रांच से इन्वेस्टीगेशन ठीक कराइए। इन्वेस्टीगेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। चंदूर गांव में ज़मीन और मजदूरी के बारे में कोई झगड़ा नहीं था और पोलिटिकल बात भी नहीं था। वहां दोनों वर्ग भी कांग्रेस के ही सपोर्टर्स हैं। 1989 से वहां पर टैन्शन है और यह उग्रता दो वर्गों में ही है। उस उग्रता को किसी ने कम करने की कोशिश नहीं की है। मैं यह सभी पोलिटिकल पार्टीज़ सियासती जमातों की नाकामयाबी समझता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौका राव जी, कृपया पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री जे० चौक्कारावः वहां कोई सोशल आर्गेनाइजेशन नहीं है। वहां पर सोशल आर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जब तक सोशल आर्गेनाइजेशन नहीं होगा तब तक ऐसे ही इसमें राजनीति का हस्तक्षेप होता रहेगा और सोशल आर्गेनाइजेशन बिल्डअप नहीं हो पायेगा। इसलिए हमें शासन के साथ सोशल आर्गेनाइजेशन को इन्वाल्व करना चाहिए। वहां पर जो टेंशन है उसको कैसे कम किया जाये, फिर ऐसा हादसा न हो, ऐसा खतरा उत्पन्न न हो इसके लिए सोचना चाहिए। मैं आपके माध्यम से अपर क्लास के लोगों से अपील करता हूं कि वे इसमें आगे आयें और जिन्होंने जुल्म किया है उनको सजा दिलाने में अपना योगदान दें। मैं तेलुगू देशम के नेताओं से भी अपील करता हूं कि वे इसमें सियासत न लायें, क्योंकि ऐसे अवसरों पर सियासत को नहीं लाना चाहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय गृह मन्त्री जवाब देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह तय हुआ था कि प्रत्येक व्यक्ति को पांच मिनट में अपनी बात पूरी करनी है। किन्तु आप इस बात पर दृढ़ नहीं हैं। यदि ऐसा होता, तो आप उस समय के भीतर ही अपनी बात पूरी कर लेते। अतः मेरा सविनय निवेदन है कि हमें उसी बात पर दृढ़ रहना चाहिए जो तय हुई है।

[हिन्दी]

श्री रामनिहोर राय (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार के ऊपर बहस चल रही है। तीन-चार रोज से इस पर बहस हो रही है और मैंने यह देखा है कि केवल राजनीतिक रूप देकर हर पार्टी के लोग इन हरिजनों के नाम पर अपनी रोटी सेंकना चाहते हैं। जितनी भी संस्थायें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए बनाई गई हैं हिन्दुस्तान के हर कोने में वे चरागाह सिद्ध हुई हैं, चाहे बड़े-बड़े आई०ए०एस० अधिकारी हों या नेता हों उनके लिए चरागाह हैं। जितना भी रुपया इस महकमे में दिया जाता है उसका हमेशा दुरुपयोग होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं हमारे मिर्जापुर में सोनभद्रा में हरिजनों के घर निर्माण किये गये, दुकानें निर्माण की गईं, लेकिन वे जंगलों में की गई हैं, उन आदिवासियों को नहीं दी गई हैं। इससे वे लोग धराशाई हो गये हैं। पूरे हिन्दुस्तान में इनके कल्याण के नाम पर धन का दुरुपयोग किया जा रहा है और पैसे की लुटाई हो रही है। उनके नाम पर रुपया लिया जाता है, उनको गाय-भैंस के लिए पैसा दिया जाता है, लेकिन उन तक सीधे पैसा नहीं पहुंच पाता है। अगर हम यह चाहते हैं कि सचमुच इनका उत्पीड़न रुके तो उनको सीधे पैसा दिया जाये, उनको ड्राफ्ट के जरिये दिया जाये। अन्यथा कोई मंत्री समाज कल्याण का जो बन जाता है, चाहे सवर्ण जाति का हो या अनुसूचित जाति का हो उनका भला नहीं कर पाता है। कहने को नियम कड़े कर दिये जाते हैं पर उस तक जाते-जाते रुपये में से चार आना ही मिलता है। स्वर्गीय राजीव गांधी जब सरकार में थे तो उन्होंने भी कहा था कि रुपये में से 15 पैसे ही उस आदमी तक पहुंचते हैं। इसलिए उनको जो रिलीफ देनी है वह सीधे देनी चाहिए। हमारे यहां रिहंद बांध जो 1954-55 में बना उसमें आदिवासी लोग उजाड़े गये, कई थर्मल पावर स्टेशन बने वहां से भी उनको उजाड़ा गया और आज तक पुनर्वास का काम नहीं हो पाया। उनको रहने के लिए न मकान दिया और न ही पैसा दिया गया! इस तरह से उनका शोषण होता है। उनकी जगहों पर अच्छे-अच्छे महल बनाये जाते हैं और हमारे ये बेसहारा लोग दिल्ली, लखनऊ, पंजाब में जाकर भीख मांग रहे हैं और मजदूरी का काम करते हैं। वे भूखे मर रहे हैं। जब देखते है कि अटारी खड़ी हो जाती है चाहे हरिजन हों, चाहे गिरिजन हों, ब्राह्मण हों, वे जाकर महल बनाते हैं। जो अनुसूचित जाति/आदिवासी सदियों से बसे हुए हैं, इन जगह पर हैं जहां पर तमाम थर्मल पावर स्टेशन्स हैं, कोलियरी हैं, वहां पर उनके बसने नहीं दिया जा रहा है। उनको घर भी गये, धर्म भी गया। एक-एक आदमी चार बार उजाड़ा गया है। ये नेता हमदर्द बनते हैं। यह कैसी हमदर्दी? मैं यह बताना चाहता हूं कि वे सब लोग जो जनजाति अनुसूचित जाति के नाम पर जीतकर आते हैं या

आने वाले हैं, वे जब तक अपने करेक्टर पर विचार करें तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिजली मंत्री वहां पर जायें, देखें कि वे गांव अंधेरे में पड़े हैं, उजड़े हुए आदिवासी हैं, उनके लिए न रहने के लिए घर है, न पीने के लिए पानी है। केवल यहां पर जाने वाले वे हैं जो बड़े बड़े व्यापारी हैं। हर जगह पर जाकर उनकी जमीन छीन कर मालिक बन गये। क्या उनके नाम पर ऐसी जमीनें नहीं थीं? उनके हाथ में सब कुछ है। बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े आफिसर्स, इंजीनियर्स और तमाम जो वहां गये हैं, जहां वहां पर फैक्टरी लगाने के लिए आते हैं, थर्मल पावर लगाने वाले व निजी स्वार्थ के लिए अपना निजी घर बनाकर दूसरे के नाम गोरख धन्धा करते रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जिस तरह से कर्मचारियों के लिए कॉलोनी बनायी जा रही हैं, वैसे ही विस्थापितों के लिए सोनभद्र जिला में कालोनी बनाकर उनकी शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाये और उनके बच्चों के लिए ये स्कूल तो जरूर खुलने चाहियें। जहां थर्मल पावर स्टेशन्स हैं, वहां बड़े-बड़े कर्मचारी चाहे किसी जाति से हैं, उनके बच्चे स्कूल में जा सकते हैं, लेकिन आदिवासियों, हरिजनों के बच्चे उसमें पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ कि थर्मल पावर स्टेशन शक्ति नगर व अनपरा ए और बी, बीना, ककरी कोलियरी बीजपुर थर्मल पावर खड़िया एवं दधीचुआ कोलियरी में तमाम लोग जो उजाड़ गये हैं उनके लिए और उनके बच्चों के रहने के लिए कॉलोनी बनायी जाये और उनके कॉलोनी में विद्युतीकरण किया जाये और साथ ही उनके बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल खोला जाये तो यह सबसे बड़ी बात होगी। इसी से उन गरीब लोगों का, आदिवासियों एवं हरिजनों का उद्धार हो सकेगा। बस मेरा यही निवेदन है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय गृह मन्त्री से जवाब देने का निवेदन करता हूँ।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सब माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया है।

अपने भाषण के दौरान, प्रत्येक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह कोई औपचारिकता नहीं है और यह एक ऐसा विषय है जिस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

मैं यह मानता हूं कि पूरे विषय को पार्टी के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं अपने मित्र श्री चौक्का राव जुव्वाडी से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि दलगत कारणों के लिए इस मुद्दे का फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। दल का उद्देश्य राष्ट्रीय मुद्दे के मुकाबले पूर्ण रूप से एक भिन्न विषय है। यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है और यदि सभी राजनैतिक दल यह निर्णय लें कि वे दलगत उद्देश्यों के लिए इस मुद्दे का लाभ नहीं उठाएंगे और मुझे उम्मीद है, कि सबके सामूहिक प्रयासों से, एक सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढने में आसानी होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक शोषण करने वाला समाज है। यह शोषण पर आधारित है और जब तक हम इस समाज में परिवर्तन लाकर और शोषण को रोककर तथा अब तक शोषित लोगों को न्याय उपलब्ध नहीं कराएंगे तब तक यह केवल एक बहुत बड़ा आदर्श होगा जिसके बारे में हम बात करते हैं। किन्तु जब इसे लागू करने की बात आती है तो हम देखते हैं कि वास्तव में बहुत बड़ी संख्या में लोग केवल झूठी हमदर्दी दिखाते हैं और वे इसके कार्यान्वयन में इच्छुक नहीं है।

श्री के०पी० रेड्डुय्या राव (मछलीपरनल): केवल कांग्रेस इच्छुक है।

श्री एस०बी० चव्हाण: जी हां, तेलुगू देशम भी समान रूप से इच्छुक हैं। आप अनावश्यक रूप से ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं तेलुगू देशम को भली-भांति जानता हूं। अतः मुझे आन्ध्र प्रदेश के बारे में मत बताएं। अतः सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे इस का पता लगायें कि हम किस प्रकार इस समस्या का समाधान खोज पायेंगे। यह हमारे समाज पर कलंक है जिसे दूर किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य श्री बूटा सिंह जी ने एक सुझाव दिया है। राष्ट्रीय अखण्डता परिषद की बैठक बुलाकर और उसके सामने इस मुद्दे को रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमें मिलकर यह विचार करना चाहिए कि किस प्रकार इस समस्या का बेहतर समाधान खोजा जा सकता है। आन्ध्र का उदाहरण केवल एक उदाहरण नहीं है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं अतः इसीलिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि हम इस समस्या की जड़ में जाएं और यह पता लगायें कि ऐसी समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं; इनका मूल कारण क्या है?

महोदय, हमारे विचार में तीन-चार ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें विचार करना है। मैं आपको आरम्भ में ही यह बताना चाहता हूं कि मैं तीन या चार मन्त्रियों की ओर से उत्तर दे रहा हूं जिसका बड़ा हिस्सा कल्याण मन्त्रालय का है; अन्य हिस्सा जो कार्मिक मन्त्रालय का है और अधिकतर इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें हम इन मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। अतः किसी एक विशेष मुद्दे के विस्तार में जाने के स्थान पर हमें मूल मुद्दों का पता लगाना है और उन पर पूरा ध्यान देकर उनके लिए समाधान ढूंढना है।

हमारे विचार में, मूल मुद्दा भूमि समस्या का है। दुर्भाग्य से, मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि भूमि सुधारों के मामले में जितना अब तक किया जा चुका है उससे बहुत अधिक किया जा सकता है। वास्तव में, मैं एक बात नहीं समझ पाया हूं। कभी-कभी ये आंकड़े—मुझे उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए—बहुत भ्रामक होते हैं। हम नहीं जानते क्योंकि अन्ततः ये आंकड़े हमें उन रिपोर्टों से मिलते हैं जो हमें सम्बन्धित राज्य सरकारों से प्राप्त होते हैं। मुझे कहना है कि दाखिल की गई विवरणियों की कुल संख्या 15,71,716 है; 15,16,696 विवरणियां निपटायी गई और 55,020 विवरणियां लम्बित हैं। घोषित अतिरिक्त क्षेत्र 72,25,949 है; जिस क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया गया है वह 62,29,568 है। अतः लगभग 10 लाख का अन्तर है। यह एकड़ों में है। अतः अघोषणा और भूमि के अधिग्रहण का अन्तर 10 लाख के बीच है। लाभार्थियों को वितरित की गई भूमि 47,67,058 है। अतः यह आंकड़े दिये गए हैं। मुझे पता चला है कि जिस क्षेत्र पर अभी मुकदमेबाजी चल रही है—इस तथ्य के बावजूद कि भूमि सुधारों को संविधान की नवीं अनुसूची में रखा गया—वह 11,42,317 एकड़ है; सार्वजनिक कार्य हेतु हस्तांतरित भूमि 3,54,437 एकड़ है; खेती के लिए अनुपयोगी भूमि 3,96,602 एकड़ है। ये आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। मेरे पास राज्य-वार आंकड़े भी हैं, किन्तु किसी प्रकार के खंडन के भय के बिना मैं कह सकता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने **बेनामी** लेन-देन कर रखा है। बेनामी सौदा एक ऐसा मुद्दा है जो वास्तव में घड़ल्ले से जारी है और जब तक कोई प्रभावशाली व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होता है तब तक कोई बेनामी सौदा करने को तैयार नहीं होता। इसे पता लगाना राज्य सरकार का कर्तव्य है। मैं नहीं समझता कि कोई माननीय सदस्य यह अपेक्षा करेगी कि केन्द्र सरकार यह पता लगाये कि कौन लोग बेनामी सौदा करते हैं। यह संबंधित राज्य सरकार का कार्य है कि वह राज्य एवं जिला स्तरों पर समितियों का गठन को तथा लाभ प्राप्त करने वालों तथा उस क्षेत्र के लोगों को भी इसमें शामिल करें जहां बेनामी सौदा हुआ है मैं समझता हूं कि उन लोगों को बेनामी सौदा करने वालों का पता होगा और वे उनके बारे में बता सकते हैं यदि उन्हें यह आश्वासन मिले कि उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति किसी बेनामी सौदा करने वाले के विरुद्ध आवाज उठाता है तो उसे परेशान किया जाएगा। इसलिये यह हम सब का कर्तव्य हो जाता है कि हम उसे सुरक्षा प्रदान करें। क्या हम इस स्थिति में हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति में भी ऐसा साहस पैदा कर सकें कि वह अपनी आवाज उठा सके और क्या उसे अपनी बात मनवाने के लिये माननीय सदस्यों का समर्थन मिलेगा? क्या हम उन्हें इस तरह का वचन दे सकते हैं? **(व्यवधान)**

श्री के०पी० रेड्डय्या यादव: हम देंगे।

श्री एस०बी० चव्हाण: मुझे खुशी होगी यदि आप पहले ऐसा करें। आंध्र प्रदेश की राजनीति में क्या होता है मुझे पता है। इसके बजाय मुझे खुशी होगी कि तेलुगू देशम इस मामले की गहराई से छानबीन करे और यह पता लगाए कि इन बेनामी धारकों के पास कितनी जमीन है और किस तरह से इन सब का पर्दाफाश किया जाए ताकि गरीब तबके के लोगों के लिये आप न्याय सुनिश्चित कर सकें।

खेतिहर मजदूर और न्यूनतम मजदूरी दूसरा मामला है। प्रत्येक व्यक्ति खेतिहर मजदूरों के लिये जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, उसे लागू करने के बारे में सोचता है। इस संबंध में समितियों का भी गठन हुआ है और उसने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। इनमें अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। यदि हम वास्तव में इन लोगों को न्याय उपलब्ध कराने की इच्छा रखते हैं तो हमें न्यूनतम मजदूरी को लागू करवाने में सहायता करनी चाहिये जो अलग-अलग क्षेत्रों के लिये निर्धारित की हुई है। लेकिन हमारा अब तक का जो अनुभव है उस आधार पर न्यूनतम मजदूरी कानून को लागू करने के बजाय उसे तोड़ने का प्रयास अधिक रहा है।

तीसरा मुद्दा जिस पर सभी माननीय सदस्यों को ध्यान देने की आवश्यकता है वह है जब अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजातियों के लोग अपने अधिकार पाने की चेष्टा करते हैं तो उन पर अत्याचार किये जाते हैं। यदि उन्हें अपने अधिकार लेने हैं, यदि उन्हें अपनी महिलाओं की इज्जत बचानी है जिसे हर कीमत पर बचाया जाएगा। उसी समुदाय में एक वर्ग ऐसा भी है जो इन सभी बातों से अपने हित में अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करता है। क्या हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को तैयार हैं? यह बुनियादी बातें हैं। क्या हम ऐसा करने के लिये संसद में ही नहीं, बल्कि बाहर भी करने को तैयार है? संसद में सभी बोल सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें किसी भी व्यक्ति में अपने अधिकार को जताने का विश्वास हो और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके दल के समर्पित लोग उसके साथ जाने देने को और उस क्षेत्रों के प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध सभी रकार के संरक्षण देने को तैयार हों। यदि माननीय सदस्य इसमें रुचि रखते हैं—मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मेरे पास हरिजनों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों पर किये गये अत्याचारों संबंधी आंकड़े हैं। मैं आपके समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करूंगा।

मुझे खेद है कि मैं अनुसूचित जनजातियों की भूमि संबंधी बात भूल गया था। वास्तव में, 1947 से, उनकी भूमि अहस्तांतरणीय है। इसका उल्लंघन करके किसी भी प्रकार का लेन देन निश्चित रूप से अवैध है। आदिवासियों को भूमि वापस दी जानी है। परंतु बहुत कम ऐसी राज्य सरकारें हैं जो आदिवासियों को उनकी भूमि वापस कर सकती है। इसलिये यह और आवश्यक हो जाता है कि हम इस मामले की गहराई से जांच करें और यह पता लगाएं कि इस प्रकार का कार्य किस तरह किया जा सकता है।

महोदय, जहां तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को फालतू भूमि के वितरण का संबंध है उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आंकड़ों के मुताबिक कुल 49 प्रतिशत भूमि को फालतू घोषित किया गया था और 50 प्रतिशत भूमि अन्य सभी लोगों को दी गई है। इसलिये यह निश्चित रूप से 49 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त यह भी प्रश्न उठता है कि भूमि पर कब्जा देने के बाद यदि अगले वर्ष कब्जा छीन लिया जाता है तो उस व्यक्ति को पुनः कब्जा दिया जाए। यदि हम इस मामले में विशेष रुचि लें तो मुझे विश्वास है कि हम उस मनुष्य के प्रति न्याय कर सकेंगे जो वास्तव में सबसे अधिक परेशान है।

अब मैं इस जिम्मेदारी को निभाने के लिये विशेष अदालतों की स्थापना के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे पास आंकड़े हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि सभी राज्य सरकारों ने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के मामलों की सुनवाई के लिये न्यायालयों की स्थापना की है। मेरे पास सभी राज्य सरकारों की जानकारी है। इन न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे उन मामलों को प्राथमिकता दें जिनमें जघन्य अपराध किया गया है, मेरा राज्य सरकारों को पुनः इस बारे में लिखने का विचार है। मुझे विश्वास है कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्य इन जघन्य अपराधों की सुनवाई के लिये विशेष अदालतों की स्थापना के लिये राजी हैं। मैं राज्य सरकारों को इस बारे में लिखूंगा कि वे इस मामले पर पुनः विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि उन लोगों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस तरह का अत्याचार करने का प्रयास किया है जो वास्तव में अमानवीय है। हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि उन लोगों की क्या भावनाएं होंगी जिनके प्रति इन प्रभावशाली लोगों का ऐसा व्यवहार है।

अब मैं भर्ती नीति जिसका हम पालन कर रहे हैं, के संबंध में बताने जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि यदि माननीय सदस्य इस मामले में रुचि दिखाएं तो वे बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे पास भर्ती संबंधी आंकड़े हैं। केन्द्र सरकार ने भर्ती के लिये जो छूट देने की घोषणा की है, वे हैं—अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्षों की छूट, परीक्षा या आवेदन शुल्क पूरी तरह माफ है, परीक्षा में बैठने की उनके लिए कोई सीमा नहीं है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये अलग से साक्षात्कार की व्यवस्था की जाती है ताकि मानदंडों में छूट देकर उनका आकलन किया जा सके। श्रेणी क, ख, ग एवं घ के आंकड़े इस प्रकार हैं:

वर्ष 1971 में, श्रेणी 'क' में कुल अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 741 (2.58 प्रतिशत) थी। वर्ष 1990 में यह संख्या बढ़कर 5,831 हो गई तथा प्रतिशतता 8.64 हो गई। श्रेणी 'ख' में वर्ष 1971 में उनकी संख्या 1,794 (4.06 प्रतिशत) थी। वर्ष 1990 में यह बढ़कर 10,497 (11.29 प्रतिशत) हो गई। श्रेणी 'ग' में वर्ष 1971 में उनकी संख्या 1,36,259 (9.59 प्रतिशत) थी जो 1990 में बढ़कर 3,36,880 (15.19 प्रतिशत) हो गई और श्रेणी 'घ' में उनकी प्रतिशतता 18.37 से बढ़कर 21.48 हो गई।

मैं यह मानता हूं कि अनुसूचित जनजाति के मामले में हम पीछे हैं। वर्ष 1971 में श्रेणी 'क' में उनकी संख्या 117 (0.41 प्रतिशत) थी जो वर्ष 1990 में बढ़कर 1,593 (2.58 प्रतिशत) हो गई। यहां भी श्रेणी 'ख' में, उनकी संख्या 2.39 प्रतिशत है, श्रेणी 'ग' में 4.83 प्रतिशत और श्रेणी 'घ' में 6.73 प्रतिशत है।

7.00 म० प०

इस प्रकार इन सभी श्रेणियों में अनुसूचित जनजाति के मामले में निस्संदेह हम पीछे हैं। हमारे पास वर्ष 1971 से वर्षवार आंकड़े हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं ये आंकड़े दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री रति लाल वर्मा: ये फिगर्स तो हैं लेकिन इसमें परसेंटेज पूरा हुआ है कि नहीं।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : ये आंकड़े अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में आरक्षित और भरी गई रिक्तियों के संबंध में है। यह सबसे प्रतिष्ठित नियुक्ति मानी जाती है और मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कुल 135 रिक्तियों में अनुसूचित जाति के लिये 21 पद आरक्षित हैं जिनमें 20 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है। यह आंकड़ा 1985 से है। वर्ष 1989 में उनकी संख्या 16 हो गई और यह सही आंकड़ा है। केवल 1985 में एक रिक्ति कम भरी गई है भारतीय विदेश सेवा का आंकड़ा 1985 से है और इसमें उनकी आरक्षित सीटों पर सौ प्रतिशत नियुक्ति हुई है—हमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया था हमने उसे प्राप्त किया है।

अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिये यह खुशी की बात है कि सभी रिक्तियों को भर दिया गया है। वर्ष 1985 में यह 10 थी और हमने पूरी भर्ती की थी। यह आश्चर्य की बात है और इसीलिये मैंने आंकड़े दिये हैं। इन आंकड़ों की जांच निश्चित रूप से की जानी चाहिए। हम इन तथ्यों की जांच वार्षिक प्रतिवेदन से कर सकते हैं। वर्ष 1989 में हमने आठ रिक्तियों में से सभी आठ पर नियुक्ति की थी।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आपने फिगर्स दिए हैं, वह प्रिन्टेड हैं यह सही है लेकिन प्रश्न है कि कलैक्टर, आई०ए०एस० और आई०पी०एस० में तो सौ प्रतिशत मिल रहे हैं, चपरासी में क्यों नहीं मिल रहे हैं।

श्री एस०बी० चव्हाण : मैंने चपरासी का फिगर भी दिया है। हमें दिक्कत तो सिर्फ क्लास-वन पोस्ट के लिए ही आती थी। हम वेकैन्सीज ऐडवर्टाइज करते हैं लेकिन वहां पर कोई आदमी नहीं मिलता था, हमेशा यही कहा जाता था कि क्वालीफाइड आदमी नहीं मिलते हैं। आई०एफ०एस० में यह पोज़ीशन है और आई०पी०एस० में भी अगर आप देखना चाहेंगे तो उसमें भी हम जितने लोग भर्ती करना चाहते थे वह नहीं मिले जैसे 1985 में शैड्यूल्ड कास्ट में 17 के बजाए सिर्फ 13 ही उपलब्ध हुए।

[अनुवाद]

वर्ष 1989 में 16 रिक्तियां बनती हैं और सभी 16 रिक्तियां भरी जा चुकी हैं। अनुसूचित जनजाति के लिये भी हमारे पास ऐसे ही आंकड़े हैं।

हमने वर्ष 1989 तथा 1990 में भी एक विशेष अभियान चलाया था। अतः दोनों ही आंकड़े इस समय मेरे पास हैं। अनुसूचित जाति के मामले में यह संख्या 36,647 थी तथा हम लगभग 31,243 व्यक्तियों की नियुक्ति कर सके हैं। प्रतिशत के रूप में यह 87.6 प्रतिशत होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में यह संख्या 11,000 थी तथा यह 8,125 होती है।

मैं इस विषय पर सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता। वास्तव में इस बारे में हमने पर्याप्त चर्चा कर ली थी। मैंने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा महत्वपूर्ण मंत्रालयों के बारे में भी आंकड़े प्राप्त कर लिये हैं जहां पर कि सरकार द्वारा चलाये गये इस अभियान के परिणामस्वरूप हम काफी अच्छे उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर सके। रेलवे में यह प्रतिशत 93.7 या जबकि टेलीकॉम में यह संख्या 35.9%, रक्षा में यह 36.5% तथा परमाणु उर्जा में यह 50.1% प्रतिशत था।

अतएव कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर और अधिक कुछ किये जाने की आवश्यकता है। मेरे पास ये ही

आंकड़े उपलब्ध है। परन्तु जिस प्रकार की हमने नियुक्तियां की हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं है, हमें इससे भी अधिक कुछ करना होगा तथा इसी के साथ-साथ यह देखना होगा कि इन व्यक्तियों को सरकार से भी न्याय मिले।

मैं उस तथ्य से भी इंकार नहीं कर सकता जो कि माननीय सदस्य श्री बूटा सिंह ने उठाया है तथा वह अतिरिक्त सचिवों के पैनल बनाने के बारे में था। मेरे पास वे आंकड़े मौजूद हैं जो मैं देने के लिए तैयार हूं। अनुसूचित जनजाति के लिए अतिरिक्त सचिव का एक पद था तथा अनुसूचित जातियों के लिए आठ पद थे। मैं नहीं जानता कि किन कारणोंवश बाद में आने वाली सरकार ने आठ के स्थान पर इसे घटाकर छः कर दिया है। केवल आज ही मैंने यह पता लगाने तथा स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए इस फाइल को देखा है कि क्या इस प्रकार की पुनरीक्षा किये जाने की आवश्यकता है तथा इसके क्या कारण हैं। कम से कम मुझे पूरा विश्वास है कि आठ से छः करने का कोई औचित्य नहीं है। हम इस दिशा में ए०सी०सी० के पास जाकर आवश्यक कदम उठाने जा रहे हैं तथा वे आंकड़े बहाल कर रहे हैं जो इससे पहले दिये गये थे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है और हम लोग भी सरकार में रहे हैं इसलिये हमारे ऊपर भी धब्बा है यदि इस तरह की बात है। क्या आप यह बतायेंगे कि जो चीज आप कह रहे हैं और मैंने उस दिन बूटा सिंह जी से भी कहा था कि आपकी सरकार में मतलब कांग्रेस की सरकार में, राजीव गांधी जी की सरकार में 9 पोस्टें शेड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड-ट्राइब्स के लिये पैनल में एडिशनल सेक्रेटरी के लिये रख दी गई थी जिस को बाद की सरकार ने नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर के लैवल में इसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ लेकिन आपकी होम मिनिस्ट्री के लैवल में और नीचे के लैवल में उसका कहीं कोई पता नहीं है। आप जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि यह किस तैवल में तय हुआ था। क्या वैलफेयर मिनिस्ट्री में या होम मिनिस्ट्री में इसका कोई सबूत था?

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे विचार से उन्होंने मुझ से काफी वैध प्रश्न पूछा है। मैं यही कहूंगा कि मैंने आंकड़े सत्यापित कर दिये हैं तथा इस सारे मामले की स्वीकृति ए०सी०सी० द्वारा दी गई थी। यह मामला आदेश जारी करने के लिए कार्मिक विभाग के पास भेजा गया था। इसके पश्चात् इसमें परिवर्तन किया गया था। **(व्यवधान)** मैं किसी सरकार पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ए०सी०सी० में ही डिस्कसशन हुआ या होम मिनिस्ट्री के नीचे से मामला गया। चूंकि आप होम मिनिस्टर की हैसियत से कह रहे हैं और चिदम्बरम जी भी यहां हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या होम मिनिस्ट्री के नीचे से पैनल बन कर गया ए०सी०सी० में या ए०सी०सी० में जाकर खाली डिस्कसशन होकर गया जिस का कहीं कोई पता नहीं है।—**(व्यवधान)**—

एक माननीय सदस्य : ए०सी०सी० क्या होता है?

श्री राम विलास पासवान : बहुत से मैम्बरों को मालूम ही नहीं है कि ए०सी०सी० क्या होता है।

श्री एस०बी० चव्हाण : ए०सी०सी० के मायने हैं एप्वांटमेंट्स कमेटी ऑफ दि कैबिनेट।

ए०सी०सी० के सामने केस बन कर जाता है रिस्पैक्टिव डिपार्टमेंट में और जब तक रिस्पैक्टिव डिपार्टमेंट उस केस को रिकमेंड न करे उस वक्त तक वह ए०सी०सी० में जाता ही नहीं है। ए०सी०सी० में यह केस फाइनलाइज़ हो गया। मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहता हूं। **(व्यवधान)**—

श्री राम विलास पासवान : मान्यवर, मेरा यह वैलिड क्वश्चन है। सिर्फ ए०सी०सी० में बैठ कर कहीं से कोई प्रपोजल आ गया और आपने कोई डिसिजन ले लिया या नीचे से जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है होम मिनिस्ट्री से या पर्सनैल से बन कर गया था, यह कोई मामूली चीज नहीं है—**(व्यवधान)**—

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप अपने पर क्यों यह इल्जाम लगाना चाह रहे हैं **(व्यवधान)**— आप मेरी बात सुनिये।

श्री राम विलास पासवान : इसके बाद मेरी सरकार आई है और यह इल्जाम मेरे पर लगाया गया है।

श्री एस०बी० चव्हाण : 8 में से 6 किये और उस वक्त 6 देखकर किये होंगे। इसके मायने 8 केसिज आपके पास आये थे और 8 में से आपको लगा कि पहले ए०सी०सी० ने नहीं किया होगा तो उसको रिवाइव कर सकते हैं, यह एक ठीक बात है।

[अनुवाद]

सरकार बदलने के साथ ही ऐसा हुआ है। क्या आप उस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि ये छः पद भी तदर्थ आधार पर ही हैं?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : हमारी मिनिस्ट्री में 6 शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडिशनल सेक्रेट्री बनाये गये थे, क्या आपका यही कहना है?

श्री एस०बी० चव्हाण : बनाये नहीं गये थे....

श्री राम विलास पासवान : केवल एक माता प्रसाद, 6 कहां बनाये थे?

श्री एस०बी० चव्हाण : आप नाम चाहते हैं तो मेरे पास नाम भी हैं, मैं नाम दे सकता हूं।

श्री राम विलास पासवान : नाम की बात मैं नहीं कहता हूं। मैं तो कहता हूं कि आपने कहा, पहले तो कहा-9 का पैनल बना, फिर उसके बाद आपने कहा, 9 में से 6 बनाये, मैं कहता हूं, मैंने केवल एक बनाया, माता प्रसाद को तो पांच कहां गये? पांच तो मैंने बनाये ही नहीं थे। मैं सरकार की बात कहता हूं।

श्री एस०बी० चव्हाण : आपने अगर 6 भी किये होंगे....

श्री राम विलास पासवान : कहां किये होंगे? एडीशनल सैक्रेटरी कोई चपरासी है।

श्री एस०बी० चव्हाण : आप ए०सी०सी० के ऊपर इस किस्म की बात तो नहीं कर सकते हैं कि वह 8 के 6 क्यों हो गये। 8 के 6 अगर मान लिया जाय कि 6 ही आपने किये तो 6 के तो केसिज़ आपको मालूम हैं कि बनकर नीचे से आये....

श्री राम विलास पासवान : हम तो कहते हैं, हमने किया ही नहीं।

श्री एस०बी० चव्हाण : आपने मंजूर किये हैं, आपको रिकार्ड बता सकता हूं जिस के अन्दर 6 आपने मंजूर किये हैं।

श्री राम विलास पासवान : कौन-कौन हैं, आप नाम बताइये? यह कोई मामूली चीज़ है क्या?

श्री एस०बी० चव्हाण : मैं बताता हूं, मैं नाम देता हूं—लीजिए। यह नाम हैं। शैड्यूल्ड ट्राइब के श्री टैरेस काज़ी। एस०सी० के ओ०पी० मेहरा, माता प्रसाद, के०एम०राव, इब्राहीम, अवतार सिंह, आर० नाईक, आर०एल० प्रदीप, महेन्द्र सिंह, यह 8 लोग हैं।

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : उन्हें अपना आरोप वापस लेना चाहिए (व्यवधान)

श्री एस०बी० चव्हाण : मुझे वस्तव में आश्चर्य हो रहा है कि तदर्थ आधार पर ए०सी०सी० के स्तर पर ही निर्णय किये जा सकते हैं। वह कुछ और मामला है। मैं उसका अनुकरण नहीं कर सकता। मैं इस प्रकार की किसी कहानी पर विश्वास नहीं कर सकता कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। (व्यवधान) ऐसा कभी नहीं हो सकता।

मैं समझता हूं कि इस विषय पर मुझे और विस्तार में कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या इसका यह अभिप्राय है कि इस समय भारत सरकार में अनुसूचित जाति के छः अतिरिक्त सचिव हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : नहीं, नहीं, इसका अभिप्राय होगा कि ए०सी०सी० की स्वीकृति अतिरिक्त सचिवों के पदों के लिए दी गई थी। अतः जब स्थान रिक्त होंगे, हम रिक्त स्थानों को भरने का प्रयत्न करेंगे। संभवतः कुछ गलतफहमी हो गई है। अभी सूची बनाई गई है। श्री बूटा सिंह ने यह कहा था कि इस सूची में पैनल में

नाम वाले अधिकारियों का नाम था। एक बार उनका सूची में नाम दर्ज हो जाता है, इसके पश्चात जैसे ही कोई रिक्त स्थान खाली होंगे, उन्हें भरा जायेगा। **(व्यवधान)**

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढ़ाना) : पुरानी सूची में से आठ में से छः की स्वीकृति अगली सरकार द्वारा दे दी गई थी। क्या इसका यह अभिप्राय है कि अनुसूचित जनजाति के सात अधिकारियों का चुनाव उचित प्रक्रिया द्वारा हुआ था तथा दो अधिकारी, जिनका नाम सूची में से निकाल दिया गया है वे, उचित प्रक्रिया द्वारा नहीं आये थे?

श्री एस०बी० चव्हाण : कम से कम मैं यह मानता हूं कि यह सारा कार्य एक उचित प्रक्रिया द्वारा किया गया है। मैं नहीं समझता कि छः के मामले में भी आप संभवतः यह भी कहा सकते हैं कि उन्होंने किसी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है। प्रक्रिया के दृष्टिकोण से भी हर कार्य उचित रूप में किया गया है। परन्तु सूची में आठ से घटाकर छः कर दी गई है। श्री बूटा सिंह ने यही बात कही थी। इसलिए मैं इस सम्माननीय सभा को यह सूचना देना चाहता था।

मेरे विचार से ये मुख्य बातें थीं। और भी कई प्रश्न हैं जो माननीय सदस्य ने किये हैं परन्तु मैं नहीं समझता कि मुझे सभा का और अधिक समय लेना चाहिए तथा अनावश्यक ही आपकी धैर्य की परीक्षा लेनी चाहिए।

मैं श्री पासवान से अनुरोध करूंगा कि उन्हें इस संकल्प के लिए अधिक जोर नहीं डालना चाहिए क्योंकि हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक इस उद्घोषणा का सम्बन्ध है, हम देखेंगे कि इन विशेष अदालतों का गठन किया जाये। मैं इसके लिए समय निर्धारित नहीं कर सकता। यह उन रिक्तियों पर निर्भर करता है जो उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम भी शीघ्रातिशीघ्र पिछले कोटे को भरना चाहते हैं। अतः इसी आश्वासन पर मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य श्री पासवान अपने संकल्प पर जोर देंगे... **(व्यवधान)**।

श्री चन्द्रजीत यादव: महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि वह राष्टरीय एकता परिषद का संयोजन करने पर विचार करेंगे जो कि विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचार के बारे में चर्चा करेगी। उन्होंने कहा है कि इसके लिए चार मुख्य कारण उत्तरदायी हैं जिनमें से तीन कारण आर्थिक कारण हैं जैसे कि भूमि सुधार, न्यूनतम मजदूरी इत्यादि। अब क्या गृह मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि वह प्रधानमंत्री से यह सिफारिश करेंगे कि राष्ट्रीय एकता परिषद की एक विशेष बैठक इसी विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाई जायेगी तथा आर्थिक कारण सम्बन्धी मुख्य समस्या पर भी विचार किया जायेगा ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का उत्थान किया जा सके?

श्री एस० बी० चव्हाण: मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी से इसकी सिफारिश करूंगा तथा अपनी ओर से उनसे अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की एक विशेष बैठक बुलाई जाए **(व्यवधान)**।

श्री पी० एम० सईद: महोदय, क्या माननीय गृह मंत्री जी सभा को यह आश्वासन देंगे कि राष्ट्रीय अखंडता परिषद का गठन करते समय अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को भी इसमें सम्मिलित किया जायेगा?

श्री एस० बी० चव्हाण: हमारा राष्ट्रीय एकता परिषद गठित करने का प्रस्ताव है और हम चाहेंगे कि अनुसूचित जनजातियों को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान-निकोबार): महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं। निकोबार जिले में संपूर्ण जनजातीय समुदाय सहकारिता के आधार पर रह रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने अब कुछ बाहर के व्यक्तियों को भी व्यापार करने की अनुमति दे दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन को उचित निर्देश देंगे या नहीं ताकि जनजातीय जीवन शांतिपूर्वक चलता रहा और वहां किसी भी बाहरी व्यक्ति को द्वीप में व्यापार शुरू करने की अनुमति न दी जाए।

श्री एस० बी० चव्हाण: मैं निश्चित रूप से इस मुद्दे की जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी: उपाध्यक्ष महोदय, शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को हमदर्दी दिखाने के लिए सब तरफ से बहुत सारी बातें कही गई हैं। अध्यक्ष महोदय द्वारा बहुत सारी कमेटीज़ जहां एप्वाइंट हो रही हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि इनमें से कितनी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के चेयरमैन होंगे? यह भी बतायें, अब तक कितने हुए हैं? यहां जो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की कमेटी है, उसके लिए तो रिज़र्व है, नहीं तो और किसी में कोई भी नहीं होता है। यह तो हाउस का जस्टिस है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री राम नाईक: मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिस विषय पर वह चर्चा कर रहे हैं वह अध्यक्ष महोदय के क्षेत्राधिकार में आता है और ऐसे किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

श्री मुकुल वासनिक: महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्हें सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियों के बारे में चिंता है। लेकिन साथ ही साथ अत्याचारों के विषय से संबंधित वाद-विवाद का उत्तर देते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह बकाया रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय-सीमा बताने की स्थिति में नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में बकाया रिक्तियों को समयबद्ध कार्यक्रम द्वारा भरा जाएगा। अभिभाषण में इस प्रकार का नीति संबंधी वक्तव्य देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि कम से कम कितने समय में बकाया रिक्तियां भर दी जाएंगी।

दूसरे, मैंने यह मुद्दा सुबह भी उठाया था। वर्ष 1990 में देश के भिन्न-भिन्न भागों से अत्याचार के 18601 मामले केन्द्र सरकार की जानकारी में आए। लेकिन इन मामलों में से राष्ट्रीय आयोग ने केवल 416 मामलों पर कार्यवाही की जो कि बहुत कम संख्या है। मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय आयोग को मजबूत करने के लिए सरकार कौन से कदम उठाएगी और इसे कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी ताकि यह अत्याचार के विभिन्न मामलों पर कार्यवाही कर सके।

श्री एस० बी० चव्हाण: जहां तक पहले भाग का संबंध है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो कहा गया है और जो मैंने अभी कहा है उसमें कोई अन्तर नहीं है। हमने खाली रिक्तियों के बारे में हमें कुछ सोचना है। यदि हम केवल यह कह देते हैं कि दो वर्ष के भीतर हम बकाया रिक्तियों को भर लेंगे और यदि कोई रिक्ति नहीं होती है तब हम क्या करेंगे। आश्वासन देकर उसे क्रियान्वित न करना ठीक नहीं है।

दूसरे मुद्दे के बारे में मुझे पूरी बात की जांच करनी होगी। इससे संबंधित जानकारी मेरे पास नहीं है। यह विषय कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। कल्याण मंत्री को इस पर कार्यवाही करनी होगी। यह जानकारी मैं उन्हें दे दूंगा।

श्री मुकुल वासनिक: क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मैंने सवाल किया था कि पार्लियामेंटरी कमेटीस में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्ज का कोई चेयरमैन है या नहीं, इनके लिए कोई रिजर्वेशन है या नहीं। क्या इस विषय में आप चिन्ता करेंगे? (व्यवधान)

श्री रतिलाल वर्मा: उपाध्यक्ष, महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि बहुत सारे सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को संरक्षण के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने और उनको आप ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण: श्रीमान्, ट्रेनिंग के लिए मेरे पास पूरी जानकारी है लेकिन समय न होने के

कारण मैं उसके अन्दर नहीं गया हूं। मेरे पास पूरी जानकारी है कि कहां-कहां पर ट्रेनिंग के लिए, इनके प्री रिक्रुटमेंट ट्रेनिंग का भी प्रबन्ध हमने किया है और कई यूनिवर्सिटीस के अन्दर इसके लिए क्लासिस भी हो रही है। **(व्यवधान)**

श्री रतिलाल वर्मा: मैं नौकरी के लिए नहीं कह रहा हूं, नौकरी के लिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही है लेकिन इनको अपने संरक्षण के लिए ट्रेनिंग दी जाए। **(व्यवधान)** नौकरी के लिए ट्रेनिंग है। आप नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वह मर ही जाएगा तो नौकरी क्या करेगा।

[अनुवाद]

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव: महोदय, यह राष्ट्रपति का आदेश है कि जनजातीय भूमि को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे व्यक्तियों को भी उनकी भूमि पर कब्जा नहीं करना चाहिए। यह आदेश 1947 से चला आ रहा है। आंध्र प्रदेश में खम्माम जिले के भद्राचलम एजेंसी क्षेत्र में जनजातीय लोगों की एक लाख एकड़ अति उपजाऊ भूमि उच्च जाति के किसानों ने ले ली। इन उच्च जाति के लोगों को भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री जलगाम वेंगल राव का समर्थन प्राप्त है.....

श्री मनोरंजन भक्त: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं है तब उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया इसका लोप कर दीजिए।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव: क्या माननीय गृह मंत्री जी उन किसानों को इस जनजातीय भूमि से निकाल सकते हैं? क्या वह इस संबंध में हमें आश्वासन देंगे?

श्री एस० बी० चव्हाण: इस संबंध में एक विधान पहले ही है, केवल उसे क्रियान्वित करने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम विलास पासवान।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो अभी सुझाव दिया है उसके सम्बन्ध में मैं दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। मुझ को नहीं पता, हम इनकी नीयत पर तो संदेह नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके पास जानकारी का अभाव होगा या फिर कोई और कारण भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने चार मामलों को टच किया है। एक तो अच्छी बात इन्होंने कही है—स्पेशल कोर्ट के सम्बन्ध में और मैं समझता हूं कि स्पेशल कोर्ट से हमारा जो मीनिंग होगा वह एक्सक्लूसिव कोर्ट होगा। स्पेशल कोर्ट का मतलब यह नहीं है कि कोर्ट में जा करके कोई जज वहां बैठा देखता रहे। एक्सक्लूसिव कोर्ट का हमारा जो आइडिया था वह यह है कि जहां कहीं भी घटना घटे सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही नहीं, चाहे आंध्र प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश, कहीं भी हो, आप एक्सक्लूसिव कोर्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहिए कि वह हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करे और सीधे जा करके वह घटना स्थल पर बैठे और बैठने के बाद सारे के सारे एविडेंस ले करके 30 दिन के अन्दर, आप टाइम बाउण्ड कर दीजिए कि एक महीने या डेढ़ महीने के अन्दर वह जजमेंट दे दे। उससे क्या होगा कि लोगों के मन में कान्फीडेंस की भावना जागेगी।

दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, गृह मंत्री जी को पता है या नहीं, लेकिन हमको वहां से ऐसी जानकारी मिली है कि एक और प्लानिंग बन रही है, 20—27 लोग मारे गए हैं, लेकिन निकट भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए अभी से राज्य सरकार को अलर्ट कर दीजिए, अपने खुफिया विभाग की सहायता से अलर्ट कर दीजिए जिससे इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। हमें जानकारी मिली है कि वहां पर फिर से मासएकर की तैयारी चल रही है और पहले से उचित कदम नहीं उठाए गए तो व्यापक पैमाने पर फिर से कोई घटना हो सकती है।

आपने स्पेशल कोर्ट्स के बारे में कहा, आशा है आप उनको एक्सक्लूसिव कोर्ट बनाने का काम करेंगे। दूसरा रिक्रूटमेंट के संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा था, आप देखिए कि कलेक्टर के लिए, एस पी के लिए एससीएसटी का कैंडीडेट मिल जाता है, जैसे चपरासी के लिए आपको नहीं मिलता। क्लास-फोर के लिए आदिवासियों का रिजरवेशन 7.5 परसेंट है, लेकिन अभी तक केवल 6 परसेंट उनको रिजरवेशन मिल पाया है। कलेक्टर के लिए योग्य आदमी मिल जाता है, लेकिन झाड़ू देने के लिए, कागज

उठाने के लिए, चपरासी के लिए योग्य आदमी नहीं मिलता। इसका कारण है कि यूपीएससी की जो रिक्रूटमेंट बाडी है, उसमें एससीएसटी के मेंबर रहते हैं, कभी कभी चेयरमैन भी एससीएसटी का होता है, जिसकी वजह से प्रोसीजर में कोई अफसर वंगलिंग नहीं कर पाता लेकिन निचले कर्मचारियों की नियुक्ति आफिसर के मन पर निर्भर करती है इसलिए चपरासी के पद पर वह किसी अपने आदमी को लाकर रख देता है। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मर्ज की एक ही दवा है, मैंने वेलफेयर मिनिस्टर से भी कहा था, उस दिन आपको भी कहा था कि आप इसकी जांच करवाइए कि हम लोगों के समय में एक लेजिसलेशन तैयार किया गया था, एक बिल तैयार किया गया था और हमने कहा था कि बाबा साहेब अंबेडकर के जन्मशताब्दी वर्ष में 14 अप्रैल 1992 तक सारे का सारा बैकलाग पूरा किया जाएगा और उसके लिए बिल सहयोग करेगा। उसमें हम लोगों ने दण्ड का प्रावधान रखा था, पनिशमेंट का प्रावधान रखा था। यदि एससीएसटी केंडीडेट सूटेवल है, अवेलेबल है, इसके बावजूद उसको रिक्रूट नहीं किया जाता तो ऐसे अधिकारी को दंडित किया जाए। जब तक दण्ड की छड़ी उस अधिकारी के माथे पर नहीं रहेगी, तब तक मैं समझता हूं कि इस पर अमल नहीं हो पाएगा। मैंने पहले भी एक दिन पार्लियामेंट में कहा था कि 43 साल में इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, वह उसी तरह की है जैसे 43 साल में एक आदमी को 5 फुट 7 इंच का होना चाहिए, लेकिन वह है 3 फुट का। 22.5 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए, लेकिन हुआ है 10 परसेंट, यानी 50 परसेंट से भी कम है। 5 फुट 7 इंच जिस आदमी को होना चाहिए, वह 3 फुट का है और उसी बौने आदमी को देखकर आप कहते हैं कि यह बहुत ताकतवर हो गया है। इसलिए मंत्री महोदय इस लेजिसलेशन के पाइंट को नोट कर लें, वेलफेयर मिनिस्टर ने भी कहा था, पता नहीं प्रेसीडेंट के एड्रेस में यह बात आई है या नहीं, लेकिन इस लेजिसलेशन को लाना बहुत आवश्यक है।

दूसरी चीज पैनल के बारे में कही गई, पैनल तो यहां स्पीकर साहब के पास भी है और उसमें 100 नाम होंगे, प्रश्न यह है कि उनमें से कितने बोल पाए हैं। पैनल जब आया ही नहीं तो पैनल का क्या होगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि एक्ट अलग है और फैक्ट अलग है। एक्ट में पैनल बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, मैं नहीं जानता, लेकिन फैक्ट यह है कि 1974 के बाद पहला एडीशनल सेक्रेट्री 1990 में बना। एक पहले सरदार करतार सिंह बने थे, लेकिन अब 16 साल के बाद एक एडीशनल सेक्रेट्री बना है। आज भी आपके पास 1960-61 तक के सेक्रेट्री हो गए हैं, लेकिन एससीएसटी के बारे में यह स्थिति है। आप चले जाइए साउथ में, आंध्र में, तमिलनाडु में, आपको ऐसे आफिसर मिल जाएंगे जो 1959 के बैच के आईएएस हैं, वे सेक्रेट्री बन गए हैं, पूरे देश में 2-3 ऐसे आफिसर हैं जो सेक्रेट्री रैंक के हैं, लेकिन बन नहीं पाए हैं। आपने एक कानून का जाल बुन दिया है, कौन पैनल लिस्ट में नाम भेजेगा, लिस्ट में नाम भी आएगा तो एससीएसटी अधिकारी को सी आर में इफ, बट लगा होगा, भले ही वह अच्छे से अच्छा काम करने वाला क्यों न हो, कहीं न कहीं उसकी सीआर रंगी हुई होगी। जब तक सरकार स्पेशल प्राविजन नहीं करती है तब तक काम नहीं हो सकता आपके पास इतने सेक्रेट्रीज हैं, इतने मिनिस्ट्रीज हैं, लेकिन एक भी सेक्रेट्री आप एससीएसटी का नहीं बना पाए हैं। आजादी के 43 सालों के बाद केवल एक ऐडीशनल सैक्रटरी हो, हम किसके ऊपर दोष दे रहे हैं? कौन अक्षम है? हम अक्षम हैं, आप अक्षम हैं? यदि यही मामला एफीशिएंसी पर, यही मामला मैरिट का था तो हम लोगों ने अंग्रेजों को क्यों भगाया। अंग्रेज तो हमसे बहुत ज्यादा मेरीटोरियस थे। उनके सामने तो हम पुलिस इंस्पैक्टर के काबिल भी नहीं थे। आज नीचे से ऊपर तक हम बैठे हुए हैं। उसी तरीके से वही तर्क उस बेचारे के साथ दिया जाता है।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप उसमें विशेष रूप से ध्यान देने का काम कीजिए। तीसरा, आपने जमीन के मामले में कहा। आपने स्वयं कहा कि 62 लाख एकड़ जमीन आइडैंटीफाई की गयी और उसमें से 47 लाख एकड़ जमीन सिर्फ कागजों पर बांटी गयी। कितनी बांटी है, वह कोर्ट का मामला आपने कहा। इसका मतलब है कि जब जमीन ली गयी है बड़े-बड़े भूमिपतियों से, किसानों से उसमें से 15 लाख एकड़ जमीन न कागजों पर बांटी गयी है और न फिजिकली बांटी गयी है। मैं इसलिए कहता हूं कि आप एक्सपोज कीजिए स्टेट गवर्नमेंट को आप चीफ मिनिस्टर की कांफ्रेंस बुलाते हैं, बुलाईये, आपको क्या-क्या मैसर्स लेने हैं, होम मिनिस्ट्री से गाईड-लाइन्स तैयार कीजिए, जो चीफ मिनिस्टर उस बात को नहीं करता है आप उसको पब्लिकली डिनाउंस कीजिए कि यहां का चीफ मिनिस्टर नहीं कर रहा है। आपको मालूम है प्रीवेंशन आफ एट्रोसिटीज एक्ट आपने तैयार किया था 1989 के जुलाई महीने में, लेकिन जब तक हम नवम्बर में आए, वह लागू नहीं हुआ।

हमने अपनी मिनिस्टरी से पूछा कि क्यों लागू नहीं हो रहा है। तो जवाब मिला कि कोई स्टेट गवर्नमेंट जवाब नहीं दे रही है। हमने स्टेट गवर्नमेंटस को लिखा कि आप 30 दिसम्बर तक जवाब दें। अगर 30 दिसम्बर तक आप जवाब नहीं देते तो हम उसको लागू कर देंगे और पब्लिकली कह देंगे कि यह स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है। नतीजा हुआ हमने नोटीफिकेशन कर दिया। नोटीफिकेशन हो गया। आप पूछते रह गए कि नोटीफिकेशन करना है या नहीं करना है। स्टेट गवर्नमेंट में क्या सब देवता बैठे हुए हैं। वहां भी राक्षस बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन सारी चीजों को अगर आप सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देंगे तो आपके पास वह कभी आने वाली नहीं है। जो भी सरकार हो, जो सरकार दलित विरोधी और वीकर सैक्शन के विरोध में काम करती है, माइन्योरिटी के विरोध में काम करती है, बैकवर्ड क्लास के विरोध में काम करती है उसको आप एक्सपोज करते जाईये, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो। तब पता चलेगा कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव है। सब चीजें स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर फैंकते हुए न चलें।

तीसरी चीज और करना चाहूंगा। अभी वैंकटास्वामी जी ने कहा, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने एक बात जरूर कबूल की कि जो घटना घटी है वह लैण्डलार्ड और ऐडमिनिस्ट्रेशन दोनों की कांसपीरिसी के कारण घटी है। जब कांसपीरिसी है और सैंट्रल के मिनिस्टर कह रहे हैं, ये वहां गए हुए हैं, सबसे नजदीक से इन्होंने देखा है, जिस कर्मचारी ने ऐसा किया है, डी०जी० को जरूर सस्पैंड कीजिए। उसको हटाईये। लेकिन जिसका डायरैक्ट इनवाल्वमेंट है उसको आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है।

दूसरी चीज, मैं कहना चाहूंगा आपका मीडिया है, टी०वी० और रेडियो है, माफ कीजिए, समाचार-पत्र हैं हम उस पर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो सरकारी मीडिया है उस सरकारी मीडिए का क्या रोल होता है, ज़रा इस पर भी देखने का काम कीजिए। हाउस में डिस्कशन चलेगी, हिन्दी वाला थोड़ा-बहुत दे देते हैं, अंग्रेजी का ज़रा सुनिए, बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है।

श्री मनोरंजन भक्त: जी हां, ऐसा ही होता है।

श्री राम विलास पासवान: देखिए, मनोरंजन भक्त जी भी कह रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त: हमारी पार्टी ने कांग्रेस प्रैसीडेंट्स, चीफ मिनिस्टर्स और सी०एल०पी० लीडर्स की मीटिंग ली, वह भी नहीं दिया।

श्री राम विलास पासवान: वह भी नहीं दिया तो हम लोगों को क्या देंगे। इसलिए मैं कहता हूं जब वीकर सैक्शन का सवाल आता है, पांजा जी यहां कहीं बैठे हुए होंगे, ज़रा इन्हें टाईट कीजिए। मैं बतलाऊंगा क्या-क्या चलता है।

[अनुवाद]

खनन और प्रशासन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): महोदय, पिछली सरकार ने इस विषय को इतना उलझा दिया है कि इसे सुलझाने में समय लगेगा।

श्री राम विलास पासवान: लेकिन जल्दी टाईट कीजिए। प्रीवीयस गवर्नमेंट ने लूज़ किया है तो जल्दी टाईट कीजिए। प्रीवीयस गवर्नमेंट के नाम पर चलोगे तो ऐसी हालत आपकी भी हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: चिदम्बरम का कहां दिया है, ये बतायेंगे। माधव राव सिंधिया का दिया है, लेकिन खुराना जी का देकर साफ कर दिया।

श्री पीयूष तीरकी: इतनी बेकरी है, जो आपका डायरैक्टर है उसको एक्सटैंशन क्यों दी, यह मैं पूछना चाहता हूं। उसमें आपका क्या स्वार्थ है।

श्री राम विलास पासवान: वे लूज़ हैं उनको टाईट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अजित कुमार पांजा: मैं समयावधि नहीं बढ़ा सकता हूं, समयावधि मंत्रिमंडलीय समिति बढ़ा सकती है और इस बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: उस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। टी०वी० आपका मीडिया है। विकर सैक्शन या गरीब का सवाल आए तो उसको कहिये कि समस्या का कैसे निदान हो, उसको ज़रा सा हाइ-लाइट करें।

बड़े-बड़े लोगों को मुफ्त में पब्लिसिटी होती रहती है, जबकि वह नहीं होना चाहिए। मैं एक दिन तीर चलाने वालों को देख रहा था। छोटा नागपुर में आप देख लीजिए। एक से एक तीर चलाने वाले वहां पर होते हैं। पैसा रखकर वे पैसे में छेद करते हैं। जब आप सिलेक्शन करते हैं तो आपने कभी आदिवासियों का भी ध्यान नहीं दिया। आप नाम में मत जाइए।.....**(व्यवधान)** जब चार्जशीट का मामला होता है तो आप एक सर्कुलर निकालिए जो कि विकर सैक्शन के लिए और सभी के ऊपर "जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड" होना चाहिए। चार्जशीट का जहां मामला है तो सर्कुलर दीजिए जिसमें यह हो कि तीस दिन के अन्दर चार्जशीट दें। जब कासट राइट या कम्युनल राइट होता है तो मैं उसकी फिगर्स में नहीं जाऊंगा। आपके पास फीगर्स हैं। यह आपको मालूम होगा कि कितने केस विकर सैक्शन के द्वारा होते हैं कितनों में सज़ा होती है। जब सजा नहीं होती तो उस पर जांच नहीं होती। एक-दो में से एक को जांच कर लीजिए। जो भी अफसर दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाए। सारे के सारे सिस्टम को आप और हम जानते हैं। दारोगा और आफिसर इंचार्ज के पास 64-दफा नहीं रहा तो एस०पी० और आई०जी० को भी बन्द कर सकते हैं। उसमें कड़ाई से पालन करना चाहिए।

आज के क्वेश्चन में यह पूछा गया था कि एम०बी०बी०एस० में जो एडमिशन होता है, क्या उसमें एस०सी०एस०टी० के रिजर्वेशन के मुताबिक हो रहा है। जवाब में यह दिया गया है कि असम, बिहार, गुजरात, केरल, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों में स्थिति असंतोषजनक नहीं है। वहां लड़के नहीं मिल पाते हैं। जब एडमिशन नहीं होगा तो आप कोटा कैसे पूरा करेंगे। इंजीयरिंग में कैसे पूरा करेंगे।.....**(व्यवधान)** यह 461 नंबर क्वेश्चन का जवाब है। इसमें साफ तौर से कहा गया है कि इन राज्यों में और भी बहुत ज्यादा है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एजूकेशन में लड़कों का जो बैकलाग है, वह पूरा हो जाए। उसके बाद रोल आफ पुलिस है। जो पुलिस का रोल है, उस पर ध्यान दीजिए। मैं समझता हूं कि जैसे माइनोरिटी के लोग हिन्दू से नहीं डरते हैं लेकिन पुलिस से भयभीत हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जब एट्रोसिटीज होती हैं तो पी०ए०सी० आने लगती है। पुलिस का जब डर होता है तो पुलिस का रोल बहुत घिनौना होता है। हमारे गुजरात के साथियों को मालूम होगा कि गुजरात में जब कास्ट रायट हुआ था तो हल्ला हो जाता है कि पटेल बस्ती में यह कर दिया, वह कर दिया तो इसी तरह से चलना शुरू हो जाता था। जो पुलिस का रोल होता है, आप कोशिश कीजिए कि प्रत्येक जिले में एस०पी० डी०एम०, डी०एस०पी० और एस०पी०यू० ये चार पोस्ट जो हैं इनमें एक पोस्ट निश्चितरूप से अनुसूचित जाति या जनजगति को जानी चाहिए और इस उद्देश्य से वह जायेगी कि लोगों का इस पर भरोसा होगा और जब भी ऐसी घटना होगी उसके तथ्य वह प्राप्त करेगा। कुछ सदस्यों ने यहां इस घटना की जांच के लिए सी०बी०आई० का नाम लिया। मैं समझता हूं कि सी०बी०आई० से जांच करना उचित नहीं होगा, आप भी इसके मूड में नहीं हैं, यदि उससे जांच करायेंगे तो न राज्य सरकार के लिए अच्छा होगा और न आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए आपको स्पेशल कोर्ट..

श्री एस० बी० चव्हाण: ज्यूडिशियल इन्क्वायरी हो रही है।

श्री राम विलास पासवान: आप फिर उलझा रहे हैं। स्पेशल कोर्ट अलग है। ज्यूडिशियल इन्क्वायरी अलग है। यहां की जो घटना है इसकी जांच स्पेशल कोर्ट के द्वारा होनी चाहिए। रेड्डी साहब यहां नहीं हैं, मैं कहना चाहूंगा कि इस घटना की जवाबदेही अनुसूचित जाति और जनजाति की नहीं है। यह हम लोगों के ही शर्म की बात नहीं है, यह अपर क्लास वालों के लिए भी शर्म की बात है। हम लोगों के मन में जितना गुस्सा है उससे ज्यादा गुस्सा अपर कास्ट के लोगों में होना चाहिए। अगर उन्होंने समस्या के निदान के लिए और घाव पर मरहम पट्टी लगाने का काम किया तो निश्चितरूप से घाव भरने का काम होगा, नहीं तो अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार होंगे और वे लड़ते रहेंगे, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होंगे वे भी लड़ते रहेंगे और हम समस्या का निदान नहीं कर पायेंगे। आपने देखा कि आंध्र प्रदेश के चौदह जिलों में जिस प्रकार से नेक्सलाइट छाया हुआ है और ये जिले उसकी गिरफ्त में हैं, यदि लोगों का न्याय के ऊपर से भरोसा उठ गया तो बचे हुए जिले और राज्य भी इसकी गिरफ्त में चले जायेंगे और हम उनको बचा नहीं पायेंगे।

मैं चाहता था कि यह जो मोशन है किसी न किसी रूप में आना चाहिए भले ही राम विलास के नाम से आये, अगर वहां गड़बड़ हो तो मंत्री जी की तरफ से आ जाना चाजिए था और मंत्री जी की तरफ से कोई दिक्कत हो तो चेयर की तरफ से आना चाहिए। मेरा उद्देश्य था कि किसी न किसी रूप से यह प्रस्ताव आना चाहिए था जिससे सदन की भावना बाहर जाये कि इस मामले में कोई पक्ष-विपक्ष नहीं है, सारे सदन के लोग एक साथ हैं।

सब लोग इस तरह की घटना की निन्दा करते हैं और सब चाहते हैं कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। हमने कोई डेरोगेटरी शब्द नहीं कहा था, हमने कहा था कि यह सदन अनुसूचित जाति और जनजाति पर हो रहे जुल्म पर चिन्ता व्यक्त करता है और हम सरकार से मांग करते हैं कि वह निर्देश दे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, सीधा सा यह था। हो सकता है सरकार के मन में कुछ रिजर्वेशन हों। यदि मंत्री जी नहीं चाहेंगे तो मैं प्रैस नहीं करूंगा। लेकिन दो-तीन बातों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। एक साथी ने जो कि मणिपुर से आते हैं, ठीक कहा कि जब हम लोगों की सरकार थी और जब हमने न्यू बौद्धिस्ट के सम्बन्ध में कानून पास किया था कांग्रेस के लोग सबसे आगे थे कि आप क्रिश्चियंस के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की घोषणा करें और जो फेसेलिटी बौद्धिस्ट को दी गई हैं वे कंवर्टेड क्रिश्चिएंस को भी मिलनी चाहिए। हमने मंत्री की हैसियत से कहा था कि हमारे सामने यह प्रस्ताव है लेकिन हमारे पास बहुमत नहीं है और हम जिस साथी के बल पर चल रहे थे उन्होंने भी साफ कहा था कि हम इस मामले में आपका साथ नहीं देंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा था .....**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): महोदय, वह गलत जानकारी दे रहे हैं। जब विधेयक पर चर्चा की जा रही थी उस समय हमने यह सुझाव दिया था कि नव-बौद्धों के साथ "परिवर्तित इसाईयों" शब्द भी जोड़ दिया जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इंकार नहीं कर दिया। यह दिखावा क्यों है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० पी० जे० कुरियन): हमारे स्वर्गीय नेता श्री राजीव गांधी के निर्देशाधीन मैंने उनके तथा श्री उपेन्द्र के साथ बातचीत की थी। हमने इसे शामिल करने के लिए कहा था। अध्यक्ष महोदय के कक्ष में हुई बैठक में वह इस बात के लिए सहमत हो गए थे। लेकिन यहां आकर वह मुकर गए।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी: उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कर रहे हैं, वह सच नहीं है। श्री राम विलास पासवान ने पहल की है। कांग्रेस से आये थे, उनसे सारे मिले हैं। सब कुछ कहा गया है, एक महीने रहते तो उस समय हो जाता .....**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान: उपाध्यक्ष महोदय, यह सब रिकार्ड की बात है जब मैं वेलफेयर मिनिस्ट्री में था, एक बार नहीं दसियों बार जवाब दिया था और हाऊस में कहा है। कुरियन साहब तो केवल ज़ीरो ऑवरमें ही बैठते थे, इसमें मेरा क्या दोष है? तो मैंने एक बार नहीं कई बार हाउस में कहा है। प्रोसीडिंग्ज़ लेकर दिखला सकता हूं। मैंने दोनों हाऊस में कहा कि मैं इसके विरोध में नहीं हूं, जो सहयोगी दल हैं, वे नहीं चाहते हैं और आपके ऊपर विश्वास नहीं था कि कब साथ दीजियेगा और कब साथ नहीं दीजियेगा।

एक माननीय सदस्य: वे बी०जे०पी० थे।

श्री राम विलास पासवान: मैं अभी भी कहता हूं कि वे थे।

श्री राम नाईक: अपनी बात साफ है, हमारा विरोध है और विरोध रहेगा। ...**(व्यवधान)**

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वांयट ऑफ आर्डर है। यह रिज़र्वेशन पर बहस हो रही है या एट्रोसिटीज़ पर। अगर रिज़र्वेशन पर बहस हो तो नये सिरे से आप आज्ञा दें।

श्री राम विलास पासवान: मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जब कहते हैं कि मैं बार-बार डेलीगेशन लेकर सरकार के पास आता था और सरकार भीतर से हां कहती थी, सदन में कुछ नहीं बोलती थी तो मैं आपको खुले आम निमंत्रण देता हूं कि विधेयक लेकर आईये, हम लोग साथ देंगे और पास करायें। यदि हिम्मत है तो होम मिनिस्टर घोषणा कर दें। आप ले आयें, हम साथ देने के लिए तैयार हैं। जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, चाहे वे चाहते हैं, उनके लिए तैयार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने यह भी कहा था कि जो चंद बुनियादी सुविधायें हैं, इसके संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। मैं एक बात के लिए सरकार से जरूर आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो मामला है बैकलॉग भरने का, रिज़र्वेशन का, लेजिस्लेशन फॉर रिज़र्वेशन - उसके संबंध में हाऊस में कमिट्ट किया गया था

और स्पीकर साहब ने कहा था कि हम इसको पार्लियामेंट के अगले सैशन के पहले दिन पेश करने की अनुमति दे देंगे। मैंने उस दिन भी कहा था कि वैलफेयर मिनिस्ट्री में सारा विधेयक बनकर तैयार है। इसमें किसी पार्टी का कोई मामला नहीं है। आप उसको एश्योर कीजिये। बैकलॉग को पूरा करने के लिए लेजिस्लेशन फॉर रिज़र्वेशन का जो कानून है, उस कानून को हम लायेंगे पार्लियामेंट के सैशन में। एक बात की गारंटी दीजिये कि भविष्य में जो लोग दोषी हों, उनको दण्डित किया जाये और गुंटूर जिले में जो घटना हुई, उसकी पुनरावृत्ति न हो। जो कांस्पेरेसी चल रही है, उसके लिए सरकार हाऊस में एश्योर करे कि आप राज्य सरकार से मिलकर अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम सदन को एश्योर करें कि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बस, आपके एश्योर करने के बाद हम फिर सोच सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम आंध्र प्रदेश सरकार को लिखेंगे कि वहां ऐसा दुबारा न हो। हम सभी एहतियाती उपाय अपनाएंगे।

श्री राम विलास पासवान: आरक्षण संबंधी विधान का क्या हुआ?

श्री एस० बी० चव्हाण: मैं उसके लिए वायदा नहीं कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: आप एस०सी०एस०टी० के बारे में सरकार की तरफ से कर रहे हैं। जब इस तरह से कर रहे हैं तो हम सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।

लेकिन फिर सरकार के साथ वचनबद्धता और सदन की तरफ से तो कुछ उनके लिए कहा जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, कम से कम गृह मंत्री जी सारे देश को इस तरह की कॉल तो दीजिए कि इस तरह की जो घटना हुई है हम उसकी निन्दा करते हैं और देशवासियों से अपील करते हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप प्रस्ताव वापिस ले रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: सभापति महोदय, मैं इस प्रस्ताव को वापस लेता हूं। अब कम से कम मुझे धन्यवाद तो दीजिए।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण: वास्तव में, मैं अपने उत्तर में पहले ही अपील कर चुका हूं। मैं इसे दोहरा सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या अपना प्रस्ताव वापस लेने के लिए माननीय सदस्य को सभा की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

प्रस्ताव, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री राम विलास पासवान के नई दिल्ली स्थित आवास पर 22 मई, 1991 को हुई हिंसा/आगजनी की घटना

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): मैं, इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को 22 मई, 1991 की प्रातः संसद सदस्य श्री राम विलास पासवान के निवास पर हुई हिंसा और आगजनी की घटना के बारे में अवगत करता हूं।

2. श्री राजीव गांधी की दुःखद हत्या की खबर फैलनी शुरु होते ही, 10, जनपथ के सामने भीड़ इकट्ठी

होनी शुरू हो गई। यह भीड़ काफी भावोत्तेजक और अशान्त होती गई। 22 मई, 1991 को [श्री एस० बी० चव्हाण]

लगभग 1.00 बजे पूर्वाह्न जब भारत के राष्ट्रपति 10, जनपथ पर आए तो भीड़ ने उन्हें 10, जनपथ में प्रवेश करने से रोकने की कोशिश की।

3. लगभग 1.30 बजे पूर्वाह्न भीड़ में करीब 2000/2500 लोग एकत्र हो गए। भीड़ बहुत की उत्तेजक और उन्मादपूर्ण हो गई थी और अनेक राजनीतिक नेताओं के खिलाफ जोर-जोर से नारे लगा रही थी।

4. भीड़ में से लगभग 500 व्यक्ति बगल के बंगले में चले गए, जो श्री राम बिलास पासवान का निवास था। उन्होंने गेट तोड़ दिया और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों पर हमला किया। कुछ लोगों ने चार-दिवारी से कूद कर अंदर प्रवेश किया और वहाँ की कुछ चीजों पर आग लगा दी। उन्होंने दरवाजों खिड़कियों तथा टेलीविजन व घर के अंदर के कुछ अन्य सामान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों पर भी हमला किया और उन पर पत्थर फेकें, जिसके फलस्वरूप नई दिल्ली के पुलिस उप-आयुक्त तथा अन्य पुलिस कार्मिकों को चोटें लगी। कोई और विकल्प न मिलने पर, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में 3/4 शाट फायर किए। फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुँच कर आग बुझाई।

5. भारतीय दंड संहिता की धारा 436/341/353/186/132,147/248/149/506 के अन्तर्गत तुगलक रोड़ थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 116, दिनांक 22 मई, 1991 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कुछ जले हुए पर्दे, एक टूटा हुआ टेलीविजन सेट, तथा घर का कुछ क्षतिग्रस्त सामान को मामला-सम्पत्ति के रूप में अपने कब्जे में ले लिया । इस मामले की जांच की जा रही है और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अपराधियों के पकड़े जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ाः सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)** मैं मंत्री महोदय से दो ही चीज़ जानना चाहता हूं। देखिए, यदि इस तरह की बात करेंगे तो आपके मेम्बर्स के ऊपर भी होना शुरू हो गया है। आप अपने मेम्बर्स के लिए तो चिन्तित हैं कि चिदंबरम जी और सिंधिया साहब पर हो रहा है, और हमारे संबंध में इस तरह का एटीट्यूड ठीक नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि जो पुलिस ने फायर किया, यदि पुलिस उस समय ही फायर करती जिस समय मॉब बाहर जमा हो रहा था उसी समय हवाई फायर करती रहती तो न तो हमारी संपत्ति जलती, न हमारा गेट टूटता और न ही..**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय ने एक विनिर्णय दिया था कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य पर कोई स्पष्टीकरण नहीं माँगा जायेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि किस नियम के अन्तर्गत आप माननीय मंत्री महोदय को अनुमति दे रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि जो आदमी टकराया, उसके पास से रिवॉल्वर निकला और 18,000 रुपए निकले थे? वह आदमी कौन था? सर, इधर चिड़िया की जान जा रही है.. **(व्यवधान)** चिड़िया की जान जाये तो जाये, बच्चे का खिलौना। हमारा घर जला है और मंत्री जी सदन में ऐसा वक्तव्य दें, यह नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, उन्हें जवाब देना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): हम कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन वे स्वयं इसमें लिप्त हैं। वे

सभा के एक माननीय सदस्य हैं। यदि वे कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि माननीय गृह मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री एस॰ बी॰ चव्हाण: आप एक गलत परम्परा शुरु कर रहे हैं। अभी तक वक्तव्य पर कोई स्पष्टीकरण नहीं माँगा जाता है।

श्री चन्द्रजीत यादव: मैं यह कह रहा हूं कि इसे अधिक पेचीदा मत बनाईये। मुझे दुःख है कि आप इसे अधिक पेचीदा बना रहे हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: शुरु में ही मैंने भी पासवान जी से यह अनुरोध किया था कि जब भी एक वक्तव्य दिया जाये तो इस पर न तो कोई स्पष्टीकरण मांगा जा सकता और न ही इसकी व्याख्या के लिए कहा जा सकता है। मैंने इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।

श्री राम विलास पासवान: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

[हिन्दी]

आप उपाध्यक्ष हैं, आप क्या कह सकते हैं। मैं आपको आज से 5 दिन पहले का प्रोसीजर दिखला सकता हूं जिसमें अध्यक्ष महोदय की तरफ से रूलिंग दी गयी है, इसी चेयर पर बैठकर, कि जब भी हाउस में कोई मिनिस्टर का सटेटमैंट होगा तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा एक या दो क्वैश्चन यानी दो क्वैश्चन तक माननीय सदस्य पूछ सकते हैं। क्या आप यह कह सकते हैं कि उस रूलिंग के बावजूद, हाउस में जो गृह मंत्री जी का स्टेटमैंट हुआ है, इससे पहले कभी क्लैरिफिकेशन पूछा नहीं गया है। इस मामले में, मैं चेयर से व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान) यदि ऐसा पहले नहीं हुआ होगा, तो ठीक है, मैं बैठ जाता हूं। यदि पहले भी ऐसा हो चुका है तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री पी॰ एम॰ सईद (लक्षद्वीप): किसी नियम के अन्तर्गत ऐसा नहीं किया गया था।

श्री चन्द्रजीत यादव: मैं यह कह रहा हूँ कि इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। लेकिन माननीय गृह मंत्री महोदय को इसे इतना पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। यहाँ एक माननीय सदस्य स्वयं लिप्त हैं जिनके आवास पर हमला किया गया था और वहाँ खतरा था। यदि वे माननीय गृह मंत्री महोदय से कुछ जानना चाहते हैं तो उन्हें इस पेचीदा नहीं बनाना चाहिए। **(व्यवधान)** चार्ल्स जी आप बहुत जल्द निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं। **(व्यवधान)** इसे इतना पेचीदा मत बनाईये।

[हिन्दी]

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य इस दुर्घटना में इन्वोल्व हैं इसलिये उन्हें क्लैरिफिकेशन पूछने की अनुमति मिलनी चाहिये।

श्री राम विलास पासवान: यदि इनके किसी मैम्बर के साथ ऐसा हुआ होता, सिंधिया जी के साथ ऐसा हुआ होता तो पूरे दिन हाउस न चलता। अभी चिदम्बरम जी के साथ ऐसा हुआ तो इनके लोग हाउस के वैल में आ गये परन्तु जब राम विलास पासवान के साथ ऐसी घटना घटी चूंकि वह कमजोर है इसलिये दो महीने बाद आप स्टेटमैंट दे रहे हैं। उसमें भी आप पूरी बात को बता नहीं रहे हैं। चलाइये इस तरह...**(व्यवधान)**...यदि आपका स्टेटमैंट यही है तो चलाइये। सरकार के रवैये के खिलाफ मैं वाक-आउट भी कर सकता हूं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एस॰ बी॰ चव्हाण: उन्हें मुझे लिखित रूप में देने दीजिए। मैं खोज करूँगा। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य: वह इतने जिद्दी क्यों हैं?

श्री चन्द्रजीत यादव: मैं एक बहुत ही उत्तरदायित्वपूर्ण वक्तव्य दे रहा हूँ। करीब तीन सप्ताह पूर्व एक माननीय मंत्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया और उस समय सभापति महोदय, कर्नल राम सिंह पीठासीन थे। उन्होंने निर्णय लिया और कहा, 'मैं सदस्यों से, प्रत्येक दल के एक-एक सदस्य द्वारा चार स्पष्टीकरण माँगे जाने की

अनुमति दे रहा हूं।' (व्यवधान) एक सदस्य पर हमला किया गया था, उनके आवास पर हमला हुआ था। तब माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे, 'गलत उदाहरण मत दीजिए।'

श्री बसुदेव आचार्य: उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, माननीय मंत्री महोदय को अवश्य ही उत्तर देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण: माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान जी ने बहुत ही व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपना लिया है क्योंकि वे कमजोर वर्ग से सम्बन्धित है। यही कारण है कि मैं यह स्थिति अपना रहा हूं कि चूंकि उन्होंने यह कह दिया है इसलिए मुझे यह कहना है कि मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: मैं जो कुछ कह रहा हूं एक हाउस के मैम्बर की हैसियत से कह रहा हूं। किसी वीकर सैक्शन का इसमें कोई सवाल नहीं है, मैम्बर की हैसियत से, मैं इस सदन का एक सदस्य हूं। इस घटना को घटे दो महीने हो गये हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण: नहीं, आपने कहा, मैंने उसी का उत्तर दिया कि मेरे पास आज वह इन्फार्मेशन नहीं है। आप मुझे लिखिये, मैं आपको जवाब दूंगा।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: यह घटना 22 तारीख को हुई है और आपको कोई जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

8.00 म० प०

(इस समय श्री राम विलास पासवान और कुछ अन्य सदस्यगण सभा-भवन से बाहर चले गये)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अपना स्थान ग्रहण कर लेने का अनुरोध करता हूं। कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें। मैं श्री एम० एम० जैकब, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री से 13-8-91 को बोट क्लब के निकट हुई घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं।

13-8-1991 को नई दिल्ली बोट क्लब लान के निकट हुई हिंसा की घटना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): मैं, इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को 13.8.1991 को बोट क्लब मैदान के निकट हुई घटना के बारे में अवगत कराता हूं।

2. 13.8.1991 को करीब 300 कश्मीरी प्रवासी बोट क्लब के मैदान में 48 घंटे के धरने पर बैठने के उद्देश्य से एकत्र हुए। इंण्डिया गेट से "धरने" पर बैठने के स्थान अर्थात् राजपथ-जनपथ चौराहे के निकट तक दिल्ली पुलिस उनके मार्गरक्षण पर थी।

3. अचानक प्रवासी हिंसा पर उतारू हो गए तथा उन्होंने पुलिस के घेरे को तोड़ दिया और वे संसद भवन की ओर दौड़ने लगे। पुलिस द्वारा उनकी चेतावनी दी गई तथा राजपथ से लगभग 100 गज की दूरी पर उनको रोक दिया गया। जब उन्हें रोका गया, तो उन्होंने पुलिस बल पर पत्थर फैंके तथा कुछ पुलिस कर्मियों पर हमला किया और इससे 5 पुलिस कर्मियों को चोटें लगी। उनको तितर-बितर करने के उद्देश्य से अश्रु गैस के 10 राउण्ड छोड़े गए और लाठी चार्ज भी किया गया। भीड़ को तितर-बितर करने के दौरान, कश्मीरी प्रवासियों में से 50 व्यक्तियों को चोटें पहुंची। भा० दं० सं० की संबद्ध धाराओं के अधीन एक मामला दर्ज किया गया और इस मामले में 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। सभी 21 व्यक्तियों को उसी दिन छोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के अधीन भी 87 व्यक्तियों को निरुद्ध किया गया और बाद में उसी दिन उन्हें छोड़ दिया गया। घायल हुए सभी 5 प्रवासियों तथा 5 पुलिस कर्मियों को मामूली चोटें आई।

4. प्रवासी व्यक्ति दिल्ली में दुकान, मकान, ऋण आदि का आवंटन करने जैसी पुनर्वास संबंधी मांगें कर रहे थे। सरकार की नीति उनकी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें राहत देना है। उन्हें स्थायी रूप से श्रीनगर घाटी से बाहर बसाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि सरकार का यह प्रयास है कि घाटी में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार होते ही वे अपने घरों को लौट सकें।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर): उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है,

उस पर पहली आपत्ति तो यह है कि वक्तव्य देने की पहले सूचना देनी चाहिए और उसके बाद यहां वक्तव्य के लिए आना चाहिए। इस वक्तव्य के बारे में हमें पहले कोई सूचना नहीं दी गई है और न वक्तव्य की कोई प्रति यहां पर दी गई है।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहूंगा कि जिन बातों को लेकर कश्मीर विस्थापितों ने अपना प्रदर्शन बोट क्लब पर किया था, उनके बारे में माननीय मंत्री महोदय ने एक भी बात नहीं कही कि आप उनके लिए कुछ करने जा रहे हैं या नहीं। वे इतनी दयनीय स्थिति में हैं कि उनके खाने-पीने का इंतजाम नहीं है और उनको जिस निर्दयता से मारा गया, पीटा गया सड़कों पर, जिस तरह से ढोरों को मारा जाता है, पशुओं को मारा जाता है, उसी तरह से लाठियों से पीटा गया। इस अमानुषिक अत्याचार के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने कुछ भी नहीं किया है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में वे जांच कराएं कि किस प्रकार से पुलिस ने वहां पर उनके साथ व्यवहार किया है और विस्थापितों के बारे में वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं। **(व्यवधान)** माननीय उपाध्यक्ष जी, अगर इसके बारे में ये न कहते हैं, तो हम इसके विरोध में वाक-आउट करते हैं।

8.03 म० प०

(तत्पश्चात् डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

उपाध्यक्ष महोदय: सभा मंगलवार, 20 अगस्त, 1991 को 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

8.03 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 अगस्त, 1991/29 श्रवण 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।